सप्तम माला, खंड 33, अंक 17, मंगलवार, 2 नवम्बर, 1982/11 कार्तिक, 1904 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(दसवां सत्र)

सत्यमेव जयते

(खंड 33 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : बार रुपये

विषय-सूची

अंक 17, मंगलवार, 2 नवम्बर, 1982/11 कार्तिक, 1904 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	...	1— 23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 311, 313, 314, 320, 321, और 323	...	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	23—206
तारांकित प्रश्न संख्या : 310, 312, 315 से 319, 322 और 324 से 330	...	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3381 से 3614	...	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	206—210
विधेयकों पर अनुमति	...	210
दंड विधि (संशोधन) विधेयक	...	211
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन		
दंड विधि (संशोधन) विधेयक	...	211—217
संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य		
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	...	217—226
29 अक्तूबर, 1982 को दिल्ली में जखीरा रेल फाटक पर एक मालगाड़ी को दिल्ली परिवहन निगम की एक बस तथा एक जीप के साथ टक्कर का समाचार		
श्री जी०एम० बनातवाला	...	217
श्री मल्लिकार्जुन	...	217
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	...	222
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	...	224

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (दूसरा संशोधन) विधेयक-पुरः स्थापित	...	226—233
नियम 377 के अधीन मामले	...	233—237
(एक) दिल्ली विश्वविद्यालय में सामान्य स्थिति लाने की आवश्यकता श्री अटल बिहारी वाजपेयी	...	233
(दो) कौड़ी राम (गोरखपुर) स्थित टेलीफोन एक्सचेंज का कार्यकरण श्री महावीर प्रसाद	...	233
(तीन) औरंगाबाद में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की मांग श्री काजी सलीम	...	234
(चार) श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए श्रम कानूनों का लागू किया जाना श्री कृष्ण प्रतापसिंह	...	235
(पांच) पुलायास जाति को पिछड़ी जाति के रूप में सूची-बद्ध करने से संबंधित मंडल आयोग की सिफारिश श्री के० कुन्हम्बु	...	235
(छः) हल्दिया तेल शोधक कारखाने का विस्तार श्री नोरेन घोष	...	236
(सात) स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके परिवारों को पेंशन में वृद्धि करने की मांग श्री रामावतार शास्त्री	...	236
(आठ) उत्तरप्रदेश, बिहार तथा हरियाणा में बिजली की दरों में वृद्धि के वापिस लेने की मांग श्री राम विलास पासवान	...	237

विषय		पृष्ठ
छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव	...	238
श्री एस०बी० चव्हाण	...	238
श्री ए०के० राय	...	240
श्री सतीश अग्रवाल	...	241
श्री इन्द्रजीत गुप्त	...	244
श्री ई० बालानन्दन	...	246
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	...	261
श्री ईरा मोहन	...	266
श्री वाई०एम० महाजन	...	269
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	...	275
श्री राम प्यारे पनिका	...	283
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	...	288
श्रीमती जयन्ती पटनायक	...	294
श्री चित्त बसु	...	298
कार्य-मंत्रणा समिति	...	299
38वां प्रतिवेदन		
राज्य-सभा से संदेश	...	299
सभा पटल पर रखा गया पत्र	...	300

लोक सभा

मंगलवार, 2 नवम्बर, 1982/11 कार्तिक, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, क्या मैं आपसे एक अनुरोध कर सकता हूं। आपको, इस सदन के मुखिया होने के नाते, मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी ओर से आप प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खां से हमारी सहानुभूति प्रकट करें और मैं आशा करता हूं कि उनके नागरिक अधिकार फिर से उन्हें दे दिए जायेंगे। यदि आप ऐसा कर सकें तो हमें खुशी होगी।

श्री समर मुखर्जी : हम उनके विचारों का पूर्णत: समर्थन करते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, हम कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहते। कृपया हमारी शुभ कामनायें प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खां को भेजने की कृपा करें और हम आशा करते हैं कि उन्हें फिर से स्वतन्त्र कर दिया जायेगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, हम चाहते हैं कि सरकार मद्रास दूरदर्शन द्वारा हिन्दी प्रसारण रोकने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे।

श्री रामावतार शास्त्री : इस विषय पर तो कुछ न कुछ विचार जरूर होना चाहिए क्यों कि पूरा देश इसमें इन्वाल्व्ड है। कल कुछ लोगों ने तो डिमान्सट्रेशन भी किया था इस सवाल को लेकर। इसलिए यहां पर भी आप एक प्रस्ताव पास कराईये।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए··· **(व्यवधान)**···

श्री मनीराम बागड़ी : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने 388 के अन्तर्गत आपको एक मोशन दिया था···

अध्यक्ष महोदय : हां, आपने मुझे दिया था और वह हमारे अंडर कन्सीडरेशन है···

श्री मनीराम बागड़ी : मेरे पास यह कान्सटीटयूशन है। इसके अन्दर लिखा हुआ है···

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा न कि आपका मोशन मेरे पास है। आप मुझसे आकर बात करियेगा···**(व्यवधान)**

श्री मनीराम बागड़ी : मैंने राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का बहिष्कार करते हुए भी यह बात कही थी। इस तरह से यह चलने वाली बात नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस विषय पर केवल गैर हिन्दी भाषी लोगों को ही बोलना चाहिए। इस मुद्दे को हिन्दी-भाषी लोगों द्वारा उठाने से और विवाद उठ खड़ा होगा। उन्हें बैठने के लिए कहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह मामला बड़ा गम्भीर है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसको देखें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे बात करूंगा··· (व्यवधान) ···

आई विल टाक टू यू लेटर आन··· (व्यवधान) ···

एक माननीय सदस्य : आप इस पर स्टेटमैंट क्यों नहीं रेज़ करते··· (व्यवधान) ···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे बात करूंगा···

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जैसा कि लोगों ने कहा है, खान अब्दुल गफ्फार खां सरहदी गांधी हैं··· (व्यवधान) ···

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कह दिया कि आप बैठिए, मैं आपसे बात करूंगा···

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में दो शब्द कहें ।

श्री रामावतार शास्त्री : इस विषय पर जरूर आपको कुछ कहना चाहिए···

प्रो० मधु दण्डवते : हम आपसे केवल दो शब्द चाहते हैं। हम किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहते ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कोई झगड़ा शुरू नहीं किया । मैंने आपको इसीलिए सुना है कि मैं भी आपके साथ हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मेरी हमदर्दी उनके साथ है। लेकिन मैंने आपको कहा कि मैं आपसे बात करूंगा···(व्यवधान)

श्री एच० एन० बहुगुणा : हम चाहते हैं कि आप सभा की ओर से दो शब्द कहें ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । आप बैठिए । मेरी भी हमदर्दी उनके साथ है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 311 । डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी । **(व्यवधान)**

प्रश्नों मौखिक के उत्तर

*311. **श्री फूल चन्द वर्मा**
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी } : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपर असम में तेल क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में गैस उपयोग न होने के कारण बेकार जा रही है;

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(ख) यदि हां, तो इससे कितना नुकसान हो रहा है;

(ग) क्या इस गैस की देश के अन्य भागों में बड़ी मांग है और यदि हां, तो इस गैस के अपव्यय के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस हानि को रोकने के लिए पहले कोई योजना नहीं बनाई थी और यदि कोई योजना बनाई गयी थी, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विभिन्न संस्थानों को इस गैस के प्रयोग के लिये कहा गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा इसका प्रयोग अब तक न कर पाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) जी, हां। स्थानीय उपभोक्ता और उद्योग अपने कार्यक्रमों तथा उन कार्यक्रमों में दर्शायी गयी मात्राओं के अनुसार गैस का उपयोग नहीं कर सके। इस कारण अपरिहार्य रूप से कुछ फालतू सम्बद्ध गैस को जलाना पड़ा था।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान 769 मि० मानक घन मीटर सम्बद्ध प्राकृतिक गैस को जलाया गया था। इसका सांकेतिक मूल्य लगभग 7.69 करोड़ रुपये निकाला गया है। इन परिस्थितियों में यदि गैस को बिल्कुल नहीं जलाया गया होता, तो अशोधित तेल के उत्पादन को बहुत अधिक मात्रा में कम करना पड़ता तथा इससे देश को बहुत अधिक हानि होती।

(ग) तथापि, देश के अन्य भागों में प्राकृतिक गैस की मांग हो सकती है, गैस की इस मात्रा (जो कि अपेक्षाकृत कम है) का अधिक दूरी के स्थान पर परिवहन करना व्यापारिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, विशेष रूप से कुछ सीमित वर्षों के लिये जब तक कि असम में उपभोक्ता यूनिटें जिनको गैस का दिया जाना पहले ही वचनवद्ध कर दिया गया है, अपेक्षित गैस की मात्रा का उपयोग करने में समर्थ नहीं हो जातीं।

(घ) जी, नहीं। सरकार ने विस्तृत योजनाएं तैयार की थीं। विभिन्न समितियों तथा कार्यकारी दलों ने समय-समय पर गैस के अनुकूलतम उपयोग पर विचार किया है और इन अध्ययनों के परिणामस्वरूप ही उर्वरकों, पेट्रो-रसायनों, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के उत्पादन, विद्युत सृजन, चायबागानों इत्यादि को सप्लाई की योजनाएं तैयार की गयी हैं। (ङ) और (च) जी, हां। विभिन्न संगठनों जैसे कि असम राज्य विद्युत बोर्ड, हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड आदि को उन्हें वचनवद्ध की गयी गैस की मात्रा को उठाने के लिए समय-समय पर कहा गया। तथापि, इन प्रायोजनाओं के कार्यान्वयन और चालू किए जाने में विलम्ब तथा इनके स्थिर प्रचालनों के परिणामस्वरूप कम उठान हुआ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं महसूस करता हूं कि सदन के पटल पर रखा गया विवरण,

जैसा कि होता है, पूर्णत: अस्पष्ट है, और इसमें सम्बद्ध गैस की योजना के फलस्वरूप राष्ट्रीय राजस्व की हानि से उत्पन्न गम्भीर स्थिति का कोई उल्लेख नहीं है। हाल ही में असम जाने के बाद, मैं अवश्य कह सकता हूं कि लोग इस स्थिति से अप्रसन्न हैं।

मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह यह सच है कि गैस का इस प्रकार जलाना जरूरी हो गया था कि नामरूप उर्वरक तृतीय यूनिट जो कि चालू हो जाना चाहिए था, अभी चालू नहीं हुआ है और इस तीसरे यूनिट की स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार के निर्माण कार्यकलापों में विलम्ब के फलस्वरूप इस गैस को जलाना जरूरी हो गया। इससे राष्ट्र को प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है। इस हानि के फलस्वरूप असम प्रभावित हो रहा है।

श्री पी० शिवशंकर : मैं नहीं समझता कि जो उत्तर मैंने दिया है वह अस्पष्ट है। मैंने तथ्य तथा आंकड़े दिए हैं। निस्सन्देह यह सच है कि वहां पर 7·96 करोड़ रु० की सम्बद्ध गैस जल गई है।

मेरे मित्र की टिप्पणी का कुछ भाग सही है क्योंकि यह नामरूप यूनिट नं० 3 द्वारा प्रयोग नहीं की जा रही है।

वास्तव में हम, असम राज्य बिजली बोर्ड और हिन्दुस्तान उर्वरक निगम को भी इसके प्रयोग करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। हमारे पास अनुप्रवाह संयंत्रों की योजनाएं भी हैं और वे क्रियान्वित की भी गई हैं। यह केवल एक अस्थायी घटना है किन्तु फिर भी यह एक ऐसा मामला है जिससे थोड़ी-सी चिन्ता पैदा हो गई है। **(व्यवधान)**

जहां तक ओरान, गुजरात का सम्बन्ध है, वहां गैस नहीं जल रही है। पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि ओरान से सम्बन्धित था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : माननीय मंत्री ने उर्वरक यूनिट के अतिरिक्त असम राज्य बिजली बोर्ड का उल्लेख किया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि—मुझे इस बारे में असम में पता लगा—असम राज्य बिजली बोर्ड इससे भी अधिक गैस का प्रयोग कर सकता है बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार से लिये जा रहे मूल्य को कुछ कम कर दिया जाये और मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसे तो इस गैस को जलाना ही है। केन्द्रीय असम राज्य बिजली बोर्ड को बेची जा रही गैस का मूल्य कम करने पर विचार करेगी।

श्री पी० शिवशंकर : आज ही मुझे पता चला है कि असम राज्य बिजली बोर्ड को दी जा रही गैस का मूल्य 99·92 रु० प्रति हजार क्यूबिक मीटर है, जो कि किसी अन्य उपभोक्ताओं द्वारा दिये जा रहे मूल्य की तुलना में सबसे कम है। अन्य स्थानों पर गैस वास्तव में काफी ऊंचे दामों पर बेची जाती है। किन्तु हम इसे असम राज्य बिजली बोर्ड को न्यूनतम मूल्य पर दे रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपको तो यह मुफ्त में देनी चाहिए।

श्री पी० शिवशंकर : वे इसे नहीं उठा रहे हैं। हमने तो उनको यहां तक कह दिया है कि आप गैस टरबाइन भी रख सकते हैं। यदि वे इसे उठा सकें, तो हम इस पर विचार करेंगे कि इसे जलाने के स्थान पर उन्हें दे दें।

श्री एच० एन० बहुगुणा : क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नामरूप-3 को कितनी गैस आबंटित की गई है, बिजली उत्पादन के लिए कितनी गैस आवंटन योग्य है और नामरूप तथा बिजली उत्पादन के प्रयोजन से प्रयोग होने वाली कुल गैस में से क्या फिर भी कुछ फालतू गैस बच जाती है, यदि हां, तो कितनी गैस फालतू रहती है ?

माननीय मंत्री ने दर भी बताए । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या जिस दर पर असम राज्य बिजली बोर्ड को गैस दी जाती है वह कोयले की एक यूनिट और गैस की एक यूनिट द्वारा सप्लाई की जाने वाली ऊर्जा के तापजनक मूल्य के सन्दर्भ में कोयला उपभोग दर के बराबर है ।

श्री पी० शिवशंकर : जहां तक नामरूप का सम्बन्ध है, नामरूप में उर्वरक संयंत्र के चरण-एक हेतु कुल जरूरत 0·223 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन की है और यह उन्हें सप्लाई की जा रही है । चरण-दो में भी यह इसी तरह सप्लाई की जाती है । यदि मेरे माननीय मित्र आंकड़े जानना चाहते हैं, तो यह 0·846 मिलियन प्रति क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है । जहां तक चरण-3 का सम्बन्ध है, इसके लिए प्रतिदिन 11 लाख 70 हजार क्यूबिक मीटर तक गैस की उपलब्धता के ठोस बचन की जरूरत है और यह व्यवस्था पहले ही कर ली गई है । गैस वचनबद्धता और नामरूप के चरण-1 और चरण-2 को पहले ही सप्लाई की जा रही गैस की अब तक की स्थिति यह है ।

श्री एच० एन० बहुगुणा : चरण-3 की क्या स्थिति है ?

श्री पी० शिवशंकर : मैंने कहा है न कि 11 लाख 70 हजार क्यूबिक मीटर प्रतिदिन । प्रश्न का दूसरा भाग, जो मेरे माननीय मित्र ने पूछा है, कोयले और उसके मूल्य से सम्बन्धित है । मैं इसे जल्द ही सभा पटल पर रखने में समर्थ हूंगा क्योंकि इस बारे में मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री एच० एन० बहुगुणा : बिजली बोर्ड को सप्लाई करने के बाद क्या बचेगा ? इसके बाद भी कितनी गैस फालतू बचती है और जलाई जायेगी ? मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री पी० शिवशंकर : फालतू गैस के प्रश्न पर मैं यह कहूंगा कि गैस का जो आबटन हमने किया है यदि उसे उठा लिया जाता है तो जलाने का प्रश्न ही नहीं उठता । थोड़ी-सी गैस हमें जलानी पड़ेगी, हमारे पास पहले ही पैट्रो-कैमिकल कम्प्लैक्स हैं जिन्होंने वहां पर भूमि सम्बन्धी कार्य शुरू कर दिया है ।

श्री एच० एन० बहुगुणा : तब भी आपको कुछ गैस जलानी पड़ी । आप इसे रोक नहीं सकते ।

श्री पी० शिवशंकर : मैं मानता हूं । मेरे माननीय मित्र जानते हैं—क्योंकि उन्होंने इस मन्त्रालय का कार्य-भार सम्भाला हुआ है—कि कच्चा तेल निकालने के प्रयोजनार्थ कुछ गैस अवश्य ही जलानी पड़ती है, अन्यथा, आप ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि फिर कच्चे तेल का उत्पादन कम हो जाएगा ।

नये टेलीफोन कारखाने

*313. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन नये टेलीफोन कारखाने स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कौन-से स्थल चुने गए हैं, किस प्रकार के उपकरणों का उत्पादन करने का विचार है और इस प्रयोजन के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) देश में टेलीफोनों की मांग पूरी करने तथा स्थिति में सुधार करने में इनसे कहां तक सहायता मिलेगी ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) टेलीफोन एक्सचेंज स्विचिंग उपस्कर की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मंजूर योजनाओं में नीचे लिखी व्यवस्था शामिल है :—

(एक) डिजिटल इलैक्ट्रानिक (स्थानीय) स्विचिंग उपस्कर की प्रत्येक में प्रतिवर्ष 5 लाख लाइनों की उत्पादन क्षमता रखने वाले दो नये कारखानों की स्थापना; और

(दो) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के पालघाट कारखाने की उत्पादन क्षमता को इलैक्ट्रानिक ट्रंक स्वचल एक्सचेंज, ग्रामीण तथा निजी स्वचल शाखा एक्सचेंज उपस्कर की 10,000 लाइनों से बढ़ाकर, 1.5 लाख लाइनों तक ले जाना ।

जहां तक उपर्युक्त पहले कारखाने का सम्बन्ध है, मैसर्स इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने फ्रांस की एक कम्पनी मैसर्स सी० आई० टी० अल्केटल के साथ एक सहयोग करार किया है । इसके अधीन गोंडा, उत्तर प्रदेश में डिजिटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेन्ज उपस्कर की प्रतिवर्ष 5 लाख लाइनों की उत्पादन क्षमता स्थापित की जाएगी । कारखाने के भवन का निर्माण कार्य 1983-84 में शुरू होने की सम्भावना है । जहां तक इसी प्रकार के दूसरे कारखाने की स्थापना का सवाल है, कारखाने के स्थान के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है । सहयोगी उत्पादन के लिए विश्वव्यापी स्तर पर मिले टेण्डरों का मूल्यांकन किया जा रहा है ।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के पालघाट कारखाने के विस्तार का प्रस्ताव है, जहां विदेशी सहयोग से डिजिटल इलैक्ट्रानिक ट्रंक स्वचल एक्सचेंज तथा ग्रामीण और निजी स्वचल शाखा एक्सचेन्जों का उत्पादन शुरू किया जाएगा । ट्रंक स्वचल एक्सचेन्ज के बारे में मिले टेण्डर और प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जा रहा है ।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, जब सभी तीनों कारखानों में निर्धारित उत्पादन शुरू हो जायेगा, आशा है कि देश में टेलीफोन की मांग और इसकी पूर्ति के बीच का अन्तर, यदि खत्म नहीं हो सका तो काफी कम कर दिया जाएगा ।

डा० कृपा सिंधु भोई : 14 अगस्त को कलकत्ता के **स्टेट्समैन** में एक खबर थी कि संचार सचिव श्री एस०के० घोष ने प्रेस सम्मेलन में बताया कि देश के विभिन्न भागों में तीन नई फैक्ट्रियां

न रही हैं जिनमें बंगलौर, रायबरेली और कोटी भी शामिल है। अगले कुछ वर्षों में इससे हर साल 12 लाख टेलीफोन लाइनों की आधुनिक डिजिट वाली इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज तथा हिस्से-पुर्जे एवं उपकरण तैयार किए जाएंगे जिससे सातवीं पंचवर्षीय योजना तक समस्त मांग पूरी की जा सकेगी एवं किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। लेकिन इस जवाब में मंत्री महोदय ने कहा है कि :

"डिजिटल इलैक्ट्रानिक (स्थानीय) स्विचिंग उपस्कर बनाने की, दो नई फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी जिनमें प्रत्येक की क्षमता 5 लाख लाइनें प्रति वर्ष होगी।"

इस के आधार पर मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि टेलीफोन लाइनों की वार्षिक मांग क्या है तथा देश में इस समय अधिष्ठापित क्षमता से कुल कितनी सप्लाई की जा रही है, टेलीफोन लाइनों का निर्माण की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा क्षमता उपयोग का प्रतिशत क्या है· और क्या, जैसा कि श्री घोष ने कहा है, देश में तीन परिष्कृत डिजिटल एक्सचेंज होंगे। मंत्री महोदय ने जैसा कि कहा है, अगर दो इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज बनाए जा रहे हैं तो अन्य स्थल कौन सा होगा— एक के बारे में पहले ही निश्चय किया जा चुका है; दूसरी किस जगह होगी।

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबन्ध है मैं उन्हें आंकड़े दे सकता हूं। 1982 के अनुसार कुल संख्या 6 लाख है।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने अधिष्ठापित क्षमता के बारे में पूछा है, इस समय दो फैक्ट्रियां स्विचिंग उपकरण बना रही हैं। एक बंगलौर में, जिसकी क्षमता 1.5 लाख है तथा जो प्रतिवर्ष 1.5 लाख स्ट्रागर लाइन्स का निर्माण करती है। बंगलौर में एक अन्य यूनिट भी है जो कि आई० टी० आई० के अधीन है तथा जो 60,000 क्रास बार लाईन प्रतिवर्ष बनाती है। रायबरेली स्थित फैक्ट्री में जल्दी ही उत्पादन आरम्भ हो जाएगा।

प्रश्न के तीसरे भाग में डिजिटल इलेक्ट्रानिक स्विचिंग एक्विपमेंट सम्बन्धी दूसरी फैक्ट्री देश के किस भाग में लगाई जाएगी यह पूछा गया है। स्थल चुनाव समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तथा सरकार इसकी जांच कर रही है।

डा० कृपा सिन्धु भोई : मैं मन्त्री महोदय से साफ तौर पर यह पूछना चाहता हूं कि क्या स्थल चुनाव समिति तथा डी जी, पी एण्ड टी के प्लानिंग प्रमोशन डिपार्टमेंट ने विस्तार से स्थल चुनाव के सम्बन्ध में विश्लेषण किया है तथा क्या उन्होंने 1977-78 में सरकार को यह रिपोर्ट दी थी कि एक उपयुक्त स्थल उड़ीसा, भुवनेश्वर में है अथवा पश्चिम उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्र जैसे कालाहंडी अथवा भोलाँगीर भी इसके लिए उपयुक्त स्थल हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या टेलीफोन एक्सचेंज उद्योग के लिए स्थल का निर्णय करते हुए इन पर विचार किया जाएगा क्योंकि टेलीफोन एक्सचेंज उद्योग लगाते समय पिछड़ेपन को भी ध्यान में रखा जाता है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : केवल पिछड़ापन ही नहीं अन्य भी बहुत सी बातें हैं जिन पर किसी फैक्ट्री के स्थल का चुनाव करते समय विचार किया जाता है तथा स्थल चुनाव समिति ने इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है जिसकी जाँच की जा रही है और इस समय मैं यह नहीं बता सकता कि किस स्थल का चुनाव किया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नई फैक्ट्रियां स्थापित करने का ही प्रश्न नहीं है अपितु वर्तमान क्षमता बढ़ाने की भी बात है। में उन से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी सरकार को मेरे द्वारा भेजे गए कुछ पत्रों सहित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें पहली आई टी आई यूनिट जो कि निश्चित रूप से औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र जम्मू और काश्मीर में लगाई गई है, के विस्तार की सम्भावनाओं की बात की गई है। उस फैक्ट्री में आज भी, इतने साल बीतने के बाद 150 से भी कम मजदूर काम कर रहे हैं। जबकि वह इस प्रकार के आधुनिक उपकरण बना सकते हैं जैसा कि ये इस समय फ्रांस के सहयोग से बनाए जा रहे हैं। यहां तक कि प्रबन्ध का यह कहना है कि विरलित वातावरण के कारण जिसमें कि अपेक्षाकृत धूल नहीं होती, इस प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण बनाने के लिए यह बहुत ही अच्छा है तथा वर्कर भी काफी अनुभवी तथा दक्ष हैं। क्या वह—श्री मकवाना, उनकी सरकार इस मए उत्पादन अथवा विस्तार का कुछ भाग, इस फैक्ट्री को एलाट करने पर विचार करेगी ताकि काश्मीर में कुछ लोगों को रोजगार मिल सके ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : काश्मीर में टेलीफोन स्विचिंग एक्विपमेंट फैक्टरी के विस्तार का प्रश्न ही नहीं उठता। इस फैक्टरी में यहां के उपयुक्त आइल कोर्डस और टेलीफोन उपकरण तैयार किए जाते हैं। उनका विस्तार किया जाएगा। जहां तक डिजिटल एलेक्ट्रानिक फैक्टरी का सम्बम्ध है, एक के बारे में पहले ही निर्णय किया जा चुका है—अर्थात घोंडा में और दूसरी के बारे में विचार किया जा रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं नई फक्टरी की बात नहीं कर रहा, मैं वर्तमान के बढ़ाने की बात कर रहा हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : वह फैक्ट्री स्विचिंग उपकरण नहीं बना रही है। लेकिन, महोदय, जो कुछ भी यहां बन रहा है, हम उसका विस्तार कर रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य मार्क्सिस्ट हैं। इन्होंने 'सर जे०जी० घोष' शब्द का इस्तेमाल किया है। यह 'सर जे० सी० घोष' क्या है ?

श्री नीरेन घोष : मैंने इसे नहीं लिखा। मेंने नहीं, उन्होंने लिखा है। आप उन पर आरोप लगाइए।

प्रश्न संख्या 314

सिन्थेटिक आयल प्रोजेक्ट के बारे में समिति

*314. **श्री नीरेन घोष** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर जी०सी० घोष समिति ने सिन्थेटिक आयल प्रोजेक्ट के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) समिति की सिफारिशों को लागू न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार सारे मामले पर पुनर्विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) समिति निम्नलिखित सदस्यों के साथ वर्ष 1955 में तत्कालीन उत्पादन मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई थी :—

1.	डा० जे०सी० घोष, सदस्य, योजना आयोग, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	डा० ए० नागराज राव, मुख्य औद्योगिक सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (विकास स्कंध), नई दिल्ली	सदस्य
3.	डा० जे०डब्लू० ह्विटेकर, विशेष कार्य अधिकारी, इंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद	सदस्य
4.	डा० ए० लाहिरी, निदेशक, इंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद	सदस्य
5.	डा० एम०एस० कृष्णन, निदेशक, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, कलकत्ता	सदस्य
6.	डा० एस० हुसैन ज़हीर, निदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए केन्द्रीय प्रयोगशालाएं, हैदराबाद	सदस्य
7.	श्री ए०बी० गुहा, मुख्य खनन इंजीनियर, स्टेज कोलियरीज़, कलकत्ता	सदस्य

(ग) समिति ने बंगाल कोयला क्षेत्र में एक कम ताप कार्बनीकरण संयंत्र स्थापित करने की सिफारिश की। इस संयंत्र में घरेलू ईंधन के लिए साफ्ट कोक का उत्पादन किया जाना था और उप-उत्पादों का उपयोग मोटर स्पिरिट, ईंधन तेल आदि के उत्पादन के लिए किया जाना था। इस परियोजना का निर्माण शुरू नहीं किया गया था क्योंकि उस समय आयात किया हुआ कच्चा तेल ही सस्ते दाम पर उपलब्ध था।

(घ) और (ङ) वर्ष 1974 में तेल की कीमतों में वृद्धि के बाद भारतीय कोयले को तेल में बदलने की सम्भावना का एक "सिन्थेटिक आयल पर विशेषज्ञ ग्रुप" ने अध्ययन किया था। इस ग्रुप के अध्यक्ष श्री के०आर० चक्रवर्ती थे और इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1977 में प्रस्तुत की थी। 'ग्रुप' ने एक मिलियन टन तरल ईंधन प्रति वर्ष की क्षमता वाला "कोयले से तेल बनाने का संयंत्र" स्थापित करने की सिफारिश की थी। परियोजना की 1980 तक अद्यतन की गई अनुमानित लागत रु० 1140 करोड़ थी। ऐसे संयंत्रों में अत्यधिक राशि के निवेश को और समुचित तकनालाजी प्राप्त करने में कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस परियोजना को लेकर आगे कोई कार्रवाई नहीं की है और अन्य विकल्पों—जैसे कोयले को गैस और मैथालोन में बदलना—का परीक्षण किया जा रहा है। कलकत्ता के निकट डानकुनी में एक कम ताप कार्बनीकरण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यह संयंत्र कलकत्ता के घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए 1500 टन कच्चे कोयले का प्रतिदिन कार्बनीकरण करेगा जिससे 3·5 लाख टन धुआंरहित कोक का प्रतिवर्ष और 18 से 20 मिलियन घन फीट गैस का प्रतिदिन उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा यह संयंत्र टार, टार-रसायन तथा अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट आदि अन्य उत्पादों का भी उत्पादन करेगा।

श्री नीरेन घोष : मैं सरकार पर इम्पीरियलिस्ट लाबी के साथ साठ-गांठ करने (व्यवधान) का आरोप लगाता हूं। इन्होंने कृत्रिम तेल संयंत्र के नहीं लगाए जाने के लिए इस रिपोर्ट को प्रकाश में नहीं आने दिया। क्या यह सच है अथवा नहीं कि यह रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत कर दी गई थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : 1955 में प्रस्तुत की गई थी।

श्री नीरेन घोष : 1956 में और इसे पूरी तरह दबा दिया गया तथा इसका कुछ पता नहीं चला। दौबारा हमने यह प्रश्न पूछा, सरकार का जवाब यह रहता था कि उसे इस प्रकार की रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है। फिर अन्त में, सरकारी प्रकाशन में इस का संदर्भ मिला तथा जब पेट्रोलियम मन्त्री को इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने मुझे बताया कि जो कुछ उन्होंने कहा था वह ठीक था, उनके पास इसकी कोई प्रति नहीं है। इसके पश्चात इसको जोर शोर से तलाश की गई। तो धनवाद कोयला अनुसंधान संस्थान में अस्वीकृत फाइल में यह उपलब्ध हुई। टाइप की हुई एक प्रति प्राप्त हुई। सरकार केवल इस सदन को गुमराह कर रही है, यह कहकर कि उस समय कोयला आसानी से उपलब्ध था, इसलिए इस परियोजना को हाथ में नहीं लिया जा सका। उस समय इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं किया गया था। आप इस सदन को पूरी तरह गुमराह कर रहे हैं। मन्त्री महोदय ने यहां तक कि रिपोर्ट को पढ़ने की भी तकलीफ नहीं की है। 'लो कार्बोनाइजेशन प्लांट' से सस्ते किस्म का कच्चा तेल पैदा हो सकता था। उन्होंने इसकी तुलना की और यह बताया कि कच्चे तेल का उत्पाद आयातित तेल के उत्पाद के मूल्य से कम होगा। इसलिए, महोदय, मन्त्री जी ने रिपोर्ट

को पढ़ने तक की परेशानी मोल नहीं ली। समिति ने उस रिपोर्ट में यह मत भी व्यक्त किया है कि अगर कोयले के भाव घटते-बढ़ते रहे फिर भी कृत्रिम तेल उत्पाद की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा रहेगी। यह बताया गया कि इसकी लागत थी तथा तकनीकी सलाहकार उपलब्ध नहीं थे। वे फिर से गुमराह कर रहे हैं।

इस समिति ने लर्गी, फिश ट्रापर और सभी अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकारों से तथा उन सबसे परामर्श किया जिन्हें इस प्रौद्योगिकी की जानकारी है तथा जिन्हें इसके बारे में मालूम है। आप को यहां तक कि 10 लाख टन क्षमता उपलब्ध हो सकती है। यह प्रौद्योगिकी उपलब्ध है तथा इस का विस्तार किया जा सकता है तथा इससे हजारों करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। क्या ऐसा नहीं है कि मन्त्री महोदय जिस नीति को अपना रहे हैं, उससे देश का बहुत ज्यादा अहित होगा ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्री जी०सी० घोष श्री नीरेन घोष के रिश्तेदार हैं।

श्री नीरेन घोष : दुर्भाग्य से वे अभी वहां हैं।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, घोष साहब का जो प्रश्न है, वह 1955 की कमेटी के बारे में है। असल में 1955 में एक घोष समिति बनाई गई थी प्रोडक्शन मिनिस्ट्री की तरफ से और उस की यह रिपोर्ट है ···(व्यवधान)···

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : इन्होंने यह कहा कि यह उपलब्ध नहीं थी। मैं यह मानता हूं कि यह प्रश्न 1974 में पूछा गया था। तत्कालीन मंत्री ने बताया था कि यह उपलब्ध नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह जवाब दे रहे हैं अथवा वरिष्ठ मन्त्री ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप उत्तर दे रहे हैं या ये उत्तर दे रहे हैं।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : यह रिपोर्ट है और जो आप यह कह रहे हैं कि यह गुम हो गई थी और मिसलीड किया हाऊस को, तो ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह कहां से निकाल कर लाए हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : यह आप दिये हैं।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : यह कहाँ से निकाली है और कौन निकालता है, वाजपेयी जी इसको ज्यादा जानते हैं। कहां से निकली, हमें नहीं मालूम। आप बताइए कि कहाँ से निकली। यह रिपोर्ट है। इस घोष समिति में ये लोग थे—श्री जे०सी० घोष, मेम्बर प्लानिंग कमीशन।

एक माननीय सदस्य : यह तो उत्तर में लिखा हुआ है।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : यह जो पोस्टपोन होती आयी है, उसका कारण यह है कि पहले जब घोष कमेटी की रिपोर्ट आयी थी तो उस समय तेल की प्राइस का एक फैक्टर था। बहुगुणा जी इस

बात को अच्छी तरह से जानते हैं। उस वक्त जो देश में तेल मिलता था वह बाहर से इम्पोर्ट किया हुआ मिलता था और वह सस्ता होता था। बाद में इसके निकालने की बात भी आगे बढ़ी। यदि आप चाहें तो मैं इसको सदन में रख सकता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह क्या रख रहे हैं ?

श्री गार्गी शंकर मिश्र : ये कागज हैं। इनमें जो लिखा हुआ है वह बहुत अच्छा है, और आपकी पसंद आयेगा।

इसके बाद एक चक्रवर्ती कमेटी बनी। उन्होंने भी यही कहा कि कोयले से तेल बनाने में ज्यादा कास्ट आयेगी। उसके बाद आज भी हमने इस चीज को छोड़ा नहीं है और उस पर विचार चल रहा है। यह एक चीज है कि तेल की अपनी इकोनोमिक्स है। हम बहुत शीघ्र ही उम्मीद करते हैं कि हिन्दुस्तान तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। फिर भी हम इसको पकड़े हुए हैं, हमने इसको छोड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ा है। (**व्यवधान**) जो जो चीजें आप चाहते हैं सब पकड़े हुए हैं। (**व्यवधान**)

श्री एच०एन० बहुगुणा : महोदय मेरे विचार में यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे मन्त्री महोदय गम्भीरतापूर्वक बिल्कुल नहीं ले रहे। प्रश्न यह है; सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है और मेरे ख्याल में बेहतर होगा अगर माननीय श्री शिव शंकर जवाब दें। तब हमें ज्यादा जानकारी मिल सकेगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गार्गी शंकर क्यों नहीं ? शिवशंकर क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : शंकर और शंकर में भेद क्यों करते हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

एक माननीय सदस्य : दोनों शंकर एक से ही हैं।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : हम तीन शंकर हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तीसरा शंकर कौन है ?

(**व्यवधान**)

श्री गार्गी शंकर मिश्र : जहां तक इस मामले को आगे बढ़ाने का सवाल है, हमने चक्रवर्ती रिपोर्ट के अनुसार एल०टी०सी० प्लांट को वेस्ट बंगाल में डाल दिया है और कलकत्ता के पास डानकुनी से आपको गैस मिलेगा, सोफ्ट कोक मिलेगा, डोमेस्टिक गैस मिलेगी। जो उसके बाई प्रोडक्ट होंगे, उनके बारे में हम सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। (**व्यवधान**) आपको तेल मिलेगा, मेथिनोल मिलेगा।

जहां तक कोयले से तेल बनाने की बात है, सेन्ट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीच्यूट में उस पर कुछ काम आगे बढ़ा है, उन्होंने एक प्लांट बनाया है।

श्री नीरेन घोष : महोदय, कितने दुख की बात है कि इन्होंने इस विषय को हंसी में ही टाल दिया। मेरे विचार में इस सभा के साथ न्याय नहीं किया गया तथा श्री शिव शंकर को गम्भीरता-

पूर्वक इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए। प्रश्न यह है कि रिपोर्ट को दबाया गया। अपराधी कौन है ? अन्त में किसी भी तरह यह पता चल गया। अब मेरा एक दम स्पष्ट प्रश्न यह है। जी०सी० घोष समिति ने यह राय व्यक्त की है कि कृत्रिम तेल की लागत अशोधित तेल तथा अन्य अशोधित तेल उत्पादों की आयातित लागत अथवा देश में माल आने पर लागत की अपेक्षा कम होगी। यह एक बात है। और उस समय भी वे ऐसा कैसे कह सकते थे कि तेल की सस्ती उपलब्धता के कारण उन्होंने परियोजना शुरू नहीं की थी यही नहीं। रिपोर्ट को दबा दिया गया। रिपोर्टों को गायब कर दिया था और उस समय कोई निर्णय नहीं लिया गया था। रिपोर्ट 1972 में मिली। और फिर वर्ष 1974 में एक दूसरी समिति नियुक्त की गयी जिसके सभापति डा० के०आर० चक्रवर्ती थे और उस समिति ने कोयले से दस लाख मीट्रिक टन तरल तेल का उत्पादन करने की सिफारिश की थी। लागत 1,140 करोड़ रुपए अथवा उसके आस पास थी। वह प्रौद्योगिकी आसानी से उपलब्ध है। इसलिए उस तथ्य को छिपाया नहीं जा सकता है। अब वे यह तर्क देते हैं कि प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं थी और लागत बहुत ज्यादा आयेगी आदि आदि, अध्यक्ष महोदय आप इस पर विचार कीजिए। यदि इस प्रकार के संयंत्र की स्थापना की जाती है। और इसका विस्तार किया जाता है तो क्या इस पर ज्यादा आवर्ती व्यय नहीं होगा ? देश विदेशी मुद्रा के कितने हजार करोड़ रुपये बचायेगा जब आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जा रहे हैं जब आपके पास से 5000 करोड़ रुपये जा रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : अत: मैं प्रश्न पूछता हूं कि क्या इन सब बातों को देखते हुए मैं यह जान सकता हूं कि क्या आप योजना को तत्काल शुरू कर रहे हैं ? क्योंकि धानकुनी एक कोयला आधारित संयंत्र है, यह एक कृत्रिम तेल संयंत्र नहीं है। अत: वह कोई विकल्प नहीं हो सकता है। आपकी वजह से और मन्त्रालय की उस नीति के कारण देश को नुकसान क्यों उठाना पड़े जिससे केवल अंतर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों को ही मदद मिलती है ?

श्री पी० शिवशंकर : श्रीमन, यह हो सकता है कि मुझे मेरे साथी द्वारा पहले ही दिए गए उत्तर के भाग को दोहराना पड़े। लेकिन वास्तविकता यह है कि जी० सी० घोष समिति की रिपोर्ट 1956 में किसी समय आई थी। मेरे मित्र रिपोर्ट न मिलने आदि कुछ बातें कह रहे हैं। यह बीते हुए समय के मामले हैं और मैं अब उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। यह सत्य है कि मुझसे पहले के मन्त्रियों में से एक पूर्ववर्ती मन्त्री संसद में एक उत्तर में यह बताया था कि रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नहीं है। वस्तुत: हमें रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। मेरे माननीय मित्र ने इसके बारे में पहले ही सभा को बता दिया है। उस समय जबकि रिपोर्ट आई थी स्थिति यह थी कि आयातित अशोधित तेल अपेक्षाकृत बहुत सस्ता था और इसलिए उस समय हिसाब करते हुए यह पता लगा था कि रिपोर्ट के अनुसार कार्य करना वांछनीय नहीं होगा। इसलिए यह निर्णय था जो उस समय लिया गया था। (**व्यवधान**) यह वर्ष 1958-59 में किसी समय लिया गया था। तत्पश्चात् जो कुछ हुआ वह इस प्रकार है—इस वर्ष 1974 में एक अन्य समिति नियुक्त की गई, जिसके अध्यक्ष डा० चक्रवर्ती थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1977 में दी। उन्होंने विभिन्न कारणों पर भी विचार किया। जैसा कि मेरे कुछ दोस्तों ने इसे बहुत सही तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस बारे में लागों तथा

अन्य कम्पनियों के साथ प्रौद्योगिकी आदि के सम्बन्ध में चर्चा की थी और फिर उन्होंने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के आधार पर फिर हिसाब-किताब लगाया गया तथा स्थिति यह थी कि कृत्रिम तेल की उत्पादन लागत शुल्क तथा करों को छोड़कर 809 रुपये प्रति टन तथा शुल्क एवं करों सहित 997 रु० प्रतिटन का अनुमान लगाया गया था। यह अनुमान 1977 में आयात किए गए कच्चे तेल की लागत की तुलना में लगाया गया था जो 909 रुपये प्रति टन आयी थी। इसलिए उस समय भी यह पता लगा था कि आयातित कच्चा तेल उस कच्चे तेल तथा कृत्रिम तेल की तुलना में सस्ता था जिसे हम इस प्रक्रिया से विकसित करते। यह वर्ष 1977 में था। यह स्थिति है जिसके बारे में मैंने स्पष्टीकरण देने की सोची थी।

श्री नीरेन घोष : किस सीमा तक सस्ता ?

श्री पी० शिवशंकर : 90 रुपये। इसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 997 तथा 909 लगभग 88 रुपये (**व्यवधान**)। शायद यह कुछ अच्छा हो सकता था और इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है। मैं उसके बारे में इनकार नहीं कर रहा हूं। मेरे मित्र ने कलकत्ता के पास धानकुनी में कम ताप कार्बनीकरण संयंत्र की चर्चा की है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिदिन 1500 टन कोयले का कार्बनीकरण होगा जिससे प्रतिवर्ष धुंआ रहित 3.5 लाख टन कोयला घरेलू तथा औद्योगिक खपत के लिए प्रतिदिन 18 से 20 मिलियन वर्गफुट गैस तथा तारकोल और अमोनियम सल्फेट, कैल्सियम कार्बोनाइट आदि जैसे उत्पाद प्राप्त होंगे। इससे इन उत्पादों से सम्बंधित उद्योगों के लिये रास्ता खुलेगा। जहां तक वर्तमान स्थिति का सम्बन्ध है। मेरा स्पष्ट रूप से यह निवेदन है कि उस वर्तमान मूल्य ढांचे को ध्यान में रखते हुए, जिसका आज हम सामना कर रहे हैं, मैं सम्पूर्ण ढांचे पर पुनः विचार करने का प्रयास करूंगा। मैं स्पष्ट रूप से यही कहूंगा कि जब तक यह प्रश्न नहीं उठाया गया, मैंने इसके बारे में विचार नहीं किया था। मुझे कुछ समय लगेगा। सम्पूर्ण प्रश्न के आर्थिक पहलुओं पर विचार करने के बाद यदि आवश्यक हुआ तो मैं फिर संसद में समक्ष अपना वक्तव्य दूंगा। इस समय मैं यही कह सकता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय मन्त्री महोदय अपनी बात कहने में स्पष्टवादी रहे हैं और स्पष्टरूप से स्वीकार करने के लिए हम उनकी कामना करते हैं कि प्रश्न के पूछे जाने से पहले उन्होंने इस मसले पर विचार नहीं किया था। 1955 में भारत सरकार ने यह पता लगाने की आवश्यकता के बारे में सोचा था कि क्या कोयले को तेल में बदला जा सकता है और रिपोर्ट 1956 में प्राप्त हुई थी, ऐसा लगता है कि उस रिपोर्ट पर दिल्ली में सरकारी स्तर पर विचार नहीं किया गया था। धनबाद या अन्य किसी स्थान पर इसका अध्ययन किया गया होगा। फिर 1974 में इस उद्देश्य के लिए दूसरी समिति का गठन करने की आवश्यकता महसूस की गई। कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और हम उसे तेल में परिवर्तित कर सकते हैं। और इसके लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करने को बाध्य होना पड़ रहा है और हम बहुत परेशानी में हैं। वर्ष 1977 में फिर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और 1980 तक इसका अध्ययन नहीं किया गया। क्या चक्रवर्ती रिपोर्ट में पहली रिपोर्ट से सहायता ली गई थी और क्या दो विशेषज्ञ समितियों ने इस देश में उपलब्ध प्रौद्योगिकी के आधार पर इस सम्भावना के बारे में सुझाव दिया था। मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हमें 1500 करोड़ रुपये पूंजी की आवश्यकता होगी।

हमें यह योजना बनानी पड़ेगी कि हम इसके द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा बचा सकेंगे। यदि सरकार कुछ समय लगा सकती है तो सरकार को इस मामले पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और उसे केवल अंतः समयावधि के दौरान ही इस मामले पर विचार नहीं करना चाहिए।

श्री पी० शिवशंकर : मुझे खेद है कि मेरे माननीय मित्र ने वर्ष 1977 की रिपोर्ट के बारे में मेरे उत्तर को गलत समझा है। उसे पढ़ लिया गया है और मैंने निवेदन किया है कि इसके आर्थिक पहलुओं पर विचार कर लिया गया है। (**व्यवधान**) मैं यह स्वीकार करता हूं कि यदि यह मेरी गलती का प्रश्न है तो इसे मानूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह मेरा उद्देश्य नहीं है। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय को यह मामला बड़ी गम्भीरता से लेना चाहिए।

श्री पी० शिवशंकर : मैंने अपने विभाग की ओर से सभा से क्षमा याचना की है। इस बात को कहने से कोई लाभ नहीं है कि मुझे मामले के इस भाग का बचाव करना चाहिए। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह यह है कि मैं इस पर अवश्य ही विचार करूंगा। आखिरकार मैं विभाग का प्रतिनिधित्व करता हूं और मुझे विभाग की ओर से खेद है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मामले को बड़ी गम्भीरता के साथ लेना चाहिए।

श्री पी० शिवशंकर : मैंने जो कुछ कहा हैं वह ठीक वैसा ही है। मैं यह कहने को तैयार हूं कि तीन महीने के भीतर मैं फिर सभा में वापस आऊंगा और स्थिति को स्पष्ट करूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम उसकी सराहना करते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट कैसे गुम हो गई और कैसे मिली ?

श्री पी० शिवशंकर : यह 1974 की बात है। मैं क्या कहूं, मैंने तो इसको देखा नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपके जमाने में मिल गई, बहुत अच्छा हुआ। यह बताइये कि कैसे मिली ?

श्री गार्गीशंकर मिश्र : 1977 में गुम हुई और अब मिली है।

प्रो० मधु दडण्वते : वह तथ्यों के पता लगाने के प्रभारी मन्त्री हैं। (**व्यवधान**)

श्री एच० एन० बहुगुणा : श्री मिश्र आप अपने वक्तव्य के बारे में निश्चित हो अन्यथा आप विशेषाधिकार का उल्लंघन कर रहे होंगे।

प्रश्न संख्या 316

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 316—उपस्थित नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तरपूर्व) : श्रीमन, यदि मन्त्री महोदय उत्तर देने को तैयार हैं तो आप नियम 388 का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : उसे प्राधिकृत नहीं किया गया है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : लेकिन अध्यक्ष महोदय नियम 388 का उपयोग कर सक सकते हैं। श्रीमन। (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : भाषा से सम्बन्धित सवाल है। दूरदर्शन वाला वही भाषा का सवाल है।

श्री रामावतार शास्त्री: जानबूझकर भगवा दिया है।

श्री मनीराम बागड़ी : 70 करोड़ का यह देश है। इस तरीके से भाषा के सवाल पर···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमानवारासू—यहां नहीं है, श्री पनिका जी।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए अतिरिक्त धन

*320. **श्री रामप्यारे पनिका :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनावार अतिरिक्त सहायता की प्रस्तावित राशि क्या है; और

(ग) इस सहायता से कितने और गांवों में विद्युतीकरण किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) योजना अवधि के दौरान एक लाख गांवों को विद्युतीकृत करने तथा 25 लाख पम्पसेटों को ऊर्जित करने के लिए छठी योजना में कुल 1821·8 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। लागत में वृद्धि, साधनों की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए छठी योजना की मध्यावधि समीक्षा के भाग के रूप में अब योजना आयोग इनकी समीक्षा कर रहा है। समीक्षा पूरी हो जाने के बाद संशोधित लक्ष्यों का पता लगेगा।

श्री रामप्यारे पनिका : महोदय छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक लाख गांवों को विद्युतीकृत किया जाना था। अब जैसा कि आपको मालूम है, ऊर्जा मन्त्रालय के संगठित प्रयत्नों से विद्युत उत्पादन में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त विद्युत संयंत्र परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी गई है और कुछ को शुरू भी कर दिया गया है। इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों को संशोधित किया जाएगा तथा योजनावधि में विद्युतीकृत किये जाने वाले गांवों की संख्या बढ़ा दी जाएगी।

श्री रामावतार शास्त्री : मद्रास का असर इन पर भी पड़ गया है।

श्री विक्रम महाजन : महोदय 20 सूत्रीय कार्यक्रम में ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रम पर जोर दिया जा रहा है, उसे ध्यान में रखते हुये योजना की मध्यावधि समीक्षा में हम लक्ष्य बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हम मुख्य प्रश्न के उत्तर में बता चुके हैं कि योजना आयोग द्वारा समीक्षा पूरी हो जाने के बाद ही संशोधित लक्ष्यों का पता लगेगा।

श्री रामप्यारे पनिका : शास्त्री जी कह रहे थे कि हिन्दी में क्यों नहीं पूछते ? मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हिन्दी में पूछता हूं। क्या यह सही है कि केन्द्र ने बहुत से राज्य विद्युत बोर्डों को रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए पैसा दिया है उसको उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है दूसरे कामों के लिए ? यदि हां तो क्या मन्त्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों को जो धनराशि गांवों के बिजलीकरण के लिए दी जाये वह उसी में इस्तेमाल हो और अब तक यदि उन्होंने उस धनराशि का इस काम के लिए प्रयोग नहीं किया है तो अब उनको कुछ एडीशनल धनराशि चूंकि महंगाई बढ़ गई है, छठी योजना में देने के बारे में आप सोच रहे हैं ताकि रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के जो टारगेट हमने तय किए हैं वे पूरे हो सकें ?

श्री विक्रम महाजन : यह सही है कि हमारे पास ऐसे केसिस हैं पर मनी डाइवर्ट की गई है। अब हमने सिस्टम बदल दिया है पैसे देने का और अब राज्य सरकारों को जो पैसा देते हैं वह तब देते हैं जब कम्प्लीट करती हैं। इस ढंग का कोई तरीका हमने निकाला है। हम उम्मीद करते हैं कि जो पैसा गांवों को इलैक्ट्रिफाई करने के लिए दिया जाता है वह उसी में प्रयोग होगा।

जहां तक कास्ट एसकेलेशन की वजह से कोई इलैक्ट्रिफिकेशन कम हो रहा है तो उसके लिए हमने कहा है कि जो हमने स्कीमें बनाई हैं, जितना पैसा उस स्कीम में है अगर आप कम गांवों पर खर्च करते हैं तो स्कीम कम्प्लीट करके जो गांव रह गए हैं उनके लिए स्कीमें भेज दीजिए उसको भी हम पूरा कर देंगे।

डा० कर्ण सिंह : यह तो सबको मालूम है कि दूर दराज के इलाकों और भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम क्षेत्रों विशेषकर हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्रों में विद्युतीकरण की लागत देश के अन्य आम स्थानों से अधिक है। क्या माननीय मन्त्री सभा को यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण के इस कार्यक्रम में हिमालय के क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों, और भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई हैं—क्योंकि अक्सर यह होता है कि बड़े शहरों के निकटवर्ती क्षेत्रों में जहां बिजली पहुंचाना आसान है वहां तो विद्युतीकरण हो जाता है और इन गांवों की संख्या निर्धारित हो जाती है। इससे राष्ट्रीय विद्युतीकरण कार्यक्रम में असन्तुलन काफी बढ़ जाता है। क्या मंत्री महोदय इस मुद्दे को स्पष्ट करेंगे ?

श्री विक्रम महाजन : पिछड़े इलाकों और पर्वतीय इलाकों के लिए हमारे पास अलग-अलग योजनाएं हैं तथा इसके लिए उदारतापूर्वक ऋण दिए जा रहे हैं और ब्याज भी कम लिया जा रहा है। राज्यों द्वारा भेजी गई योजनाओं को हम मंजूरी दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न योजनाएं हैं। अर्थात् अविकसित क्षेत्र के लिए अलग योजना है तथा सामान्य क्षेत्र के लिए अलग योजना है। हरिजन बस्तियों के लिए विशेष योजना है। एक संशोधित न्यूनतम कार्यक्रम योजना

भी है। विभिन्न क्षेत्रों में लागू की जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं तथा सभी की आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

डा० कर्ण सिंह : क्या इन क्षेत्रों के लिए आपके पास विशिष्ट लक्ष्य हैं ?

श्री विक्रम महाजन : हमने राज्यों से कहा है कि वे हमारे पास असनी याजनाएं भेजें जिससे कि कम से कम अवधि के भीतर अधिक से अधिक गांवों को विद्युतीकृत किया जा सके। राज्य हमें योजनाएं भेजेंगे, और राज्यों को उसके लिए धनराशि देंगे और तब वे उस योजनाओं को पूरा करेंगे।

डा० कर्ण सिंह : क्या दुर्गम क्षेत्रों के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य है ?

श्री विक्रम महाजन : मैं यही कह रहा हूं। यदि राज्य हमारे पास और योजनाएं भेजते हैं तो हम उन्हें धनराशि देंगे। यह तो राज्यों का दायित्व है कि वे हमारे पास योजनाएं भेजें।

श्री चतुर्भुज : मन्त्री जी ने अभी जो आश्वासन दिया सिद्धान्त में तो वह ठीक है लेकिन व्यवहार में कुछ नहीं होता। राजस्थान में 3 साल से 3 पंचायत समितियों में केन्द्रीय सरकार की जो परियोजनाएं प्रारम्भ की गई थीं उसमें कई गांवों को इलेक्ट्रिफाई तो कर दिया लेकिन एक भी कनेक्शन 3 साल में नहीं दिया। जब हम राजस्थान सरकार से पूछते हैं कि जिन परियोजनाओं में आपने ट्रांसफार्मर्स लगा दिये हैं उनमें कुंओं के लिए बिजली के कनेक्शन क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, तो हमें बताया जाता है कि हमने सरकार के आदेश पर बिजली लगा दी है, लेकिन कनेक्शन देने का कोई आदेश नहीं है। आप इसकी जांच करा लीजिए एक भी गांव में कनेक्शन नहीं मिला है। अगर कहीं भी कनेक्शन मिला हो तो मैं अपनी संसद की सदस्यता से रिजाइन करने के लिए तैयार हूं। इतना गम्भीर आरोप लगा रहा हूं।

श्री विक्रम महाजन : जहां तक आरोपों का सवाल है इसमें तो मैं नहीं जाना चाहता। मगर मैंने पहले ही सवाल के जवाब में कहा था कि हमने सब प्रदेश सरकारों को यह कहा है कि जो पुरानी स्कीमों में जितना पैसा हमने दिया है वह खर्च करके स्कीमों को बन्द कर दिया था और जो गांव रह गये हैं उनके लिए नई स्कीमें भेज दें उसके लिये पैसा दे दिया जाएगा।

जहां तक नये कनेक्शन का सवाल है, मैं परसों राजस्थान गया था तो वहां के मन्त्री जी ने मुझे कहा कि जहां तक स्कीमों का ताल्लुक है हम कनेक्शन दे रहे हैं। हमारे सामने प्रोब्लम यह आ रही है कि कई मकान रह जाते हैं तो उनके लिए आप हमें स्कीम दें। तो मैंने उनको कहा था कि पुरानी स्कीमें खत्म करके जो गांव रह गये हैं ओरिजिनल स्कीम में उनके लिए आप हमें स्कीम दे दें, हम उनको सैंक्शन कर देंगे।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अभी आपने हरिजन बस्ती का सवाल कहा, और आपने कहा कि विशेष प्रायरिटी है उसके लिए। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कुल हरिजन बस्ती कितनी है और कितनों में आपने इलैक्ट्रिफिकेशन किया

है ? और यह भी सही है कि जो हरिजन और आदिवासी बस्तियां हैं उनका परसेंटेज जनरल बस्तियों से इलैक्ट्रिफिकेशन में कम है ? और सरकार उसको कब तक पूरा करेगी ? कितने दिनों का टारगेट आपने बनाया है प्रत्येक गांव में इलैक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा ?

श्री विक्रम महाजन : सरकार ने हरिजन बस्तियों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया है, और हम प्रान्तीय सरकारों से कहते हैं कि हमें वे स्कीमें बताई जाएं···

श्री रामविलास पासवान : वह तो हमें मालूम है···

श्री विक्रम महाजन : हमने राज्य सरकारों से कहा है कि ज्यादा से ज्यादा हरिजन बस्तियों के इलैक्ट्रिफिकेशन की स्कीमें हमारे पास भेजिए···

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : आप सिर्फ यह यह बता दीजिए कि कितनी हरिजन बस्तियों को अब तक इलैक्ट्रिफाई किया जा चुका है···

श्री विक्रम महाजन : आप पहले अपने सवाल का जवाब तो सुन लीजिए । हमने हर सरकार से कहा है कि आप जितनी भी हरिजन बस्तियों को इलैक्ट्रिफिकेशन की स्कीमें हमारे पास भेजेंगे, हम उनको क्लिअर कर देंगे । जहां तक आज तक हरिजन बस्तियों को इलैक्ट्रिफिकेशन का प्रश्न है, अब तक एक लाख 184 हरिजन बस्तियां इलैक्ट्रिफाई हो चुकी हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : आप यह बताइये कि कुल बस्तियों में से कितनी अब तक आप इलैक्ट्रिफाई कर चुके हैं···

श्री विक्रम महाजन : आपको थोड़ा पेशेंस की जरूरत है । सारे मुल्क में लगभग साढ़े पांच लाख गांव हैं जिनमें से तकरीबन 3 लाख गांवों में बिजली पहुंच चुकी है । इसमें एक लाख वे हरिजन गांव भी शामिल हैं जिनको बिजली दी जा चुकी है । हमारे पास सन् 1977 से 1980 तक किसी प्रान्तीय सरकार ने जितनी स्कीमें हमें भेजी हैं, उनसे यह पता नहीं चलता कि पूरे हिन्दुस्तान में कितनी टोटल हरिजन बस्तियां हैं ।

श्री रामविलास पासवान : सर, मेरा क्वैश्चन दूसरा था । हमारे यहां जितने गांव हैं, उन सब में हरिजन बस्तियां अलग रखी जाती हैं । आपने कहा कि 3 लाख गांवों को बिजली दी जा चुकी है । मैं जानना चाहता हूं कि उन तीन लाख गांवों में पड़ने वाली हरिजन बस्तियों को क्यों नहीं इलैक्ट्रिफाई किया जा सका ।

श्री विक्रम महाजन : आपका यह कहना कि हर गांव में एक हरिजन बस्ती होती है, सही नहीं है··· **(व्यवधान)** ···

श्री रामविलास पासवान : आपको पूरी जानकारी नहीं है···

श्री विक्रम महाजन : आप इसकी इंक्वायरी करवा सकते हैं···

श्री रामविलास पासवान : हम इंक्वायरी तो करवाएंगे, लेकिन आपको सही जानकारी नहीं है। आपने मेरे प्रीवियस क्वैश्चन के जवाब में जो कुछ कहा है, वह मेरे पास है। आप सही नहीं कह रहे हैं।

राजस्थान में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाना

*321. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में बम्बई गैस पर आधारित उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिए स्थल का चयन अभी तक नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) राजस्थान में उर्वरक कारखाने की स्थापना स्थल के बारे में घोषणा कब तक की जाएगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) वातावरण सम्बन्धी पहलुओं को ध्यान में रखने और रणथम्भौर टायगर भंडार की सुरक्षा को सुनिश्चत करने के बाद सवाई माधोपुर जिले में गैस पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के बारे में अंतिम रूप से निर्णय लिया गया है।

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी का बहुत शुक्रिया कि आखिरकार उन्होंने राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले में गैस बेस्ड फर्टिलाईजर प्लांट लगाने का फैसला ले लिया। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब गैस-बेस्ड फर्टिलाईजर प्लांट लगाने का आपने फैसला कर लिया है तो उसकी एक्जीक्यूशन के बारे में आपकी क्या योजना है, उसकी लागत कितनी है। उस पर कब तक काम शुरू होगा, कब तक समाप्त हो जाएगा और उससे प्रतिवर्ष आपका कितना उत्पादन करने का इरादा है। क्या यह सारी जानकारी आप देने का कष्ट करेंगे ?

श्री वसन्त साठे : उस कारखाने में फेस्ड मैनर में उत्पादन होगा, लेकिन उसकी डिटेल्स अभी तक वर्क आउट नहीं हुई हैं। मैं माननीय सदस्य को उसकी विस्तृत जानकारी बाद में भिजवा दूंगा।

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष जी, मन्त्री जी का जवाब आप देख लें कि क्या वह संतोषजनक है। फर्टिलाईजर प्लांट की जगह के बारे में तो ठीक है झगड़ा हो सकता है कि वह एक्स जगह पर लगेगा या वाई जगह पर लगेगा। लेकिन यह कहना कि उसकी डिटेल्स बाद में देंगे, जब वे वर्क आउट हो जाएंगी, तो क्या इससे कास्ट एस्केलेशन नहीं होगा, क्या इससे राष्ट्र को नुकसान नहीं होगा। इसे स्वयं मन्त्री जी देख लें कि उनका डिपार्टमेंट कितना एफीश्यैंट है।

श्री वसन्त साठे : इसमें डिपार्टमेंट की एफीश्यंसी का सवाल नहीं है। यह फर्टिलाईजर प्लांट उसके ओरिजिनल शैड्यूल के अनुसार ही लगाया जाएगा। जैसा पहले सोचा गया है और उसमें कोई डिले नहीं होगा।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि आप उसके शैड्यूल को तो बताइये कि उसकी लागत कितनी आएगी, उसमें कितना उत्पादन होगा। वही तो मैं जानता चाहता हूं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप क्या वहां रंगीन उर्वरक बनाएंगे ?

श्री वसन्त साठे : आपने जो सवाल पूछा था, पहले आप उसको देखें। आप जो जानकारी चाहते हैं, वह हमने इकट्ठा करके बता दी। आपने खाली यह कहा था कि राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के बारे में डिले क्यों हो रहा है और हमने उसका सन्तोषजनक उत्तर दे दिया कि इसमें कोई डिले नहीं हो रहा है। यदि आपको फिर भी नाराजगी है तो वह हमको समझ में नहीं आती।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : गत वर्ष यह एनाउंस हुआ था कि देश में कुल 4 खाद के कारखाने लगने वाले हैं, जिनमें से एक राजस्थान में, तीन उत्तर प्रदेश में और एक मध्यप्रदेश में होंगे। उत्तर प्रदेश गाजीपुर में खाद कारखाना लगना था। इस बारे में तीस-चालीस संसद सदस्यों ने लिखकर दिया। मन्त्री महोदय ने उत्तर में सवाई माधोपुर, राजस्थान में कारखाना लगाने की बात कही है। हमने मन्त्री महोदय को एक पत्र लिखा था। उनके यहां से उत्तर मिला कि इन खाद-कारखानों के स्थानों का पुनः चयन किया जा रहा है और उसके लिए एक कमेटी नियुक्त की गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि खाद-कारखाना बनाने के बारे में जो कमेटी नियुक्त की जाती है—अभी टेलीफोन इण्डस्ट्री के सम्बन्ध में भी यह प्रश्न उठाया गया था—क्या वह मनमाने ढंग से, या किसी विशेश व्यक्ति, या किसी विशेष राजनैतिक दल के प्रभाव में आकर रिपोर्ट देती है या स्वेच्छापूर्वक देती है, क्योंकि ये कारखाने लगाने में बहुत ही अनोखे किस्म का व्यवहार बरता जा रहा है।

श्री वसंत साठे : ये जो आरोप लगाये जा रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार हैं। इसके लिए ये जो कमेटियां नियुक्त की जाती हैं, वे जो रीकमेंडेशन करती हैं, उसके आधार पर जगह भी तय होती है, उसका टाइम-टेबल भी बनता है और कास्ट भी मुकर्रर होती है। हकीकत यह है कि एक मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में और चार उत्तर प्रदेश में ये गैस-वेस्ड फर्टिलाइजर के कारखाने लगाये जाने वाले हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उनका साईट क्या है ? उनका विस्तृत विवरण दीजिए।

श्री वसन्त साठे : मैंने पार्लियामेंट में पहले साईट बताया है। मैं फिर जानकारी दे रहा हूं।

मध्य प्रदेश में विजयापुर, उत्तर प्रदेश में बदायूं डिस्ट्रिक्ट में बबराला, बरेली डिस्ट्रिक्ट में आंवला, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में शाहजहांपुर और सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में जगदीशपुर। राजस्थान में सवाई माधोपुर के बारे में अभी मैंने बता दिया है। इस तरह के छः प्लांट्स बनाये जा रहे हैं,

जिनकी जगह मैंने बता दी है। ये प्लांट्स सैवन्थ फाईव-ईयर प्लान पीरियड में फेज्ड प्रोग्राम के मुताबिक बनेंगे। उधर एक से एक जानकार लोग मौजूद हैं। वे जानते हैं कि फर्टिलाइजर प्लांट एक दिन में बनने वाली चीज नहीं होती है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपने जो सिलेक्शन किया है, उसका आधार क्या है ?

श्री वसन्त साठे : समिति के सुझाव पर।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या आप उसे कोई निदेश देते हैं ?

श्री वसन्त साठे : हम नहीं देते हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपकी पार्टी देती है।

श्री वसन्त साठे : यह आपकी आदत है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णप्रताप सिंह। अनुपस्थित।

असंगठित क्षेत्रों में सुरक्षा उपाय

*323. **श्री मोहनलाल पटेल :** क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में उद्योग का असंगठित क्षेत्र सुरक्षा के प्रति सबसे कम सजग है;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वास्थ्य के खतरे और दुर्घटना में आने वाली चोटें सर्वाधिक रूप से छोटे और कुटीर उद्योगों में पायी जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो असंगठित क्षेत्रों तक पहुंचने और सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए श्रमिकों और कर्मचारियों को शिक्षित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे है; और

(घ) हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में आठवें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (घ) एक **विवरण** सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) कारखाना अधिनियम, 1948 कारखानों के श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को विनियमित करता है, बशर्ते कि इन कारखानों में भले ही वे किसी भी क्षेत्र के हों, अपेक्षित संख्या में व्यक्ति नियोजित हों, विनिर्माण प्रक्रिया मौजूद हो और वे ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करते हों, जो कि अधिनियम में निर्धारित की गई हैं। दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में आंकड़ों का रिकार्ड उद्योगवार रखा जाता है। वह लघु उद्योग या कुटीर उद्योग के संबंध में अलग-अलग नहीं रखा जाता। इसलिए,

यह सूचना देना सम्भव नहीं है कि लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के सम्बन्ध में अलग-अलग जोखिमों और दुर्घटनाओं के कारण लगी चोटों की वास्तविक संख्या क्या है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में स्थित श्रम विज्ञान केन्द्रों और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशिक्षण द्वारा संचालित सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही अन्य सेवाओं के जरिए छोटे और बड़े दोनों प्रकार के उद्योगों में नियोजकों तथा मालिकों और श्रमिकों व ट्रेड यूनियनों को मदद मिलती है तथा उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त होता है, ताकि कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इन चारों श्रम विज्ञान केन्द्रों के साथ सम्बद्ध चलते-फिरते सुरक्षा प्रदर्शनी एककों का उपयोग उद्योग के श्रमिकों के वास्ते निवारक उपायों सम्बन्धी सूचना का प्रसार करने के लिए किया जाता है।

(घ) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा नई दिल्ली में 7 अक्तूबर, 1982 से 9 अक्तूबर, 1982 तक आयोजित औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी आठवें राष्ट्रीय सम्मेलन में कोई औपचारिक सिफारिशें नहीं की गईं।

श्री मोहनलाल पटेल : जब छोटे कारखानों में कोई एक्सीडेंट होता है, तो घरेलू तरीके से उसका निपटारा कर लिया जाता है। इस तरह मजदूर लोगों के अज्ञान का लाभ उठाकर उनका शोषण किया जाता है। क्या सरकार को इस तरह की कोई शिकायत मिली है; यदि हां, तो वह इस बारे में क्या विचार कर रही है ?

श्री धर्मवीर : इस प्रकार की कोई शिकायत हमारे पास नहीं पहुंची है।

श्री मोहन लाल पटेल : जब क्लेम किया जाता है जो उसकी पेमेंट करने में भी देर लगती है। क्या सरकार ने जल्दी पेमेंट कराने के बारे में कोई कार्यवाही की है ?

श्री धर्मवीर : इस प्रकार की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री दिगम्बर जैन—अनुपस्थित।

श्री जे० एस० पाटिल—अनुपस्थित।

प्रो० नारायण चन्द पराशर—अनुपस्थित।

प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मध्य प्रदेश में बिजली की स्थिति

*310. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिहन्द बिजली घर से मध्य प्रदेश को उसका बिजली का हिस्सा दिया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में सतपुड़ा ताप बिजली घर की उत्पादन क्षमता पर घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई के कारण प्रभाव पड़ा है;

(ग) मध्य प्रदेश में अगस्त और सितम्बर, 1982 में बिजली की मांग और सप्लाई की तुलनात्मक स्थिति क्या थी; और

(घ) मध्य प्रदेश में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश में रिहन्द जल विद्युत केन्द्र की बिक्री योग्य ऊर्जा में मध्य प्रदेश का 15 प्रतिशत हिस्सा है। अप्रैल-सितम्बर, 1982 के दौरान रिहन्द के विद्युत उत्पादन से मध्य प्रदेश को अपने हिस्से से अधिक विद्युत प्राप्त हुई है।

सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र द्वारा गत एक वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया कोयला सकल कैलोरिफिक मूल्य के सन्दर्भ में डिजाइन मानदण्डों के अनुसार है। लेकिन राख की प्रतिशतता अधिक है। यद्यपि राख की अधिक प्रतिशतता का प्रभाव उपस्कर की टूट-फूट पर पड़ता है तथापि इसके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन में हानि की मात्रा को बता सकना कठिन है।

अगस्त और सितम्बर, 1982 के महीनों के लिए मध्य प्रदेश की प्रत्याशित मांग 566 मिलियन यूनिट और 604 मिलियन यूनिट क्रमशः थी जबकि ऊर्जा की सप्लाई क्रमशः 525 मिलियन यूनिट और 548 मिलियन यूनिटें थी।

आवश्यकता और सप्लाई के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

(1) नई क्षमता में वृद्धि : मध्य प्रदेश में निम्नलिखित परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं :—

1.	बोधघाट	4×125 मेगावाट
2.	सतपुड़ा	2×210 मेगावाट (आठवीं और नौवीं यूनिटें)
3.	कोरबा पश्चिम	2×10 मेगावाट
4.	कोरबा पश्चिम विस्तार	2×210 मेगावाट
5.	संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र	2×210 मेगावाट

(2) वर्तमान ताप विद्युत केन्द्रों से अधिकतम विद्युत उत्पादन करना : भ्रमणशील दलों ने मध्य प्रदेश में ताप विद्युत केन्द्रों का दौरा किया है। अशोधन/नवीकरण सम्बन्धी कार्य करने के लिए सम्बद्ध योजनाएं तैयार की गई हैं।

(3) पड़ौसी राज्यों से विद्युत का अंतरण राज्य को अप्रैल से सितम्बर, 1982 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश से 51 मेगावाट आवर, महाराष्ट्र से 43 मेगावाट आवर और आन्ध्र प्रदेश से 39 मेगावाट आवर विद्युत प्राप्त हुई।

(4) कोयले की सप्लाई में गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही रूपों में सतत रूप से मानीटरिंग की जा रही है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को स्वीकृति के लिए विचाराधीन राज्यों की जल विद्युत परियोजनाएं

*312. **श्री बी०आर० नहाटा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को विभिन्न राज्यों से ऐसी कितनी जल विद्युत परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं, जो तीन वर्ष से अधिक अवधि से स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं; और

(ख) उनके शीघ्र निपटान के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) ऐसी 19 परियोजनाएं हैं जिन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

(ख) जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में अन्वेषण करने तथा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों तथा परियोजना प्राधिकारियों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं ताकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इन परियोजनाओं के मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित समय को कम किया जा सके। जल विद्युत परियोजनाओं की तकनीकी जांच एक जटिल कारवाई है जिसमें विभिन्न विधाएं शामिल हैं जैसे जल विज्ञान, भू-विज्ञान, सिविल डिजाइन, बिजली डिजाइन आदि। अन्तर्राज्यीय पहलू शामिल होने के कारण इन परियोजनाओं में से कुछ परियोजनाओं की स्वीकृति में समय लग जाता है। परियोजनाओं की स्वीकृति में लिया गया समय, वास्तव में परियोजनाओं के अनवेषणों की पर्याप्तता तथा समुचित आंकड़ों की पर्याप्तता तथा दिये गए इंजीनियरी ब्यौरों पर निर्भर करता है। यद्यपि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण परियोजनाओं का मूल्यांकन शीघ्र करने का प्रयास करता है। फिर भी इस प्रक्रिया में लगा वास्तविक समय विभिन्न पहलुओं पर निर्भर होता है जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के नियन्त्रण से बाहर होते हैं। संविधिक संस्था के रूप में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का यह दायित्व है कि वह केवल ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृत करे जो प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध सबसे अच्छे तकनीकी तथा आर्थिक विकल्प के रूप में हों।

भूतपूर्व विकलांग सैनिकों को रोजगार

*315. **श्री कुम्भाराम आर्य** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर 1980 के बाद भूतपूर्व सैनिकों की सैल में पंजीकृत कितने भूतपूर्व विकलांग सैनिकों को रोजगार दिया गया है और ऐसे कितने भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्हें अभी रोजगार दिया जाना है; और

(ख) शेष भूतपूर्व विकलांग सैनिकों को रोजगार देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई): (क) पहली जनवरी, 1981 से 30 सितम्बर, 1982 की अवधि के दौरान सैल द्वारा 136 विकलांग भूत-पूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाया गया है। 30 सितम्बर, 1982 को सैल के चालू रजिस्टर पर 227 विकलांग भूतपूर्व सैनिक थे।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

पदों के आरक्षण, आयु में छूट, डाक्टरी परीक्षा और शैक्षणिक योग्यता में छूट, आदि के रूप में नीचे सूचीबद्ध अनेक रियायतें/सुविधाएं, विकलांग भूतपूर्व सैनिकों सहित भूतपूर्व सैनिकों को उनकी रोजगार प्राप्ति की सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदान की गई हैं :—

(क) ग्रुप 'ग' में 10 प्रतिशत पद और ग्रुप 'घ' में 20 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल है, ग्रुप 'ग' में साढ़े चौदह प्रतिशत पद और ग्रुप 'घ' में साढ़े चौबीस प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं। केन्द्रीय सरकार की रिक्तियों हेतु प्रेषण के लिए विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता-I दी गई है।

(ख) विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को 45 वर्ष तक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के रक्षा कार्मिकों के मामले में 50 वर्ष तक) आयु में छूट दी जाती है। संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए उन्हें उच्चतर आयु-सीमा में तीन वर्ष तक की छूट दी जाती है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के मामलों में 8 वर्ष)।

(ग) विकलांग रक्षा सेवा कर्मिकों पर ग्रुप 'ग' के पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है यद्यपि वे अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं नहीं रखते हैं। उनकी योग्यता की जांच उपयुक्त परीक्षा आधार पर की जाती है, जिसे नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जाता है। चपरासी, जमादार, दफ्तरी और रिकार्ड कीपर के ग्रुप 'घ' के पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उन कार्मिकों के मामलों में छूट दी जाती है, जिन्होंने न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है।

(घ) "दि मोबिलाइजेशन मेडिकल बोर्ड" द्वारा प्रदान किया गया स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र ग्रुप "क से घ" तक के पदों में ऐसे कार्मिकों के नियोजन के उद्देश्य के लिए पर्याप्त माना जाता है।

2. भूतपूर्व सैनिकों तथा विकलांग भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति को त्वरित करने के लिए राज्य सैनिक बोर्डों जिला सैनिक बोर्डों को पहली अप्रैल 1982 से शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वे आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध विकलांग भूतपूर्व सैनिकों को सम्प्रेषित करें। श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) का भूतपूर्व सैनिक कक्ष प्राथमिकता श्रेणिकों के लिए अलग से रखी गई रिक्तियों के विरुद्ध ऐसे कार्मिकों का लगातार सम्प्रेषण करता है।

राष्ट्रीय कार्यक्रम आरम्भ किए जाने का तमिलनाडु में टी० वी० सेटों की बिक्री पर प्रभाव

*316. **श्री टी०सी० दंडपाणि** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले सितम्बर से राष्ट्रीय प्रसारण आरम्भ किए जाने के उपरांत तमिलनाडु में जनता में टी०वी० के प्रति रुचि में कमी आ जाने के कारण राज्य में टी०वी० सेटों की बिक्री में बहुत अधिक कमी आई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्थानीय घटनाओं को प्रसारणों में कम स्थान दिए जाने के कारण राज्य के लोगों की रुचि कम हो गई है; और

(ग) सरकार का रोष के इस कारण को दूर करने के लिए और तमिलनाडु में टी० वी० सैटों की बिक्री को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं। जिस एक मात्र पद्धति से किसी भी राज्य में दूरदर्शन सेटों की बिक्री की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है, उसको दूरदर्शन सैटों के लिए नए लाइसेंसों के जारी होने पर आधारित किया जाना है। जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट होगा, नए दूरदर्शन सैटों के लिए जारी किए गए लाइसेंसों में हर तिमाही में भारी अन्तर है :—

समाप्त हुई तिमाही	तमिलनाडु में जारी किए गए नए दूरदर्शन लाइसेंस
मार्च, 1981	9,329
जून, 1981	4,587
सितम्बर, 1981	3,262
दिसम्बर, 1981	15,473
मार्च, 1982	18,614
जून, 1982	12,586
सितम्बर, 1982	9,001

राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त, 1982 से शुरू किया गया था। इस प्रकार, उपरोक्त आंकड़ों से यह प्रकट होगा कि 15 अगस्त, 1982 को राष्ट्रीय कार्यक्रम के चालू किए जाने तथा 15 अगस्त, 1982 के बाद तमिलनाडु में दूरदर्शन सेटों की बिक्री में कथित कमी के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ख) जी, नहीं। 15 अगस्त, 1982 के बाद दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास पर स्थानीय घटनाओं और कार्यक्रमों के लिए दिए जाने वाले कवरेज में कोई कमी नहीं हुई है।

(ग) ऊपर बताए गए तथ्यों को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

श्रीलंका से भारतीय मूल के लोगों का स्वदेश लौटना

*317. **श्री एम०बी० सिदनाल :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्रीलंका के बीच भारतीय मूल के लोगों के स्वदेश लौटने के बारे में किए गए द्विपक्षीय समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ख) समझौते के अन्तर्गत कितने लोग भारत आयेंगे और कितने लोग अब तक यहां पहुंच चुके हैं;

(ग) चालू वर्ष में इसके लिए कितना आवंटन किया गया है; और

(घ) इन लोगों के लिए दी जाने वाली सहायता का स्वरूप तथा ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) भारत और श्रीलंका की सरकार के बीच 1964 और 1974 में दो द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर हुए थे जिनके अनुसार, श्रीलंका द्वारा उस देश में 1964 के पश्चात भारतीय मूल के राज्य विहीन 5,75,000 व्यक्तियों को उनमें हुई प्राकृतिक वृद्धि सहित नागरिकता प्रदान की जानी थी और भारत द्वारा 1964 के पश्चात भारतीय मूल के कुल 6,00,000 व्यक्तियों को उनमें हुई प्राकृतिक वृद्धि सहित, स्वदेश लाया जाना और नागरिकता दिया जाना था।

(ख) उपरोक्त संख्या में से 3,00,567 व्यक्ति, जिनमें प्राकृतिक रूप में बढ़े 99,132 व्यक्ति भी शामिल हैं, भारत आ गए हैं।

(ग) 730.59 लाख रुपये।

(घ) उनके भारत पहुंचने पर पात्र परिवारों को पुनर्वास योजना के अन्तर्गत उन्हें बसा दिए जाने तक राहत सहायता, अर्थात नक़द बेकारी अनुदान, मुफ्त भोजन और सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्यावासियों को चार दक्षिणी राज्यों में विभिन्न योजनाओं, जिनमें बागान, लघु व्यवसाय और व्यापार, प्रत्यावासी सहकारी वित्त और विकास बैंक की योजना, औद्योगिक योजनाएं, जैसे कताई मिलें और कृषि में भूमि उपनिवेशन योजनाएं शामिल हैं, में बसाया जाता है।

परिसीमन आयोग की नियुक्ति

*318. **श्री आनन्द सिंह :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1983 तक परिसीमन आयोग नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वह कब नियुक्त किया जाएगा और उसका विषय क्षेत्र क्या होगा; और

(ग) क्या 1983 में कुछ राज्यों में होने वाले निर्वाचन भी इसके अन्तर्गत आएंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन नाथ कौशल) : (क) जी नहीं। संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के अनुसार संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में यथा आबंटित स्थानों की संख्या और उसमें यथा अवधारित निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रादेशिक विस्तार तब तक अपरिवर्तनीय हैं जब तक सन् 2001 के पश्चात् की गई प्रथम जनगणना की जनसंख्या के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान और काबेरी बेसिन में भूकम्पीय सर्वेक्षण के परिणाम

*3 9. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल की खोज के सम्बन्ध में राजस्थान और कावेरी बेसिन में किए गए भू-कम्पीय सर्वेक्षण और अन्य गतिविधियों के क्या परिणाम निकले जिनका संचालन (प्रोसेस) और विश्लेषण भारतीय और सोवियत विशेषज्ञों ने किया है; और

(ख) क्या हिमाचल पर्वत श्रंखलाओं (फुटहिल्स) के विभिन्न भूगर्भीय क्षेत्रों में खोज कार्य को जारी रखने के लिए व्यापक योजना लागू करने के लिए काम शुरू किया गया है?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) राजस्थान और कावेरी बेसिनों में भारतीय और सोवियत विशेषज्ञों द्वारा अभी तक कोई संयुक्त सर्वेक्षण नहीं किए गए हैं। तथापि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अकंलेश्वर, राजस्थान और हिमालय की गिरिपीठों में एकत्र किए गए भूकम्पीय आंकड़ों का संयुक्त रूप से अध्ययन करने के लिए सोवियत संगठन के साथ एक ठेका करने का प्रस्ताव दिया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को विचार में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग हिमालय की गिरिपीठों में अपने अन्वेषण कार्यक्रम में लगा हुआ है।

तेल शोधक कारखानों को हुआ घाटा

*322. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मथुरा और कोयाली जैसे दो आधुनिक तेल शोधक कारखानों सहित अनेक तेल शोधक कारखानों में गम्भीर तकनीकी त्रुटियों के कारण प्रतिमाह करोड़ों रुपयों का घाटा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन तकनीकी त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है और इन त्रुटियों के लिए कौन उत्तरदायी है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) इन यूनिटों को भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा सप्लाई किये गये और प्रतिष्ठापित किये गए कार्बन मोनोआक्साइड बायलरों के डकिंटग प्रणाली में तकनीकी समस्याओं के कारण मथुरा और कोयाली शोधनशालाओं में केवल क्लूइड कैटेलिटिक क्रैकिंग यूनिटों को विलम्ब से आरम्भ किया गया। इन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर भारत हैवी इलक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा दूर किया जा रहा है।

जबकि इससे कोयाली शोधनशाला में अशोधित तेल के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, परन्तु मथुरा शोधनशाला जिसको जनवरी 1982 में आंशिक रूप से चालू किया गया था, के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है और यह शोधनशाला अशोधित तेल के कम उत्पादन स्तर पर कार्य कर रही है। इस कारण से और लेखा पद्धति के अनुसार 1981-82 के सम्पूर्ण वर्ष के लिए मूल्य ह्रास वसूल किए जाने के फलस्वरूप भी मथुरा शोधनशाला को जनवरी-मार्च 1982 की अवधि के दौरान 14·14 करोड़ रुपए की हानि हुई थी। अप्रैल, 1982 से यह शोधनशाला लाभ अर्जित कर रही है।

कम्पनियों के विलय सम्बन्धी नीति

*324. **श्री दिगम्बरसिंह** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बड़े औद्योगिक घरानों में हाल ही में उद्योग पर अपने नियन्त्रण को सुदृढ़ करने तथा अपने औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अपेक्षाकृत छोटे एककों के साथ विलय करने/उन पर नियन्त्रण करने/अर्जन करने/मिलने की होड़ लगी हुई है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे प्रस्तावों की युक्तिसंगतता की जांच की है और यह समाजवादी ढंग के समाज के निर्माण की सरकार की नीति के कहां तक अनुरूप हैं; और

(ग) सरकार का विचार धन को कुछ ही उद्योगपतियों के हाथों में इकट्ठा होने को किस प्रकार रोकने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल): (क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23(2) व 23(4) के अन्तर्गत एकीकरण तथा अधिकार में लेने, के लिए, निम्नांकित संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं :—

वर्ष	धारा 23(2)	धारा 23(4)
1980	10	3
1981	5	4
1982	9	2

गत तीन वर्षों के दौरान, प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या छोटी होने से, यह प्रतीत होता है कि वृहद औद्योगिक घरानों के मध्य, अपेक्षाकृत लघुतर एककों अथवा अन्यों के साथ एकीकरण अथवा उनमें नियंत्रक हित प्राप्त करने की, कोई, होड़ नहीं है।

प्रेस में कुछ ऐसे समाचार हाल ही में प्रकाशित हुए हैं, जिनसे इण्डियन अल्मूनियम कम्पनी लिमिटेड का, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड के साथ, कैमीकल्स एण्ड फाइबर इण्डिया लिमिटेड, अल्कली एण्ड कैमीकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, तथा क्रीसेन्ट डाईज एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड का, इण्डियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड (जो सभी इम्पीरियल कैमीकल्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कम्पनियां हैं) के साथ एकीकरणों की ओर तथा इन्डिया सीमेंट लिमिटेड का आई०टी० सी० द्वारा बोली बोलकर अधिकार में लेने, के कुछ प्रयासों के संकेत प्राप्त होते हैं। तथापि, सरकार को अभी तक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के सम्बन्धित उपबन्धों के अन्तर्गत कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि, उनमें से कोई भी लघु मापक एकक नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर की दृष्टि से उत्पन्न नहीं होता।

(ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावों की, परिनियमों द्वारा अभीष्ट साधन प्राप्त किए जाने के उद्देश्यों, विशेष रूप से इसकी धारा 28 के अंतर्गत वर्णित अनेक अपेक्षाओं तथा सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, के प्रकाश में परीक्षा की जाती है।

दिल्ली में बिजली की सप्लाई की स्थिति

*325. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले प्रधान मन्त्री ने चौबीस घंटे के भीतर-भीतर दिल्ली में बिजली की सप्लाई और वितरण को सुधारने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को कड़े अनुदेश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो प्रधान मन्त्री द्वारा दिए गए निदेश का स्वरूप क्या है;

(ग) उक्त निदेश को क्रियान्वित करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने क्या उपाय किए हैं;

(घ) क्या हाल के महीनों में दिल्ली में बिजली की सप्लाई में कोई उल्लेखनीय सुधार हुआ है; और

(ङ) एशियाई खेलों के दिनों में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के सन्तोषजनक कार्य-निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर): (क) से (ङ) जी, हां। प्रधान मन्त्री ने दिल्ली में विद्युत की सप्लाई में सुधार करने के लिए आवश्यक उपाय करके के लिये अनुदेश दिए थे।

पारेषण और वितरण में बाधाओं के कारण दिल्ली में लोड शेडिंग करना पड़ा था। इन बाधाओं को दूर करने के लिये दिल्ली में ट्रांसफार्मर्स की क्षमता में अप्रैल से निम्नलिखित बड़ी मात्रा में वृद्धि की गई हैं :—

(1) महरौली उपकेन्द्र में एक 100 एम०वी०ए० 220/66 के०वी० ट्रांसफार्मर,

(2) रिज वेली उप-केन्द्र में दो 30 एम०वी०ए० 66/33 के०वी० ट्रांसफार्मर,

(3) पार्क स्ट्रीट उप-केन्द्र में दो 30 एम०वी०ए० 66/33 के०वी० ट्रांसफार्मर, और

(4) रोहतक रोड उप-केन्द्र (प्रतिस्थापना) में एक 100 एम०वी०ए० 220/66 के०वी० ट्रांसफार्मर।

इसके अतिरिक्त नई 33/11 के० वी० केबिलों की वृद्धि से प्रणाली को संशक्त बना दिया गया हैं। पारेषण और वितरण तार जाल सम्बन्धी कार्य सुव्यवस्थित रूप से निरीक्षण कार्य आरम्भ किया गया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप दिल्ली में विद्युत की सप्लाई की स्थिति में सुधार हुआ है।

दिल्ली में एशियाई खेलों के दौरान पर्याप्त रूप से विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्ध किए गए हैं। विभिन्न स्थलों पर जहां खेल आयोजित किए जा रहे हैं, वहां पर एक से अधिक स्रोतों से विद्युत सप्लाई उपलब्ध कराने के लिए भी प्रबन्ध किए गए हैं। खेलों की अवधि के दौरान विद्युत सप्लाई की स्थिति का सत्त रूप से मानीटरिंग करने के लिए यान्त्रिकी व्यवस्था भी की गई है।

नई जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण-कार्य के लिए गैर-सरकारी पार्टियों के ठेके

*326. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने नए जल विद्युत बांधों का निर्माण कार्य के लिए किन्हीं गैर-सरकारी पार्टियों/व्यक्तियों को ठेके देने के बारे में निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना करने का मुख्य प्रयोजन अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करना तथा बांधों की द्रुतगति से निर्माण करना था;

(घ) यदि हां, तो किन कारणों से गैर-सरकारी पार्टियों/व्यक्तियों को ठेके देने सम्बन्धी कोई नया निर्णय लेने की आवश्यकता अनुभव की गई;

(ङ) क्या उनके निर्णय के विरुद्ध तथा समूचे मामले पर पुनः विचार करने हेतु 'इण्टक' की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार निर्णय पर पुनर्विचार करेगी और निर्णय को क्रियान्वित करने से पूर्व कर्मचारियों तथा उनकी यूनियनों को निश्वास में लेगी;

(छ) यदि हां, तो ऐसा कब किया जाएगा; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य ये हैं :—

(एक) जल विद्युत के सभी पहलुओं का समेकित एवं कुशल और कारगर विकास करने के लिए आयोजना बनाना, बढ़ावा देना तथा व्यवस्था करना जिनमें ये शामिल हैं राष्ट्रीय आर्थिक नीति और केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार आयोजना, अन्वेषण, अनुसंधान, डिजाइन तथा प्रारम्भिक, व्यवहार्यता और सुनिश्चित परियोजना रिपोर्टें तैयार करना, विद्युत केन्द्रों और परियोजनाओं का निर्माण, विद्युत उत्पादन, प्रचालन और अनुरक्षण करना, जल विद्युत केन्द्रों में उत्पादित विद्युत का पारेषण, वितरण और बिक्री करना ।

(दो) जहां आवश्यक हो विद्युत का समय पर और समंवित अंतर्राज्यीय आदान-प्रदान करने के लिए अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों और आनुषंगिक कार्यों को हाथ में लेने ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) इन्टक से इस सम्बन्ध में कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(च) से (ज) प्रश्न नहीं उठता ।

सूरत में व्यारा टेलीफोन एक्सचेंन्ज में नए टेलीफोन कनेक्शन

*327. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सूरत टेलीफोन डिवीजन में व्यारा टेलीफोन एक्सचेंज को 1 अगस्त, 1981 से 30 अगस्त, 1982 तक नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिये कितनी मांगें प्राप्त हुई;

(ख) इन मांगों पर कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गये; और

(ग) शेष टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बयालीस ।

(ख) बीस ।

(ग) शेष टेलीफोन कनेक्शन मार्च, 83 के अन्त तक प्रदान किए जाने की सम्भावना है बशर्ते कि उपस्कर तथा लाइन सामग्री उपलब्ध हों ।

कोयला उद्योग में मजूरी पुनरीक्षण

*328. **श्री रशीद मसूद**
श्री चित्त नहाटा } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला उद्योग में मजूरी पुनरीक्षण बहुत समय से नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस उद्योग में मजूरी ढाचे का पुनरीक्षण करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) जी, नहीं। कोयला उद्योग में मजूरी का पुनरीक्षण 1-1-1983 से ही होना है और इस सम्बन्ध में बातचीत शुरू कर दी गई है।

प्रोडक्शन असिस्टेटों को पदोन्नति

*329. **श्री कमला मिश्र मधुकर**
श्री रामायण राय } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी में विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से स्टूडियो एक्जीक्यूटिव, पुस्तकाध्यक्ष, प्रोग्राम सेक्रेटरी ट्रांसमीशन एक्जीक्यूटिव हो सकते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव पहले ए०एस०ई० और बाद में एस०डी० हो सकते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि आकाशवाणी में प्रोडक्शन असिस्टेंट जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से प्रोड्यूसर नहीं हो सकते और अनेक प्रोड्क्शन असिस्टेंट 15 से 20 वर्ष तक प्रोडक्शन असिस्टेंट के पद पर काम करने के बाद भी प्रोडेक्शन असिस्टेंट के पद पर कार्य कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो नया वेतन मान लागू करने से पूर्व सरकार का विचार प्रोडक्शन असिस्टेंटों को ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिवों के समान पदोन्नत करने का है; और

(ङ) नई योजना में प्रोडक्शन असिस्टेंटों की वरिष्ठता निर्धारित करने में क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। पदोन्नतियां चयन के आधार पर की जाती हैं।

(ग) और (घ) प्रोड्क्शन असिस्टेंटों और प्रोड्यूसरों के पद स्टाफ आर्टिस्ट संवर्ग में हैं। यह समझना सही नहीं होगा कि प्रोड्यूसर बनने के लिए क्षेत्र में केवल प्रोड्क्शन असिस्टेंट ही

विशेषज्ञ हैं। भर्ती नियमों के अनुसार, प्रोड्यूसरों के पद प्रोड्क्शन असिस्टेंटों सहित स्टाफ आर्टिस्टों की सभी श्रेणियों के लिए खुले हैं। नियुक्ति चयन द्वारा की जाती है।

(ङ) इन ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप से तय नहीं किया गया है।

माध्यस्थम् अधिनियम का संशोधन

*330. **श्री रामलाल राही :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विभिन्न सिफारिशों और सुझावों के आधार पर माध्यस्थम् विधि में आवश्यक संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन नाथ कौशल) : (क) माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के विषय में भारत के विधि आयोग की सिफारिशें जो उसकी 76वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट हैं, विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कि राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों और भारतीय माध्यस्थम् परिषद, से प्राप्त सुझावों सहित, सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।

(ख) उपरोक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम में यूनियनों को मान्यता

3381. **श्री भीखा भाई :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री भारतीय खाद्य निगम में यूनियनों की मान्यता के बारे में 28 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3058 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसे सभा पटल पर कब रखा जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक एकत्र किए जाने की और सभापटल पर रखे जाने की आशा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अतारांकित प्रश्न संख्या 3058 के उत्तर में दिया गया आश्वासन पृथक रूप से पूरा किया जा रहा है।

दूरदर्शन पर मल्टीचेनल प्रणाली का शुरू किया जाना

3382. **श्री नवीन रबाणी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु दूरदर्शन पर मल्टीचेनल प्रणाली शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और मल्टीचेनल प्रणाली कब शुरू हो जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) संसाधनों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए, प्रथम प्राथमिकता उन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने की है जिनमें यह इस समय उपलब्ध नहीं है। जिन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा इस समय उपलब्ध है उनमें और अधिक चेनल खोलने का प्रश्न संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

लारेंस रोड क्षेत्र में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा अनंतिम (प्रोविजनल) बिलों के आधार पर प्रभार का वसूल किया जाना

3383. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का लारेंस रोड डिस्ट्रिक्ट कार्यालय निगम के उन उपभोक्ताओं से न्यूनतम सीधे दर पर प्रभार लेने के बजाय अनंतिम बिजली बिलों के आधार पर बिजली प्रभार वसूल कर रहा है जिनको औद्योगिक विद्युत कनेक्शन आवंटित किये गये हैं और बिजली का उपयोग नहीं कर रहे हैं तथा उपभोक्ताओं को धमकी दी जा रही है कि यदि इन बिलों के आधार पर उन्होंने प्रभार जमा नहीं कराया तो उनके विद्युत कनेक्शन काट दिये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन): (क) जी, नहीं। डेसू अपने उपभोक्ताओं से नियमों के अन्तर्गत निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार प्रभार ले रहा है।

उपभोक्ताओं के भार को कम करने की दृष्टि से, उन मामलों में जहां मीटर खराब हो या जहां पर किसी एक या अन्य कारण से रीडिंग न ली जा सकी हो, समय-समय पर अनंतिम बिल दिए जाते हैं। उन मामलों में जहां यह सुनिश्चित हो जाए कि सम्बन्धित अवधि के दौरान सप्लाई उपयोग में नहीं लाई गई है, टैरिफ नियमों के अनुसार उपभोक्ताओं को न्यूनतम खपत के प्रभार के बिल भी भेजे जाते हैं। देय रकम के भुगतान न किए जाने पर, उपयुक्त नोटिस के बाद सप्लाई काट दी जाती है और बकाया प्रभारों के भुगतान के पश्चात् तथा आवश्यक पुनः कनेक्शन देने की फीस प्राप्त होने के पश्चात् सप्लाई पुनः चालू कर दी जाती है।

(ख) उपर्युक्त पैरा (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान लीवर के मामले में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग का बन्द करने और इनसे बचने सम्बन्धी आदेश

3384. **श्री विजयकुमार यादव** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री हिन्दुस्तान लीवर के मामले में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग का बन्द करने और इससे बचने

सम्बन्धी आदेश के बारे में 9 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3134 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 5 अक्तूबर, 1977 के अनुपालन शपथ-पत्र और 5 दिसम्बर, 1977 के पूरक शपथ-पत्र का व्यवहार में पालन किया गया है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड अब भी अपने उत्पादों को सीधे और अनन्य रूप से "पुनर्वितरण स्टाकिस्टों" नामक अपने वितरकों को सप्लाई कर रहा है;

(ग) क्या अग्रिम बिक्री के प्रतिभूति की आड़ में पुनर्बिक्री मूल्य अनुरक्षण क्षेत्र वितरण, कुल लाइन फोर्सिंग तथा ब्याज मुक्त जमा राशियां प्राप्त करना अब भी जारी है;

(घ) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के आदेश दिनांक 17 मार्च, 1976 का कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ा है;

(ङ) क्या आयोग का कहना है कि वह पर्याप्त कर्मचारी न होने के कारण इस कम्पनी के देश-व्यापी वितरकों से सूचना एकत्र करने में कठिनाई अनुभव कर रहा है;

(च) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने भूतपूर्व संसद सदस्य, श्री एस०एम० बनर्जी को आश्वासन दिया था कि शिकायतों की जांच की जाएगी;

(छ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (घ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के "बन्द करो और कभी न करो" आदेश के पालनार्थ मै० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने दिनांक 5-10-1977 को एक शपथ-पत्र तथा दिनांक 5 12-1977 को एक अनुपूरक शपथ-पत्र, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके पश्चात, जब दिनांक 11-6-1978 के "न्यू एज" में "हिन्द लीवर फ्लाउटस सुप्रीम कोर्ट" नामक शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित हुआ, जिसमें साथ-साथ आरोप था कि यह कम्पनी अभी तक अनेक प्रकार के अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों में लिप्त है, तो आयोग ने इन आरोपों की जांच की, और उनके आधार पर मामले पर आगे कार्यवाही न करने का निर्णय किया, क्योंकि जांचों से आयोग के आदेशों के उल्लंघन का कोई साक्ष्य प्रकाश में नहीं आया।

मै० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड अपने उत्पादों की पूर्ति "रिडिस्ट्रीब्यूशन-स्टाकिस्ट्स" नामक अपने वितरकों के माध्यम से करते हैं। उनकी अनौपचारिक जाँचों से प्रतीत हुआ कि वे भी अपने उत्पादों की बिक्रियां सीधे केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सहकारी संघठनों तथा इन सरकारों के द्वारा पुरस्कृत अन्य संघठनों को करते हैं।

(ङ) नहीं, श्रीमान जी।

(च) तथा (छ) श्री एस०एम०बनर्जी भूतपूर्व संसद सदस्य के अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों के आरोप युक्त शिकायतों पर, आयोग द्वारा दिल्ली, बरेली, कानपुर तथा आगरा में जांचें की गई थीं। चूंकि कोई साक्ष्य, जो आरोपों का सत्यापन कर सकें, दृष्टिगोचर नहीं हुआ था, अतः मामले पर आगे कार्यवाही नहीं की गई थी।

कार्यालय परिसर में डाकतार यूनियन की बैठक आयोजित करने की सुविधा वापस लेना

3385. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मान्यता नियमों के अनुसार डाक तथा तार यूनियनों को, कार्यालय प्रमुख की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् कार्यालय परिसर में यूनियन की बैठकें करने की सुविधा थी;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार के एक आदेश द्वारा उपरोक्त सुविधा वापस ले ली गई है; और

(ग) क्या उनका विचार इस मामले में हस्तक्षेप करने और सौहार्दपूर्ण श्रमिक सम्बन्ध बनाए रखने के लिए पूर्व स्थिति बहाल करने और यूनियनों के स्वास्थ्य कार्यकरण को बहाल करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई): (क) और (ख) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, डाक-तार यूनियनों/एसोसिएशन कार्यालय के स्थानीय अध्यक्ष की पूर्व अनुमति को प्राप्त किए बिना उसे बैठक की कार्यसूची दिखाने के पश्चात कार्यालय परिसर में कोई बैठक नहीं कर सकते। सभी मामलों में अनुमति इस शर्त के अध्यधीन होगी कि कार्यालय परिसर की सुरक्षा में हस्तक्षेप न हो, कार्यालय परिसर की पवित्रता बनी रहे और कार्यालय में काम में कोई गड़बड़ी न हो। उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय के अनुसार, यूनियनों को कार्यालय परिसरों में बैठकें करने का कोई अधिकार नहीं हो सकता/चूंकि बैठकों को करने के लिए दी गई सुविधाओं का यूनियनें दुरूपयोग कर रही थीं। इसलिए एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें यह निदेश दिया गया कि यदि आंदोलनात्मक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए बैठकें की जाती हैं तो अनुमति न दी जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट निदेशों पर विचार किया जा रहा है कि सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अनुमति प्रदान करने के लिए निर्धारित शर्तों का सख्ती से पालन किया जाए।

(ग) डाक-तार विभाग की मान्यता देने की अपनी नीति है और अनुशासन संहिता के अधीन मान्यता प्रदान नहीं की जाती। इस समय इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप का चयन करने के लिए क्षेत्रीय बोर्डों की स्थापना

3386. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस के डीलरों का चयन करने के लिए इस समय क्या पद्धति अपनाई जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ महीनों पहले तेल कम्पनी के प्रधान अधिकारियों की बैठक में केन्द्रीय पैट्रोल मन्त्री पेट्रोलियम उत्पाद के डीलरों का चयन करने हेतु उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश

अथवा वरिष्ठ सिविल अधिकारी की अध्यक्षता में क्षेत्रीय बोर्डों का गठन करने के बारे में सहमत हो गए थे; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है तथा नई पद्धति कब से लागू हो जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिह) : (क) इस समय चयन समिति सम्बन्धित तेल कम्पनियों द्वारा जारी विशिष्ट विज्ञापनों के उत्तर में आवेदन करने वाले पात्र उम्मीदवार को व्यापार योग्यता/विक्रय कला, वित्तीय प्रबंध करने की योग्यता और सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता, डीलर के रूप में पूर्णकाल के लिए काम करने के लिए तैयार रहने, सामान्य मूल्यांकन व्यक्तित्व और पाठ्येत्तर गतिविधियों के आधार पर चयन करती है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) पेट्रोलियम उत्पाद के लिए डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें जो 1982-83 योजना के प्रति दी जानी है के लिए नई नीति इस समय सक्रिय विचाराधीन है और इसे शीघ्र ही निश्चित किये जाने की सम्भावना है।

टेलीप्रिन्टरों के मूल्य

3387. **श्री एन०ई० होरो : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग को सप्लाई किए जा रहे टेलीप्रिंटरों के मूल्यों के बारे में डाक और तार विभाग तथा हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड में गम्भीर मतभेद हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) जी नहीं। डाकतार विभाग और हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड दोनों ही संचार मंत्रालय के अधीन हैं। डाकतार विभाग, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड के उत्पादन का प्रमुख ग्राहक है। हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड के उत्पादन की लागत डाकतार विभाग से बातचीत के बाद समय-समय पर तय की जाती है। डाकतार विभाग की लागत निरीक्षण एकक भी अन्तिम कीमत तय करने के पहले, कीमत सम्बन्धित मामलों की जांच करता है और इससे सम्बन्धित मसलें, अगर कोई हो तो, आपसी बातचीत से तय किए जाते हैं।

दूर संचार विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा आन्दोलन

3388. **श्री जगन्नाथ पाटिल : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरसंचार विभाग में कनिष्ठ अभियंता, पदोन्नति नीति और वेतनमानों के संशोधन के विषय में आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें और मांगें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही या निर्णय किया गया है/किया जा रहा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) कनिष्ठ इंजीनियर अपने 525-700 रु० के वेतनमान को 550-900 रु० में संशोधित करने तथा भर्ती नियम 1981, जिसमें इस ग्रेड में साढ़े 33 प्रतिशत रिक्तियों को भरने के लिए तार इंजीनियरी सेवा ग्रुप "ख" में पदोन्नति किए जाने के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आरम्भ की गई है, के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं। वे इस परीक्षा को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं।

(ग) सरकार रेलवे तथा रक्षा विभाग आदि में सम्भावित प्रतिक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए उनके वेतनमान में संशोधन की मांग को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। जहां तक दूसरी मांग का प्रश्न है वह भी स्वीकार्य नहीं है चूंकि सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा विभाग में आरम्भ की जाने वाली नई एवं जटिल प्रौद्योगिकी के संचालन के लिए सक्षम एवं योग्य अधिकारियों का चुनाव करने की दृष्टि से आरम्भ की गई है। यह सेवा में दक्षता के लिए आवश्यक समझी गई है तथा इसीलिए सार्वजनिक हित में है। इससे योग्य अधिकारियों को सेवा में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध होंगे।

पटसन के बारे औद्योगिक समिति

3389. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जूट के बारे में 32 सदस्यों की एक औद्योगिक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो सदस्यों के नाम और उनका दर्जा क्या है;

(ग) उपर्युक्त समिति के निदेश पद, कार्यक्षेत्र और कार्य काल क्या है;

(घ) उपर्युक्त समिति को गठित करने के क्या कारण हैं;

(ङ) उपर्युक्त समिति द्वारा सरकार को अंतरिम और अन्तिम प्रतिवेदन कब तक पेश करने की संभावना है;

(च) क्या सरकार का विचार 1982 और 1983 के दौरान विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी उद्योग के लिए इस प्रकार की समितियों का गठन करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) जी, हां। समिति का गठन विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जूट सम्बन्धी औद्योगिक समिति को 3 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया है। तथापि, इस समिति में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा 31-12-1980 को दी गई सदस्यता की प्रमाणित संख्या के अध्यधीन होगा। सामान्यतः औद्योगिक समिति के कार्य सम्बन्धित उद्योग में श्रम की समस्याओं का अध्ययन करना और उन पर विचार-विमर्श करना है।

(ङ) समितियों की अभी तक बैठक नहीं हुई है लेकिन जब उनकी बैठकें होती हैं, तो उनके निष्कर्षों को सरकार के पास विचारार्थ रखा जाएगा।

(च) और (छ) काटन, जूट, इंजीनियरिंग बागान और कैमीकल उद्योग के बारे में औद्योगिक समितियों को पुनर्गठित करने का निर्णय किया गया है, जिनमें से जूट और बागान संबंधित औद्योगिक समितियों का पुनर्गठन किया जा चुका है, शेष औद्योगिक समितियों के पुनर्गठन को शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाएगा।

विवरण

जूट संबंधी औद्योगिक समिति का गठन

अध्यक्ष		**केन्द्रीय श्रम मंत्री**
(I) सरकार		**प्रतिनिधियों की संख्या**
(क) केन्द्रीय सरकार		
(1) श्रम मंत्रालय	...	2
(2) वाणिज्य मंत्रालय	...	2
(3) वित्त मंत्रालय	...	1
(4) योजना आयोग	...	1
(ख) राज्य सरकारें :		
(1) पश्चिम बंगाल	...	2
(2) बिहार सरकार	...	2
	कुल	10
(II) नियोजक :		
(1) इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन		5
(2) गैर-इज़मा मिल्स	...	1
(3) एनजेएमसी मिल्स	...	3
(4) आल इन्डिया आर्गानाइजेशन आफ इन्डिस्ट्रीयल इम्प्लायर्स		2
	कुल	11

(III) श्रमिक :	प्रतिनिधियों की संख्या
(1) इंडियन नेशलल ट्रेड यूनियन कांग्रेस	2
(2) आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस	1
(3) यूनाइटेड यूनियन कांग्रेस (एल एस)	1
(4) सेण्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स	2
(5) भारतीय मजदूर संघ···	1
(6) नेशनल फ्रण्ट आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स	1
(7) ट्रेड यूनियन को-आडिनेशन सेण्टर	1
(8) यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस	1
(9) संगठन के नाम की बाद में सूचना दी जाएगी ।	1
	कुल 11

पत्रकारों के लिए आचार-संहिता

3390. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्टस ने इस विचार का विरोध किया है कि भारतीय प्रेस परिषद द्वारा पत्रकारों के लिए एक आचार संहिता बनाई जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा पारित एक संकल्प में इसने बात का समर्थन किया है कि प्रेस परिषद द्वारा कुछ निर्धारित समयावधि में दिए गए निर्णयों के आधार पर संहिता का निर्माण किया जाए;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रेस परिषद से संहिता तैयार करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) नेशनल यूनियन जर्नलिस्टस (भारत) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने 11 और 12 सितम्बर, 1982 की बैठक में इस विचार का विरोध किया था कि किसी सांविधिक निकाय द्वारा प्रेस के लिए आचार संहिता तैयार या बनाई जानी चाहिए । उन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि इसको भारतीय प्रेस परिषद द्वारा व्यवसाय के उच्च स्तर को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णयों और पूर्वोदाहरणों के माध्यम से कालान्तर में बनाया जाना चाहिए ।

(ग) सरकार ने प्रेस परिषद से अनुरोध किया है कि वह वर्तमान परिषद तथा प्रेस परिषद

अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत स्थापित परिषद द्वारा भी निर्णीत मामलों के अनुभव के आधार पर आचार संहिता तैयार करे।

(घ) जी, नहीं। तथापि, प्रेस परिषद ने कहा है कि उसने न्याय-निर्णयों के आधार पर अब तक तैयार की गई निर्णय विधि पर सार संग्रह तैयार कर प्रकाशित करने का निर्णय लिया है जिसके अन्त में विषय विशेष के बारे में निर्णयों, निर्णयों के कारणों तथा स्थूल सिद्धान्तों को दिया जायेगा।

सिनेमा टिकटों की दरों में वृद्धि

3391. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने उन सिनेमा घरों के लाइसेंस निलम्बित कर दिए थे, जिन्होंने अनुमति के बिना सिनेमा की दरों में और वृद्धि की थी;

(ख) क्या यह सच है कि इन सिनेमाघरों ने प्रशासन के आदेशों के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थगन आदेश को खारिज कराने तथा सिनेमा टिकटों की दरों को कम करने के सम्बन्ध में क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) 15-5-1979 से पहले, दिल्ली में सिनेमा टिकटों की दरों को दिल्ली चलचित्र नियम, 1953 के नियम 45 (XIII) के अन्तर्गत उप राज्यपाल द्वारा नियंत्रित किया जाता था। प्रदर्शकों द्वारा दायर की गई एक रिट याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15-5-79 के उक्त उपबंध को रद्द कर दिया। उसके बाद, सिनेमाघरों को लाइसेंसधारियों ने सिनेमाघरों में प्रवेश की दरों में वृद्धि करना शुरू कर दिया। केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के उपबन्धों को 15-12-80 से दिल्ली संघ शासित क्षेत्र पर लागू किया। उप-राज्यपाल ने 1-9-75 को प्रवृत्त प्रवेश दरें और सीटों की संख्या निर्धारित करने का प्रस्ताव किया और एक प्रेस रिलिज जारी किया जिसमें टिप्पणियां/आपत्तियां आमंत्रित की गई। प्रदशकों ने पंजाब सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 को दिल्ली संघ शासित क्षेत्र पर लागू करने और प्रवेश दरें तथा सीटों की संख्या निर्धारित करने की उप-राज्यपाल को प्रस्तावित कार्यवाई को चुनौती दी। कुछ प्रदर्शकों ने प्रवेश दरों में वृद्धि करना पुन: शुरू कर दिया। लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने 9 सिनेमाघरों के लाइसेंस/निलम्बित कर दिए। प्रदर्शकों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं पर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि करने की अनुमति दी जो पंजाब सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के लागू होने से पहले प्रवृत्त था और स्थगन आदेश भी दे दिया। मामले दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई की दैनिक सूची में हैं। इस प्रकार मामला न्ययानिर्णयाधीन है।

बीड़ी/सिगार श्रमिकों के बारे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का क्रियान्वयन

3392. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक राज्यों में बीड़ी/सिगार श्रमिकों

के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में कोई सर्वेक्षण किया है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबन्धों को कहां तक क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा ऐसे बीड़ी सिगार श्रमिकों की संख्या क्या है, जिन्हें इस अधिनियम के लाभों से वंचित रखा जा रहा है ;

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या योजनाएं हैं ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि सभी राज्यों में सभी बीड़ी/सिगार श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, ताकि उनकी जीवन की दशा में सुधार हो सके ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) केन्द्रीय सरकार को तीन राज्यों के बारे में कार्यान्वयन न किए जाने की शिकायतें मिलीं। चूंकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन, राज्य सरकारें बीड़ी/सिगार रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी-दरों को लागू करने के लिए सम्बन्धित सरकारें हैं, इसलिए इन शिकायतों को सम्बन्धित राज्यों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया।

(ख) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। सर्वेक्षण का कोई प्रस्ताव भी नहीं है। तथापि राज्य सरकारों पर यह जोर किया गया है कि वे सभी अधिसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी-दरों को लागू करने के लिए कारगर उपाय करें।

सिन्थेटिक रेशा सयंत्र की स्थापना के लिए लाइसेंस

3393. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के दौरान किसी सिन्थेटिक रेशा संयंत्र की स्थापना के लिए कोई लाइसेंस जारी किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और संबंधित पार्टियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसे कितने आवेदन पत्रों को मंजूरी दी गई तथा सम्बन्धित पार्टियों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 1982 के दौरान विभिन्न सिन्थेटिक फाइबरों के निर्माण के लिए निम्नलिखित आशय पत्र जारी किये गये हैं :—

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	आशय पत्र की संख्या और तिथि	क्षमता/मी० टन/प्रतिवर्ष	स्थान
1	2	3	4	5
नायलान औद्योगिक यार्न/टेरीकार्ड				
1.	जे० के० सिन्थेटिकस लि०	एल०आई० : 1/82 दिनांक 4-1-82 (एस० ई०)	2,000	राजस्थान

(जारी···)

1	2	3	4	5
2.	मोदीपोन लिमिटेड	एल०आई० : 5/82 दिनांक 11-1-82 (एस० ई०)	2,000	यू० पी०
3.	सेंचरी एन्का लि०	एल० आई० : 344 (82) दिनांक 12-5-82 (एन० यू०)	2,200	महाराष्ट्र
4.	माधुरा कोटस लिमिटेड	एल० आई० : 682 (82) दिनांक 4-9-82 (एन० यू०)	6,000	आन्ध्रप्रदेश
एक्रीलिक फाइबर :				
1.	जे० के० सिन्थेटिक्स लिमिटेड	एल० आई० : 447(81) आई० एल०/एस० सी० एस० दिनांक 16-8-82 (एस० ई०)	6,000	राजस्थान
2.	श्री मुकेश जैन	एल० आई० : 707(82) दिनांक 21-9-82 (एन० यू०)	10,000	यू० पी०

नोट : एन० यू०=नई उपक्रम

एस० ई०=पर्याप्त विस्तार

सरकार के पास बकाया पड़े हुए आवेदन-पत्रों के ब्यौरों को उस समय प्रकाशित नहीं किया जाता जब तक कि इन पर सरकार अपना एक निर्णय नहीं कर लेती है।

बेरोजगार डाक्टर, इंजीनियर आदि

3394. **श्री भोगेन्द्र झा**
श्री मूलचन्द डागा } : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बेरोजगार डाक्टरों, इंजीनियरों, स्नातकोत्तर, स्नातक, इन्टर और मैट्रिक-पास व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है तथा उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया ; और

(ङ) बिहार और राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं, जहां ऐसे लोग रोजगार के लिए आन्दोलन कर रहे हैं और उन्हें रोजगार प्रदान किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) :(क) उपलब्ध सूचना संलगन विवरण I [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 5605/82] में दी गई है जो कि इंजीनियरों, डाक्टरों, कला स्नातक, कला स्नाकोत्तर, हायर सैकेन्डरी/इन्टरमीडिएट और

मैट्रिकुलेट्स के रूप में पंजीकृत नौकरी चाहने वाले (जिनमें से अनिवार्यत: सभी बेरोज़गार नहीं हैं) व्यक्तियों की संख्या से तथा जो सम्पूर्ण देश में 31-12-1981 को प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर थे ।

(ख) और (ग) छठी योजना (1980-85) देश में सामान्य बेरोज़गारी की स्थिति तथा शिक्षित व्यक्तियों की बेरोज़गारी को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है । योजना दस्तावेज़, जनशक्ति और नियोजन के अध्याय में शिक्षित बेरोज़गारों के नियोजन के सृजन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विस्तृत ब्यौरे दिये गये हैं । कुछ योजनाएं जिनमें शिक्षितों के लिए पर्याप्त रोज़गार क्षमता है, इस प्रकार है :—

(1) कृषि विस्तार पद्धति का प्रकार,

(2) कृषि अनुसंधान कार्यक्रम,

(3) कृषि जनगणना और फार्म प्रबन्ध अध्ययन,

(4) आपरेशन फ्लड II के तकनीकी और इन्फ्रास्ट्रक्चरल पहलू,

(5) आन्तरिक मतस्य परियोजना,

(6) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आदि ।

जनशक्ति आयोजना और रोज़गार सृजन के लिए विकेन्द्रीयकृत नीति से, जिसे जिला जनशक्ति आयोजना और रोज़गार सृजन परिषदें और स्व-रोज़गार के लिए न्यू डील की स्थापना के माध्यम से अपनाया जा रहा है, शिक्षित बेरोज़गारों को पर्याप्त रूप से सफलता की भी आशा है ।

(घ) उपलब्ध सूचना संलगन विवरण II [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 5605/82] में दी गई है, जो उपर "क" पर निर्दिष्ट शैक्षणिक स्तर के व्यक्तियों की संख्या तथा पिछले तीनों वर्षों के दौरान रोज़गार कार्यालयों द्वारा रोज़गार में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या से सम्बन्धित है ।

(ङ) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण III और IV [ग्रंथालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल०टी० 5605/82] में दी गई है जिसमें बिहार और राजस्थान में रोज़गार कार्यालयों के नाम 1979-81 की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष शिक्षित उम्मीदवारों (मैट्रिकुलेट्स और इससे अधिक) के बारे में उनके द्वारा की गई नियुक्तियों की संख्या दी गई है ।

गुजरात में नाइलोन-6 परियोजना स्थापित किया जाना

3395. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात औद्योगिक पूंजी निवेश निगम ने गुजरात में लाइलोन-6 परियोजना स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव केन्द्र की मंजूरी हेतु भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब दिया गया था;

(ग) इस समय प्रस्ताव किस स्तर पर है और उपर्युक्त प्रस्ताव को मंजूर न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) गुजरात औद्योगिक पूंजी निवेश निगम ने नाइलोन-6 फिलामेंट यार्न के उत्पादन के लिए जनवरी, 1979 में एक औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन किया था।

(ग) और (घ) गुजरात औद्योगिक पूंजी निवेश निगम लिमिटेड का आवेदन पत्र सरकार के विचारधीन है।

विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई करने की जांच करने के बारे में पेनल

3396. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई करने के सम्बन्ध में किसी पेनल का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस पेनल ने कितना काम किया है ; और

(ग) क्या यह पेनल ऐसे मैगनेटोहाइड्रो-डायनेमिक विद्युत संयंत्रों की स्थापना के बारे में विचार करेगा, जो देश में भारी मात्रा में उपलब्ध घटिया किस्स के कोयले से सुरक्षित रूप से भली-भांति चलाए जा सकते हैं ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) कोयला विभाग ने श्री मोहम्मद फजल, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की है। इस समिति को ताप बिजली घरों को कोयला सप्लाई की समस्याओं का अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है।

(ख) समिति की पहली बैठक दिनांक 22-10-1982 को हुई और मुझे अपनी रिपोर्ट फरवरी, 1983 में प्रस्तुत करनी है।

(ग) मैगनेटो हाइड्रो-डानेमिक बिजली संयंत्रों की स्थापना सम्बन्धी बातें समिति के विचारार्थ- विषयों में नहीं है।

बीस बड़े औद्योगिक घरानों की सम्पति, कुल बिक्री और लाभ

3397. **श्री अजय विश्वास** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बीस बड़े औद्योगिक घरानों की कुल सम्पत्ति, कुल बिक्री और लेाभ का 1981 तक के पिछले तीन वर्षों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) संलगन **विवरण पत्र** में 20 बड़े औद्योगिक घरानों (वर्ष 1980 में प्रत्येक परिसम्पतियों के अनुसार श्रेणीबद्ध) के सम्बन्ध में वर्ष 1979 और 1980 में परिसम्पत्तियों, व्यापारावर्त और लाभों (करपूर्व) को दर्शाया जाता है। वर्ष 1981 के बहुत सी कम्पनियों के तुलन-पत्र अभी प्राप्त किये जाने हैं और इस तरह से 20 बड़े औद्योगिक घरानों (परिसम्पत्तियों के अनुसार) की वर्ष 1981 में अभी पहचान की जानी है। वर्ष 1981 में परिसम्पत्तियों, व्यापारावर्त और लाभों के ब्योरों को केवल सभी तुलन-पत्रों के प्राप्त करने के पश्चात ही अन्तिम रूप दिया जा सकता है।

विवरण

20 बड़े औद्योगिक घरानों (1980 में उनकी परिसम्पत्तियों के आकार द्वारा श्रेणीबद्ध) के वर्ष 1979 और 1980 में परिसम्पत्तियों, व्यापारावर्त और करपूर्व लाभों को दर्शाता हुआ विवरण-पत्र

(करोड़ रु० में)

क्रम संख्या	औद्योगिक घराने का नाम	1979			1980		
		परिसम्पत्तियां	व्यापारावर्त	करपूर्व लाभ	परिसम्पत्तियां	व्यापारावर्त	करपूर्व लाभ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	टाटा	1309·38	1720·25	91·63	1538·97	1942·90	110·03
2.	बिड़ला	1309·99	1627·79	121·02	1431·99	1845·20	121·15
3.	मफतलाल	371·06	516·08	39·86	427·54	613·61	31·93
4.	जे० के० सिंहानिया	352·53	391·33	13·12	412·72	436·63	18·21
5.	थापर	291·01	442·46	24·41	348·06	485·59	28·40
6.	आई० सी० आई०	235·55	352·45	29·82	343·01	333·25	10·47

(जारी···)

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	साराभाई	249·52	334·27	17.53	317·94	441·45	17·70
8.	ए० सी० सी०	211·96	199·30	14·72	274·51	217·97	8·05
9.	बांगुर	244·20	372·97	14·71	264·33	397·57	21·01
10.	श्रीराम	208·65	385·23	16·16	241·00	442·51	9·24
11.	किर्लोस्कर	191·91	229·46	12·35	220·37	313·77	24·29
12.	हिन्दुस्तान लीवर	187·80	423·41	32·75	219·30	469.49	31·37
13.	लार्जन एण्ड टोब्रो	185·48	190·94	22·47	216·03	236·73	24·63
14.	सिंधिया	205·95	08·05(—)	9.85	212·84	112·49	5·37
15.	आयल इण्डिया	211·27	435·05	13·96	205·88	434·54	10·12
16.	मोदी	177·08	345·26	14·66	198·02	400·62	10·66
17.	टी० वी० एस० अय्यर	164·77	211·23	20·04	188·64	252·17	25·11
18.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	165·58	181·16	14·47	186·03	256·41	18·54
19.	चौगुले	172·59	43·26(—)	2·66	184·68	71·69(—)	2·24
20.	बजाज	168·61	211·86	14·35	179·26	249·00	19·93

रानीगंज कोलबेल्ट ऐक्सचेंज की टेलीफोन सेवाओं में गिरावट

3398. **श्री पीयूष तिरकी**
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर } : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रानीगंज कोलबेल्ट ऐक्सचेंज की टेलीफोन सेवाओं में काफी समय से गिरावट आयी है और एस० टी० डी० सेवाएं बिलकुल ठप्प पड़ी हैं ;

(ख) यदि हां, तो रानीगंज कोलबेल्ट के टेलीफोन उपभोक्ताओं की परेशानियां दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सम्पूर्ण उत्तरी बंगाल क्षेत्र में टेलीफोन सेवाएं वर्ष भर खराब हालत में रहती हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) रानीगंज क्षेत्र की टेलीफोन सेवाओं में कुछ गड़बड़ थी परन्तु इस क्षेत्र की टेलीफीन सेवा में अब संतोषजनक स्तर तक सुधार हुआ है। रानीगंज कोलबेल्ट क्षेत्र में एस. टी. डी. सेवाएं संतोषजनक ढंग से कार्य रही हैं।

(ख) रानीगंज कोलबेल्ट क्षेत्र की टेलीफन सेवा में निम्नलिखित उपायों के परिणामस्वरूप सुधार हुआ है :—

1. रानीगंज क्षेत्र की समस्याओं का गहन अध्ययन करने तथा इस क्षेत्र की टेलीफोन सेवाओं में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया गया था। इस दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उनकी विभिन्न सिफारिशों पर कार्यवाही की जा रही है।

2. रानीगंज क्षेत्र की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। विचार विमर्श के दौरान इस क्षेत्र की टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने के लिए कुछ निर्णय लिए गये थे। इन निर्णयों में से कुछ पर पहले ही कार्यवाही की गई है तथा कुछ अन्य निर्णयों पर कार्यवाही की जा रही है।

(ग) जी, नहीं। उत्तरी बंगाल क्षेत्र में टेलीफोन सेवा संतोषजनक है।

पूर्वोत्तर भारत में मुख्य डाकघर, डाक-घर, उप-डाकघर और शाखा-डाकघरों की स्थापना

3399. **डा० आर० रोयू आमा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में तथा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर संघ राज्य क्षेत्रों में अब तक कितने मुख्य डाकघर/डाकघर/उप-डाकघर और शाखा डाकघर खोले जा चुके हैं ; और

(ख) वर्ष 1982-83 में इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे डाक-केन्द्रों की स्थापना का क्या लक्ष्य है तथा केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए कितना वित्तीय आबंटन किया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) उपेक्षित जानकारी संलग्न **विवरण** के भाग (क) में दी गई है।

(ख) वार्षिक योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में विभागेतर शाखा डाकघर खोले जाते हैं। जहां तक वार्षिक योजना 1982-83 का संबंध है, उसके लक्ष्य संलग्न **विवरण** के भाग (ख) में दिये गये हैं। मुख्य डाकघर/विभागीय उप डाकघर, परियात और अन्य बातों को ध्यान में रखकर स्थापित किए जाते हैं और उनके लिए कोई पूर्व-निर्धारित लक्ष्य निश्चित नहीं किए जाते।

निर्धारित लक्ष्यों के लिए निधि एक अनुपात में बांटी जाती है।

विवरण

राज्य का नाम	(क) अभी तक स्थापित किए गए डाकघरों की संख्या					(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान डाकघर खोलने के लिये लक्ष्य
	मुख्य डाकघर	विभागीय उपडाकघर	विभागेतर उपडाकघर	विभागेतर शाखाडाकघर	योग	
मिजोरम	1	21	5	230	257	5
अरुणाचल प्रदेश	—	32	1	165	158	1
नागालैंड	1	32	—	187	220	8
मेघालय	2	51	3	374	430	4
मणिपुर	1	38	8	480	527	31
त्रिपुरा	2	73	23	511	609	14

जिला मुख्यालयों को टेलेक्स से राज्यों की राजधानियों के साथ जोड़ना

3400. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3 जुलाई, 1982 के दिन (राज्य-वार) कितने जिला मुख्यालयों को टेलेक्स से राज्यों की राजधानियों/नई दिल्ली से जोड़ा गया है;

(ख) लक्ष्य सूची में कितने जिला मुख्यालय हैं जिन्हें अभी तक इस सेवा से नहीं जोड़ा गया है;

(ग) चालू योजना अवधि के दौरान कितने जिला मुख्यालयों को जोड़ने की सम्भावना है; और

(घ) क्या टेलेक्स सेवा की सुविधा केवल सरकारी काम काज के लिए है अथवा गैर सरकारी/वाणिज्यिक कामकाज और समाचार पत्रों को समाचार देने के लिए भी है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) 111 जिला मुख्यालयों को टेलेक्स से जोड़ा गया है। राज्यवार विवरण निम्नलिखित हैं :—

आंध्रप्रदेश-7, बिहार-6, गुजरात-7, जम्मू एवं काश्मीर-2, कर्नाटक-7, केरल-9, महाराष्ट्र-13, मध्यप्रदेश-8, असम-3, मणिपुर-1, मेघालय-1, त्रिपुरा-1, पंजाब-4, हरियाणा-5, हिमाचल

प्रदेश-1, उड़ीसा-1, राजस्थान-6, तमिलनाडु-8, उत्तर प्रदेश-16, पश्चिम बंगाल-1, और संघ शासित क्षेत्रों में-4 ।

(ख) और (ग) 46

(घ) टेलेक्स सेवा की सुविधा सरकारी काम काज के साथ-साथ गैर-सरकारी/व्राणिज्यिक और समाचार पत्रों से संबंधित उपभोक्ता भी प्राप्त कर सकते हैं ।

कोयला कम्पनियों में विस्थापितों अथवा भूमिहीनों की नियुक्ति

3401. **श्री शिबु सोरेन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी० सी० एल०, बी० सी० सी० एल०, डब्लू० सी० एल० और पी० सी० एल० द्वारा उन स्थानों के विस्थापितों अथवा भूमिहीन लोगों की नियुक्ति के लिए मापदंड अपनाया जाता है जहां पर कोयला खान अथवा कोई अन्य सम्बद्ध परियोजना आरम्भ की गई है;

(ख) 1971 से 1981 तक सी० सी० एल०, बी० सी० सी० एल०, डब्लू० सी० एल० और पी० सी० एल० द्वारा अधिग्रहीत भूमि के ब्यौरे सहित, समबद्ध भूमि से विस्थापित और भूमिहीन लोगों की संख्या क्या है जिनकी इस मापदंड के अनुसार नियुक्ति की गई;

(ग) क्या उक्त नियुक्तियां तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट के आधार पर की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो स्थानीय ग्रामीणों और विस्थापित लोगों को रोजगार के लिए क्या प्राथमिकता दी जाती है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

तेल के कुएं में लगी आग को बुझाने में परस्पर सहयोग

3402. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल के कुएं में लगी आग को बुझाने में परस्पर सहयोग की कमी थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; (टाइम्स आफ इंडिया, दिनांक 31 सितम्बर, 1982)

(ख) क्या यह सच कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग उपलब्ध तेल और गैस का उपयोग करने में असफल रहा है और उसने अनेक कथित कम उत्पादक कुओं को बन्द कर दिया है और चोरों को इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है ; और

(ग) इन कुओं का चोरों के लिए लाभकारी, और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए लाभकारी न होने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी, नहीं, परन्तु कभी कभी कुएं को जलाशय व्यवहार आदि जैसे विचारों से बंद कर दिया जाता है ।

(ग) जहां तक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का सम्बन्ध है ऐसे कुओं से उत्पादन तकनीकी आधारों पर वाच्छनीय नहीं समझा जाता।

"इण्डो सोवियत डाक्यूमेन्टरी फिल्म आन नेहरू" शीर्षक से समाचार

3403. **श्री ए० के० शेजवलकर**
श्री डी० पी० जदेजा } : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अगस्त, 1982 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित "इण्डो सोवियत डाक्यूमेंटरी फिल्म आन नेहरू" शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस फिल्म के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) जिस भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस सम्बन्ध में रूस की यात्रा की उसके नेता और सदस्यों के नाम तथा उनका दर्जा क्या है और रूसी प्रतिनिधिमंडल का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपर्युक्त फिल्म के निर्माण पर दोनों देशा द्वारा कितने अनुमानित बजट पर विचार किया गया है और इस पर होने वाला लाभ किस प्रकार बांटा जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) फिल्म की स्क्रिप्ट और सह-निर्माण सम्बन्धी करार के मसौदों को कई बार बातचीत करने के बाद तैयार किया गया है। इनके दोनों पक्षों की अन्तिम स्वीकृति अभी मिलनी है।

(ग) भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री एन० एन० थापा, मुख्य प्रोड्यूसर, फिल्म प्रभाग ने किया था और इसके अन्य सदस्य थे सर्वश्री श्याम बेनेगल, भारतीय निर्देशक और फिल्म के स्क्रिप्ट लेखक, के० बिक्रम सिंह, निदेशक (फिल्म), सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, नरेन्द्र कुमार/ आर० सी० जुग्रान, उप सचिव, विदेश मन्त्रालय।

सोवियत पक्ष का नेतृत्व श्री बी० एम० पचलोव, उपाध्यक्ष, "सोवितफिल्म" ने किया था और इसके अन्य सदस्य थे सर्वश्री वेलिरी रिआबिन्सकी, मैनेजिंग डायरेक्टर, ट्रसेन्ट्रनौचफिल्म स्टूडियो, यूरी अल्डोखिन, सोवियत निर्देशक और फिल्म के स्क्रिप्ट लेखक, ए० वी० गोरेव और दी० एम० जिमियानिन, दोनों स्क्रिप्ट लेखक।

(घ) फिल्म के लिए मिश्रित बजट तैयार नहीं किया गया है, क्योंकि प्रस्तावित करार के उपबन्धों में एक उपबन्ध यह है कि किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष के बजट की छानबीन करने का अधिकार नहीं होगा। फिल्म से होने वाले लाभों को उन वितरण क्षेत्रों के नियतन के आधार पर बांटा जाएगा जिनके सम्बन्ध में करार अभी किया जाना है।

विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा निर्मित दवाएं

3404. **श्री निहाल सिंह** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों का विवरण क्या है जो नई औषध नीति के अपेक्षित स्तर पर नहीं आ पाई है;

(ख) इन कम्पनियों द्वारा मार्च, 1978 में निर्मित दवाओं की मात्रा कितनी थी और उसके बाद मार्च, 1982 तक चार वर्ष के दौरान निर्मित प्रत्येक दवा की मात्रा कितनी थी;

(ग) अपेक्षित स्तर तक आने की शर्त पूरी किए बिना इन कम्पनियों का प्रसार करने के कारण क्या हैं और वे किन परिस्थितियों में सरकार से कच्चे माल के लिए सहायता और आयात लाइसेंस प्राप्त करने में सफल रहीं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) विदेशी औषध कम्पनियों में से मै० सैण्डोज (इण्डिया) लि० मै० ई० मर्क (इण्डिया) प्रा० लि०, मै० स्मिथ कलाईन एण्ड फ्रेन्च (आई) लि० और मै० वार्नर हिन्दुस्तान लि०, 1981-82 की स्थिति के अनुसार बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के उत्पादन मूल्यों के अनुपात को पूरा नहीं कर रहे हैं।

(ख) मार्च 1982 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों की अवधि के दौरान इन चार कंपनियों द्वारा बल्क औषधों और फार्मूलेशनों का उत्पादन, जो इन कम्पनियों द्वारा अप्रैल 1982 की नीति के अधीन क्षमताओं के पुन: पृष्ठांकन के लिए अपने आवेदन पत्रों में दर्शाया गया है, **दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।** [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 5606/82]

(ग) और (घ) औषध फार्मूलेशनों के लिए अतिरिक्त क्षमताएं प्रदान करने के लिए औषध कम्पनियों के आवेदन पत्रों की जांच करते समय, नई औषध नीति में निर्धारित अनुपात मानदण्डों को ध्यान में रखा जाता है। जहां तक विद्यमान औद्योगिक लाइसेंसों/अनुमतियों में आने वाली मदों के अधिक उत्पादन का सम्बन्ध है, अधिक/स्थापित क्षमताओं के विनियमन/मान्यता की देखरेख दिनांक 29-8-1980 और 17-10-81 के प्रेस नोटों में निहित सरकार की नीतियों द्वारा की जाती है। क्षमताओं के पुन: पृष्ठांकन के बारे में बाद में सरकार ने भी दिनांक 21-4-82 और 3-5-82 के प्रेस नोटों के माध्यम से एक दूसरी नीति की घोषणा की है। कच्ची सामग्री सहायता और आयात लाइसेंस समय-समय पर लागू सरकार की नीति के अनुसार दिए जाते हैं।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में हेवलाक डाकघर से तारों का प्रसारण

3405. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में हेवलाक डाकघर ने 16 सितम्बर, 1982 से तार लेने से इन्कार कर दिया है यदि हां, तो इन्कार करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या विभिन्न द्वीपों में कार्यरत पुलिस रेडियो ने जो तारों को स्वीकार करता था, तारों को भेजने से इन्कार कर दिया है, यदि हां, तो इसके क्या विस्तृत कारण हैं; और

(ग) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में संचार व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग) मामले की जांच की जा रही है और जांच के परिणाम सभा पटल पर रख दिए जायेंगे।

डी० वी० सी० द्वारा पश्चिम बंगाल को बिजली की सप्लाई

3406. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० वी० सी० ने जनवरी, 1982 से पश्चिम बंगाल को 95 मेगावाट बिजली कितने दिन सप्लाई की है; और

(ख) पश्चिम बंगाल को डी० वी० सी० द्वारा उपर्युक्त मात्रा में बिजली सप्लाई न कर पाने के क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जनवरी, 1982 से, दामोदर घाटी निगम द्वारा पश्चिम बंगाल (कलकत्ता विद्युत सप्लाई निगम) को 95 मेगावाट तथा उससे अधिक विद्युत सप्लाई किए गए दिनों की संख्या नीचे दी गई है :—

महीने	पश्चिम बंगाल (कलकत्ता विद्युत सप्लाई निगम) को 95 मेगावाट तथा उससे अधिक विद्युत सप्लाई किए गए दिनों की संख्या (व्यस्तम)
जनवरी, 1982	10
फरवरी, 1982	14
मार्च, 1982	8
अप्रैल, 1982	11
मई, 1982	12
जून, 1982	15
जुलाई, 1982	6
अगस्त, 1982	4
सितम्बर, 1982	11
अक्तूबर, 1982	10
(28 तक)	जोड़ 111 दिन

(ख) दामोदार घाटी निगम का जब अपना उत्पादन 950 मेगावाट और इससे अधिक हो तब विद्युत के आवंटन कार्यक्रम के अनुसार उसे 95 मेगावाट सप्लाई करनी है। दामोदर घाटी निगम ने कलकत्ता इलेक्ट्रीक सप्लाई निगम को ऊपर बताए गए दिनों को अपने विद्युत उत्पादन के अनुसार 95 मेगावाट विद्युत सप्लाई की है।

"इस्यू बिफोर पार्लियामेंट" कार्यक्रम का प्रसारण

3407. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "इस्यू बिफोर पार्लियामेंट" विषय पर दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्राय: प्रसारित होने वाली संसद सदस्यों की विचार गोष्ठी बन्द कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) यह सच है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर "इस्यू बिफोर पार्लियामेंट" नामक परिचर्चा का कार्यक्रम संसद के चालू सत्र के शुरू होने से पहले नायोजित नहीं किया गया था। भाषित शब्द कार्यक्रमों के रूपों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और तदनुसार परिवर्तन किये जाते हैं।

महाराष्ट्र में विद्युत की मांग

3408. **श्री वी० एन० गाडगिल**
श्री वाला साहिब विखे पाटिल
श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल } : क्या **उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि वर्ष 1984-85 के अन्त तक महाराष्ट्र की बिजली की मांग 6956 मेगावाट तक बढ़ जाएगी जिसके लिए लगभग 11000 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता की आवश्यकता होगी ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : 11वें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार महाराष्ट्र में 1984-85 के अन्त में विद्युत की मांग 4391 मेगावाट होने का अनुमान है।

इस समय, महाराष्ट्र की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 4532 मेगावाट है (इसमें तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र से इसका हिस्सा शामिल है) जो छठी योजना के अन्त में बढ़कर 6408 मेगावाट हो जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य को 1984-1985 तक कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र (चरण एक) से 149 मेगावाट का हिस्सा भी मिलेगा।

उर्जा की वर्तमान और भावी जरूरतों का सक्षर्वेण करने हेतु राष्ट्रीय आयोग

3409. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में उर्जा की वर्तमान और भावी जरूरतों का मूल्यांकन और सर्वेक्षण करने के लिए अब एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय आंयोग का गठन करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग का गठन और निदेश पद क्या होंगे; और

(ग) आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक पेश कर देगा ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री : श्री विक्रम महाजन : (क) सरकार ने उर्जा नीति पर एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था जिसने देश में उर्जा की भावी आवश्कताओं का निर्धारण किया था। इस कार्यकारी दल ने नवम्बर, 1979 में अपनी रिपोर्ट दी थी। फिलहाल, देश की वर्तमान और भावी उर्जा की आवश्यकताओं का निर्धारण और सर्वेक्षण करने के लिए अलग एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ईस्टर्न कोर्ट स्थित डाकतार कार्यालय में जनता को सीधे डायल करने की सुविधा

3410. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ईस्टर्न कोर्ट डाक और तार कार्यालय में जनता के लिए सीधे डायल करने की सुविधा प्रदान की है;

(ख) क्या यह सच है कि मीटर उस समय चालू किया जाता है जब कि ग्राहक नम्बर डायल कर रहा होता है जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक को उस समय का प्रभार देना होता है भले ही उसका वांछित नम्बर न मिला हो;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इससे ग्राहकों में असन्तोष पैदा होता है क्योंकि उन्हें वांछित व्यक्ति को संदेश पहुंचाए बिना भी भुगतान करना होता है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या सुधारात्मक कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र सकवाणा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। सामान्यतः मीटर तभी काम करता है जब दूसरी पार्टी जबाव देती है। यदि उपभोक्ता द्वारा दूसरी पार्टी का नम्बर मिलाने से पहले ही मीटर काम करने लगता है तो उस मीटर पठन को हिसाब में नहीं लिया जाता है और काल की अवधि रिकार्ड करने के लिए एक सहायक स्टाप वाच चालू कर दी जाती है। ऐसे मामलों में टेलीफोन अनुरक्षण प्राधिकारियों के पास एक शिकायत भेज दी जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में भर्ती

3411. **श्री ए० के० राय :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में 1 जनवरी, 1982 से कुल कितने लोगों की भर्ती की गई, इनके श्रेणीवार आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उसमें, श्रेणीवार आंकड़ों सहित, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों का प्रतिशत कितना है, विस्तृत तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ लोग कार्य के बारे में बिना किसी जानकारी के जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर बड़े पैमाने पर घुस रहे हैं जबकि व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले गरीब ग्रामवासियों को नहीं लिया जा रहा है जिससे भारी असन्तोष पैदा हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

परिसीमन कानून और "डेसू"

3412. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** 6 मार्च, 1979 के अतिरिक्त प्रश्न संख्या 2050 के उत्तर में जिसमें ऊर्जा मन्त्री ने स्पष्ट रूप से बताया था कि "डेसू" परिसीमन कानून के प्रावधानों से मुक्त नहीं है, के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि "डेसू" आर० के० पुरम (पश्चिम ब्लाक) ने अब यह रुख अपनाया है कि "डेसू" अपने कानूनी सलाहकार के अनुसार परिसीमन कानून से मुक्त है; और

(ख) "डेसू" की कानून की इस व्याख्या, जिसे वह अपने उपभोक्ताओं को परेशान करने के लिए उपयोग में ला रहा है, को समाप्त करने के लिए उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) "डेसू" को ला आफ लिमिटेशन अधिनियम, 1963 से छूट नहीं है। ला आफ लिमिटेशन केवल देय राशि की वसूली सिविल मुकदमें के द्वारा करने पर रोक लगाता है, किन्तु "डेसू" को अपने उपभोक्ताओं से इसमें आर० के० पुरम जिला कार्यालय द्वारा सर्विस किए गए भी शामिल हैं, जिनका "डेसू" के पास चालू खाता है, उन्हें सप्लाई की गई, उपभोग की गई बिजली के लिए समय-समय पर किसी भी पक्ष के द्वारा भुगतान करने और/या बकाया रकम के लिए मांग करने का अधिकार है तथा भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 24 के अनुसार बिजली की सप्लाई काट देने का अधिकार है ।

नेशनल हेरल्ड के कर्मचारियों को वेतन आदि का भुगतान न होना

3413. **श्री पी० एम० बनातवाला**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल हेरल्ड के उप-सम्पादकों और रिपोर्टों को पालेकर पंचाट के अनुसार महंगाई भत्ते की बकाया राशि और बोनस की दो वर्षों से, और दो महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है और बिना पंजीकरण संख्या बताए भविष्य निधि में से कटौतियां की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) मामले के उचित समाधान और उप-सम्पादकों तथा रिपोर्टों की हड़ताल समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, 49 श्रमिकों को, जिनमें नेशनल हैरल्ड, नई दिल्ली के वरिष्ठ उप-संपादक,

उप-संपादक, रिपोर्टर, समाचार सम्पादक और प्रबन्धक, शामिल हैं, सितम्बर, 1982 मास की मजदूरी का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। प्रबन्धतन्त्र ने बताया है कि उन्होंने पालेकर पंचाट के परिणामस्वरूप देय मंहगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, परन्तु श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने इस बात से इनकार किया है कि उन्हें बकाया राशि का भुगतान किया गया है। दिल्ली प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है।

जहां तक वर्ष 1980-81 के बोनस का सम्बन्ध है, प्रबन्धतन्त्र ने 4 प्रतिशत से कुछ अधिक बोनस का भुगतान किया है और वायदा किया है कि वे नवम्बर, 1982 के अन्त तक शेष बोनस का भुगतान कर देंगे। वर्ष 1981-82 का बोनस अभी देय नहीं हुआ है, क्योंकि इसका भुगतान वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से 8 मास के भीतर अर्थात् नवम्बर, 1982 के अन्त तक किया जाना है।

कुछ पात्र कर्मचारियों को लेखा संख्या आबंटित किए अंशदानों की वसूली से सम्बन्धित आरोप की जांच की जा रही है।

(ग) सम्पादकीय स्टाफ के लगभग 14 श्रमिकों ने 9 अक्तूबर, 1982 को काम करना बन्द कर दिया था। तथापि, दिल्ली प्रशासन के प्रयासों के फलस्वरूप, श्रमिक 13 अक्तूबर, 1982 से अपनी ड्यूटियों पर आ गए।

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा अंशदायी भविष्य निधि खातों का रख-रखाव

3414. **श्री के० लकप्पा :** क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि आयुक्त ने नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अपने स्टाफ के अंशदायी भविष्य निधि खातों के किए जा रहे रखरखाव के बारे में स्वप्रेरणा से कोई जांच की है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1976-77 के बाद अंशदायी भविष्य निधि खातों का कोई रख-रखाव नहीं किया गया तथा उस वर्ष के बाद अंशदाताओं को कोई वार्षिक विवरण जारी नहीं किए गए हैं; यदि हां, तो इससे सम्बद्ध धनराशि कुल कितनी है; और

(ग) अंशदाताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए भविष्य निधि आयुक्त द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

दिल्ली के साथ सीधे टेलीफोन से जुड़े देश

3415. **श्री मोहम्मद असरार अहमद**
श्री जयनारायण रौत : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य देशों के कौन से नगर दिल्ली के साथ टेलीफोन से जुड़े हुए हैं;

(ख) क्या दिल्ली के साथ संसार की अन्य राजधानियों को जोड़ने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) नई दिल्ली का अन्य देशों के नीचे लिखे शहरों से सीधा संचार सम्पर्क है :—

अदन, एथेन्स, बेजिंग, बुखारेस्ट, दारे-सलाम, फ्रैंकफर्ट, हांगकांग, काबुल, काठमांडु, लन्दन, मनीला, मास्को, पैरिस, रंगून, रोटरडम और टोकियो।

(ख) और (ग) संसार की अन्य राजधानियों में से अधिकांश का उपग्रह या उपग्रह-व-समुद्रीय केबल के माध्यम से, नई दिल्ली से संचार-सम्पर्क है। यह सम्पर्क विदेश संचार सेवा के बम्बई और मद्रास स्थित पारेषण-अभिग्रहण केन्द्रों के माध्यम से, पूर्व निर्धारित (हार्डपेच्ड) परिपथों द्वारा किया जाता है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में पदोन्नतियां

3416. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में वर्ष 1981-82 के दौरान सहायक अभियंता (तकनीकी) सहायक कार्यकारी अभियंता, निरीक्षकों और अधीक्षकों (तकनीकी) के पदों पर बड़े पैमाने पर पदोन्नतियां की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को पदोन्नतियों के समय अनारक्षित कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में पदों की कुल संख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का श्रेणीवार अनुपात कितना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण उत्थान के लिए ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत

3417. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'ऊर्जा अतिरिक्त स्रोतों हेतु आयोग' ने सामुदायिक बायोगैस संयंत्र, पवन चक्कियां, स्थापित करने, सौर ऊर्जा सप्लाई प्रणाली और ग्रामोत्थान की अन्य योजनाओं हेतु राजधानी में अनेक गांव निश्चित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामोत्थान की इन योजनाओं में शामिल किये गये गांवों का क्या ब्यौरा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली में मसूदपुर गांव में एक एकीकृत ऊर्जा प्राणाली की पहले से ही प्रतिष्ठापना की गई है। इसमें जैव गैस संयन्त्र, वायु पम्प, सौर प्रकाश वोल्टीय विद्युत जनन प्रणाली जिससे कि टी०वी० और ट्यूब लाइटों को चलाया जा सके, सौर कुकर और ऊर्जा रोपण शामिल हैं। 72 ग्रामीण परिवारों को जैव गैस संयंत्र से पहले ही गैस कनेक्शन दिये जा चुके हैं और इनकी संख्या में वृद्धि की जा रही है। इसके अलावा, फालतू गैस से बिजली पैदा की जाती है।

दिल्ली में गाज़ीपुर गांव को जैव गैस संयंत्रों की प्रतिष्ठापना के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। इस जैव गैस संयंत्र से उत्पन्न गैस डी०डी०ए० कालोनी के आसपास के घरों को खाना पकाने के लिये प्रदान की जायेगी। राजधानी में अन्य गांवों में यह पता लगाने के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित नए संयंत्रों की प्रतिष्ठापना की क्या संभावनाएं हैं ?

संचार मंत्रालय में सहायकों की नियुक्ति

3418. **श्री केशवराव पारधी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक विभाग ने केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों का किसी भी संवर्ग में तदर्थ-नियुक्ति न करने के कोई अनुदेश जारी किये हैं;

(ख) क्या एक/दो वर्ष और इससे अधिक की सेवा-अवधि रखने वाले अनेक कर्मचारियों को सहायक संवर्ग में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है;

(ग) उन्हें नियमित आधार पर नियुक्त करने के लिए डाक और तार बोर्ड/मंत्रालय ने अब तक क्या उपाय किये हैं;

(घ) वर्ष 1979, 1980, 1981 और 1982 की परीक्षाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग को सहायकों के सीधी भर्ती के कितने पद सूचित किये गये थे;

(ङ) वर्ष 1979, 1980 और 1981 की परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर वास्तविक रूप से कितने व्यक्ति नियुक्ति किये गये; और

(च) मन्त्रालय के संवर्ग में स्थायी और नियमित सहायकों की संख्या की अद्यतन स्थिति क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) संचार मंत्रालय के संवर्ग में 36 प्रवर श्रेणी लिपिक पिछले एक/दो वर्षों से तदर्थ आधार पर सहायक के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से काम कर रहे हैं। ये कर्मचारी कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अस्थायी पदोन्नति के लिए निर्धारित सीमा के अधीन आ गए हैं और अब वे लम्बी अवधि की पदोन्नति के हकदार हो गये हैं। इन अधिकारियों की लम्बी अवधि की नियुक्ति करने से सम्बन्धित आवश्यक औपचारिकताएं जैसे आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण, जो जरूरी है और विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा इनकी जांच आदि का काम हो रहा है।

(घ) और (ङ) सीधी भर्ती द्वारा सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु संघ लोक सेवा आयोग को सूचित रिक्त स्थानों और ऐसे उम्मीदवारों की संख्या जो वस्तुतः सरकारी सेवा में उपस्थित हुए, नीचे दी गई हैं :—

परीक्षा वर्ष	सूचित रिक्त स्थान	वस्तुतः नौकरी में आने वाले उम्मीदवार
1979	8	5
1980	6	4
1981	3	उम्मीदवार की नामजदगी अभी तक सूचित नहीं की गई है।
1982	10	—वही—

(च) संचार मंत्रालय के संवर्ग में 138 स्थायी और 46 नियमित सहायक हैं।

चमोली, उत्तर काशी, पौड़ी-गढ़वाल और अन्य पहाड़ी जिलों में नये डाकघर खोलना

3419. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी-गढ़वाल और अन्य पहाड़ी जिलों में डाक सुविधाएं अपर्याप्त हैं और लोगों को अपने पत्र डाक में डालने तथा डाक सामग्री लाने के लिए दस किलोमीटर की दूरी तक जाना होता है;

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार द्वारा इन पहाड़ी क्षेत्रों में खोले जाने के लिए प्रस्तावित नये डाकघरों की अतिरिक्ति संख्या कितनी है; और

(ग) यदि सरकार नये डाकघर नहीं खोल रही है तो इस समस्या के प्रति सरकार द्वारा उदासीनता का रवैया अपनाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सेवा अवधि बढ़ाया जाना

3420. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में उन लोगों की सेवा अवधि भी बढ़ाई गई है जो अनुभाग अधिकारी जैसे गैर-तकनीकी पदों पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) ऐसे अधिकारियों का क्या विवरण है जिनका गत दो वर्षों के दौरान सेवा काल बढ़ाया गया और इस प्रकार के प्रत्येक मामले में सेवाकाल बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं तथा इस वर्ष कितनों का सेवाकाल बढ़ाए जाने का विचार है; और

(ग) क्या सेवा में ठहराव आने की आशंका व्यक्त करते हुए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारियों से मिले अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए उनका मन्त्रालय सेवाकाल बढ़ाया जाना समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) और (ख) एक **विवरण संलग्न** है जिसमें अनुभाग अधिकारियों जैसे गैर-तकनीकी पदों पर काम करने वाले उन कर्मिकों का ब्यौरा दिया गया है जिनकी सेवा अवधि बढ़ाई गई थी।

(ग) सेवा अवधि में वृद्धि इस सम्बन्ध में सरकार की नीति के अनुसार की जाती है।

विवरण

गत दो वर्षों में सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में जिन गैर-तकनीकी कर्मचारियों की सेवा अवधि में वृद्धि की गई उनकी संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	किस सेवा से सम्बन्धित है	सेवा अवधि कितनी बढ़ाई गई	कारण
1.	श्री बी० जानकी रामन, प्रेस अयोग के सचिव के निजी सचिव	केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा	1.2.82 से 31.3.83 तक	लोक हित

"सालबुटामोल" का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिया जाना

3421. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "ग्लैक्सोन्यूज" (बंगलौर डिपो विशेषांक) खंड III, संख्या II की ओर दिलाया गया है जिसमें इस बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने इसको "सालबुटामोल" का उत्पादन करने का लाइसेंस नहीं दिया और भारतीय संसद के कार्यकरण की आलोचना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) ग्लेक्सो न्यूज, बंगलौर डिपो स्पेशल, वाल्यूम-II, जो मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेटरीज का हाउस जनरल है, के प्रकाशन की एक प्रति प्राप्त की गई है। इसमें "दी सलबुटामोल स्टोरी" नामक एक लेख है। इस लेख में मैसर्स ग्लाक्सो लेबोरेटरीज को सालबुटामोल के निर्माण के लिए दिये गये आशय पत्र को सरकार द्वारा व्यपगत मानने के निर्णय, के प्रति चिन्ता व्यक्त की गई है। संसद में दिए गये कुछ उत्तरों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है।

इस मामले में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जानी अपेक्षित प्रतीत नहीं होती।

राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले का उत्पादन और इंजीनियरों की संख्या

3422. **श्री सुनील मैत्रा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1972 में राष्ट्रीयकरण करने के बाद कोयले का उत्पादन एक ओर जहां दुगुना हो गया है वहां खान इंजीनियरों की संख्या वही है; और

(ख) कोयला खानों की सुरक्षा के बाद कनिष्ठ स्तर पर सांविधिक रिक्त पदों में इंजीनियरों, खान सरदारों तथा ओवरमैनों के पद भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) यह सच नहीं है कि कोल इंडिया लि० में खनन इंजीनियरों की संख्या कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से लेकर अब तक वही रही है। किन्तु अवर प्रबन्धकों, ओवरमैनों और सर्वेक्षकों की कमी रही है। इन रिक्तियों को भरने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :—

(1) कोल इंडिया लि० ने खा०सु०म०नि० से परामर्श करके अगले 10 वर्षों के लिए एक विस्तृत जनशक्ति आयोजना शुरू की है। को० इ० लि० और खा०सु०म०नि० दोनों मिलकर खनन संस्थानों से कहेंगे कि कार्मिकों की जरूरत पूरी करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(2) खनन इंजीनियरी शिक्षा देने वाले संस्थानों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए चर्चा की जा रही है—कि खनन इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रम की वर्तमान क्षमता का पूरी तरह उपयोग किया जाए।

(3) विभागीय उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं ताकि वह विभिन्न सांविधिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कर सकें।

(4) इस समय ऐसा कोई संस्थान नहीं है जो विशेषत: खान सर्वेक्षण कार्य के लिए प्रशिक्षण देता हो। को० इ० लि० ने इस प्रकार का संस्थान आरम्भ करने के लिए कार्यवाही शुरू की है।

कालाहांडी (उड़ीसा) में 10 दिन तक बिजली बन्द रहना

3423. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कालाहांडी जिला, उड़ीसा में 10 दिन तक बिजली सप्लाई न करने के कारण अधेरा रहा; और

(ख) यदि हां, तो इतने दिनों तक बिजली सप्लाई न करने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) और (ख) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में 30 अगस्त से 3 सितम्बर, 1982 तक विद्युत सप्लाई में बाधा आई थी। बिद्युत के फेल होने के कारण अभूतपूर्व बाढ़ थी, जिसके परिणामस्वरूप आगे नदी पर 132 के० वी० पारेषण लाइन

टावरों का फेल हो जाना था। इस क्षति के कारण बोलानगीर ग्रिड उप केन्द्र और परिणामस्वरूप कालाहांडी को जो बोलानगीर उप केन्द्र से विद्युत प्राप्त करता है, विद्युत सप्लाई नहीं की जा सकी। 4 सितम्बर, 1982 से मचकुण्ड प्रणाली से आंशिक रूप में विद्युत सप्लाई पुनः चालू की गई थी। आवश्यक सेवाएं यथा पी० एच० डी०, पम्पों, टेलीफोन ऐक्सचेंन्ज, अस्पताल तथा रेलवे को इस तारीख से ही विद्युत सप्लाई की गई। 132 के० वी० लाइनों के नदी के क्रासिंग टावरों का उत्थापन करने के पश्चाताप 20 सितम्बर, 1982 से कालाहांडी जिले को पुनः विद्युत सप्लाई सामान्य रूप से जारी की गई थी।

नेशनल हेरल्ड पर कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया धनराशि

3424. **श्री रामप्रसाद अहिरवार**
श्री बाबूराम परांजपे } : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि नेशनल हेरल्ड के कर्मचारियों को भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही शुरू की जा रही है; और

(ग) प्रबन्धकों पर आज तक कर्मचारियों की भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की कुल कितनी धनराशि बकाया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकरणों द्वारा भेजी गई सूचना नीचे दी गई है :

कर्मचारी भविष्य निधि : नौकरी छोड़कर जाने वाले सदस्यों के सम्बन्ध में भविष्य निधि दावों का, प्राप्त हुए भविष्य निधि अंशदानों की हद तक निपटान किया गया है। तथापि मैसर्स नेशनल हैराल्ड ने दिल्ली यूनिट के बारे में 3.61 लाख रुपये और लखनऊ यूनिट के बारे में 10.40 लाख रुपये की भविष्य निधि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। बकाया राशि को वसूल करने के लिए नियोजक विरुद्ध आवश्यक कानूनी और दण्डिक कार्यवाही की जा रही है।

कर्मचारी राज्य बीमा : कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत नियोजक द्वारा अशंदानों की अदायगी न करने के कारण कर्मचारियों को उपलब्ध नकद प्रसुविधाओं से वंचित नहीं रखा जाता है। तथापि, मैसर्स नेशनल हैराल्ड ने दिल्ली यूनिट के सम्बन्ध में 2.85 लाख रुपये और लखनऊ यूनिट के सम्बन्ध में 8.876 लाख रुपये कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। बकाया राशि को वसूल करने के लिए नियोजक के विरुद्ध आवश्यक कानूनी और दण्डिक कार्यवाही की जा रही है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन पर "हरिजन" और "आदिवासियों" के लिए "दलित" और "शोषित" शब्दों का प्रयोग

3425. **श्री रामस्वरूप राम :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आकाशवाणी, दूरदर्शन और माध्यमों से

"हरिजन" और "आदिवासी" शब्दों का प्रसारण करने के स्थान पर "दलित" और "शोषित" शब्दों का प्रयोग करने के बारे में कोई निदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे निदेश देने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

तथापि, इस मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से परामर्श करके आकाशवाणी/दूरदर्शन और अन्य माध्यम एककों से यह कहा है कि वे हरिजन और गिरिजन शब्दों के स्थान पर अंग्रेजी में 'शड्यूल्ड कास्ट्स/ट्राइब्स" शब्दों तथा अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में उपयुक्त रूपान्तरों का प्रयोग करें।

1982-83 के लिए विद्युत के लक्ष्य की प्राप्ति

3426. **श्री चित्त वसु** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1982-83 में बिजली का 3480 मेगावाट अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त करने में संदेह उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) 1982-83 के लिए संशोधित कार्यक्रम में 3482 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता चालू किए जाने की परिकल्पना की गई है। इनमें से कुछ परियोजनाओं को चालू करने का व्यस्त कार्यक्रम है। तथापि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं।

बिहार में विद्युत प्रशुल्क में वृद्धि

3427. **श्री तारिक अनवर** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम द्वारा दरों में की जाने वाली प्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विद्युत प्रशुल्क में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि बिहार वाणिज्य मण्डल तथा बिहार उद्योग एसोसिएशन बहुत उत्तेजित है तथा इसका जोरदार विरोध किया है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में प्रशुल्क में किसी भी और वृद्धि से वर्तमान उद्योग नष्ट हो जायेंगे और राज्य में ओद्योगिक विकास तेज करने के राज्य सरकार के प्रयासों को धक्का लगेगा; और

(घ) इस समस्या का समाधान करने के लिये केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (विक्रम महाजन) : (क) दामोदर घाटी निगम द्वारा विद्युत

टैरिफ में वृद्धि करने के निर्णय लेने के परिणामस्वरूप बिहार बिजली बोर्ड ने टैरिफ संशोधन के लिए अभी प्रस्ताव तैयार नहीं किए हैं।

(ख) बिहार वाणिज्य मण्डल तथा बिहार उद्योग एसोशिएशन द्वारा टैरिफ में वृद्धि किए जाने के विरुद्ध रिपोर्टें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं।

(ग) और (घ) लागतों में वृद्धि के अनुरूप विद्युत टैरिफ का समायोजन किया जाना अपरिहार्य है। उद्योग के निवेशों में से विद्युत एक निवेश है और वर्तमान उद्योगों के कार्य-निष्पादन का स्तर तथा औद्योगिक विकास की दर विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है।

उत्तर-पूर्व विद्युत निगम में भ्रष्टाचार तथा अव्यवस्था

3428. **श्री कृष्ण चन्द हाल्दर :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर-पूर्व विद्युत निगम, शिलांग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा कदाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उत्तर पूर्वी शक्ति निगम के प्रबन्ध-व्यवस्था सम्बन्धी मामलों में निष्पादन, प्रशासन तथा सामान्य मामलों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अधिकारियों का एक दल इन शिकायतों की जांच कर रहा है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

जिला बुलन्दशहर के लिए खाना पकाने की गैस की एजेंसी

3429. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला बुलन्दशहर के लिए खाना पकाने की गैस की एजेंसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित थी;

(ख) यदि हां, तो किस जाति और उपजाति को उन्हें आवंटित किया गया है; और

(ग) आवंटन प्राधिकारियों द्वारा खाना पकाने की गैस एजेंसी को किसके आदेश से गैर-आरक्षित समझा गया था ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मैसर्स भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी० पी० सी० एल०) ने बुलन्दशहर के स्थान पर अपनी एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप "अनुसूचित जाति" के लिए निर्धारित की थी और कार्य-पद्धति के अनुसार उन्होंने इस श्रेणी के एक उम्मीदवार का चयन कर लिया है। इस श्रेणी के एक उम्मीदवार का चयन कर लिया है। इस श्रेणी के अन्तर्गत इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए चयन किया गया विक्रेता जाटव जाति का है। क्यों अनुसूचितजाति के श्रेणी के उम्मीदवार को डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित की गई है, इसलिए बुलन्दशहर के स्थान पर उक्त एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप को अनारक्षण करने का प्रश्न नहीं उठता।

तलचर, रामागुंडम और कोरबा उर्वरक संयन्त्रों के लिए चेकोस्लोवाकिया से मशीनरी का आयात

3430. **डा० ए०यू० आजमी :** क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तलचर और रामागुंडम स्थित उर्वरव संयन्त्रों के लिए चेकोस्लोवाकिया से आयातित मशीनरी मंहगे स्टेनलैस इस्पात की बजाय सस्ते एल्यूमिनियम से बनी थी और मशीनरी भी अप्रचलित और अपूर्ण डिजाइन वाली बताई जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोरबा संयन्त्र के लिए मशीनरी परियोजना को स्वीकृति मिलने के पूर्वानुमान में 13 करोड़ रुपये के मूल्य से उक्त देश से आयात की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) कोयले पर आधारित तलचर और रामागुंडम के उर्वरक संयन्त्रों के एयर सेपरेशन यूनिट के लिए चेकोस्लाविया से आयातित मशीनरी एल्मीनियम से बनी है। एयर सेपरेशन यूनिट के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ए० एस० यू० के असन्तोषजनक निष्पादन का पूरक कारण बिजली की बारम्बार कमी तथा अनियमिलता, तथा एयर कम्प्रेसर के टरबाइन ब्लेडों के सम्बद्ध समस्याएं, रिजेनरेटरों में बारम्बार लीकेज तथा रिवर्सिंग वाल्व में खराबी है।

(ख) कोरवा परियोजना की एयर सेपरेशन यूनिट के लिए चेकोस्लोवाकिया से 7.51 करोड़ रुपये (ए० ओ० वी० मूल्य) कायल आयात किया गया था।

(ग) चूंकि रामागुंडम, तलचर और कोरबा में स्थित कोयले पर आधारित उर्वरक संयन्त्र फीड स्टाक के रूप में कोयले पर आधारित थे और उनमें वही क्षमताएं थीं, इसलिए कोरबा के लिये एयर सेपरेशन यूनिटों के लिए उसी स्रोत को ही आर्डर दिया गया था।

मैं० वी० एस० टी० टिलर ट्रैक्टर लिमिटेड, बंगलूर

3431. **श्री सुभाष यादव**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी } : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैं० वी० एम० टी० टिलर ट्रैक्टर लिसिटेड, बंगलूर की जब स्थापना हुई थी, तब उसके पास कितनी पूंजी थी;

(ख) क्या इस कम्पनी ने राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण लिया है, और यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना ऋण लिया है;

(ग) क्या लेखा पुस्तिका में यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और कम्पनी के उच्च अधिकारियों के विदेशी दौरे के लेखे में बहुत सी राशि दर्शायी गई है, और यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान इस शीर्ष के अधीन दर्शायी गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस कम्पनी के कार्यकरण की जांच करा ली है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और उस पर, यदि कोई कार्यवाही की गई है; तो वह क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) कम्पनी 120 लाख रु० की अधिकृत पूंजी तथा 10,000 रु० मूल्य के सबस्क्राइबर आफ दी मेमोरेण्डम आफ एसोसियेशन सबस्क्राइब्ड हिस्सों सहित, पंजीकृत हुई थी ।

(ख) वार्षिक तुलन-पत्र के अनुसार, कम्पनी ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त किये थे, एवं गत पांच वर्षों की समाप्ति पर. निम्नलिखित राशियां शेष थीं :—

वर्ष	लाख रु० में
1977	61.55
1978	58.88
1979	78.83
1980	87.25
1981	97.07

(ग) कम्पनी के वार्षिक लाभ व हानि लेखाओं के अनुसार, गत पांच वर्षों के दौरान, इसके द्वारा किये गए कुल यात्रा व्यय निम्न प्रकार थे :—

वर्ष	लाख रु० में
1977	1.63
1978	2.74
1979	3.21
1980	3 66
1981	6.12

(घ) कम्पनी अधिनियम की धारा 209क के अन्तर्गत कम्पनी की लेखा-वहियों तथा अन्य अभिलेखों का निरीक्षण, हाल ही में प्रारम्भ किया गया है, एवं निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

हल्दिया में पेट्रो-रसायन काम्प्लेक्स

3432. **श्री नारायण चौबे** : : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार के समक्ष हल्दिया में एक पेट्रो-रसायन काम्प्लेक्स आरम्भ करने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की वर्तमान प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान "स्टेट्समैन" (कलकत्ता) में दिनांक 31-8-1982 को "सेन्टर गोइंग एहेड विद हल्दिया प्रोजेक्ट" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना पर कार्य आरम्भ करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) हल्दिया में एक पेट्रो-रसायन काम-प्लेक्स की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को नवम्बर, 1977 में आशय-पत्र जारी किया गया था। मार्च, 1981 में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव दिया था कि इस प्रायोजना को राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के एक संयुक्त उद्यम के रूप में आरम्भ किया जाये।

(ख) इस प्रायोजना के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं है। सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से, प्रौद्योगिकी का चयन और कुछ मूल इंजीनियरिंग करने जैसे आरम्भिक कदम लेने के लिए व्यवस्था, इस आधार पर किए जाने की सम्भावना है कि यह प्रायोजना केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम के एक उपयुक्त रूप में होगी।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य सरकार ने यह बताया था कि प्रायोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और स्थल को विकसित किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान समाचार का अधिग्रहण

3433. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "हिन्दुस्तान समाचार" नामक भाषा समाचार ऐजेंसी का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ख) इस अधिग्रहण के क्या कारण हैं; और

(ग) "हिंदुस्तान समाचार" का अब प्रशासक कौन है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) रजिस्ट्रार, सहकारी संस्था, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, "हिन्दुस्तान समाचार" जो दिल्ली सहकारी संस्था अधिनियम, 1972 के अधीन पंजीकृत है, की प्रबन्ध समिति का, उसकी लगातार चूकों और उक्त अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा समिति के उप नियमों द्वारा इसको सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में लापरवाह रहने के कारण अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत उनके द्वारा जारी किए गए आदेशों द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

(ग) लेफ्टीनेंट कर्नल (सेवानिवृत) एस० के० कौल "हिन्दुस्तान समाचार" के वर्तमान प्रशासक हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एशियाई खेलों के दूरदर्शन पर प्रसारण हेतु "एपल" का उपयोग

3434. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एशियाई खेलों का दूरदर्शन पर प्रसारण करने हेतु अन्तरिक्ष यान "एपल" का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि एशियाड का दूरदर्शन पर प्रसारण करने के लिए "एपल" का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई प्रयोग किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पो० साल्वे) (क) जी, नहीं।

(ख), (ग) और (घ) एशियाई खेलों के दूरदर्शन कवरेज तथा राष्ट्रीय संजाल के लिए "एपल" उपयोग करने की संभावना का पता लगाया गया था, किन्तु इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया, क्योंकि प्रायोगिक उपग्रह होने के कारण "एपल" नियमित कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करने के लिए नहीं है।

बिहार के जिला सारण में दिघवारा मुख्य डाकघर खोला जाना

3435. **प्रो० सत्य देव सिंह :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार जिला सारण में दिघवारा में एक मुख्य डाकघर खोलने की संभावनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह डाकघर कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में प्राथमिक जांच की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रस्ताव विचारधीन है।

विदेशी तकनीकी सहायता से टेलिफोन उपकरणों के निर्माण हेतु परियोजना

3436. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन टेलीफोन इंडिस्ट्रीज ने विदेशी तकनीकी सहायता से अधिक विश्वसनीय और खर्चीला टेलीफोन उपकरण के निर्माण हेतु परियोजना आरम्भ करने का निर्णय किया है और एक पूरी तरह इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन विकसित करना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ नई परियोजना का ब्यौरा क्या है, यह उत्पादन कब तक आरम्भ करेगी, इसकी अनुमानित लागत क्या है, कितने उपकरण बनाये जायेंगे और कितने पुर्जे और फालतू पुर्जे उत्पादित किये जायेंगे।

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां। इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज ने विदेशी सहयोग से समसामयिक डिजाइन के विश्वसनीय और कम लागत वाले टेलीफोन उपकरण बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। कम्पनी के अनुसंधान और विकास सकन्ध ने पूर्ण इलैक्ट्रानिक टेलीफोन का डिजाइन तैयार करने का काम शुरू कर दिया है।

(ख) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज का यह प्रस्ताव दो भिन्न स्थानों पर, प्रत्येक में प्रतिवर्ष 5 लाख टेलीफोन उपकरण और उनके 7.5 लाख महत्वपूर्ण घटक बनाने की क्षमता स्थापित करने से सम्बन्धित है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 25 करोड़ रुपए है। सहयोग के करार की मंजूरी के एक वर्ष के बाद उत्तपादन शुरू होने की संभावना है।

हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टर्स का उत्पादन

3437. **डा० बसन्त कुमार पंडित**: क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स ने एक इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टर्स का उत्पादन किया है;

(ख) क्या इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टर्स की निर्माण की परियोजना के लिए हालैंड की फिलिप्स, इटली की ओली वेट्टी और फ्रांस की सरगम कम्पनियों के साथ समझौता सरकार के विचारधीन है;

(ग) विश्व बैंक ने इसके लिए कितनी धनराशि मंजूर की है; और

(घ) इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टरों का निर्माण और विपणन कब तक होने की संभावना है और सम्भावित वार्षिक उत्पादन कितना होगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। हालैंड के मैसर्स फिलिप्स, इटली के मैसर्स आलिबेटी और फ्रांस के मैसर्स सैजम से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन हो रहा है।

(ग) इस परियोजना के लिए लगभग 65 लाख अमरीकन डालर सुनिश्चित किए गए हैं।

(घ) परियोजना को अन्तिम रूप से मंजूरी मिल जाने के 7 महीने बाद उत्पादन शुरू होने की संभावना है। इस प्रकार के टेलीप्रिंटरों की वार्षिक मांग अनुमानतः 8 हजार के लगभग होगी। वार्षिक उत्पादन नीचे लिखे अनुसार होने की आशा है :—

वर्ष (परियोजना की मन्जूरी के बाद)	इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटरों की संख्या
दूसरा वर्ष	1000
तीसरा वर्ष	2000
चौथा वर्ष	5000
पांचवा वर्ष	8000

खानों और खान फर्मों में अदा की जाने वाली मजूरी

3438. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खानों और खान फर्मों में काम कर रहे मजदूरों/श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी तक का भुगतान नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन श्रमिकों के लिए कोई नीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) कुल मिलाकर, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों का अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले खनन रोजगारों के कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा है। जहां कहीं निरीक्षणों के दौरान अनियमितताएं पाई जाती हैं, वहां दोषी नियोजकों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाती है। 1981 के दौरान 2310 निरीक्षण किए गए और 652 अभियोजन मामले चलाए गए। 468 मामलों में, नियोजकों को दोषी ठहराया गया और 186 दावा मामलों का निर्णय श्रमिकों के पक्ष में दिया गया।

खानों में सुरक्षा का प्रबन्ध

3439. **श्रीमती किशोरी सिन्हा**
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी } : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में ऐसी अनेक खानों में काम चल रहा है, जहां सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी खानों की संख्या क्या है और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) इन खानों में काम होने देने की की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

"चूल्हों" की कार्य क्षमता बढ़ाने के प्रयास

3440. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पारम्परिक भारतीय "चूल्हों" में सदियों से कोई सुधार नहीं हुआ है और इनसे महिलाओं को प्रतिदिन चिड़चिड़ाहट होने के अतिरिक्त इन चूल्हों में काफी मात्रा में ऊष्मा बेकार चली जाती है;

(ख) क्या चूल्हों की कार्यकुशलता बढ़ाने और महिलाओं को झुंझलाहट, फूंक मारने, धुंए और आंसुओं से बचाने के कोई प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार धुंआ रहित चूल्हों का उत्पादन करने वाले संस्थानों को वित्तीय सहायता देना और हमारे आम रसोई घरों में नई तकनीक के चूल्हों को पहुंचाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मन्त्रालय के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह) : (क) जी, हां। पारम्परिक भारतीय चूल्हों की कार्यकुशलता सामान्य तौर पर 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है। ये चूल्हे इस प्रकार खाना पकाने में चिड़चिड़ाहट का कारण होने के साथ-साथ 90 प्रतिशत से भी अधिक ताप नष्ट कर देते हैं।

(ख) से (घ) देश में हाल के वर्षों में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप लकड़ी से जलने वाले ऐसे चूल्हों का विकास हो पाया है जिनमें लगभग 30 प्रतिशत कार्यकुशलता है और इनमें से धुंआ भी कम निकलता है। सरकार ने, इन प्रयासों को और समर्थन प्रदान करने के लिए और परिष्कृत चूल्हों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। ऐसे चूल्हों का लघु पैमाने पर उत्पादन कुछ राज्यों में शुरू हो गया है। इन चूल्हों का वास्तविक घरेलू परिस्थितियों में परीक्षण किया जाएगा। उपयुक्त प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों का भी प्रस्ताव किया गया है।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

3441. **श्री जयनारायण रौत : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित किए जाने के सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के विचार प्राप्त हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से कहा गया था कि वे इस विषय में उच्च न्यायालयों के विचार प्राप्त करें और उन्हें अपने विचारों के साथ भेजें। अभी तक चार उच्च न्यायालयों, अर्थात् गोहाटी, गुजरात, पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान उच्च न्यायालयों के विचार केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुए हैं। शेष उच्च न्यायालयों और कई राज्य सरकारों के विचार अभी प्राप्त होने हैं। इन विचारों के प्राप्त हो जाने के पश्चात ही कोई निश्चय किया जाएगा।

कालिंग ट्यूब्स लिमिटेड और इण्डियन मेटल्स एण्ड एलायज लिमिटेड के बीच समझौता

3442. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 के अन्तर्गत उड़ीसा उच्च न्यायालय

में मै० कालिंग ट्यूब्स लिमिटेड आफ चौहुआर और मै० इण्डियन मैटल्स एण्ड फैरो एलायज लिमिटेड उड़ीसा के बीच किसी करार अथवा समझौते का प्रस्ताव किया गया था;

(ख) प्रार्थना-पत्र किस तारीख को दिया गया था;

(ग) क्या मै० इण्डियन मेटल्स एण्ड फैरो एलायज लिमिटेड ने मै० कालिंग ट्यूब्स लिमिटेड का ऋणदाता के रूप में प्रार्थना पत्र दिया था अथवा यह किस आधार पर दिया गया था;

(ग) क्या मै० कालिंग ट्यूब्स लिमिटेड की नवीनतम वित्तीय स्थिति और अन्य सभी तथ्य न्यायालय को बता दिए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो मै० कालिंग ट्यूब्स लिमिटेड को न्यायालय की बताई गई वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या है जिससे इण्डियन मेटल्स एण्ड फैरो एलायज लिमिटेड को इसके स्थानान्तरण की आवश्यकता पड़ी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान् जी। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 391-394 के अन्तर्गत उड़ीसा उच्च न्यायालय में उक्त सम्मानित न्यायालय से समझौता या व्यवस्था, जिसमें मैसर्स कालिंग ट्यूब्स लिमिटेड का 1-1-79 से मैसर्स इण्डियन मैटल्स एण्ड फैरो एलायज लिमिटेड के साथ विलयन किया जाना था, की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए लिए 24-8-81 को एक याचिका प्रस्तुत की गई थी।

(ग) मैसर्स इण्डियन मैटल्स एण्ड फैरो एलायज लिमिटेड ने मैसर्स कालिंग ट्यूब्स लिमिटेड की धारक कम्पनी के रूप में उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

(घ) और (ङ) न्यायालय को प्रकट किया गया मैसर्स कलिंग ट्यूब्स लिमिटेड का वित्तीय ब्यौरा निम्न प्रकार था :—

	31-12-78 तक (रु०)	31-12-80 (रु०)
(1) शेयर पूंजी	1,00,00,000	1,00,00,000
(2) सुरक्षित और अधिशेष	11,61,811	12,26,214
(3) ऋण सुरक्षित	5,00,98,107	5,11,97,540
असुरक्षित	1,28,26,793	5,64,79,084
(4) वर्तमान देयताएं	4,80,75,231	1,93,10,740
उपबन्ध	1,73,11,071	1,72,00,000
	13,94,73,013	15,54,13,578

31-12-78 तक 535.00 लाख रु० की संचित हानि उसके 100 लाख रु० की अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी के विरुद्ध दिखलाई गई थी।

यह परिकल्पना की जाती है कि न्यायालय ने उपरोक्त समझौते के लिए अपने अनुमोदन को देने के उद्देश्य के लिए इस ब्यौरे को सामग्री के रूप में समझा था।

गांधी फिल्म में सम्मिलित न की गई घटनाएं

3443. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश भावनाओं का विरोध करने वाली स्वतन्त्रता संग्राम से सम्बन्धित अनेक घटनाओं को जानबूझकर गांधी फिल्म में सम्मिलित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो ज्विच ओलम्पिक में महात्मा गांधी के हस्ताक्षरों से युक्त कांग्रेसी झण्डा फहराने की घटना फिल्म से क्यों निकाल दी गई ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) सर रिचर्ड एटनबोरो द्वारा बनाई गई "गांधी" नामक फिल्म गांधी जी के जीवन और सन्देश का काल्पनिक और नाटकीय रूपान्तर है। यह गांधी जी पर ऐतिहासिक डाकमेंट्री फिल्म नहीं है। फिल्म के स्वरूप को देखते हुए, गांधी जी की यात्रा से सम्बन्धित सभी घटनाओं को फिल्म में शामिल करना व्यवहार्य नहीं है।

कच्चे तेल पर रायल्टी का निर्धारण

3444. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल पर राज्यों को दी जाने वाली रायल्टी की दरें चार वर्ष के लिए निर्धारित की जाती हैं;

(ख) कच्चे तेल पर 42 रुपये प्रति टन की दर से रायल्टी किस तारीख को और कितनी अवधि के लिए निर्धारित की गई थी और किस तारीख से यह रायल्टी बढ़ा कर 61 रुपये प्रति टन की गई; और

(ग) पहली अवधि समाप्त होने के चार या पांच महीने पश्चात् रायल्टी की दरें बढ़ाई गई थीं और यदि हां, तो क्या पहली निर्धारित अवधि समाप्त होने की तारीख से ही बढ़ी हुई दरों पर रायल्टी की अदायगी की जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत किन्हीं चार वर्षों की अवधि के दौरान रायल्टी की दर को एक बार से अधिक बार नहीं बढ़ाया जा सकता।

(ख) दिनांक 8-9-76 से रायल्टी की दर 42 रुपये प्रति मी० टन निर्धारित की गई थी और यह 1-4-1981 तक लागू रही और तभी से इसे 61 रुपये प्रति मी० टन कर दिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

रायल्टी की दर के लिए कोई निर्धारित अवधि नहीं है परन्तु इसको चार वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले बढ़ाया नहीं जा सकता।

राज्यों में बायो-गैस संयंत्र की स्थापना

3445. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने बायो गैस संयन्त्र स्थापित करने में उल्लेखनीय सफलता मिली है;

(ख) अन्य राज्यों को बायो गैस संयन्त्र स्थापित करने के कार्य में तेजी लाने के लिए भेजे गए मार्ग निर्देश, यदि कोई है, तो क्या हैं; और

(ग) उन्होंने बायो-गैस संयन्त्र की स्थापना में क्या प्रगति की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मन्त्रालय के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रे प्रताप नारायण सिंह) : (क) छठी योजना में एक केन्द्रीय स्कीम के रूप में आरम्भ की गई जैव गैस विकास के लिए राष्ट्रीय परियोजना के अधीन 1981-82 के वर्ष के दौरान, जो कि परियोजना का पहला वर्ष था महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा और नागालैंड के राज्यों/संघशासित प्रदेशों में जैव गैस संयन्त्रों की स्थापना की उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य के शत प्रतिशत से भी अधिक थी, जबकि बिहार, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, पांडीचेरी, मेघालय और दादरा और नागर हवेली के 8 राज्यों/संघशासित प्रदेशों में उपलब्धि निर्धारित लक्ष्यों के 60% से 100% के बीच थी, शेष राज्यों/संघशासित प्रदेशों में उपलब्धि 60% से कम रही।

(ख) और (ग) समय-समय पर सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों के जैव-गैस संयन्त्र स्थापित करने की गति को त्वरित करने के लिए कार्य बिन्दुओं को उजागर करने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किए गये हैं। इस मामले में राज्यों से जो रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं उनसे यह पता चलता है कि इसकी प्रगति में तेजी आने की सम्भावना है।

हिमाचल प्रदेश की रायल्टी से आय

3446. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा बांध और अन्य राज्यों को बिजली की सप्लाई से पिछले वर्ष प्राप्त रायल्टी से कितनी आय हुई; और

(ख) 1967 में हिमाचल प्रदेश बनने के समय भारत सरकार ने इन बांधों से प्राप्त रायल्टी में हिमाचल प्रदेश का कितना हिस्सा निर्धारित किया गया था ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) भाखड़ा बांध से उत्पादित विद्युत पर हिमाचल प्रदेश को कोई रायल्टी देय नहीं है।

कोयले की चोरी

3447. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बिकापुर (मध्य प्रदेश) पुलिस स्टेशन पर एक लाख टन से भी अधिक कोयले की चोरी के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या विश्रामपुर कोयला खान के उप-क्षेत्र प्रबन्धक ने स्टाक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था क्योंकि स्टाक में दो करोड़ मूल्य का कोयला कम पाया गया था;

(ग) क्या उप क्षेत्र प्रबन्धक ने इस घोटाले की जांच की मांग की है; और

(घ) क्या बैकुण्ठपुर के महाप्रबन्धक ने इस मांग के कारण उक्त उप क्षेत्र प्रबन्धक का स्थानान्तरण कर दिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) इस विभाग को मध्य प्रदेश के बैकुण्ठपुर क्षेत्र की बिसरामपुर और भटगांव कोलियरियों में कोयले के स्टाक की कमी के सम्बन्ध में शिकायत मिली है।

(ख) से (घ) इस मामले में आरम्भिक जांच कर ली गई है तथा और अधिक विस्तृत जांच करने पर विचार किया जा रहा है।

बांदा, उत्तर प्रदेश में विभागीय डाक-तार कार्यालय

3448. **श्री राम नाथ दूबे** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांदा, उत्तर प्रदेश के लिए लगभग दो वर्ष पहले विभागीय डाक-तार कार्यालय की मंजूरी दी गई थी और उसके लिए बहुत सी गैर-सरकारी इसारतें उपलब्ध हैं;

(ख) इस कार्यालय को खोलने में बिलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां। मौजूदा संयुक्त डाक-तार घर को विभागीय तारघर में बदलने की मंजूरी 18-4-81 को दी गई थी।

(ख) इस तारघर को खोलने में बिलम्ब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके लिए कोई उपयुक्त आवास नहीं मिल पा रहा है।

(ग) उत्तर प्रदेश सर्किल के महाप्रबन्धक उपयुक्त आवास प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रयत्नशील हैं।

जिला सीतापुर में चौरिया भज्जापुर में डाक घरों को खोला जाना

3449. **श्री राम लाल राही** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम सभा चौरिया भज्जापुर, परगना बाई तहसील, सिथौली जिला सीतापुर से वहां पर एक डाकघर खोलने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि इस गांव को तथा निकटस्थ अन्य गांवों को 6 किलोमीटर परिधि के भीतर कोई डाक सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र के लोगों को डाक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये वहां पर कब तक डाक घर खोला जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, चौरिया भज्जापुर के 6 किलोमीटर के घेरे में डाकघर कार्य कर रहे हैं।

(ग) दूरी और वित्तीय घाटे को मद्दे नजर रखते हुए निर्धारित विभागीय मनदंडों के अनुसार चौरिया भज्जापुर ग्राम में डाकघर खोलने का औचित्य नहीं बनता।

केरल के जिलों में दूरदर्शन रिले केन्द्र खोलना

3450. **श्री के० ए० राजन** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "केलट्रोन" ने केरल राज्य सरकार को वर्तमान माइक्रोवेव लाइनों के प्रयोग से राज्य के छः जिलों में दूरदर्शन केन्द्र खोलने की एक योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय को इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (घ) एशियाड, 82 के दौरान दूरदर्शन कार्यक्रमों को रिले करने के लिए मैसर्स कैलट्रान द्वारा स्थापित किये जाने वाले अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर का उपयोग करके त्रिवेन्द्रम में प्रयोगिक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुमति/लाइसेंस दिए जाने के लिए केरल सरकार के माध्यम से प्रधानाचार्य, कालेज आफ इंजीनियरिंग, त्रिवेन्द्रम से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है। तथापि, सरकार एशियाई खेलों के दूरदर्शन कवरेज के लिए त्रिवेन्द्रम में अल्प शक्ति वाली दूरदर्शन संग्रहण-व-रिले पद्धति स्थापित कर रही है।

फिल्म वित्त निगम द्वारा मलयालम फिल्मों को वित्त प्रदान किया जाना

3451. **श्री के० कन्हम्बु** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 के दौरान फिल्म वित्त निगम द्वारा कितनी मलयालम फिल्मों को वित्त प्रदान किया गया; और

(ख) क्या सरकार ने ऐसे उद्देश्यों के लिए मंजूर किए गए ऋण की वापसी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (जिसके साथ फिल्म वित्त निगम को मिला दिया गया है) द्वारा किसी भी मलयालम फिल्म को वित्त प्रदान नहीं किया गया था।

(ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम तीन मलयालम फिल्मों के लिए पिछले वर्षों के दौरान प्रदान किए गए ऋणों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है।

ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में थियेटरों का निर्माण

3452. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में थियेटरों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से सहायता पाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने अनुरोध किया है ;

(ख) इस मामले में अभी तक कितने राज्यों को सहायता मंजूर की गई है; और

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की सहायता से अब तक, राज्य-वार कितने थियेटर बनाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की सिनेमाघर वित्त पोषण योजना में वैयक्तिक उद्यमियों को ऋण प्रदान करने की व्यवस्था है न कि राज्य सरकारों को। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिरोजम और पांडेचेरी की पार्टियों से आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) ग्यारह राज्यों, और संघ शासित क्षेत्रों के पैंतालिस आवेदन पत्रों को सिनेमाघरों के निर्माण के लिए ऋण मंजूर किये गये हैं।

(ग) अब तक सात सिनेमाघर आन्ध्र प्रदेश (2), उत्तर प्रदेश (1), मध्य प्रदेश (1), तमिलनाडु (2) और कर्नाटक (1) में मुकम्मल हो चुके हैं।

फिल्म उद्योग में वित्तीय संकट

3453. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन**
श्री के० मालन्ना
श्री गुफरान आजम } : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हाल ही में समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि भारतीय फिल्म उद्योग जबरदस्त वित्तीय संकट की चपेट में है और प्रमुख निर्माता भी अपनी परियोजनाएं पूरी करने के लिए धनराशि जुटाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार फिल्म निर्माताओं की, उन्हें वित्तीय समस्या पर काबू पाने में सक्षम बनाने के लिए, कोई वित्तीय सहायता करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जहां तक सरकार को जानकारी है, वित्तीय संकट मुख्यतया हिन्दी फिल्म उद्योग के कतिपय भागों में महसूस किया जा रहा है जो मुख्यतया भारी लागत वाली कई फिल्मों के

असफल होने तथा उनके निर्माण कार्यक्रम में रुकावट आने के कारण है। मुख्य रूप से यह फिल्म उद्योग का काम है कि वह फिल्म के निर्माण और प्रदर्शन के व्यवसाय में बेहतर वित्तीय प्रबन्ध करे। सेंसरशिप, जो केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र के अन्दर आती है, को छोड़कर, फिल्मों का निर्माण, वितरण और प्रदर्शन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अन्दर आता है। तथापि, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम सिनेमाघरों के निर्माण के लिए तथा कम लागत वाली अच्छी फिल्मों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करके फिल्म उद्योग की, सीमित तरीके से, सहायता करने का प्रयास कर रहा है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से यह अनुशंसा भी की है कि वे सिनेमाघर लाइसेंस सम्बन्धी नियमों को उदार बनाएं तथा फिल्मों के लिए प्रदर्शन सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से सिनेमाघरों के लिए प्रोत्साहनों की व्यवस्था करें।

मैसर्स फाइजर की परिसम्पत्तियां

3454. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मैसर्स फाइजर की परिसंपत्तियां क्या हैं;

(ख) इसकी प्रारम्भिक पूंजी का ब्यौरा क्या है और मैसर्स फाइजर ने विदेशी मुद्रा के रूप में कितना पूंजी निवेश किया है तथा समबद्ध तिथियां क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि मैसर्स, फाइजर देश में उनके द्वारा विपणन किये जाने वाले फार्मूलेशनों पर 15 प्रतिशत से अधिक लाभ आर्जित कर रहा है और यह नई औषध नीति 1978 के अन्तर्गत घोषित मानदण्ड के अन्तर्गत नहीं आते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) दि० 30 नवम्बर, 1981 को भारत में मै० फाइजर की परिसम्पत्तियां निम्न प्रकार थीं :—

(i) सकल अचल परिसम्पत्तियां	1282.67 (लाख रु०)
(ii) शुद्ध अचल परिसम्पत्तियां	549.52

(ख) इस कम्पनी की मूल साम्य पूंजी 2 लाख रुपये थी। हाथी समिति की रिपोर्ट में उपलब्ध सूचना के अनुसार विदेशी अंशधारियों द्वारा धारित कम्पनी की पूंजी निम्न प्रकार थी :—

(i) नकद के लिए जारी	—	20 लाख रु०
(ii) बोनस शेयर द्वारा जारी	—	220 लाख रु०

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों अर्थात 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के

दौरान मैं० फाइजर द्वारा कमाये गये लाभों (कर पश्चात्) के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

1978-79	—	263.70 लाख रु०
1979-80	—	270.72 ,,
1980-81	—	241.38 ,,

फार्मूलेशन कार्यकलापों पर लाभों के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश के जिलों में आकाशवाणी के संवाददाताओं की नियुक्ति

3455. **श्री जैनुल बशर :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन जिलों के नाम क्या हैं जिनमें आकाशवाणी के संवाददाताओं की नियुक्ति की गई है;

(ख) उन जिलों के नाम क्या हैं जहां पर चालू वर्ष में संवाददाता नियुक्ति किये जाने हैं; और

(ग) आकाशवाणी के संवाददाता सभी जिलों में कब तक नियुक्त किये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) उत्तर प्रदेश के जिन स्थानों पर आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाता कार्य कर रहे हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं :—

1. नैनीताल
2. फरुखाबाद
3. झांसी
4. देहरादून
5. बरेली
6. नजीबाबाद
7. फैजाबाद
8. मेरठ
9. प्रतापगढ़
10. सहारनपुर
11. टेहरी गढ़वाल
12. मथुरा
13. हरदोई
14. बांदा
15. अल्मोड़ा

16. राय बरेली

17. सुलतानपुर

इसके अलावा, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद तथा वाराणसी में आकाशवाणी के नियमित पूर्णकालिक संवाददाता हैं।

(ख) और (ग) इसके बारे में निर्णय आकाशवाणी की सामाचार यूनिटों की आवश्यकताओं तथा इस बात के सन्दर्भ में लिया जाना है कि आकाशवाणी की आवश्यकताओं की पूर्ति इसके नियमित पूर्ण कालिक संवाददाताओं द्वारा बेहतर रूप से की जाए।

"ओपेक" द्वारा तेल के मूल्य में वृद्धि करने की शिफारिशें

3456. **श्री बापू साहिब परुलेकर**
श्रीमती प्रमिला दंडवते } : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल के मूल्य को बढ़ाकर 2.30 डालर प्रति बैरल तक करने के सम्बन्ध में "ओपेक" के विशेषज्ञों द्वारा हाल में ही गई सिफारिशों की ओर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो पर्याप्त मात्रा में तेल की प्राप्ति के लिए सरकार ने क्या उपाय किये है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) समाचार-पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों से यह पता चलता है कि ओपेक विशेषज्ञों की अधिकांश विशेष समितियों ने साऊदी अरेबियन मार्कर अशोधित तेल जिसका अधिकृत मूल्य अपरिवर्तनशील रहा है के सन्दर्भ में कुछ ओपेक अशोधित तेलों के अन्तरालों में वृद्धि के लिए सिफारिश की है।

(ख) वर्ष 1982 की अशोधित तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने पहले से ही पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली हैं।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा मथुरा तथा कोयाली रिफाइनरियों को दोषपूर्ण बायलरों की आपूर्ति

3457. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० द्वारा मथुरा तथा कोयाली रिफाइनरियों को सप्लाई किये बायलर दोषपूर्ण पाये गये हैं जिससे इन रिफाइनरियों में शोधन सुविधाओं का पूर्ण प्रयोग अवरुद्ध हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा इन यूनिटों के लिए सप्लाई किये गये और प्रतिष्ठापित कां-बायलर्स के डक्टिंग प्रणाली में उठने वाली तकनीकी समस्याओं के कारण मथुरा और कोयाली शोधनशालाओं में फ्लूइड केटेलिटिक क्रेकिंग यूनिटों के चालू करने में विलम्ब हुआ। इनको प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जा रहा है।

जबकि इसने कोयाली के स्थान पर क्रूड उत्पादन पर प्रभाव नहीं डाला है, इसने मथुरा शोधनशाला, जिसको आंशिक रूप से जनवरी, 1982 में चालू किया गया था, को 6 मि०मी० टन प्रतिवर्ष की निर्धारित क्षमता की तुलना में 4 से 4.5 मि०मी० टन प्रतिवर्ष के निम्न क्रूड उत्पादन पर संचालन करने दिया।

शिमला (हिमाचल प्रदेश) में एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करना

3458. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के शिमला और किन्नोर जिलों से जनता से कुछ अभ्यावेदन मिले हैं जिन में उनके लोक संगीत, नृत्यों, परम्पराओं और जीवन पद्धतियों को राष्ट्रीय दूरदर्शन कार्यक्रम से प्रसारित करने और शिमला में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने तथा देश के इस पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्र के प्रत्येक बड़े गांव अथवा पंचायत परिमंडल में नि:शुल्क सामुदायिक टेली-विजन सेट देने की मांगें हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर कार्यवाही की गई है और प्रत्येक बड़े गांव अथवा पंचायत परिमंडल में समुदायिक टेलीविजन सेट कब तक दिये जायेंगे और शिमला में दूरदर्शन केन्द्र कब तक स्थापित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) और (ख) स्थानीय कार्यक्रम टेलीकास्ट तथा विभिन्न क्षेत्रों में दूरदर्शन सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। दूरदर्शन केन्द्र, जालंधर द्वारा हिमाचल प्रदेश की विभिन्न घटनाओं पर आधारित कुछ कार्यक्रम टेलीकास्ट किये गये हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्शकों को एशियाई खेलों का कवरेज उपलब्ध करने के लिए शिमला में अल्प शक्ति वाला एक दूरदर्शन संग्रहण-व-रिले ट्रांसमीटर स्थापित किया जा रहा है।

गांवों में सामुदयिक अवलोकन सैटों का प्रावधान करना, आदि मुख्यत: राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

दिल्ली में खराब टेलीफोन की शिकायतें

3459. **श्री सूरज भान :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में वर्ष 1982, 1981 और 1980 के अगस्त महीने में टेलीफोन खराब रहने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : काम न करने वाले टेलीफोनों से सम्बन्धित शिकायतों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। वर्ष 1982, 1981 एवं 1980 के अगस्त माह के दौरान प्राप्त शिकायतों की क्रमश: 209567, 204328 एवं 188095 है। काम न करने वाले टेलीफोनों सहित इसमें सभी प्रकार की शिकायतें शामिल हैं।

छठी योजना अवधि की समाप्ति पर बिजली की आवश्यकता और उपलब्धता तथा उसके लिए आवंटित निधि

3460. **श्री अजित बाग :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों को अपनी आवश्यकता के अनुसार और अधिक बिजली की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार ने उनकी आवश्यकतानुसार निधि स्वीकृत की है;

(ग) छठी योजना के दौरान प्रत्येक राज्य को राज्य-वार कितनी राशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) छठी योजना अवधि के अन्त तक प्रत्येक राज्य में बिजली की कितनी आवश्यकता और कितनी उपलब्ध होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विद्युत की स्थिति इस वर्ष पिछले वर्ष से बेहतर है। तथापि, मौसम के बाद के भाग में वर्षा न होने के कारण कृषि सम्बन्धी मांग बढ़ गई है तथा ताप विद्युत यूनिटों की अचानक बन्दियों के कारण भी कुछ राज्य विद्युत की कमी का सामना कर रहे थे। ये राज्य हैं; उत्तरी क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर, पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, दक्षिणी क्षेत्र में तमिलनाडु, पूर्वी क्षेत्र में बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा।

(ख) वर्ष 1982-83 के लिए अपनी वार्षिक योजनाओं के सम्बन्ध में विद्युत परियोजना के लिए परिव्ययों के बारे में राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श किया गया था तथा कार्यनिष्पादन और वर्ष के दौरान व्यवहार्य कार्यक्रम के आधार पर विभिन्न स्कीमों के लिए वित्तीय प्रावधानों की व्यवस्था कर दी गई है।

(ग) ब्यौरे विवरण-एक में दिए गए हैं।

(घ) ब्यौरे विवरण-दो में दिए गए हैं।

विवरण—एक

छठी पंचवर्षीय योजना में विद्युत क्षेत्र के लिए राज्यवार अनुमोदित परिव्यय

क्रम संख्या	राज्य का नाम	छठी योजना में विद्युत क्षेत्र के लिए परिव्यय (करोड़ रुपयों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	789.70
2.	असम	370.30
3.	बिहार	800.00
4.	गुजरात	945.00

(जारी...)

1	2	3
5.	हरियाणा	545.00
6.	हिमाचल प्रदेश	139.73
7.	जम्मू व कश्मीर	170.00
8.	कर्नाटक	601.40
9.	केरल	312.73
10.	मध्य प्रदेश	1500.00
11.	महाराष्ट्र	2157.00
12.	मणिपुर	18.65
13.	मेघालय	45.00
14.	नागालैण्ड	15·25
15.	उड़ीसा	410·00
16.	पंजाब	732.94
17.	राजस्थान	675·00
18.	सिक्किम	12·00
19.	तमिलनाडु	1022·80
20.	त्रिपुरा	22·11
21.	उत्तर प्रदेश	2153·00
22.	प० बंगाल	886·55
	जोड़	14324·16

विवरण—दो

11वें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार छठी योजना के अन्त में (1984-85) विद्युत की आवश्यकता और उपलब्धता का राज्यवार निर्धारण

क्रमसंख्या	राज्य	ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	
		आवश्यकता	उपलब्धता
1	2	3	4
1.	हरियाणा	6343	5496
2.	हिमाचल प्रदेश	823	1151
3.	जम्मू और कश्मीर	1728	1098

(जारी···)

1 2	3	4
4. पंजाब	10315	9547
5. राजस्थान	8590	6662
6. उत्तर प्रदेश	22638	20296
7. गुजरात	14696	14073
8. मध्य प्रदेश	12227	11340
9. महाराष्ट्र	26923	26042
10. आन्ध्र प्रदेश	11557	13120
11. कर्नाटक	13262	9798
12. केरल	5539	5583
13. तमिलनाडु	15150	12018
14. बिहार	5489	4988
15. पश्चिम बंगाल	8561	10067
16. उड़ीसा	5818	5509
17. सिक्किम	35	101
18. असम	1478	1583
19. मणिपुर	78	208
20. मेघालय	169	317
21. नागालैण्ड	63	56
22. त्रिपुरा	103	130

ई० एस० आई० अस्पताल

3461. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1982-83 में कुछ ई० एस० आई० अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उपरोक्त वित्तीय वर्ष में ऐसे ई० एस० आई० अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) इन ई० एस० आई० अस्पतालों को खोलने के लिए किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(घ) इनको खोलने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि 16 अस्पताल निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और इनमें से निम्नलिखित सात अस्पतालों के 1982-83 के दौरान पूरा होने और काम शुरू करने की सम्भावना है :—

क्रमांक	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का नाम	पलंगों की संख्या
1	2	3
1.	राजामुन्दरी (आन्ध्र प्रदेश)	50
2.	गोहाटी (असम)	50
3.	सूरत (गुजरात)	150
4.	इन्दिरानगर, बंगलौर (कर्नाटक)	300
5.	शोलापुर (महाराष्ट्र)	120
6.	कोटा (राजस्थान)	50
7.	सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)	50

2. निर्माणाधीन अन्य नौ कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का उल्लेख नीचे किया गया है और उनके निर्माण के बारे में वर्तमान स्थिति भी प्रत्येक के सामने दी गई है :

क्रमांक	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का नाम	पलंगों की सं०	पूरे किए गए कार्य की प्रतिशतता
1	2	3	4
1.	रांची (बिहार)	50	20 प्रतिशत
2.	झिलमिल, शाहदरा (दिल्ली)	200	निर्माण शीघ्र शुरू होने की सम्भावना है।
3.	हुबली (कर्नाटक)	50	निर्माण की प्रगति की प्रतीक्षा की जा रही है।
4.	दावनगीरी (कर्नाटक)	50	निर्माण कार्य की प्रगति की प्रतीक्षा की जा रही है।
5.	फीरोक (केरल)	100	40 प्रतिशत
6.	थोटाडा (केरल)	50	20 प्रतिशत

(जारी···)

1	2	3	4
7.	नासिक (महाराष्ट्र)	100	निर्माण कार्य की प्रगति की प्रतीक्षा की जा रही है।
8.	नोएडा (उत्तर प्रदेश)	50	10 प्रतिशत
9.	बरेली (उत्तर प्रदेश)	50	विनिर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने की आशा ने है।

तूतीकोरिन में ताप बिजली परियोजना का दूसरा चरण चालू करना

3462. **श्री एम० कंडास्वामी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु सरकार से तूतीकोरिन, मैट्टूर, उत्तर मद्रास में ताप बिजली परियोजना का दूसरा चरण शुरू करने हेतु प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्रस्ताव पर विचार कर रही है और उसके लिए आवश्यक सामग्री की सप्लाई करने की सोच रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) 210 मेगावाट की एक यूनिट के तूतीकोरिन ताप विद्युत केन्द्र का दूसरा चरण पहले ही 16-4-1982 को समकालित कर दिया गया है। मैत्तूर-ताप विद्युत केन्द्र विस्तार (2×210 मेगावाट) के लिये स्कीक का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया गया है तथा इस पर निवेश सम्बन्धी निर्णय की प्रतीक्षा है। तमिलनाडु सरकार से (1) 210 मेगावाट की 5 यूनिटों का (संशोधित प्रस्ताव मूल, प्रस्ताव (3×210 मेगावाट का था) उत्तर मद्रास ताप विद्युत केन्द्र (2) तूतीकोरिन ताप विद्युत केन्द्र विस्तार चरण-तीन (1×210 मेगावाट+1×500 मेगावाट) के लिए परियोजना रिपोर्ट तमिलनाडु सरकार से प्राप्त हो गई है। इससे पूर्व कि परियोजना प्रस्ताव का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया जाए, कोयला लिंकेज, परिवहन व्यवस्था, पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति, जल की उपलब्धता इत्यादि आवश्यक निवेशों को सुनिश्चित किया जाना है ।

त्यौहारों के दिनों में धार्मिक फिल्मों का प्रदर्शन

3463. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात के क्या कारण हैं, कि दूरदर्शन हिन्दुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों के धार्मिक पर्वों पर लोगों को धार्मिक पर्व की महत्ता के बारे में अवगत कराने के लिए इन अवसरों पर पूरी फीचर फिल्में नहीं दिखाते हैं; और

(ख) भविष्य में त्यौहारों के दिनों में ऐसी फिल्मों का प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) दूरदर्शन टेलीकास्ट करने के लिए फीचर फिल्मों को उन फिल्मों में से चुनता है जो सम्बन्धित निर्माताओं/वितरकों द्वारा उपलब्ध की जाती हैं। महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहारों पर दूरदर्शन इस प्रकार के अवसरों के अनुरूप विषयों पर उपयुक्त कार्यक्रम प्रस्तुत करता है।

पलाना लिगनाइट ताप संयन्त्र

3464. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलाना लिगनाइट ताप संयन्त्र के लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है;

(ख) क्या पलना लिगनाइट आधारित संयन्त्र के लिए तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ग) पलाना से कितने मेगावाट बिजली मिलने की आशा है;

(घ) पलाना संयन्त्र में प्रयोग होने वाले लिगनाइट की गुणात्मक क्षमता क्या है;

(ङ) पलाना में लिगनाइट का कितना भण्डार है तथा संयन्त्र कितनी अवधि तक चल सकता है;

(च) क्या राजस्थान में मेरटा के समीप भी लिगनाइट के भण्डार पाए गए हैं; और

(छ) क्या मेरटा में किसी ताप संयन्त्र की स्थापना करने का विचार किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि पलाना लिगनाइट ताप विद्युत संयन्त्र के लिए भूमि-अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(ख) से (ङ) बीकानेर जिले में पलाना में लिगनाइट पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र की प्रतिष्ठापना की स्कीम, जिसमें 60-60 मेगावाट के दो यूनिट हैं, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 67-38 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर 27-5-1980 को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दी थी। पलाना ताप विद्युत केन्द्र को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान करते समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पलाना विद्युत परियोजना और पलाना खान परियोजना को साथ-साथ स्वीकृति देने की सिफारिश की थी ताकि अपेक्षित समय अवधि में लिग्नाइट की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। राजस्थान राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि इस स्कीम पर छठी पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा के दौरान विचार किया जाना चाहिए और इनके लिए निधियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। लाना लिग्नाइट की ओपन कास्ट माईनिंग पर सी० एम० पी० डी० आई० द्वारा तैयार की गई व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित विद्युत केन्द्र द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले लिग्नाइट के गुणवत्ता पैरामीटर नीचे दिए गए हैं :—

(1) औसत कैलोरीफिक मूल्य 3700 के० सी० ए० एल०/किलोग्राम

(2) राख=4 से 6 प्रतिशत

(3) स्थायी कार्बन=21 प्रतिशत से 25 प्रतिशत

(4) आद्रता = 35% से 50 प्रतिशत

(5) व्यर्थ पदार्थ = 28 प्रतिशत से 32 प्रतिशत

(6) सल्फर की मात्रा = 1·7 से 4 प्रतिशत

उपर्युक्त व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार पलाना में खुदाई किए जा सकने वाले भण्डार लगभग 12 मिलियम टन हैं जो प्रस्तावित विद्युत केन्द्र को लगभग 25 वर्ष की अवधि तक चलाने के लिए पर्याप्त होंगे।

(च) और (छ) प्रारम्भिक अन्वेषणों से राजस्थान के नागौर जिले में मेरता रोड क्षेत्र में लिग्नाइट के भण्डार होने का पता चला है। आत्मनिर्भर आधार पर विद्युत उत्पादन करने के लिए लिग्नाइट भण्डारों का होना सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत अन्वेषण करने की आवश्यकता है।

कम्पनियों का परिसमापन

3465. **श्री आर० प्रभु**: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितनी कम्पनियाँ परिसमापन की स्थिति में हैं तथा उनका राज्य-वार विवरण क्या है;

(ख) ऐसी कम्पनियों की राज्य-वार संख्या क्या है, जो क्रमश: गत पांच वर्षों से और 10 वर्षों से अधिक समय से परिसमापन की स्थिति में हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार क्या विशिष्ट उपाय करने का है कि उन कम्पनियों को शीघ्र बन्द कर दिया जाये, जिनके परिसमापन सम्बन्धी कार्रवाई काफी लम्बे समय से लम्बित है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तथा (ख) राज्य-अनुसार उन कम्पनियों की संख्या, जो परिसमापन में हैं, तथा उन कम्पनियों की संख्या जो 5 वर्षों से अधिक तथा 10 वर्षों से अधिक समय से परिसमापन में हैं, प्रदर्शित करते हुये एक **विवरण संलग्न है।**

(ग) न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत परिसमापन के मामलों में, समापन कार्यवाहियां शासकीय समापकों द्वारा सम्पन्न की जाती हैं, जो यद्यपि केन्द्रीय-सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, परन्तु न्यायालय के नियन्त्रण एवं विनिर्देशों के अन्तर्गत कार्य करते हैं। तथापि, एच्छिक परिसमापनों के मामले में, कार्यवाहियाँ, हिस्सेधारियों तथा/अथवा जमाकर्ताओं, जैसा भी विषय हो, द्वारा नियुक्त एच्छिक परिसमापकों द्वारा सम्पन्न की जाती हैं। चूंकि परिसमापन कार्यवाहियों के मध्य, बहुत से मामलों में, परिसमापित कम्पनियों के ऋणियों, जमाकर्ताओं तथा निदेशकों द्वारा अथवा के साथ, वाद-करण चलते हैं, तथा परिसमापन स्थापनाओं में कुछ सामान्य अरुचिकर विषय भी होते हैं, जो बेकारी तथा आर्थिक कठिनाईयों के परिणामी होते हैं, अत: इन कार्यवाहियों में शासकीय समापकों के इन्हें शीघ्रतापूर्वक पूर्ण करने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, समय लग जाता है।

विवरण

राज्य-अनुसार उन कम्पनियों, जो परिसमापन में हैं, की संख्या, तथा उन कम्पनियों, जो पांच वर्षों से अधिक तथा दस वर्षों से अधिक समय से परिसमापन में हैं, की संख्या प्रदर्शित करते हुए

विवरण-पत्र

राज्य का नाम	उन कम्पनियों की कुल संख्या, जो परि-समापन में हैं	उन कम्पनियों की संख्या, जो पांच वर्षों से अधिक समय से परिसमापन में हैं	उन कम्पनियों की संख्या, जो दस वर्षों से अधिक समय से परि-समापन में हैं
1	2	3	4
तमिलनाडु	509	123	261
आंध्र प्रदेश	96	19	66
कर्नाटक	232	48	69
केरल	279	122	49
पाण्डीचेरी	11	1	6
पश्चिमी बंगाल	964	171	655
बिहार	38	7	28
उड़ीसा	42	26	11
आसाम	15	4	8
महाराष्ट्र	691	186	339
गुजरात	128	33	53
मध्य प्रदेश	41	8	17
गोआ	—	—	—
दिल्ली और हरियाणा	335	148	80
उत्तर प्रदेश	134	23	94
पंजाब और हिमाचल	86	9	50
राजस्थान	81	7	62
जम्मू और कश्मीर	9	3	—
योग	3691	938	1848

उड़ीसा में इब घाटी में तापीय विद्युत केन्द्र

3466. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में इब घटी में तापीय विद्युत केन्द्र स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किये जाने की आशा है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव क्रियान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) इब घाटी पावर ग्रेड कोयले के समुपयोजन के लिये उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में बेनहारपाली में 4 × 210 मेगावाट का एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिये उड़ीसा सरकार से परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। परियोजना रिपोर्ट में, 210 मेगावाट के पहले यूनिट को अप्रैल, 1989 तक चालू किये जाने की तथा बाकी की प्रत्येक यूनिट को 6 महीने के अन्तराल से चालू करने की परिकल्पना की गई है। परियोजना प्रस्ताव का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन करने से पूर्व आवश्यक निवेशों जैसे कोयला लिंकेज, पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति जल उपलब्धता, अवसंरचनात्मक सुविधाओं आदि की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाना अपेषित है ।

राजधानी में बिजली की स्थिति को सुधारने के उपाय

3467. **श्री भीकू राम जैन** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में बिजली की स्थिति सुधारने के लिए सरकार के विचाराधीन उपाय क्या हैं; और

(ख) राजधानी में बिजली की समस्या के समाधान के लिए सरकार के लिए विचाराधीन क्या अल्पविधि और दीर्घावधि उपाय हैं ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राजधानी में विद्युत की स्थिति कुछेक पारेषण बाधाओं को छोड़कर काफी अच्छी है। विदेशी विशेषज्ञ इन पहलुओं की जांच कर रहे हैं। राजघाट विद्युत केन्द्र के पुराने यूनिटों के स्थान पर 2 × 67·5 मेगावाट के सेटों की प्रतिष्ठापना के लिए डेसू के प्रस्तावों पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने आर्थिक-तकनीकी स्वीकृत दे दी है । यथापि योजना आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा है ।

दिल्ली को निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र की ताप विद्युत परियोजनाओं से भी अपना हिस्सा प्राप्त होगा :—

(1) सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र (5 × 200 + 2 × 500 मेगावाट) । सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र में 210 मेगावाट क्षमता का एक यूनिट पहले ही चालू कर दिया गया है ।

(2) रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र (2 × 500 मेगावाट) पहले यूनिट को 1987-88 में चालू किए जाने की संभावना है ।

दिल्ली तथा पड़ौसी राज्यों की विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली के समीप केन्द्रीय क्षेत्र में एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।

विदेशों में कर्मचारी भेजने के लिए व्यक्तियों/संगठनों को लाइसेंस

3468. **श्री राम अवध** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से विदेशों को कर्मचारी क्षेत्र के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों या संगठनों को लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में कितने भारतीय रोजगार के लिए विदेशों में (देश-वार) गए और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) कोई नहीं। भारत के उच्चतम न्यायालय में दिनांक 20 मार्च, 1979 के आदेशों का अनुसरण करते हुए भरती एजेंसियों को पंजीकरण की मंजूरी देने की प्रणाली समाप्त कर दी गई है।

(ख) एक विवरण संलगन है जिसमें गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों में उत्प्रवास हेतु पंजीकृत किए गए भारतीय श्रमिकों की संख्या दर्शाई गई है।

विवरण

विभिन्न देशों में उत्प्रवास हेतु पंजीकृत भारतीय श्रमिक

	1979	1980	1981 (अ)
1. साउदी अरब	67853	87919	86384
2. यूनाइटिड अरब ऐमिरेट्स	37072	56060	40570
3. ओमन की सल्तनत	17949	29186	37258
4. इराक	11443	19247	44158
5. कातार	7972	8675	19319
6. बहराइन	8484	9578	13799
7. लिबिया	7650	11163	19319
8. कुवैत	5598	6370	5796
9. जोर्डन	408	2658	3036
10. येमन की पीपल्स डैमोक्रैटिक रिपब्लिक	1	185	1380
11. येमन अरब गणराज्य	3033	1688	1104
12. अन्य	4308	3659	3864
जोड़	171771	236188	275987

(अ) = अन्तिम

बंगाल केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड द्वारा उत्पादन

3469. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) बंगाल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लिमिटेड का अधिग्रहण से पूर्व कितना-कितना था; और

(ख) इस समय इन एककों का उत्पादन कितना-कितना है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० (वी० सी० पी० एल०) स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि० (एस० एस० पी० एल०) और बंगाल एम्यूनिटी कम्पनी लि० (वी० आई० सी०) के अधिग्रहण से पूर्व तथा वर्तमान उत्पादन के ब्यौरे दिये गये हैं :—

(लाख रु० में)

स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि०
(4-5-1972 को अधिग्रहण में लिया गया)

1972-73	185.00
1981-82	741.40

बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०
(15-12-1977 को अधिग्रहण में लिया गया)

1977-78	424.27
1981-82	1226.6)

इम्यूनिटी कम्पनी लि०
(18-5-1978 को अधिग्रहण में लिया गया)

1977-78	260.00
1981-82	765.00

दण्डकारण्य एम्पलाईज एसोएिशन की ओर से अभ्यावेदन

3470. **श्रीमती सुशीला गोपालन**
श्री भोगेन्द्र झा } : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दण्डकारण्य एम्पलाईज एसोसिएशन की ओर से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें परियोजना समाप्त हो जाने की स्थिति में दण्डकारण्य परियोजना के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों और श्रमिकों की वितरण की विस्तृत योजना का उल्लेख है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि सरकार योजना से सहमत नहीं है, तो सरकार का बैकल्पिक प्रस्ताव क्या है तथा सरकार परियोजना को कब समाप्त करेगी ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां

(ख) एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि दण्डकारण्य परियोजना में फालतू होने वाले संभावित स्टाफ की भारत सरकार के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में सदृश अथवा समान पदों पर सीधी नियुक्ति होनी चाहिए, साथ ही वरीयता सहित विगत सेवा के सभी अनुषंगिक लाभ दिये जाएं औरजब तक परियोजना में अवशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सेवाओं की आवश्यकता हो, उन्हें परियोजना में प्रतिनियुक्ति के रूप में माना जाना चाहिए।

(ग) कार्मिक विभाग के परामर्श से योजना की जांच की गई है और उसे स्वीकार्य नहीं पाया गया है।

(घ) फालतू स्टाफ को पुनः खपाने के लिये पहले ही एक योजना चालू है और पांच वर्ष से अधिक सेवा वाले फालतू किये गये सभी कर्मचारियों को कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन कार्य कर रहे केन्द्रीय (फालतू स्टाफ) सैल (समूह क, ख, ग स्टाफ) और रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय (समूह घ स्टाफ) में 6 महीने की अवधि के लिए स्थानान्तरित कर दिया जाता है और इस अवधि के बीच उनके लिए वैकल्पिक रोजगार खोजने के प्रयास किये जाते हैं। इस योजना में कोई परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। जैसे ही भार सौंपने और ग्रहण करने सम्बन्धी व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाएंगी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की राज्य सरकारों को परिसम्पत्तियों और संस्थानों का हस्तान्तरण कर दिया जाएगा। जो कर्मचारी राज्य सरकारों की सेवाओं में जाने के इच्छुक होंगे उन्हें भी परिसम्पत्तियों सहित स्थानान्तरित कर दिया जाएगा। वे जो राज्य सरकारों के लिए अपना विकल्प नहीं देंगे और जिनकी सेवाओं की परियोजना में और आवश्यकया नहीं होगी उन्हें केन्द्रीय (फालतू स्टाफ) सैलों में अन्तरित कर दिया जाएगा।

मैसर्स फीजर द्वारा प्रोटीनेक्स का उत्पादन

3471. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रोटीनेक्स के अवैध उत्पादन के बारे में पिछली सरकार (1977-79) ने क्या निर्णय किये थे;

(ख) बिना लाइसेंस के इसका अर्थात प्रोटीनमा का उत्पादन मैसर्स फिजर को किस प्रकार करने की अनुमति किस प्रकार दी गई; और

(ग) सरकार इस अवैध वस्तु के उत्पादन को रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहती है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क), (ख) और (घ) मै० फाइजर जिनके पास प्रोटीन हाइड्रोलीसेट के निर्माण के लिए लाइसेंस है, "प्रोटीनैक्स" का निर्माण, प्रोटीन हाइड्रोलीसेट में कार्बोहाड्रेट, मिनरल्स और विटामिन का मिश्रण करके कर रहे थे। अप्रैल, 1977 में उनको एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। मै० फाइजर ने कारण बताओ नोटिस का

विरोध किया। मामले की जांच की गई थी और कम्पनी के उत्तर पर विचार किया गया था। इसके आधार पर विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय ने अभियोजन और उत्पादन बन्द करने के विरुद्ध सलाह दी और इसे स्वीकार किया गया था और इसलिये आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

(ग) औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1979 के अन्तर्गत प्रोटीनैक्स के लिए मूल्य निर्धारित करने हेतु मै० फाइजर ने एक आवेदन दिया है। प्रस्ताव विचाराधीन है।

बीड़ी श्रमिकों की संख्या

3472. **श्री ओस्कार फर्नाडीस :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में बीड़ी श्रमिकों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

विभिन्न राज्यों में बीड़ी श्रमिकों (घर खाता सहित) की अनुमानित संख्या सम्बन्धी विवरण

	(लाखों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	2.50
2. बिहार	3.50
3. गुजरात	0.12
4. कर्नाटक	3.00
5. केरल	1.50
6. मध्य प्रदेश	5.00
7. महाराष्ट्र	2.50
8. उड़ीसा	1.60
9. राजस्थान	0.22
10. तमिल नाडु	2.00
11. उत्तर प्रदेश	4.50
12. पश्चिम बंगाल	4.50

सिंगरौली से बिजली की सप्लाई

3473. **श्री रशीद मसूद**
श्री राजेश कुमार } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप बिजली निगम (एन० टी० पी० सी०) सिंगरौली से बिजली की सप्लाई करने के सम्बन्ध में लाभान्वित होने वाले राज्यों के साथ हुए वाणिज्यिक समझौतों

को कार्यान्वित नहीं कर सका है और कि विश्व बैंक, जिसने सिंगरौली परियोजना के एक बड़े भाग हेतु वित्तशोषण किया है, इस प्रकार के एक समझौते के लिए सरकार पर दवाव डालती रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सिंगरौली और बदरपुर ताप बिजली घरों से सप्लाई की नई बिजली के लिये लाभ प्राप्तकर्त्ता राज्यों से करोड़ों रुपये की बकाया धनराशि एन० टी० पी० सी० को देय है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, साथ ही लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों के साथ हुए वाणिज्यिक समझौते को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं और एन० टी० पी० सी० द्वारा सप्लाई की गई बिजली के लिए बढ़ी हुई बकाया धनराशि का निपटान न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इम मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना को वित्त-पोषित करने के लिये विश्व बैंक के साथ तय की गई शर्तों के अनुसार, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को लाभ प्राप्त करने वाले राज्य बिजली बोर्डों के साथ, जिन्हें परियोजना से विद्युत सप्लाई की जाएगी, वाणिज्यिक करार करने होते हैं। इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श चल रहे हैं; टैरिफों के निर्धारण तथा अन्य सम्बन्धित मामलों के बारे में राज्य बिजली बोर्डों ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। चूंकि प्रथम करार है, अतः इन मुद्दों को सन्तोषजनक ढंग से हल करने में कुछ समय लगेगा। इस बीच में बिल बनाने का कार्य अन्तरिम टैरिफ के आधार पर किया जा रहा है।

सितम्बर, 1982 के अन्त तक, विभिन्न राज्यों से, जिन्हें बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से विद्युत सप्लाई की गई थी, 104.68 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी जहां तक सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र का सम्बन्ध है, सितम्बर, 1982 के अन्त तक 18.60 करोड़ रुपये की राशि के बिल बनाये गये थे। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्डों ने 6.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के सम्बन्ध में, कुल 104.68 करोड़ रुपये की बकाया राशि में से "डेसू" की तरफ 89.44 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण इस राशि के भुगतान में डेसू को कुछ कठिनाइयां आ रही है। प्रभारों के शीघ्र निपटान के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। अन्य राज्य बिजली बोर्डों की ओर बकाया राशि तुलनात्मक रूप से कम है और सम्बन्धित राज्य को भुगतान करने के लिए अनुरोध किया गया है।

मैसर्स केमिकल्स एण्ड एरोमेटिक्स लिमिटेड द्वारा थिओ-थेमाइन का आयात करना

3474. **श्री चन्द्र भाल मणि तिवारी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब से सरकारी क्षेत्र की यूनिटों के लिए विटामिन बी की निर्माण आरक्षित किया गया है, मैसर्स केमिकल्स एण्ड एरोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने तब से कितना थिओथेमाइन आयात करने के लिये आवेदन किया है और उसे कितने की मंजूरी की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक विटामिन 'बी' का आयात करने की मंजूरी दी है; और

(ग) सरकार ने अन्य छोटे यूनिटों की थेमाइन की उचित मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) मैसर्स एन्ड एरोमेटिक्स प्रा० लि० को विटामिन बी-1 (एच०सी०एल० एण्ड मोनो) के उत्पादन के लिए पहली नवम्बर, 1977 से अनुमति दी गई थी, अर्थात् मार्च, 1978 में नई औषध नीति के आरम्भ होने से पहले जब विटामिन बी-1 का उत्पादन सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित था। 1980-81 की आयात नीति के अन्तर्गत थिओ थियामाइन के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण, मैसर्स कैमिकल्स एण्ड एरोमेटिक्स ने विटामिन बी-1 के उत्पादन के लिए अपने अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए थियो थियामाइन के आयात के लिए आवेदन दिया। मैसर्स कैमिकल्स एण्ड ऐरोमेटिक्स को थियो थियामाइन के आयात के लिए अब तक दो लाइसेंस स्वीकृत किए गए हैं, जैसे कि ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

लाइसेंस	मूल्य
1. पी/एस/1445777 दि० 4-7-1981	रु० 38,09,691.00
2. पी/एस/1949098 दि० 27-5-1982	रु० 40,54,500.00

उन्हें विटामिन बी-1 के आयात की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होने सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर सरणीकरण एजेंसी (राज्य व्यापार निगम) के आवंटन आदेशों पर थिओ थियामाइन से विटामिन बी-1 के अपने सम्पूर्ण उत्पादन की आपूर्ति करनी स्वीकार की है।

चूंकि सरकारी क्षेत्र में मैसर्स आई० डी० पी० एल० विटामिन बी-1 का उत्पादन कर रहे हैं और इसका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने की आशा करते हैं, अतः थिओ थियामाइन के आयात पर इस समय कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

गुजरात में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए योजना

3475. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने गुजरात में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए एक योजना की स्वीकृति दी है;

(ख) राज्य द्वारा आरम्भ की जाने वाली विद्युत् उत्पादन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र के पास विचाराधीन पड़ी विद्युत् उत्पादन योजनाओं के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव क्या हैं;

(घ) इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर विद्युत् की उपलब्धता कितनी होगी; और

(ङ) राज्य में विद्युत स्थिति को सुधारने के लिए केन्द्र द्वारा कितनी सहायता देने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) निम्नलिखित विद्युत

उत्पादन स्कीमें स्वीकृत कर दी गई हैं तथा गुजरात में, निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं :—

जल विद्युत

1. उकई बांया तट नहर	2 × 2.5 मेगा०
2. कडाना पम्पड स्टोरेज	4 × 60 मेगा०

ताप विद्युत

1. उकई (5वीं यूनिट)	1 × 210 मेगा०
2. वानकबोरी	2 × 210 मेगा०
3. वानकबोरी विस्तार	3 × 210 मेगा०
4. कच्छ लिग्नाइट	2 × 60 मेगा०
5. सिक्का रिप्लेसमेंट	1 × 120 मेगा०
6. गांधीनगर विस्तार	1 × 210 मेगा०
7. साबरमती विस्तार	110 मेगा०

इसके अतिरिक्त, कोरबा सुपर ता० वि० केन्द्र से गुजरात को 357 मेगा० का हिस्सा मिलेगा। राज्य को विन्ध्याचल सु० ता० वि० केन्द्र और ककरापारा परमाणु विद्युत परियोजना से भी हिस्सा मिलेगा।

(ग) राज्य सरकार ने निम्नलिखित विद्युत उत्पादन स्कीमें तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजी हैं:—

1. सरदार सरोवर (नर्मदा) बहुउद्देश्यीय परियोजना	1400 मेगा०
2. उत्राण में पुरानी यूनिट का प्रतिस्थापन	1 × 120 मेगा०
3. कच्छ ता० वि० केन्द्र	1 × 60 मेगा०
4. नर्मदा ता० वि० केन्द्र	4 × 500 मेगा०
5. गांधीनगर ता० वि० केन्द्र विस्तार	1 × 210 मेगा०

(घ) जब ऊपर (क) और (ख) के उत्तर में बताई गई परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी तो विन्ध्याचल और ककरापारा परियोजनाओं से हिस्सों के अतिरिक्त राज्य की उत्पादन क्षमता बढ़कर 5039 मेगा० हो जाएगी।

(ङ) राज्य में विद्युत विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 945 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

एल० पी० जी० उपभोक्ताओं को दो सिलेंडर दिए जाने का निर्णय

3476. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी**
श्री एस० एम० कृष्ण
श्री डी० पी० जदेजा : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रत्येक कुकिंग गैस उपभोक्ता को एक के बजाय दो गैस सिलेंडर दिये जाने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) उन शहरों के नाम क्या हैं जहां यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने इसका आकलन किया है कि इससे प्रतीक्षा सूची में किस प्रकार विलम्ब होगा;

(घ) क्या वर्तमान पद्धति से केवल बड़े शहरों में ही अधिक कुकिंग गैस प्राप्त नहीं होगी जिसे छोटे शहरों को दिया जा सकता है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस प्रकार का निर्णय लेने का क्या औचित्य है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। तेल उद्योग ने वर्तमान ग्राहकों को एक अतिरिक्त सिलेंडर सप्लाई करने का निर्णय लिया है जो इसकी मांग करेंगे। यह उन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा जहां विभिन्न समस्याओं जिनको दूर करने में कुछ समय लग सकता है के फलस्वरूप रिफिल को सप्लाई करने में अत्यधिक समय लगता है।

(ग) और (घ) वर्तमान ग्राहकों को एक दूसरे सिलेंडर की स्वीकृति एल० पी० जी० की सप्लाई के लिए प्रतीक्षा सूची के व्यक्तियों को वंचित नहीं करेगी। इस निर्णय में केवल एक समय के आधार को छोड़कर एल० पी० जी० की कोई अतिरिक्त खपत शामिल नहीं है क्योंकि एक दूसरे सिलेंडर की व्यवस्था द्वारा प्रत्येक ग्राहक की खपत किसी महत्वपूर्ण ढंग से नहीं बढ़ती है।

(ङ) तेल उद्योग द्वारा यह अनुभव किया गया था कि उनके वर्तमान ग्राहकों में से कुछ ग्राहक रिफिलों की सप्लाई में किसी प्रकार की बाधाओं के कारण असन्तुष्ट थे। एक दूसरे सिलेंडर की व्यवस्था से वितरण प्रणाली और अधिक कुशल बनेगी और उपभोक्ताओं को अधिक सन्तोष प्रदान करेगी जबकि यह एल० पी० जी० प्राप्त करने के लिए लाइन में प्रतीक्षा करने वाले उपभोक्ताओं की सेवा करने में तेल उद्योग पर किसी प्रकार का अनुचित भार का कारण नहीं होगी।

सी० आई० एस० के लिए संवर्ग पुनरीक्षण प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाना

3477. **श्री ए० सी० दास** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सूचना सेवा के लिए संवर्ग पुनरीक्षण प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आकाशवाणी के क्षेत्रीय केन्द्रों में सहायक समाचार सम्पादकों के पदों तथा राज्यों की राजधानियों के न्यूज रिपोर्टरों के पदों का समाचार सम्पादकों तथा वरिष्ठ संवाद-दाताओं के रूप में उन्नयन करने को कथित प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है;

(ग) क्या प्रस्ताव में केन्द्रीय सूचना सेवा के संवर्ग विशेषकर संवर्ग दो तथा एक तथा कनिष्ठ प्रशासनिक संवर्गों में किसी वृद्धि का किया जाना सम्मिलित है जिससे सेवा-संवर्ग तीन, दो तथा एक में बताए गए एक अवरोध को हटाया जा सके; और

(घ) क्या प्रस्ताव में केन्द्रीय सूचना सेवा नियम 1969 में किसी परिवर्तन का किया जाना भी शामिल है जिसमें पदोन्नत अधिकारियों की तदर्थ सेवा को नियमित किया जा सके और सेवा के विभिन्न संवर्गों विशेषकर संवर्ग एक में रिक्त पदों को भरा जा सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) केन्द्रीय सूचना सेवा के संवर्ग ढांचे के पुनरीक्षण के लिए कतिपय प्रस्ताव विचाराधीन हैं और मामले में अन्तिम निर्णय शीघ्र ले लिया जायेगा।

(घ) जी, नहीं।

हल्दिया के आई० ओ० सी० एकक के विस्तार के लिए मंजूरी

3478. **श्री सत्यगोपाल मिश्रा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान हल्दिया की आई० ओ० सी० एकक के विस्तार के लिए योजना आयोग की मंजूरी मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) हल्दिया शोधनशाला की क्षमता को प्रतिवर्ष 2·5 मि० मी० टन से प्रतिवर्ष 5·5 मि० मी० टन तक बढ़ाने की परियोजना को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है। इस विस्तार परियोजना के सम्बन्ध में सम्भाव्यता रिपोर्ट जो मैसर्स इण्डियन आयल कार्पोरेशन द्वारा तैयार की गई है पर विचार विमर्श अप्रैल, 1982 को हुई अन्तरमन्त्रालय बैठक में किया गया था। इन विचार विमर्शों को ध्यान में रखते हुए इंडियन आयल कार्पोरेशन से हाल ही में संशोधित अनुमान प्राप्त हुए हैं।

कम्पनियों द्वारा जमा की गई सार्वजनिक धनराशि का ब्यौरा

3479. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों के दौरान कम्पनियों द्वारा जनता से धनराशि जमा करने के लिए जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने जमा करने के लिए विज्ञापन

जारी किए और पिछले छः महीनों के दौरान कितनी धनराशि जमा हुई है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तथा (ख) कम्पनी (निक्षेपोंका प्रतिग्रहण) नियम के नियम 10 के अन्तर्गत कम्पनियों को 31 मार्च तक की वार्षिक निक्षेपों की विवरणी को आगामी 30 जून तक प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसको दृष्टिगत करते हुए, पिछले छः महीनों की अवधि में कम्पनियों द्वारा एकत्र निक्षेपों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

गैर-बैंकिंग, गैर-वित्तीय संस्थानों द्वारा निक्षेपों को आमन्त्रित करने और स्वीकार करने की प्रक्रिया को कम्पनी अधिनियम की धारा 58क और उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के उपबन्धों द्वारा संचालित किया जाता है। (प्रतिग्रहण और निक्षेप) नियमों के नियम 4/4क के अन्तर्गत प्रत्येक कम्पनी को जो निक्षेपों को आमन्त्रित करने या स्वीकार करने की इच्छुक है, उसके लिए निर्धारित फार्म में विज्ञापन जारी करना अपेक्षित है। 60,000 कम्पनियों से अधिक कम्पनियां हैं जो सारे देश में फैली हुई हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों की संख्या की गणना करने तथा मिलान में लगने वाला श्रम और समय यह देखने के लिए कि क्या पिछले 6 महीनों में बढ़ोतरी हुई है, शायद आशाजनक परिणामों का समानुपातिक नहीं हो। तथापि, किसी विशेष कम्पनी के सम्बन्ध में सूचना जरूरी हो तो वह एकत्र की जा सकती है और प्रस्तुत की जा सकती है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के कार्यालय में इंसपेक्टर ग्रेड-2, हेड क्लर्कों, अपर डिवीजन क्लर्कों तथा लोअर डिवीजन क्लर्कों के स्वीकृत पद

3480. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के कार्यालय के लिए लोअर डिजीजन क्लर्कों, अपर डिवीजन क्लर्कों, हैड क्लर्कों को क्या भविष्य निधि इंस्सपेक्टर ग्रेड-2 के कुछ नियमित पद मंजूर किये थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त आदेश किस तारीख से जारी किया गया था और उसने कितने पद मंजूर किए थे;

(ग) इन स्वीकृत पदों में से क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली ने कितने पदों को नियमित किया है;

(घ) प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत सामान्य कर्मचारियों तथा अनुसूचित जातियों/जन जातियों के लिए पृथक-पृथक कितने व्यक्तियों के पद नियमित किए गए हैं; और

(ङ) पदों की उक्त सभी श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए आबंटित 40 सूत्री रोस्टर के अनुसार पद संख्या कितनी हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है औद सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में तेल के लिए भूकम्पीय सर्वेक्षण

3481. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान राजस्थान में तेल की खोज के लिए भूकम्पीय सर्वेक्षण तथा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का क्या कार्यक्रम और योजना है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) राज्य में तेल खोज कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र कितना है; और

(घ) अब तक मूल्यांकित संभावनाएं क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1980-85 की छठी योजना अवधि के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा राजस्थान में कुल 5 पार्टी वर्षों का भूगर्भीय सर्वेक्षण और 13 पार्टी वर्षों के भूकम्पीय सर्वेक्षण की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, 1982-83 से 1984-85 के दौरान ओ० आई० एल० का राजस्थान में 6000-7200 लाइन किलो मीटर के भूकम्पीय सर्वेक्षण और अपेक्षित भूगर्भीय अध्ययन करने का भी विचार है।

(ख) इस प्रायोजना के लिए कुल छठी योजना आवंटन करीब 67 करोड़ रुपये है।

(ग) राज्य में जो क्षेत्र तेल अन्वेषण कार्यक्रम में शामिल किये जाने हैं वे जैसलमेर-माड़ी हाई, शाहगढ़ उप-थाला और किशनगढ़ उप-थाला हैं।

(घ) क्षेत्रीय भूगर्भीय दृष्टिकोण के आधार पर संभावनाएं अच्छी मानी गई हैं।

आकाशवाणी के जिला मुख्यालयों में अंशकालिक श्रमिकों की नियुक्ति

3482. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी में जिला मुख्यालय में अंशकालिक श्रमिक नियुक्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) आकाशवाणी के देश के महत्वपूर्ण जिला मुख्यालयों पर पहले से ही अंशकालिक संवाददाता हैं। इस समय इस प्रकार के अंशकालिक संवाददाता समूचे देश के 157 स्थानों पर काम कर रहे हैं।

राजस्थान में गैस एजेंसियों का आवंटन

3483. **श्री चतुर्भुज** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83 में राजस्थान के कितने शहरों को गैस सिलेंडर दिए गए उनके नाम क्या हैं;

(ख) 1982-83 में कितने और स्थानों को गैस एजेंसियां आवंटित की जायेंगी;

(ग) राजस्थान के उन शहरों का नाम क्या है जिन्हें सरकार द्वारा 1983-84 में गैस एजेंसियां आवंटित की जायेंगी;

(घ) क्या गैस एजेंसी मंजूर करने के नियमों को आसान बनाया जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या बारां शहर (कोटा राजस्थान) से प्राप्त आवेदनों की छानबीन अभी पूरी नहीं हुई है तथा इस शहर के लिए वितरक एजेंट कब तक नियुक्त किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तेलकम्पनियों द्वारा 1980-81 और 1981-82 की योजना के प्रति राजस्थान में दी जाने वाली कुल 48 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों में से 30-9-1982 को निम्नलिखित स्थानों पर 43 डिस्ट्रीब्यूरशिपें प्रदान की गई थी :—

जावर	डूंगरपुर	भीलवाड़ा
जयपुर (6)	जैसलमेर	उदयपुर
सिरोही	अलवर (2)	गंगानगर
नागौर	भरतपुर (2)	बूंदी
बीकानेर (4)	सवाई माधोपुर	सीकर
झालावार	टोंक	चुरू
अजमेर (3)	ब्यावर	जालोर
जोधपुर (5)	माउंट आबू	पाली
कोटा (2)	चित्तौड़गढ़	

शेष 5 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें जो दी जानी थीं वे जयपुर, बाड़मेर, उदयपुर, बांसवाड़ा और श्रीगंगानगर के स्थानों पर दी जानी हैं।

(ख) 1982-83 के लिए संशोधित एल० पी० जी० रोस्टर में उद्योग ने राजस्थान में 17 स्थानों को शामिल किया है।

(ग) 1983-84 की योजना अभी उद्योग द्वारा निश्चित की जानी है।

(घ) डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें देने की संशोधित नीति को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है।

(ङ) बाड़ा में 20 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें देने की योजना है। तथापि, 1982-83 की योजना में बारां में एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना शामिल किया गया है जिसके लिए दिनांक 7-4-82 को एक विज्ञापन जारी किया गया था, परन्तु 1982-83 की योजना से आगे नीति/पद्धति में संशोधन किया जाना है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

धनबाद में ईंटों के भट्टों के लिए उपयुक्त किस्म का कोयला सप्लाई न किया जाना

3484. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि धनबाद कोयला क्षेत्र में "हार्ड कोक" का प्रयोग करने वाले ईंटों के भट्टों का काम, उपयुक्त किस्म के कोयले की सप्लाई न होने के कारण बन्द होने वाला है तथा 40,000 श्रमिक भुखमरी के कगार पर बैठे हैं;

(ख) क्या पंजाब और हरियाणा में "हार्ड कोक" का प्रयोग करने वाले ईंटों के भट्टों को प्रतिदिन कोयले के रेंकों की सप्लाई करके स्थानीय उद्यमियों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है; तथा बिहार में ऐसे उद्यमियों की संख्या क्या है और उनकी मांग कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनका विचार बिहार सरकार तथा चेम्बर आफ कामर्स, धनवाद, के अनुरोध पर बिहार के उद्योगों को उपयुक्त किस्म के "हार्ड-कोक" की सप्लाई को सुनिश्चित करने का है ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची

3485. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं; और

(ख) उन व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन किए जाने की संभावना है और तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) 31-8-82 को प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 23,826 है।

(ख) 1982-83 के दौरान 6,000 टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की उम्मीद है। शेष कनेक्शनों में से अधिकांश को छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रदान किए जाने की आशा है।

बंधुआ मजदूरों के सम्बन्ध में निजी संगठनों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट

3486. **श्री भीम सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई निजी संगठनों के बंधुआ मजदूरों के सम्बन्ध में सरकार को रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार की उन रिपोर्टों पर क्या प्रतिक्रिया है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) बंधुआ श्रमिकों की विद्यमानता के बारे में निजी संगठनों, अभिकरणों, व्यक्तियों आदि से समय-समय पर रिपोर्टें

प्राप्त होती हैं। ऐसी रिपोर्टें/शिकायतें राज्य सरकारों को भेजी जाती है, जो उपयुक्त कार्यवाही व के लिए बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन कार्यान्वयन प्राधिकारी हैं।

महिलाओं को रोजगार

3487. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या सरकार के पास वर्ष-वार वर्ष आधार पर महिलाओं के रोजगार के सम्ब स्थिति की निगरानी रखने के लिए कोई तंत्र है;

(ख) क्या सरकार के पास (एक) संगठति उद्योग, (दो) केन्द्रीय और राज्य सरक नौकरियों, (तीन) सरकारी उपक्रमों में नौकरियों, (चार) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के में महिलाओं के रोजगार के बारे में कोई विश्वसनीय आंकड़े हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में प्रत्येक में तुलनात्मक क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा को पैराफीन वैक्स की सप्लाई

3488. **श्री हरिहर सोरेन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे। क :

(क) उड़ीसा राज्य की 1981-82 और 1982-83 में पैराफीन वैक्स की कुल मात्रा में आवश्यकता थी;

(ख) केन्द्र ने उपरोक्त दो वर्षों में उड़ीसा के लिए वास्तव में कितनी मात्रा में पैराफ आवंटित किया और कितना सप्लाई किया; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) राज्य स विस्तृत सूचना की अभी प्रतीक्षा की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

नेपाली, डोगरी और मणिपुर में पुस्तकों का प्रकाशन

3489. **श्री पी० एम० सुब्बा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** नेपाली, डोगरी पुर में पुस्तकों के प्रकाशन के बारे में 27 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 27 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उपरोक्त भाषाएं बोलने अपनी भाषाओं में उपयुक्त और अनुपम पुस्तकों की अनुपलब्धता के कारण राष्ट्रीय जीव धारा से दूर हो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त भाषाएं बोलने वाले बच्चों को राष्ट्रीय जीवनधारा में लाने के लिए उपरोक्त भाषाओं में सस्ते मूल्यों पर पुस्तकें प्रकाशित करने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) प्रकाशन विभाग बाल पुस्तकों सहित अपने प्रकाशन सुख्यतया संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित कर रहा है। बाल पुस्तकों सहित इस प्रकार की पुस्तकों को नेपाली, डोगरी और मणिपुरी में प्रकाशित करना योजना की प्राथमिकताओं और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

स्वदेशी माईनिंग एन्ड मैनुफैक्चरिंग क० लि०

3490. **श्री आर० एन० राकेश**
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा } : **क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** स्वदेशी माइनिंग एंड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लि०, के बारे में 3 अगस्त, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 352 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जनहित तथा शेयरधारकों की बड़ी संख्या, राष्ट्रीयकृत बैंक, जमाकर्त्ताओं, सप्लायरों तथा अन्यों के हित में सरकार ने स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लि० तथा स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लि० के बोर्ड में सरकारी निदेशक पहले से ही नियुक्त क्यों नहीं किए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैं० स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड एक धारिता कम्पनी है, जिसकी मैं० स्वदेशी माईनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड एक सहायक कम्पनी है।

मैं० स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड की; लेखा-बाहियों तथा अभिलेखों का, कम्पनी अधिनियम, की धारा 209-क के अन्तर्गत एक निरीक्षण अभी हाल ही में पूर्ण हुआ है। निरीक्षण रिपोर्ट की परीक्षा से यदि चूक तथा वर्तन के गंभीर कार्यों का पता चला, तो कम्पनी के विरुद्ध कोई भी समुचित कार्यवाही, की जायेगी।

मैं० स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के मामले में, निरीक्षण से प्रकाश में आई आरोपित वित्तीय अनियमितताओं पर, कम्पनी द्वारा स्पष्टीकरण/व्याख्या, अभी हाल ही में प्रस्तुत की गई हैं, एवं ये परीक्षान्तर्गत हैं।

विभिन्न सम्प्रदायों के लिए विवाह-विच्छेद विषयक विधियां

3491. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुओं, मुसलमानों, क्रिश्चियनों, पारसियों और सिखों के लिए विवाह-विच्छेद विषयक विधियां क्या हैं; और

(ख) क्या इन विधियों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के विवाह-विच्छेद से सम्बन्धित उपबंध उन व्यक्तियों को लागू होते हैं जिनके विवाह, इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि ऐसे व्यक्ति किस समुदाय के हैं, उक्त अधिनियम के अधीन या विदेशीय विवाह अधिनियम, 1969 के अधीन अनुष्ठापित किए जाते हैं या अनुष्ठापित किए गए समझे गए हैं। उपर्युक्त के अधीन रहते हुए विवाह-विच्छेद के सम्बन्ध में :—

(i) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के उपबंध हिन्दुओं को लागू होते हैं और यह अधिनियम सिखों को भी लागू होता है;

(ii) भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 के उपबंध वहां लागू होते हैं जहां विवाह का कोई या दोनों पक्षकार क्रिश्चियन है या हैं;

(iii) पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 के उपबंध वहां लागू होते हैं जहां विवाह के पक्षकार पारसी हैं; और

(iv) मुस्लिस स्वीय विधि और मुस्लिम विवाह-विघटन अधिनियम, 1939 के उपबंध वहां लागू होते हैं जहां पक्षकार मुसलमान हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 29(2) किसी हिन्दू विवाह का विघटन करने के लिए रूढ़ी द्वारा या किसी विशेष अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अधिकार के प्रवर्तन को व्यावृत्त करती है। उस सम्बन्ध में संपरिवर्ती विवाह-विघटन अधिनियम, 1866 का भी उल्लेख किया जा सकता है जिसमें क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार करने वाले संपरिवर्तियों के विवाह के कुछ परिस्थितियों में विघटन का उपबंध है।

(ख) विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 का संशोधन करके उनमें विवाह-विच्छेद के एक आधार के रूप में विवाह के असमाधेय भंग को सम्मिलित करने के लिए एक विधेयक, अर्थात, विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 अब दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति के विचाराधीन है। विवाह-विच्छेद विषयक विधियों का संशोधन करने का कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय मजदूर संघों के लिए आचार संहिता

3492. **श्री सत्येन्द्रनारायण सिंह** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मंशा केवल उन्हीं केन्द्रीय मजदूर संघों को सरकारी समितियों में भाग लेने की अनुमति देने का है जो एक आचार संहिता स्वीकार कर लें; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के कदम के लिए कानूनी स्वीकृति प्राप्त की जाएगी ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है।

जीवनदायी औषधियों के उत्पादन में गिरावट

3493. **श्री चित्त महाटा** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में जीवनदायी औषधियों के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और जीवनदायी औषधियों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) गत पांच वर्षों में हुए जीवनदायी औषधियों के उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जीवन रक्षक औषधों की ऐसी कोई मानक सूची नहीं है। औषधों की एक ऐसी सूची है जो आवश्यक औषध के नाम से जानी जाती है, जिसका पता हाथी समिति द्वारा लगाया गया था और जिसमें अधिकांश जीवन रक्षक औषधें शामिल हैं। देश में समस्त बल्कि औषधों और फार्मूलेशनों का कुल उत्पादन 1980-81 में क्रमश: 240 करोड़ रुपये और 1200 करोड़ रुपये से बढ़कर 1981-82 के दौरान क्रमश: 275 करोड़ रु० और 1300 करोड़ रु० तक होने का अनुमान है। तथापि, छठी योजना लक्ष्यों की तुलना में उत्पादन में अनुपातिक कमी हो गई है।

(ख) विद्युत कटौती, जल की कमी, उपकरण खराबी, औद्योगिक असन्तोष, सस्ते आयात आदि जैसी उत्पादन बाधाएं औषधों के उत्पादन में गिरावट के लिए कुछ कारण हैं। देश में औषधों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) अनेक औद्योगिक अनुभूतियां प्रदान की गई हैं और उनके कार्यान्वयन की निरन्तर देख-रेख की जाती तथा कार्यान्वय में आने वाली समस्याओं, यदि कोई हों, को सुलझाने के लिए कार्यवाही की जाती है।

(2) क्षमता उपयोग में सुधार करके सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों में बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।

(3) स्वत: वृद्धी, स्थापित क्षमताओं को मान्यता देने की योजना और उच्चतम उत्पादन कार्यनिष्पादन के आधार पर उच्च क्षमताओं के पुन: पृष्ठांकन की योजना कुछ शर्तों के साथ औषध उद्योग पर लागू की गई है। देश में औषधों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु यदि आवश्यक हुआ तो, और अतिरिक्त कदम उठाये जायेंगे।

(ग) गत 5 वर्षों के लिए बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के उत्पादन के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	बल्क औषधें (रुपये करोड़ों में)	फार्मूलेशन्स (रुपये करोड़ों में)
1977-78	164	900
1978-79	200	1050
1979-80	226	1150
1980-81	240	1200
1981-82 (अनुमानित)	275	1300

मध्य प्रदेश के सीधी जिले में विद्युतीकृत गांव

3494. **श्री मोती लाल सिंह** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81 के दौरान मध्य प्रदेश के सीधी जिले में कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया;

(ख) उन अन्य गांवों की कुल संख्या कितनी है उनके लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस बीच विद्युतीकरण सर्वेक्षण किया गया है और उन योजनाओं की संख्या कितनी है जिनका सर्वेक्षण वर्ष 1982-83 के दौरान पूरा हो जाएगा; और

(ग) क्या इन सभी योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले गांवों को इस वर्ष बिजली दे दी जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त-पोषित की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के सीधी जिले में, 22 गांवों का विद्युतीकरण 1980-81 के दौरान किया गया था।

(ख) मध्य प्रदेश के सीधी जिले के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत 17 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों में से, जिनमें 1011 गांवों के विद्युतीकरण का प्रावधान है, 31-3-1982 तक 187 गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम के पास सीधी जिले के लिए कोई नई ग्राम विद्युतीकरण स्कीम स्वीकृति के लिए लम्बित नहीं पड़ी है।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत 1982-83 में, सीधी जिले में 160 गांवों को विद्युतीकृत किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजना रिपोर्टों में बताए गए कार्यक्रम के अनुसार ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाएं सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि में पूरी करने के लिए सोपानबद्ध की जाती हैं।

डाक वितरण में विलम्ब

3495. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि डाक और तार विभाग की कार्यकुशलता कम होती जा रही है और पत्रों, मनीआर्डरों, तारों आदि के वितरण में विलम्ब होता है; और

(ख) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि बंगलौर में एक बड़ी शिकायत यह है कि वृद्ध पैंशनभोगियों को उनकी पैंशन नियमित रूप से नहीं मिल रही है और वहां पर भ्रष्टाचार है और प्रत्येक पैंशन भोगी को डाकिए को 1 या 2 रुपये देने पड़ते हैं और बंगलौर में लगभग 50,000 पैंशनभोगी हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) देश में मौजूदा डाक एवं वितरण व्यवस्था अत्यधिक सन्तोषजनक है। फिर भी हवाई, रेल और सड़क यातायात सेवाओं में विलम्ब के कारण अथवा हड़तालों की वजह से व्यवस्था या कर्मचारियों द्वारा धीरे कार्य करने के कारण

विलम्ब के छुट-पुट मामले हो जाते हैं। तथापि, सेवा में सुधार लाने और दिक्कतों को दूर करने के लिए अन्य विभागों के साथ विभिन्न स्तरों पर समन्वय स्थापित किया जाता है।

तार वितरण कार्य सन्तोषजनक है। अप्रैल 82 से जुलाई 82 के महीनों के दौरान निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत वितरित तारों के प्रतिशत को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) यह उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में वृद्ध पेंशनरों को एक वर्ष में लगभग 744000 मनीआर्डर भेजे गए हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान विभाग को वृद्ध पेंशनरों को मनीआर्डरों का भुगतान न किए जाने से सम्बन्धित केवल 57 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच करने पर पता चला कि 32 मनी-आर्डर फार्म पारगमन के दौरान खो गए थे और उन मनीआर्डरों की दुहरी प्रतियां जारी कर भुगतान कर दिया गया था। 21 मनीआर्डर गलत अथवा अपूर्ण पतों के कारण प्रेषकों को वापस लौटाये गये थे। एक मनीआर्डर का भुगतान ठीक हुआ और केवल तीन मामले ही ऐसे थे जिनमें भुगतान नहीं किया गया अथवा गलत भुगतान कर दिया गया। बकशीश मांगने के बारे में केवल एक ही शिकायत प्राप्त हुई परन्तु इस आरोप को सिद्ध करने के लिए कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया।

विवरण

तारों के संचारण (बुकिंग से लेकर वितरण तक) के सम्बन्ध में निर्धारित मानकों व लक्ष्यों और नियन्त्रण सीमाओं को दर्शाने वाला विवरण

1. तार सेवा की गति

(माप दण्डों के अन्तर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे गए तारों के संचारण का प्रतिशत)

	मानदंड	लक्ष्य	नियंत्रण सीमा
एक संपर्क			
वरीयता वर्ग			
श्रेणी एक्स एक्स और उसके ऊपर	1 घंटा	100	98
एक्स एक्स और ओ एस	2 घंटे	95	90
अन्य	3 घंटे	90	80
दो संपर्क			
वरीययता वर्ग			
श्रेणी एक्स एक्स और उससे ऊपर	2 घंटे	100	98
श्रेणी एक्स एक्स आर ओ एस	4 घंटे	95	90
अन्य	4 घंटे	90	90
तीन संपर्क			
वरीयता वर्ग			
श्रेणी एक्स एक्स और उससे ऊपर	3 घंटे	100	98
श्रेणी एक्स एक्स और ओ एस	6 घंटे	95	90
अन्य	6 घंटे	90	80

मानदण्डों के अन्तर्गत (ब्रुक करने से वितरण करने तक) वितरित तारों के प्रतिशत को दर्शाने वाला विवरण।

	आंध्र प्रदेश	बिहार	गुजरात	जम्मू एवं कश्मीर	केरल	कर्नाटक	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	उत्तर पूर्व	उत्तर पश्चिम	उड़ीसा	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	पश्चिमी बंगाल	दिल्ली
अप्रैल 82	72	94	92	97	80	89	84	93	91	79	77	88	94	72	75	89
मई 82	59	97	77	81	66	95	79	74	88	85	83	87	93	72	74	88
जून 82	78.4	97	95	80	75	93	73	82	90	84	87	85	92	77	73	87
जुलाई 82	81	97	94	72	77	92	88	81	91	83	90	85	94	उपलब्ध नहीं	73	85

बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण

3496. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में श्रमिक ब्यूरो के माध्यम से बालश्रमिकों के बारे में सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी रिपोर्ट मिल गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय उद्योग में बाल श्रमिकों सम्बन्धी सर्वेक्षण श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा किया गया था और रिपोर्ट 1981 में प्रकाशित की गई थी।

(ग) और (घ) मुख्य निष्कर्षों का सारांश रिपोर्ट के अध्याय III में दिया गया है। चूंकि यह रिपोर्ट पूर्णतया अनुसंधान रिपोर्ट है, इसलिए इसमें कोई सिफारिशें नहीं हैं, लेकिन सांख्यिकीय, विश्लेशण हैं। इस रिपोर्ट में सरकार द्वारा नीति बनाए जाने के लिए आंकड़े दिए गये हैं और इसलिए किन्हीं सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रश्न नहीं होता।

मध्य प्रदेश के रतलाम, धार तथा झाबुआ जिलों में सीधी डायल करने की व्यवस्था लागू करना

3497. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी जिलों को कब तक एस० टी० डी० तथा सीधी डायल करने की व्यवस्था से जोड़ा जायेगा; और

(ख) क्या मंत्रालय मध्य प्रदेश के रतलाम, धार तथा झाबुआ जिलों में सीधी डायल करने की व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और यदि हां, तो इस बारे अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) चालू तथा आगामी योजना अवधि के दौरान सभी जिला मुख्यालयों जिसमें अदिवासी जिले भी शामिल हैं, में सीधी डायलिंग प्रणाली तथा एस० टी० डी० सुविधाएं उत्तरोतर प्रदान किये जाने की योजना है।

(ख) इन स्थानों पर प्रभावित स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज के लिए अपेक्षित उपस्कर प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की गई है।

केरल में कुरियारकुट्टी-कटाप्पारे विद्युत परियोजना को मंजूरी देना

3498. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में कुरियारकुट्टी-कटाप्पारे विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) मंजूरी के लिए परियोजना को केन्द्र को कब भेजा गया था; और

(घ) मंजूरी कब तक दे दी जायेगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) केरल में कुरियारकुट्टी कटाप्पारा बहुद्देश्यीय परियोजना की 95 मेगावट की प्रतिष्ठापित क्षमता परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जनवरी, 1979 में प्राप्त हुई थी। तदुपरान्त, परियोजना प्राधिकारियों ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सूचित किया था कि परियोजना संशोधित की जा रही है। संशोधित परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्रतीक्षा है। संशोधित रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने के बाद स्वीकृति के लिए परियोजना पर विचार किया जा सकता है।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण की शर्तें

3499. **श्री बी० के० नायर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोजगार कार्यालय आवेदकों के पंजीकरण के लिए राज्य में आवास तथा स्थानीय भाषा की जानकारी की शर्तों पर जोर देते हैं;

(ख) क्या वांछित अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होती है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जिनका आमतौर पर स्थानांतरण होता रहता है अपने बच्चों तथा निर्भर व्यक्तियों का रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण कराना असंभव महसूस करते हैं; और

(घ) क्या स्थिति में सुधार के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं और उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) कुछ राज्य सरकारों ने रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण के मामले में आवासीय प्रतिबन्ध लगाया है। चूंकि ऐसे प्रतिबन्ध संविधान के उपबन्धों के प्रतिकूल है, इसलिए सभी मुख्य मन्त्रियों/उप-राज्यपालों से कहा गया है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकरज के लिए पूर्व शर्त के रूप में लगाई गई आवास योग्यता, यदि कोई है, तुरन्त वापिस ली जाए।

आकाशवाणी, जोधपुर से कार्यक्रम के प्रसारण में व्यवधान

3500. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 सितम्बर, 1982 के "जलते दीप" में प्रकाशित होने वाले इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पिछले एक वर्ष से बिजली गुल हो जाने के कारण आकाशवाणी के जोधपुर केन्द्र से कार्यक्रमों के प्रसारण में व्यवधान हो रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आकाशवाणी के इस केन्द्र को तापीय विद्युत् केन्द्र से जोड़ने का प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन है;

(ग) क्या बोलटेज की घट-बढ़ के कारण एशियाड-82 के प्रसारण में व्यवधान होगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इन अवरोधों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है और इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को बिजली की सप्लाई में अस्थिरता की दशा में प्रेषणों में व्यवधानों को बिलकुल दूर नहीं किया जा सकता। तथापि, राजस्थान विद्युत बोर्ड, जो बिजली की सप्लाई करता है, से अनुरोध किया गया है कि वह बिजली की सप्लाई की सतत व्यवस्था करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए।

लीबिया में असहाय अवस्था में फंसे भारतीय कामगार

3501. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**
श्री के० ए० राजन } : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि लीबिया में 740 राजस्थानी कामगार उन्हें काम लगाने लगाने वाले ठेकेदार द्वारा त्याग दिए जाने पर असहाय अवस्था में फंसे हुए हैं;

(ख) क्या यह भी सच कि तिरपोली में भारतीय दूतावास ने उन्हें भारत वापस भेजने में कोई सहायता नहीं की है; और

(ग) क्या विदेशों में इसी प्रकार की असहाय अवस्था में फंसे अन्य भारतीय कामागार भी स्वदेश वापसी की समस्या का सामना कर रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। लगभग 750 व्यक्तियों में से तकरीबन 80 भारत लौटे हैं, जबकि शेष व्यक्तियों ने लीबिया स्थित भारतीय दूतावास के अनुरोध पर लीबिया की सरकार द्वारा व्यवस्थित वैकल्पिक नौकरियां स्वीकार कर ली हैं। जिन श्रमिकों ने वैकल्पिक रोजगार स्वीकार किया है तथा लीबिया में ही ठहरे रहे, उन्होंने ऐसा स्वेच्छा से किया है। दूतावास ने उन लोगों की मदद की जो वापस भारत लौटने के इच्छुक थे और शेष व्यक्तियों को दूतावास ने वैकल्पिक रोजगार दिलाने में मदद दी।

(ग) सरकार को इस प्रकार के किसी मामले की जानकारी नहीं है। तथापि, कुवैत सम्बन्धी एक मामले में, जिसमें 46 श्रमिकों ने कुवैत स्थिति भारतीय दूतावास के पास यह शिकायत की थी,

जिन स्थानीय फर्मों ने उन्हें भरती किया था, उन्होंने उन्हें कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं दिया, दूतावास ने यह मामला कुवैत के समाज कल्याण और श्रम मंत्रालय के साथ उठाया है और हमारे दूतावास के सहायता से इन श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार मिला है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों द्वारा आयोग के भंडारों और पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी

3502. **श्री हरीश कुमार गंगवार**
डा० ए० यू० आजमी } : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारी आयोग के भंडारों और पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान कितनी चोरियां हुई हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है और यदि कोई जांच की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में की गई अन्तिम कार्यवाही के क्या परिणाम निकले हैं और चोरी के मामलों में अन्तर्ग्रस्त पाए गए कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस गैस आयोग (ओ० एन० जी० सी०) की सभी परियोजनाओं/कार्यालयों में 1978 से 1982 की अवधि के दौरान कच्चे तेल/अन्य उपकरणों की 724 चोरियां हुई परन्तु पेट्रोलियम उत्पादों की कोई चोरियां नहीं हुई हैं। इनमें से केवल 21 चोरी के मामलों में ओ० एन०/जी० सी० के कर्मचारी सम्बन्धित थे। कुल केवल 40 कर्मचारी सम्बन्धित थे। इन 40 कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

1. कर्मचारियों के मामले जिनकी पुलिस जाँच कर रही है	18
2. न्यायालयों में बकाया पड़े मामले	4
3. न्यायालयों द्वारा रिहा किये गये	2
4. विभागीय जांच	4
5. सी० बी० आई० द्वारा की जा रही जांच के मामले	1
6. दिया गया मुख्य दण्ड	1
7. दिया गया गौण दण्ड	9
8. मूल विभाग को वापिस किये गये	1
योग	40

दण्डकारण्य परियोजना का राज्य सरकार को अन्तरण और स्वास्थ्य केन्द्र तथा शैक्षिक संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता

3503. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार का विचार मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में दण्डकारण्य परियोजना राज्य सरकार को अन्तरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार कोंडा गांव के स्वास्थ्य केन्द्र और उस क्षेत्र के शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान देना जारी रखेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इन संस्थाओं को चलाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) सरकार ने मध्य प्रदेश के बस्तर जिले दण्डकारण्य परियोजना के परलकोट और कोंडागांव जोनों के प्रशासन को सामान्य बनाने और इन जोनों में दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों और संस्थानों को मध्य प्रदेश सरकार को अंतरित करने का निर्णय किया है। इसमें शिक्षा संस्थान तथा चिकित्सा संस्थान जैसे प्राइमरी स्थास्थ्य केन्द्र, औषधालय इत्यादि शामिल हैं।

(ख) और (ग) परिसम्पत्तियां राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तान्तरित की जाएंगी सरकार ने इन परिसम्पत्तियों और संस्थानों में कमियों को पूरा करने और इस अवधि तक, जैसा सहमत होगा, उनकी देख-रेख पर होने वाले व्यय को वहन करने की सहमति दे दी है। तथापि, बस्तर जिले में कोंडागांव स्थित रबीन्द्र नाथ टैगोर अस्पताल को केन्द्रीय सरकार के प्रबन्ध के अधीन जारी रखने के लिए सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस मांग के सम्बन्ध में अभी सरकार के विचारों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

3504. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 मार्च, 1979 तक जारी किए गए टेलीफोन बिलों की 10·6 करोड़ रुपये की बड़ी धन राशि सरकारी विभागों की ओर बकाया है; यदि हां, तो आज तक प्रत्येक सरकारी विभाग की ओर बिलों की कितनी बकाया राशि शेष है; और

(ख) टेलीफोन विभाग द्वारा इस तरह के उन सरकारी टेलीफोन को न काटने के क्या कारण हैं जिनके टेलीफोन बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जाता है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी नहीं। 31-3-79 तक जारी किए गए बिलों के सम्बन्ध में दिनांक 30-6-82 को राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार पर

टेलीफोन बकाए की कुल रकम 81·16 लाख रु० थी जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	(लाख रुपयों में)
राज्य सरकारें	37·63
केन्द्र सरकार	43·53
योग	81·16

उपभोक्ताओं का विभागवार वर्गीकरण (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर जिस पर उपरोक्त अवधि को 17·81 लाख रुपए बकाया थे) का रिकार्ड नहीं रखा जाता अतः प्रत्येक विभाग पर बकाए की सूचना दे पाना व्यवहार्य नहीं है।

(ख) अदायगी न करने पर सरकारी टेलीफोनों को भी अन्य टेलीफोनों की तरह काट दिया जाता है परन्तु उन टेलीफोनों को नहीं काटा जाता जिन्हें विभाग के नियमों के अन्तर्गत इसके लिए विशेष तौर पर छूट प्राप्त होती है अथवा जिनका उपयोग कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है अथवा जिन टेलीफोनों के बिल विवादास्पद होते हैं।

"एच० ई० सी० लेट्स डाउन कोल इन्डिया" शीर्षक समाचार

3505. **श्री ईरा अनाबरासु** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 अगस्त, 1982 के फाइनेन्श्यिल एक्सप्रेस के दिल्ली संस्करण में एच० ई० सी० लेट्स डाउन कोल इंडिया शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि चार ड्रेगलाइन्स खरीदने हेतु विश्वव्यापी टेंडर मांगने के बावजूद सरकार ने एक ब्रिटिश फर्म को क्रयादेश दिया जबकि यूनाइटिड स्टेट्स की एक मशहूर फर्म ने कम दर बताये थे और जल्द सामान देने को कहा था;

(ग) क्या यह भी सच है कि अमरीकी कम्पनी को दिए गए आशयपत्र को उनसे वापस लेकर ब्रिटिश फर्म को दिया गया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि ब्रिटिश कम्पनी समय पर माल सप्लाई नहीं कर सकी जिस कारण सरकार को भारी हानी हुई; और

(च) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (घ) यह सच है कि 1979 में 24/90 घन मी० क्षमता की 4 वाकिंग डेगलाइनों की खरीद के लिए विश्वव्यापी टेंडर के उत्तर में भारी इंजीनियरी निगम को सप्लाई के लिए आदेश जारी किए गए थे, यद्यपि उनका प्रस्ताव अमेरिकन फर्म की तुलना में महंगा था।

अमेरिकन प्रस्ताव में माल की सुपुर्दगी का कार्यक्रम भी थोड़ा अनुकूल ही था। यह दोनों प्रस्ताव तकनीकी रूप से तो स्वीकार पाये गए थे, किन्तु कोल इन्डिया को यह सलाह दी गई थी कि वह क्रय आदेश भारी इंजीनियरी निगम को दें। इस सलाह का कारण यह था कि स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन दिया जाए और सरकारी उपक्रमों की कुछ कीमत प्राथमिकता देने की नीति का पालन किया जाए। इसलिए कोल इंडिया लि० द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्माता को जारी किए गए आश्य-पत्र (लेटर आफ इंटेन्ट) को एक निश्चित आदेश नहीं बनाया गया।

(ङ) और (च) मूल रूप से जो कार्यक्रम बनाया गया था उसकी तुलना में प्रथम दो डेंगलाइनों की सुपुर्दगी, स्थापना और उनसे काम आरम्भ करने में कुछ विलम्ब हुआ है। उपकरणों की शीघ्र सुपुर्दगी, स्थापना और उनसे काम आरम्भ करने में शीघ्रता करवाने का प्रश्न कोल इंडिया और सरकार विभिन्न स्तरों पर भारी इंजीनियरी निगम के साथ बार-बार गंभीरता से उठाकर उस संबंध में प्रयास कर रहे हैं।

प्राइवेट कम्पनियों में कार्य कर रहे सेवा निवृत्त अधिकारी

3506. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** प्राइवेट कम्पनियों में कार्य कर रहे सेवा निवृत्त अधिकारियों के बारे में 27 जुलाई, 1982 के अतरांकित प्रश्न संख्या 2654 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपरोक्त उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित शिकायत का क्या परिणाम निकला है तथा इसमें अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों और गैर-अधिकारियों के नाम क्या हैं और इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या उनका विचार इस ब्रांच का सुधार करने का है जिससे स्वच्छ प्रशासन मिल सके और इस प्रकार सभी कदाचारों का उन्मूलन किया जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो उनका विचार इस बुराई से किस प्रकार निबटने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) मामले की अभी जांच की जा रही है। इसी बीच एक अधिकारी की तबदीली की गई है। जहां तक सम्भव होता है, तबदीलियां उपयुक्त अन्तरालों में की जाती हैं। अनुदेश जारी किए गए हैं कि अवर सचिव और उनके ऊपर के स्तर के अधिकारी ही केवल आगन्तुकों को समय निर्धारित करके मिल सकते हैं।

ज्वार भाटा सौर और पवन ऊर्जा के विकास के लिए एक संस्था की स्थापना

3507. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में ज्वार-भाटा सौर और पवन ऊर्जा के विकास के लिए किसी संस्था की स्थापना करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मन्त्रालय के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभागों में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के लिए एक आयोग (सी० ए० एस० ई०) की स्थापना की है। ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों का आयोग ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करने से सम्बन्धित सभी मामलों का समन्वय करता है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में एक गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विभाग की भी स्थापना की गई है।

आर्थिक उन्नति में आवश्यक साधन के रूप में विज्ञापन

3508. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में दिल्ली में एशियन एडवरटाइजमेंट कांग्रेस की 13वीं बैठक में "एडवरटाइजमेंट एन० एन० इसेंशियल इनपुट इन इकामानिक ग्रोथ" पर हुई चर्चा के मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस बैठक में निकाले गए महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इन निष्कर्षों के व्यावहारिक क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पो० साल्वे) : (क) से (ग) 13वीं एशियन एडवरटाइजिंग कांग्रेस का नई दिल्ली में 27 सितम्बर से 1 अक्तूबर, 1982 तक आयोजन निम्नलिखित गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा किया गया था :—

1. इण्डियन सोसायटी आफ एडवरटाइजर्स।
2. इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी।
3. इण्डियन लैंग्वेज न्यूजपेपर्स एसोसिएशन।
4. दि नेशनल काऊंसिल आफ एडवरटाइजिंग एजेंसीज।
5. एडवरटाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन आफ इण्डिया।

कांग्रेस को भारत सरकार द्वारा प्रायोजित/आयोजित नहीं किया गया था। सम्मेलन में निकले निष्कर्षों के कांग्रेस द्वारा इस मन्त्रालय को सूचित नहीं किया गया है।

रेल डाक सेवा को समाप्त करना

3509. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल डाक सेवा को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या रेल डाक सेवा संघों और कर्मचारियों ने ऐसे किसी प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) रेल डाक सेवा को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डाक और तार आप्रेटिव कार्यालय में डाक और पेंशन भोगियों की भर्ती

3510. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक और तार 'आप्रेटिव' कार्यालयों में रिक्त पदों की भारी कमी चली आ रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि डाक और दूर संचार मंडलों के प्रशासनिक कार्यालयों में रिक्त पदों को अगले वर्ष में जाना और भर्ती में विलम्ब करना एक सामान्य बात है;

(ग) क्या यह भी सच हैं कि डाक और तार के केवल 'आप्रेटिव' कार्यालय में उपलब्ध रिक्त पदों पर डाक और तार पेंशनभोगियों को भर्ती के लिए अभी हाल में कुछ तदर्थ आदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रशासनिक कार्यालयों में अधिमान्यता प्रशासनिक कार्यालयों के ही पेंशनभोगियों को रिक्त पदों पर अस्थायी रूप में नियुक्त करने की संभावनाओं पर विचार करेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) ऐसे कार्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यालयों में अस्थायी पदों पर रखने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। प्रशासनिक कार्यालयों में रिक्त पदों की संख्या अपेक्षाकृत कम हैं और इन रिक्त पदों पर नियमित कर्मचारियों की भर्ती के लिए शीघ्र कदम उठाए जा रहे हैं।

विक्रेताओं द्वारा रसोई गैस के सिलिंडरों की अनियमित सप्लाई

3511. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में रसोई गैस के कुछ विक्रेता गैस के सिलिंडर सप्लाई करने के लिए ग्राहकों द्वारा टेलीफोन पर किये जाने वाले अनुरोधों को इस आधार पर अस्वीकार कर देते हैं कि इनकी सप्लाई कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इन विक्रेताओं के यहां पंजीकृत ग्राहकों की संख्या कई गुना बढ़ गई है जिसके परिणामस्वरूप उनको एक ही दिन में सब की मांग पूरी करने में कठिनाई होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन विक्रेताओं के कार्यकरण की जांच करने का है; और

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की जायेगी कि किसी विक्रेता के यहां ग्राहकों की संख्या बढ़ने के साथ ही सेवा के स्तर में भी सुधार हो ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। यद्यपि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अस्थायी कमी, बीमारी के कारण डिलीवरी करने वाले लड़के की अनुपस्थिति अथवा अपराह्न में विलम्ब से अनुरोधों को प्राप्त करने जैसे विभिन्न कारणों से विक्रेता उसी दिन रिफल सिलिंडर सप्लाई न कर सके।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) सन्दर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

तट दूर गैस उपयोग का अध्ययन करने के लिये अध्ययन दल की नियुक्ति

3512. **श्री बालासाहिब विखे पटिल**
श्री आ० आर० भोले } : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में तट से दूर गैस का अधिकतम उपयोग सम्बन्धी अध्ययन करने और सिफारिशें देने के लिए एक अध्ययन दल (श्री लवराज कुमार समिति) की नियुक्ति की थी;

(ख) यदि हां, तो इस उप-समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को महाराष्ट्र के लिए गैस के उपयोग की निगरानी करने के लिए कोई केन्द्रीय एकक स्थापित करने का विचार है और यदि नहीं, तो ऐसा किस प्रकार करने का विचार है; और

(घ) इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में अपतटीय गैस के उपयोग का अध्ययन करने के लिए वर्ष 1977 में स्थापित किये गये कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि महाराष्ट्र सरकार को प्रदूषण स्तर को कम करने के प्रयोजन से गैस के स्थान पर कपड़ा मिलों द्वारा एल० एस० एच० एस० और ईंधन तेल के मिश्रण के इस्तेमाल करने के प्रश्न सहित घरेलू उपभोक्ताओं को और उनके साथ दल की रिपोर्ट में सूचीबद्ध 45 कपड़ा मिलों को पाइपलाइनों की व्यवस्था के माध्यम से अपतटीय गैस की सप्लाई के प्रस्ताव से सम्बन्धित विभिन्न मामलों का अध्ययन करना चाहिये।

(ग) और (घ) एजेंसी का निर्णय लेने से पूर्व, विभिन्न वैकल्पिक अध्ययनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए वर्तमान में समय का प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार कार्यालयों में बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीकरण

3513. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि किसी भी दिन किसी भी रोजगार कार्यालयों में आने वाले सभी उम्मीदवारों के नामों का उसी दिन पंजीकरण कर लिया जाये;

(ख) क्या रोजगार कार्यालयों के कार्यचालन को सुधारने के लिए श्रम मंत्रालय ने राज्य सरकारों से नियोजनालय रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना को लागू करने के लिए अपेक्षित तंत्र बनाने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में और कौन से अन्य सुझाव दिए गए हैं;

(घ) क्या राज्यों में नियोक्ता रजिस्टर और व्यापक चल-दल बनाने का भी सुझाव दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो रोजगार कार्यालयों के कार्य चालन को सुधारने के लिए अब तक दिए गए सुझावों में से कितने क्रियान्वित किए गए हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की गयी राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियमावली के अनुसार, उन उम्मीदवारों को, जिन्हें रोजगार कार्यालयों में 20·00 बजे तक बुलाया जाता है, उसी दिन पंजीकरण करवाना अपेक्षित होता है। तथापि, 2·00 बजे के बाद दूर से आने वाले उम्मीदवारों को उसी दिन पंजीकरण के लिए सामान्यतः मना नहीं किया जाता है।

(ख) जी हां। राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 और उसके अन्तर्गत बनाए अधिनियम, 1960 के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त मशीनरी का सृजन करें।

(ग) रोजगार कार्यालयों के कार्यकलापों में सुधार करने के लिए किये गये अन्य सुझाव विवरण में दिए गये हैं।

(घ) जी हां। राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे भ्रमणशील दलों (चल दल) का गठन करें और इन्हें कुछ राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में स्थापित किया गया है।

(ङ) सुझावों का वास्तविक कार्यान्वयन उन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के पास है जिनके पास रोजगार कार्यालयों के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण हैं।

विवरण

रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए दिए गए अन्य सुझाव

रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित अन्य महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं :—

1. रोजगार कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करने और शिकायतों पर विचार करने के लिए पर्याप्त निरीक्षण स्टाफ की व्यवस्था की जानी चाहिए।
2. ऐसी स्थापनाओं में जिन्हें सार्वजनिक विश्वास प्राप्त है, परीक्षण सुविधाओं तक पहुँच की व्यवस्था रोजगार कार्यालयों में होनी चाहिए।
3. रोजगार कार्यालयों में उपलब्ध आवास तथा सुख-सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए।
4. टाइपिस्टों तथा अशुलिपिकों की रिक्तियों के प्रति संप्रेषणों का संतोषजनक स्तर सुनिश्चित करने के लिए रोजगार कार्यालयों को पहले परीक्षित आवेदकों तक अपने संप्रेषण सीमित रखने चाहिए।
5. राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से यह अनुरोध किया गया है कि वे केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार किए गए स्टाफिंग सूत्र के अनुसार रोजगार कार्यालयों में स्टाफ की व्यवस्था करें।
6. अधिकारियों के स्तर पर तथा अन्य स्तरों पर स्टाफ को रोजगार कार्यालयों का कार्य केवल तभी सौंपा जाना चाहिए, जब वे सेवा से पूर्व प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त कर ल। इसके अतिरिक्त सेवा कालीन और पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए नियमित कार्यक्रम होने चाहिए।
7. राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को रोजगार निदेशालय में निम्नलिखित के लिए अनुसंधान सेल सृजत करने की सलाह दी गई है : (i) विशेष अध्ययन/सर्वेक्षण और सम्बद्ध मामलों को संचालित करना (ii) अन्य विभागों द्वारा राज्यों में संचालित रोजगार/बेरोजगारी अध्ययनों और सर्वेक्षणों का समन्वय करना (iii) आंकड़े एकत्र करने के प्रणाली विज्ञान और तकनीकी को परिष्कृत करना और (iv) अन्य सम्बद्ध अनुसंधान कार्य शुरू करना।
8. रोजगार कार्यालय (रिक्तयों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम के अधीन प्रवर्तन अधिकारियों के उपयोग के लिए अनुदेशों की हैन्डबुक राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को उनकी सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए परिचालित की गई है।

इंटेलसेट की संस्थापना

3514. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में एक प्रेष-ग्राही (ट्रांसपोंडर) अन्तर्राष्ट्रीय उपग्रह (इंटेलसैट) नवम्बर, 1982 से एक वर्ष की अवधि के लिए 1·9 करोड़ रुपये की किराया-प्रभार लागत पर

एशियाई खेलों का आँखों देखा हाल टेलीविजन पर दिखाने के लिए बुक किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक संस्थापित किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या इसके कार्य करते रहने और अच्छी सर्विस देने की प्रतिभा की अग्रिम रूप से कोई जांच कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई प्रतिभूति दी गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) :(क) और (ख) जी, हां। इंटेलसेट का एक दूरदर्शन ट्रांसपोंडर 1-11-1982 से एक वर्ष की अवधि के लिए किराए पर लिया गया है जिसका वार्षिक किराया 19 लाख अमरीकी डालर है जो लगभग 1.82 करोड़ रुपये के बराबर है।

(ग) और (घ) मूल्यांकन के अनुसार, इस ट्रांसपोंडर से यह अपेक्षा की जाती है कि यह सन्तोषजनक सेवा प्रदान करेगा और किराये की अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में टेलीफोन सेवाओं का विकास

3515. **श्री अजय विश्वास** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी योजना अवधि के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में टेलीफोन सेवाओं के विकास के लिए कौन-कौन सी योजनायें शुरू की जायेंगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों एवं संघ-शासित प्रदेशों में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीफोन सेवाओं के विकास के लिए अस्थाई प्रस्ताव **विवरण** में दिए गए हैं।

विवरण

प्रारम्भ की जाने वाली योजनाएं	अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	त्रिपुरा	योग
टेलीफोन एक्सचेंज	21	61	19	12	13	22	7	155
सज्जित क्षमता में वृद्धि	1720	12435	1535	3075	1360	2170	1105	234
सीधी एक्चेंज लाइनी में वृद्धि	1600	11630	1400	2850	1250	2025	1035	717
लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों में वृद्धि	30	200	40	18	30	40	50	40

भारतीय पेट्रो-रसायन निगम का विस्तार

3516. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पेट्रो-रसायन निगम, बड़ौदा ने एक्रिलिक रेशा संयन्त्र आदि जैसी पांच पेट्रो-रसायन परियोजनाओं में विस्तार के लिए सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य रूपरेखा क्या है और इस पर कितना पूंजीगत परिव्यय होगा;

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि इस सरकारी क्षेत्र के एकक को पोली फिलामेंट यार्न तथा अन्य सम्बद्ध मानव-निर्मित रेशों की नवीनतम प्रौद्योगिकी प्रदान की जाए ताकि यह सफलतापूर्वक गैर-सरकारी क्षेत्र के पहले से ही स्थापित पनप रहे एककों के साथ होड़ लगा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सरकार का क्या विचार है और इस एकक को इसका क्या अन्य सहायता देने का विचार है ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन पेट्रो-केमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (आई० पी० सी० एल०) ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए सम्भाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है :—

क्रम सं०	परियोजना	अनुमानित लागत
1.	प्रति वर्ष 30,000 मी० टन से प्रतिवर्ष 40,000 मी० टन तक डी० एम० टी० विस्तार (चरण-II)	13·15 करोड़ रुपये
2.	एफ० सी० सी० गैस उपयोग : पोली-प्रोपीलीन कोपोलीमर-प्रतिवर्ष 25,000 मी०टन, डि-आइसोबूटा-डीन-प्रतिवर्ष 6,000 मी० टन	68·37 करोड़ रुपये
3.	एक्रिलिक फाइबर विस्तार (प्रतिवर्ष 12,000 मी० टन से प्रतिवर्ष 24,000 मी० टन)	85·03 करोड़ रुपे
4.	जाइलीन विस्तार (प्रतिवर्ष 40,500 मी० टन से प्रतिवर्ष 24,000 मी० टन)	59·36 करोड़ रुप
5.	लाइनियर एल्काईल बेंजीन विस्तार (प्रति-वर्ष 30,000 मी० टन से प्रतिवर्ष 43,500 मी० टन)	17·43 करोड़ रु

(ग) और (घ) प्रोद्योगिकी का चयन प्रौद्योगिकीय आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर किया जायेगा।

दिल्ली/नई दिल्ली से चलने वाली मेल/एक्सप्रेस रेल गाड़ियों के बीच एटेंडेंटों द्वारा चलाई जा रही समानान्तर डाक सेवा

3517. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दिल्ली/नई दिल्ली से आरम्भ होने वाली सभी प्रमुख मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के बीच एटेंडेंट्स द्वारा चलाई जा रही समानान्तर डाक सेवा की जानकारी है जो व्यापारियों की ओर से पत्रों के पैकेट और पार्सल ले जाकर एक गंतव्य स्थान पर उनके प्रतिनिधियों को सौंप देते हैं;

(ख) क्या इस धोखेधड़ी में रेल कर्मचारी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं; और

(ग) यदि हां, तो रेल विभाग के सहयोग से इस धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए उनका कौन से कदम उठाने का विचार है जिससे रेल कर्मचारियों के ऐसे व्यवहार से राजकोष को होने वाली राजस्व की हानि को भविष्य में रोका जा सके ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) जी, नहीं। डाक-तार विभाग के ध्यान में अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ग) यदि विभाग की जानकारी में ऐसा कोई विशेष मामला आता है, तो उस पर रेल मन्त्रालय से परामर्श करके उचित कार्रवाई की जाएगी।

स्थानान्तरित होने के बाद मथुरा में गए केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को गैस की सप्लाई

3518. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा में नई खोली गई इण्डेन (आई० ओ० सी०) गैस एजेंसी को ऐसे कोई अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे स्थानान्तरण के बाद मथुरा में गए केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के नाम, उनके द्वारा पिछले नियुक्ति स्थल पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के गैस कनेक्शन के सम्बन्ध में स्थानान्तरण बाउचर दिखाने पर अपने यहां दर्ज कर लें ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं और क्या उनका अब आवश्यक कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तेल कम्पनियों के बीच यह व्यवस्थाएं पहले से विद्यमान हैं कि किसी एक विशेष स्थान पर एक कम्पनी का गैस उपभोक्ता अपने स्थानांतरण पर अन्य स्थान पर एक एवजी कनेक्शन दूसरी कम्पनी से प्राप्त कर सकता है बशर्ते कि वह कम्पनी जिसने उसे पहले गैस कनेक्शन दिया था उसकी तैनाती के नये स्थान पर कार्य नहीं कर रही है। यह प्रत्येक कम्पनी के टर्मिनेशन वाउचर पद्धति के जरिये होता है जिनको दूसरी कम्पनी द्वारा पारस्परिक आधार पर स्वीकार किया जाता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

देश में तेल कुओं में आग

3519. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान देश में तेल के कुओं में आग लगने की कुल कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) तेल कुओं के छिद्रण में हुई प्रगति को देखते हुए और आग लगने की ऐसी घटनाओं के फलस्वरूप हुई हानि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले एक वर्ष में आग लगने की ऐसी घटनाओं के फलस्वरूप हुई हानि का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गत एक वर्ष के दौरान देश के तटवर्ती क्षेत्रों में तेल कुओं में आग लगने की पांच घटनाएं हुई हैं। इसके अतिरिक्त, आग लगने की एक घटना व्यधन किए जा रहे एस० जे०-5 नामक एक अपतटीय कुएं में हुई थी।

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है कि तेल उत्पादन कार्यक्रम को कोई हानि न हो और वर्ष 1982-83 के लक्ष्य प्राप्त कर लिए जायें। तेल कुओं के व्यधन संचालनों के दौरान सम्भावित आग की दुर्घटनाओं को दूर करने/रोकने के सभी सुरक्षात्मक सावधानियां बरती जा रही हैं।

(ग) पांच तटवर्ती दुर्घटनाओं में से चार दुर्घटनाओं में लगभग 12 लाख रुपये की हानि हुई। पांचवीं तटवर्ती दुर्घटना में और इसके साथ-साथ एस० जे०-5 नामक अपतटीय कुएं में हुई दुर्घटना में हुई हानि का मूल्यांकन किया जा रहा है।

कोयला घोल की बिक्री के लिए टेंडर

3520. **श्री पियूष तिरकी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी० सी० एल० की कठारा और सोवंग स्थित धोवनशालाओं के कोयला घोल को "डी" ग्रेड का "नान कोकिंग कोल" घोषित कर दिया गया है, जिसके मूल्य 27 मई, 1982 को निर्धारित कर दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन कारणों और तथ्यों के आधार पर इसकी बिक्री के लिए टेण्डर आमन्त्रित किए गए हैं, जबकि इसका मूल्य निर्धारित हो चुका है ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्लरी की बिक्री के लिए टेण्डर

3521. **श्री पियूष तिरकी** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी० सी० एल० के कटहारा वाशरी और सोवांग वाशर से श्लरी की बिक्री के लिए टेंडर आमन्त्रित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या टेण्डर कागजात में उल्लिखित शर्तों के अनुसार टेण्डर प्रस्तुत करते समय कोयला व्यापार लाइसेंस का होना आवश्यक था;

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त टेण्डर ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जिसके पास कोयला व्यापार लाइसेंस नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

तटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों को दी गई प्रायोगिक ज्वार भाटा उर्जा

3522. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां वर्ष 1981-82 में प्रायोगिक ज्वार-भाटा ऊर्जा सुलभ की गई थी;

(ख) सरकार इसके कार्य-निष्पादन से कहां तक सन्तुष्ट है; और

(ग) उससे लघु उद्योगों के लिए बिजली प्राप्त होने की सम्भाव्यता के बारे में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) ज्वार भाटों से विद्युत का विकास करने की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कच्छ की खाड़ी में अध्ययन तथा अन्वेषण कार्य हाथ में लेने के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक की लागत का एक प्रस्ताव भारत सरकार ने स्वीकृत किया है । इस प्रयोजन के लिए प्रारम्भिक अध्ययन 1981-82 में शुरू किए गए थे । ज्वारीय विद्युत उत्पादन से कच्छ की खाड़ी में अनन्तिम विद्युत शक्यता 600 मेगावाट होने का अनुमान है । तथापि, यह उल्लेखनीय है कि इस समय देश में कोई ज्वारीय विद्युत केन्द्र प्रचालन में नहीं है ।

एकत्र की गई फायर क्ले का उठाना

3523. **श्री शिबु सोरन** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निचली खान पर नई कोयला खान की खुदाई के कारण भारी मात्रा में फायर क्ले निकाली गई है और बेकार समझकर डाल दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न स्थानों पर पड़ी हुई इस फायर क्ले को उठाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

कारगली और कटहरा क्षेत्रों में अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजा

3524. **श्री शिबु सोरन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० सी० एल० के अन्तर्गत कारगली और कटहरा क्षेत्रों में अधिगृहीत जमीन के लिए मुआवजा वर्ष 1964 से अब तक न तो लोगों को दिया गया है और न ही कोई रोजगार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो कितने लोगों को मुआवजा दिया गया है और कितनी दर पर दिया गया है; और

(घ) कितने लोगों को रोजगार दिया गया है और कितने मामले में अभी विचाराधीन है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) अभी तक 295 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है । सामान्यत: से० को० लि० ने तीन एकड़ या इससे अधिक भूमि से वंचित एक परिवार को एक नौकरी देता है । कभी-कभी विशेष मामलों में यदि भूमि तीन एकड़ से कम हो तो भी भू-विस्थापितों को कठिनाई के आधार पर उदाहरण के लिए जीवन-निर्वाह का कोई अन्य साधन न होने पर—नौकरी दे दी जाती है ।

सी० सी० एल० के कटहरा क्षेत्र में नया गोबिन्दपुर स्थान पर नई परियोजना

3525. **श्री शिबु सोरन** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि सी० सी० एल० कटहरा क्षेत्र में नया गोबिन्दपुर स्थान पर एक नई परियोजना आरम्भ किये जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितना समय लिये जाने की संभावना है और उसमें आने वाली कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना रिपोट के आधार पर वहां कितने व्यक्तियों को नियुक्त किये जाने की सम्भवना है; और

(घ) नियुक्तियों के सम्बन्ध में सी० सी० एल० की नीति क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र): (क) और (ख) जी, हां। गोबिन्दपुर परियोजना को सरकार ने से० को० लि० के कठारा एरिया (कटेहरा एरिया नहीं) के लिए 17-7-1980 को मंजूर किया था और इस परियोजना की निर्धारित क्षमता 1990-91 में प्राप्त की जानी है। काम पहले ही शुरू हो चुका है परन्तु भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्रगति बहुत धीमी है। इसका कारण यह है कि भूमि के मालिक सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मुआव्जा स्वीकार नहीं कर रहे हैं और मुआव्जे की अत्यधिक ऊँची दरों एवं सभी ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए दबाव डाल रहे हैं। राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका है और इस संबंध में प्रयास अभी जारी हैं।

(ग) स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार कर्मिकों की संख्या पूरे उत्पादन स्तर पर 2390 है।

(घ) कार्मिकों की भर्ती के बारे में से० को० लि० सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन कर रही है जिसके अनुसार रु० 800 तक के कुल वेतन वाले पदों के लिए उम्मीदवारों के नाम स्थानीय रोजगार कार्यालयों से मंगाए जाते हैं। परन्तु, सीधी भर्ती भू-वंचितों के मामलों पर विचार करने के बाद ही की जाती है जिन्हें निर्धारित मानदंडों और उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार, और अन्य खानों से स्थानान्तरित किये गये व्यक्तियों को पुन: काम पर लगाने के बाद, रोजगार दिया जाता है। पर्यवेक्षी और कुशल पदों के सम्बन्ध में स्थानीय रोजगार केन्द्रों से यह पता लग जाने के बाद ऐसे व्यक्ति रोजगार केन्द्रों में उपलब्ध नहीं हैं, इन पदों को खुले विज्ञापनों द्वारा भरा जाता है।

जनता के लिए बेहतर डाक और दूरसंचार सेवा

3526. **श्री नवीन रवाणी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जनता के लिये बेहतर डाक और दूरसंचार सेवा का वायदा किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं और उनके मंत्री पद ग्रहण करने के बाद क्या सुधार किया गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) विभाग की निरन्तर यही चेष्ठा रहती है कि वह जनता को बेहतर डाक और दूरसंचार सेवाएं प्रदान करे। चालू योजना में भी इस उद्देश्य हेतु कार्यक्रम रखे गये हैं।

(ख) छठी योजना अवधि में, पहले-पहले ग्रामीण क्षेत्रों में डाक प्रणाली का विस्तार करके, अतिरिक्त लैटर बाक्सों की व्यवस्था करके तथा लैटर बाक्सों से डाक निकालने के लिए अतिरिक्त विभागेतर कर्मचारियों को नियुक्त करके और ग्रामों में वितरण प्रणाली को प्रभावशाली बनाकर डाक सेवाओं में सुधार किया जाएगा। चलते-फिरते शाखा डाकघरों की सेवाओं द्वारा और अधिक ग्रामों को भी डाक काउंटर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। डाक और रेल डाक सेवा कार्यालयों के लिए विभागीय भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण वह दूसरा कार्यक्रम है जिसको चालू योजना में कार्यान्वित किया जाएगा जिससे ऐसी संभावना है कि सेवा की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

पिछले दो वर्षों के दौरान 255 डाकघर और रेल डाक सेवा भवनों तथा 1527 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार 3490 नए डाकघर खोले गये और 5494 अंशकालिक विभागेतर कर्मचारी नियुक्त किए गये। इस अवधि के दौरान स्थापित किये गये अतिरिक्त लैटर बाक्सों की संख्या 10339 है तथा इसी अवधि के दौरान 4600 अतिरिक्त ग्रामों को चलती-फिरती काउंटर सेवा सुविधाएं प्रदान की गई।

जहां तक दूरसंचार पक्ष का सम्बन्ध है विभिन्न उपायों द्वारा सेवा की गुणता को सुधारने के प्रयास किये जा रहे हैं; निम्नलिखित प्रयास शामिल हैं :—

(एक) इन्स्यूलेटिड ड्राप वायर द्वारा ऊपरी तारों को बदलना;

(दो) नमी के प्रवेश को रोकने के लिए वितरण परिपथ जाल में जेली भरे केबिलों का उपयोग;

(तीन) दोषों को कम करने के लिए शुष्क वायु द्वारा मुख्य, जंक्शन द्वारा गौण केबिलों का दाबीकरण;

(चार) टूट-फूट को रोकने के लिए केबिलों को पी० वी० सी० नलिकाओं में बिछाना।

(पांच) जनोपयोगी संगठनों, जैसे अस्पतालों, समाचार एजेंसियों आदि में लगे महत्वपूर्ण टेलीफोनों की दैनिक जांच।

उठाए जा रहे विभिन्न उपायों के कारण विविध सेवाओं में आम सुधार हुआ है।

गुजरात के गांवों में डाकघरों का खोला जाना

3527. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में उन गांवों के जिला-वार नाम क्या हैं जहां के लिए ग्रामीण डाकघर खोलने हेतु 1980 से अभ्यावेदन दिए गये हैं और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) गांवों में नये डाकघर खोलने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) गुजरात राज्य में जिलावार उन गांवों की संख्या क्या है जहां 21 मार्च, 1982 के दिन कोई ग्रामीण डाकघर नहीं है और उन गांवों को सरकार का कब तक डाकघर सुलभ कराने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशों से तेल का आयात

3528. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 के दौरान विदेशों से तेल का आयात करने लिए किये गये समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान देश वार कितनी मात्रा में तेल आयात करने की संभावना है;

(ग) चालू वर्ष में देश में कितने तेल का उत्पादन करने की सम्भावना है; और

(घ) देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) अशोधित तेल के आयात के ठेके सामान्यत: वर्ष के आधार पर तय किये जाते हैं। कुछ तेल निर्यातक देशों की राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ हस्ताक्षर किए गये आवधिक ठेकों में वर्ष 1982 में अशोधित तेल की निम्नलिखित मात्राओं की सप्लाई के लिए व्यवस्था है :

(मि० मी० टनों में)

देश	मात्रा
ईराक	3.5
ईरान	3.3
सऊदी अरब	3.1
सोवियत संघ	2.5
संयुक्त अरब अमीरात	1.0
नाइजीरिया	0.5
वेन्जुयेला	0.5

इस सम्बन्ध में और आगे ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा।

(ग) आशा है कि वर्ष 1982 के दौरान देश में लगभग 20 मि० मी० टन अशोधित तेल का उत्पादन किया जायेगा।

(घ) देशी अशोधित तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्वेषण गतिविधियों में तीव्रता लाना, देशी अशोधित तेल उत्पादन कार्यक्रमों को तेज करना, विद्यमान रुग्ण कूपों की मरम्मत करना और बढ़ी हुई वसूली करने की कुछ तकनीकों के कार्यान्वयन जैसे अनेक उपाय किये गये हैं।

हिमाचल प्रदेश में 100 प्रतिशत विद्युतीकरण

3529. **प्रो० नारायण चंद पराशर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर० ई० सी०) द्वारा किन्हीं जिलों/खण्डों को 100 प्रतिशत विद्युतीकरण करने के लिये चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और इन लक्ष्यों को किस तारीख तक प्राप्त किया जायेगा तथा इन जिलों/खण्डों में (1) गांवों (2) घरों के विद्युतीकरण की वर्तमान प्रतिशतता क्या तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए सम्भावित व्यय क्या है; और

(ग) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा इन जिलों/खण्डों के सम्बन्ध में 100 प्रतिशत विद्युतीकरण करने हेतु योजनायें स्वीकृत की गई हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कोयले का परिवहन

3530. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उपयोग में लाये जाने वाले कोयले का परिवहन किस ढंग से किया जाता है;

(ख) क्या पाइपलाइन के जरिये कोयले के परिवहन के सम्बन्ध में जैसा कि कुछ यूरोपीय देशों में होता है, कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) इस समय कोयले के परिवहन के निम्नलिखित साधन भारत में प्रयोग में लाये जाते हैं :—

1. रेल
2. सड़क
3. रज्जुमार्ग
4. बेल्ट कन्वेयर और
5. जहाज

(ख) और (ग) सरकार ने स्लरी पाइप लाइनों के जरिये कोयले के परिवहन की अर्थ-व्यवस्था की जांच के लिए एक कार्यकारी दल बनाया है। इस कार्यकारी दल ने साध्यता रिपोर्ट तैयार करने से सम्बन्धित काम को मैसर्स इन्जीनियर्स इण्डिया लि० को सौंपा है। मै० इन्जीनियर्स इण्डिया लि० ने साध्यता रिपोर्ट तदनुसार तैयार कर ली है और उसे विचार के लिए कार्यवाही दल को प्रस्तुत कर दिया है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल उत्पादन योजना

3231. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल उत्पादन से सम्बन्धित 10 के उस भावी कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं जो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तैयार कर लिये जाने का समाचार है ;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने देश में तेल का पता लगाने सम्बन्धी अपने कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किये हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रायोजन के लिये अपेक्षित अतिरिक्त ड्रिलिंग रिग्स और हिल रिग्स को प्राप्त करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इलबीर सिंह) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 1980-90 के लिए हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण एवं दोहन को तीव्र करने के लिए

एक वैचारिक योजना ढांचा तैयार किया है। इस प्रत्नात्मक योजना ढांचे में कुल 28995 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना है। मामले की जांच की जा रही है और ब्यौरे निश्चित नहीं किये गये हैं, जिसके कारण इस समय कार्यान्वियन का प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, इस समय प्रश्न ही नहीं उठता।

फैक्टरी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए कैद

3532. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी कानून के कुछ प्राविधानों का दोबारा उल्लंघन करने पर अवश्य कैद की सजा दिए जाने का विचार हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) जिन मामलों में न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट की गई या बढ़ाई गई अवधि के भीतर न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया जाता, उन मामलों में कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के दूसरे उल्लंघन के लिए अवश्य कैद की सजा निर्धारित करने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव है।

"रसियन्स में मेक फिल्म आफ एशियाड" शीर्षक समाचार

3533. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 सितम्बर 1982 के "स्टेट्समैन" में प्राकृतिक "रसियन्स में केक फिल्म आफ एशियाड" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य विकसित देशों जैसे जापान, संयुक्त राज्य अमरीका कनाडा, पश्चिम जर्मनी आदि से भी फिल्म विशेषज्ञ आमंत्रित किये गये थे और यदि हां, तो उनके विचारों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उन रूसी फिल्म विशेषज्ञों की संख्या क्या है जिनकी एशियाड की फिल्में बनाने के लिए भारत आने की आशा है; उनके नाम और दर्जा क्या है;

(घ) क्या एशियाड के बाद सरकार फिल्मों सम्बन्धी जापानी तकनीकी का आयात करने विचार है; यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार रूसी फिल्म विशेषज्ञों को आमंत्रित करने के अपने पहले के निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी हां।

(ख) कोई विदेशी फिल्म विशेषज्ञ आमंत्रित नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स वेथ की तीन कम्पनियों का विलय का प्रस्ताव

3534. **श्री निहाल सिंह** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चल रही मैसर्स वैथ तीन कम्पनियों के विलय के प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है तथा प्रत्येक कम्पनी के कृत्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान लाभ तथा अन्य रूपों में उक्त कम्पनियों ने कितनी धन-राशि अर्जित की;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में ऐसी किसी कम्पनी को बन्द करने की कोई व्यवस्था है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार को अब तक कितनी विदेशी मुद्रा की हानी हुई है ?

रसायान और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) यहां उल्लिखित तीन वेथ कम्पनियों के नाम है वेथ लेबोरेट्रीज, जोहन वेथ एण्ड ब्रादर और मै० वैथ (इन्डिया लि० मै० वैथ लेबोरेट्रीज मुख्य रूप से औषध और भेषजों के निर्माण में लगी हुई है। ये अपनी सम्बद्ध कम्पनी मै० जोहन वैथ एण्ड ब्रादर्स के लिए भी कुछ मदों का उत्पादन करते हैं। मै० जोहन वैथ एण्ड ब्रादर अपने फार्मूलेशनों का उत्पादन एवं विषाणन मै० ज्योफ्री मेन्नर्स एण्ड कम्पनी द्वारा करवाते हैं तथा मै० वैथ लेबस को बिक्री विस्तार एवं प्राशसनिक सेवाएं भी प्रदान करते हैं। मै० वैथ (इण्डिया) का मुख्य कार्य क्षेत्र (व्यापार) अपनी फैक्टरियों को औषधों और भेषजों के उत्पादन हेतु किराये पर देना है अत: ये एक भूस्वामी के रूप में कार्यशील है। वैथ ग्रुप उक्त तीनों कम्पनियों को मिला करके अपनी गतिविधियों की अन्तर्गत करना चाहते थे और तदनुसार उन्होंने जोहन वैध (इण्डिया) प्राइवेट लि० के नाम से एक कम्पनी बनाई जो सभी तीन उपक्रमों का व्यापार अधिग्रहित कर लेगी। समामेलन के निम्न परिणाम हो सकते थे :—

(i) हस्तांतरी कम्पनी, अर्थात जोहन वैथ (इण्डिया) प्रा० लि० की गतिविधियों में वर्तमान तीनों के कार्याकलाप सम्मिलित होगें;

(ii) एक बार यदि हस्तांतरी कम्पनी द्वारा वर्तमान कम्पनी का व्यापार अधिग्रहित कर लेने पर वैथ लेबस लि० द्वारा (वैथ) आई से पट्टे पर ली गई भूमि भविष्य में पट्टे पर नहीं रहेगी क्योंकि हस्तांतरी कंपनी स्वयं भू-स्वामी हो जाएगी;

(iii) बम्बई उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ समामेलन की योजना को स्वीकृति दी है परन्तु इन शर्तों को पूरा न किये जाने के कारण यह योजना अभी कार्यन्वित नहीं हो सकी है।

(ख) 1977-78 से 1979-80 तक के तीन वर्षों के दौरान मै० वैथ लेबोरेट्रीज द्वारा कमाये गये लाभों (करों के पश्चात्) के संबंध में उपलब्ध सूचना निम्न प्रकार है :—

1977-78	33·32 लाख रुपये
1978-79	39·96 ,,
1979-80	49·15 ,,

अन्य दो कंपनियों द्वारा कमाये गये लाभों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है।

(ग) विदेशी मुद्रा विनियमन के अधिनियम के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक को विदेशी कंपनियों के भारत में अपने कार्यकलापों को जारी रखने के आवेदन पत्रों को स्वीकृति प्रदान करने या उन्हे रद्द करने का अधिकार दिया गया है। जिस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाता है उनमें संबंधित कंपनी को अपने कार्यालय बन्द करने पड़ते हैं, या शाखा कार्यालय या व्यापार के किसी भी अन्य स्थान को ऐसे कार्यकलापों को करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट तारीख की समाप्ति पर बन्द करना पड़ता है।

(घ) और (ङ) 1976 में निर्णय किया गया था कि मै० जान वैथ एण्ड ब्रदर्स और मै० वैथ (इण्डिया) लि० से भारत में अपने कार्यकलाप समाप्त करने को कहा जाए। तथापि, इस निर्णय को हाथी समिति के निर्णयों को सरकार द्वारा अन्तिम रूप दिए जाने तक अस्थगित रखा गया। इस मामले पर विदेशी कंपनियों के अन्य लंबित फैरा आवेदन पत्रों के साथ 1981 में पुनः विचार किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन दोनों कंपनियों को 1-2-1982 को निर्देश दिया कि वे भारत में अपने कार्यकलाप समाप्त करें। मै० वैथ (इण्डिया) लि० इस देश में अपने कार्यकलाप समाप्त करने को सहमत हो गये हैं और ऐसा करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश के विरुद्ध मै० वैथ एण्ड ब्रदर्स का अभ्यावेदन विचाराधीन है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि का वार्षिक विवरण न दिया जाना

3535. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भविष्य निधि आयोग, कलकत्ता अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह निधि के सहभागी कर्मचारियों को वार्षिक लेखा विवरण जारी नहीं करता है और इससे संघ क्षेत्र में व्यापक असन्तोष है यदि हां, तो चेटटम सा मिल्स के कर्मचारियों को पिछली बार लेखा स्लिप भेजी गई थी; और

(ख) क्या सरकार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो यह कब तक खोला जाएगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में पोर्ट ब्लेयर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

तमिलनाडु में कर्मचारी भविष्य निधि से सतर्कता संगठन

3536. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम्** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के कर्मचारी भविष्य निधि में कोई सतर्कता संगठन गठित किया गया हैं; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त संगठन ने पिछले तीन वर्षों में अनियमितता के कितने मामले रजिस्टर किए, कितने मामलों की जांच की और कितने मामलों को निपटाया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

स्ट्रैप्टोमाइसीन सल्फेट की कमी

3537. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम्** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में स्ट्रैप्टोमाइसीन सल्फेट की कमी के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) देश में स्ट्रैप्टोमाइसिन सल्फेट प्रपुंज औषध की कोई कमी नहीं है। मैसर्स हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि० और मैसर्स इन्डियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लि० के पास स्टाक जमा हो रहा है। 8-10-1982 को समाप्त होने वाली दो सप्ताह की अवधि में स्ट्रैप्टोमाइसिन इंजैक्शन और स्ट्रैप्टोपेंसिलिन इंजैक्शन के कुछ विशिष्ट ब्रांडों की कलकत्ता, भरतपुर और मद्रास से स्थानीय कमी की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिली है कि इन सभी जगहों में समप्रभावी दवाएं उपलब्ध थी।

सम्बन्धित उत्पादकों को तार से परामर्श भेजा गया था कि वहां माल शीघ्र भेजें और सूचना मिली है कि उन्होंने कमी दूर कर दी है।

मैसर्स टी०वी०एस० सन्स लिमिटेड

3538. **श्री डी०एस०ए०शिवप्रकाशम्** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में टी०वी०एस० सन्स लिमिटेड के नियन्त्रण स्वामित्व के अन्तर्गत कम्पनियों के नाम और संख्या क्या हैं;

(ख) प्रत्येक कम्पनी क्या व्यापार करती है;

(ग) पिछले पांच वर्षों और वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान इन प्रत्येक कम्पनियों की परिसम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसी वित्तीय संस्था ने प्रत्येक कम्पनी में पूंजी निवेश करने के लिए धन दिया है और यदि हां, तो वह कितना है;

(ङ) क्या यह सभी कम्पनियां अपने तुलन-पत्र सरकार को प्रस्तुत कर रही हैं; और

(च) यदि नहीं, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) तमिलनाडु स्थित टी०वी०एस० औद्योगिक घराने की कम्पनियों के नामों, उनके द्वारा सम्पन्न किए जा रहे व्यापार और 1977 से 1981 में परिसम्पत्तियों को दर्शाता हुआ **विवरण** संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5607/82]

(घ) यह परिकल्पना की जाती है कि माननीय सदस्य ने वित्तीय संस्थान के बकाया ऋणों की सूचना मांगी है। यह सूचना संलग्न **विवरण-पत्र** में दी जाती है।

(ङ) हां, श्रीमान् जी।

(च) उत्पन्न नहीं होता।

तिल्लारी और पेंच पन-परियोजनाओं को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 से छूट

3539. **श्री वी०एन० गाडगिल** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पन-बिजली परियोजनाओं को पूरा करने में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) क्या महाराष्ट्र में तिल्लारी पन-बिजली परियोजना और पेंच पन-बिजली परियोजना, जो कि 1985-86 तक पूरी की जानी हैं; को पूरा किए जाने में विलम्ब हो जाएगा क्योंकि उन्हें वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उपबन्धों से छूट नहीं दी गई है; और

(ग) क्या महाराष्ट्र में बिजली की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार का विचार इन परियोजनाओं के मामले में तत्काल छूट देने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बंडेल यूनिट-पांच बिजली घर के लिए सप्लाई किये गये ट्रांसफार्मर तेल का अनुपयुक्त पाया जाना

3540. **श्री सनत कुमार मन्डल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि बंडेल यूनिट पांच ताप बिजली घर (पश्चिम बंगाल) के लिए सप्लाई किया गया। ट्रांसफार्मर तेल उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया है, और इस प्रकार उस राज्य में बिजली की पहले से खराब स्थिति और भी खराब हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह जानने के लिए इस मामले की जांच करवाई है कि कितना घटिया तेल सप्लाई किया गया था तथा बिजली घरों को तेल सप्लाई किये जाने से पूर्व उसकी गुणवत्ता की उचित जांच न करने के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है;

(ग) उसके निष्कर्ष क्या हैं और यह सुनिश्चत करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि भविष्य में ऐसी चूकें न हों; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक गृहों द्वारा रक्षित उद्योग के लिए नये अथवा पुराने बिजली संयंत्रों का आयात करने की अनुमति की प्राप्ति

3541 **श्री सनतकुमार मंडल :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़े औद्योगिक गृहों के नाम क्या हैं जिन्हें चालू वर्ष में अब तक, और 1981-82 के दौरान रक्षित उपयोग के लिए नए अथवा पुराने बिजली संयंत्र आयात करने की अनुमति दी गई है;

(ख) इन संयंत्रों की क्षमता कितनी है, ये कहां स्थापित किये जाएंगे किस देश से आयात किये जायेंगे. क्या सीधे अथवा किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से आयात किए जाएंगे, इन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी;

(ग) जो उपकरण भारत में पहुंच गए हैं अथवा अभी रास्ते में हैं उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन आरक्षित इकाइयों द्वारा पैदा की गई बिजली सरकार उपयोग के लिए भी उपलब्ध होगी, विशेषकर उन राज्यों में जहां बिजली सम्बन्धी स्थिति बहुत खराब है, यदि हां, तो क्या इसे राज्य बिजली बोर्डों के माध्यम से दिया जाएगा अथवा इच्छुक पार्टियों को सीधे सप्लाई कर दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 1981-82 में या चालू वर्ष के दौरान अब तक किसी भी बृहत् औद्योगिक गृह को कैप्टिव प्रयोग के लिए विद्युत उत्पादन संयंत्र आयात करने की अनुमति नहीं दी गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले के उत्पादन के लिए झरिया उपनगरीय क्षेत्र में और अधिक भूमि के अधिग्रहण की योजना

3542. **श्री चिन्तामणि जैना :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए झरिया उपनगरीय क्षेत्र में और अधिक भूमि के अधिग्रहण की कोई योजना है;

(ख) झरिया कोयला क्षेत्र के समीप के क्षेत्र को खनन क्षेत्र में तबदील करने के लिए अधिग्रहीत किए जाने वाले भू-क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका कितने परिवारों पर असर पड़ेगा तथा उसके पुनर्वास के लिए क्या उपाय किए गये हैं; और

(घ) इस योजना के कब तक क्रियान्वित होने की आशा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) झरिया कोयला क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए पोलैंड के विशेषज्ञों की सहायता से के०खा०आ० और डि०सं०लि० द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान के अनुसार कुल लगभग 30,000 हेक्टेयर जमीन की इन कामों के लिए आवश्यकता है—ओपेनकास्ट और भूमिगत दोनों के लिए खनन ब्लाक्स, प्रमुख सड़कें, रेलवे, बस्तियां और बिजली की सप्लाई, आदि । झरिया कोयला क्षेत्र भारत में प्राइम कोककर कोयले का एकमात्र स्रोत है और इस कोयला क्षेत्र में दोहन योग्य कुल भण्डारों में से 550 मिलियन टन कोयला झरिया शहर और अन्य बस्तियों आदि के नीचे पड़ा हुआ है ।

(ग) लगभग 860,000 व्यक्तियों को सन् 2000 ई० तक अलग-अलग चरणों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होगी । इन व्यक्तियों में से 523,000 व्यक्ति भा०को०को०लि० के कर्मचारी और उनके आश्रित होंगे । जो अन्य व्यक्ति प्रभावित होंगे उनमें 267,000 व्यक्ति शहरी क्षेत्र के और 68,000 व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों के हैं । पुनर्वास के लिए कुल 19,190 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी । पुनर्वास प्रयोजन के लिए सात बस्तियों की योजना बनाई गई है और भा० को० को०लि० कर्मचारियों/आश्रितों से इतर व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 66,000 मकान बनाए जाने का प्रस्ताव है । प्रस्ताव यह है कि निर्माण की लागत का 50 प्रतिशत भा०को०को०लि० वहन करेगा और 50 प्रतिशत बिहार राज्य सरकार और सम्बद्ध समितियां वहन करेंगी ।

(घ) इस योजना का कार्यान्वयन चरणों में शुरू किया जा चुका है । अनेक परियोजनाएं जो इस योजना का अभिन्न अंग हैं, अनुमोदित हो चुकी हैं और उनके कार्यान्वयन की कार्रवाई शुरू हो गई है । झरिया कोयला क्षेत्र का पुनर्गठन 2000 ई० तक पूरा हो जाने का कार्यक्रम है ।

कोयले का उत्पादन

3543. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान कोयले का ग्रेड-वार वार्षिक उत्पादन कितना-कितना हुआ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त अवधि के दौरान कोयला क्षेत्र को हानियां हुई, यदि हां, तो कितनी हानियां हुई;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) हानियों को सबसे कम करने और इसे लाभकर बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा के कस्बों में रसोई गैस की सुविधाएं

3544. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के ऐसे कौन-कौन से कस्बे हैं जहां 31 मार्च, 1982 तक रसोई-गैस की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान यह सुविधा और किन-किन कस्बों को उपलब्ध करा दी जाएंगी;

(ग) रसोई गैस की नई एजेन्सी खोलने के क्या मानदण्ड हैं;

(घ) दिनांक 31 मार्च, 1982 तक उड़ीसा में रसोई गैस के नए कनेक्शन हेतु कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन थे; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान कितने नए कनेक्शन जारी किए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आस्का, कटक, राउरकेला, भुवनेश्वर, बालासोर, जयपुर, रायागोडा, बेहरमपुर, पुरी, सम्बलपुर, बुरला और सुनाबेडा।

(ख) बोलनगीर, पारादीप, धेनकानल, कोरापुट, बृजराजनगर, क्योन्जर, फुलबानी, भवानी पत्ना, बारीपाडा, छत्रपुर और सुन्दरगढ़।

(ग) उत्पाद की उपलब्धता होने पर नये शहरों को एल०पी०जी० (कुकिंग गैस) के विपणन को निम्नलिखित दृष्टिकोणों पर बढ़ाया जाता है :—

(i) पूर्वानुमानित उपभोक्ता क्षमता;

(ii) वितरण-उपकरणों का अधितकम उपयोग; और

(iii) संचालनों की व्यवहार्यता।

तथापि, उद्योग की 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों को चरणबद्ध तरीके से शामिल करने की योजना है।

(घ) 29, 279

(ङ) 37,000।

केसरगराह और दामोदा कोयला खानों में सूची से निकाले गए नैमित्तिक श्रमिकों को पुनः रोजगार

3545. **श्री ए०के० राय :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लि० के क्षेत्र संख्या 1 की केसरगराह और दामोदा कोयला खानों में बदली लोडरों के रूप में सूची से निकाले गए ऐसे कितने नैमित्तिक श्रमिक पुनः रोजगार के लिए पात्र पाये गए जिनकी 1973 और 1976 के बीच परामर्शदात्री समिति में करार के अनुसार 75 दिनों से अधिक की उपस्थिति थी इसके ब्यौरे-वार तथ्य क्या हैं;

(ख) सूची से निकाले गए कितने नैमित्तिक श्रमिकों को 1-10-82 तक वास्तव में पुनः रोजगार दिया गया;

(ग) क्या यह सच है कि यह पहचान का पता लगाने का कार्य भारत कोकिंग कोल लि० के डी०आई०जी० सुरक्षा को एक वर्ष से अधिक समय पूर्व सौंपा गया था; और

(घ) क्या उक्त कार्य पूरा हो गया है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बिजली की अनुपलब्धता, हड़तालों और अनुपस्थिति के कारण कोयला उत्पादन की हानि

3546. **श्री ए०के० राय** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में कोल इंडिया लि० के अन्तर्गत पांच कम्पनियों में बिजली की अनुपलब्धता, हड़तालों और अनुपस्थिति के कारण कोयले के उत्पादन में कितनी हानि हुई है; और

(ख) क्या वहां हानि में पुनः वृद्धि हो रही है; यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गीशंकर मिश्र) : (क) पिछले पांच वर्षों में बिजली उपलब्ध न होने के कारण कोयले के उत्पादन में को०इ०लि० द्वारा अनुमानित हानि निम्नलिखित रही है :—

(आंकड़े मि० टनों में)

वर्ष	ई०को०लि०	भा०को०को०लि०	से०को०लि०	वे०को०लि०	ना०ई०को०	कुल
1981-82	1·49	0·49	0·60	0·41	0·02	3·01
1980-81	2.46	1·67	1·10	0·22	—	5·46
1979-80	2·83	2·15	1·51	0·27	0·02	6·78
1978-79	0·49	1·24	1·25	0·24	—	3·67
1977-78	0·32	0·91	0·91	0·19	—	2·33

पिछले पांच वर्षों में अनुपस्थिति के कारण कोयले के उत्पादन में को०इ०लि० द्वारा अनुमानित हानि निम्नलिखित रही है :—

वर्ष	ई०को०लि०	भा०को०को०लि०	से०को०लि०	वे०को०लि०	ना०ई०को०	कुल
1981-82	1·24	0·47	0·35	0·24	—	2·30
1980-81	3·20	0·94	0·42	0·66	—	5·22
1979-80	3·19	0·92	0·27	0·76	0·30	5·44
1978-79	2·57	0·95	4·46	0·51	—	4·49
1977-78	0·13	0·73	0·28	0·10	—	1·24

को०इ०लि० श्रमिक अशांति और/या कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण उत्पादन में हुई हानि का सांख्यिकीय ब्यौरा रखता है। पिछले पांच वर्षों में श्रमिक अशांति/कानून और व्यवस्था स्थिति के कारण हुई उत्पादन में हानि को०इ०लि० के अनुमान के अनुसार निम्नलिखित रही है :—

वर्ष	ई०को०लि०	भा०को०को०लि०	से०को०लि०	बे०को०लि०	ना०ई०को०	कुल
1981-82	0·26	0·07	0·02	0·14	—	0·47
1980-81	0·15	0·17	0·05	0·24	—	0·61
1979-80	0·20	0·15	0·03	0·26	—	0·64
1978-79	0·33	0·45	0·13	0·29	—	1·20
1977-78	0·16	0·25	0·12	0·12	—	0·65

(ख) जी, नहीं।

दरभंगा, मधुबनी और जयनगर में टेलीफोन सेवा का खराब होना

3547. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **संचार मन्त्री** दरभंगा, मधुबनी और जयनगर में टेलीफोन सेवा खराब होने के बारे में दिनांक 3 अगस्त, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3896 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरभंगा, मधुबनी और जयनगर में टेलीफोन सेवा अस्त-व्यस्त होने के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक क्या सुधार हुआ है;

(ख) क्या बढ़िया किस्म के इंजन आल्टरनेटर लगाने से दरभंगा, मधुबनी, झंझरपुर, लोहरी-सराय और गौधारडिहा में टेलीफोन सेवा सही हो गई है तथा बिसफी, परसौनी, घहारघाट, बसायथा, लौकहा, लाडुआ तथा बाबू बारही सार्वजनिक टेलीफोन से अब ट्रंक कालें मिल रही हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या बेनीपट्टी डाक मुख्यालय में डाक भवनों का निर्माण किया जा रहा है तथा उसके आस-पास के सार्वजनिक टेलीफोन को बाया बेनीपट्टी, मधुबनी के साथ जोड़ा जा रहा है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) दरभंगा, मधुबनी और जयनगर में टेलीफोन सेवा की अद्यतन स्थिति सन्तोषजनक है। दरभंगा से ट्रंक कालों की प्रभावी प्रतिशतता जुलाई 82 में 67 प्रतिशत से सितम्बर, 1982 में 76 प्रतिशत हो गई है।

(ख) दरभंभा और लहरिया सराय में उच्च क्षमता के इंजिन आल्टरनेटरों की संस्थापना से इन स्थानों में टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्यकरण में सुधार हुआ है। मधुबनी, झंझरपुर गौधारडिहा में इन एक्सचेंजों की विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए इंजिन आल्टरनेटर पर्याप्त हैं।

इन सार्वजनिक टेलीफोन घरों से बहुत कम कालें बुक की जा रही हैं।

(ग) बेनीपट्टी की पहले ही डाक इमारत है। 25 लाइनों के एक एक्सचेंज की स्थापना करने लिए उचित इमारत की तलाश की जा रही है। इस एक्सचेंज के चालू हो जाने पर नजदीकी सार्वजनिक टेलीफोन घरों को बेनीपट्टी से जोड़ दिया जाएगा।

टाटा आयल मिल्स की आनुषंगी कम्पनियां

3548. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम्** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आयल मिल्स कम्पनी (टोमको) की भारत में कोई पूर्णस्वामित्व वाली आनुषंगी कम्पनियां हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय ऐसी कितनी आनुषंगी कम्पनियां हैं; और

(ग) वे किस प्रकार की हैं और प्रत्येक में कितनी पूंजी का निवेश किया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) हां, श्रीमान् जी। मैसर्स टाटा आयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड (टोमको) की 31-3-1982 को समाप्त होने वाली मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, उसकी भारत में दो पूर्णरूप से स्वामित्वाधीन सहायकें हैं नामशः (1) मैसर्स लाक्मे लिमिटेड और (2) मैसर्स आफताब इन्वैस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड। इनकी गतिविधि का रूप निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	नाम	गतिविधि का रूप
1.	मैसर्स लक्मे लिमिटेड	इत्रादि, सौन्दर्य सामग्री और प्रसाधन सामग्री
2.	मैसर्स आफताब इन्वैस्टमेंट कम्पनी लि०	निवेश

टोमको मैसर्स लक्मे लिमिटेड को क्रमशः 81.00 लाख रु० और मैसर्स आफताब इन्वैस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड को 10.00 लाख रु० की समग्र इक्यूटि पूंजी का धारण करती है।

आई०डी०पी०एल० का कार्य निष्पादन

3549. **श्री सनतकुमार मंडल** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 26 अगस्त, 1982 के टाइम्स आफ इण्डिया, नई दिल्ली में "आई० डी० पी० एल० परफोरमेंस पुअर, सेज मिनिस्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) आई०डी०पी०एल० द्वारा अपने कार्यालयों को संयंत्रों में स्थानांतरित न कर सकने के क्या कारण हैं जिससे उसके व्यय में बेहतर तालमेल और मितव्ययिता सुनिश्चित हो सकती ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) संयंत्र प्रबन्धकों के कार्यालय संयंत्रों में स्थित है। निगम कार्यालय भी फार्मूलेशन संयंत्र से आगे गुड़गावां में स्थानांतरित किया जा चुका है। दिल्ली क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विक्रय कार्यालय और बल्क सेल्ज डिपों के अलावा केवल विपणन प्रभाग और सम्पर्क कार्यालय ही दिल्ली में स्थित है।

कटिहार डिवीजन के डाकतार कर्मचारियों का अभ्यावेदन

3550. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटिहार डिवीजन के डाकतार कर्मचारियों ने संचार मन्त्री को दिनांक 20 जुलाई 1982 का कोई अभ्यावेदन भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सचिव अखिल भारतीय डाक तार कर्मचारी समन्वय समिति कटिहार से दिनांक 20 जुलाई, 1982 को एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था जो मान्यता प्राप्त संगठन नहीं है।

(ख) प्रतिवेदन में निम्नलिखित मांगें निहित हैं :—

(एक) 1-4-82 से 1-6-82 तक देय महंगाई भत्ते की तत्काल अदायगी;

(दो) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वेतनमान के बराबर वेतन करने सम्बन्धी मांग को तत्काल निपटाना;

(तीन) एफ० आर० 17(क) तत्काल निरसन;

(चार) कार्यालय के अहातों में बैठक पर रोक लगी हटाना;

(पांच) बारी-बारी से स्थानांतरण के आदेश रद्द करना;

(छ) समयोपरि भत्ते आदि लंबित दावों का भुगतान करना;

(सात) कटिहार में डाक तार क्वार्टरों का सामान दर के स्थान पर स्टेंडर्ड लाइसेंस फीसी करना। वर्तमान नियमों के अधीन और मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रतिवेदनों पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

डेसू के महाप्रबन्धक के विरुद्ध जांच

3551. **श्री निहाल सिंह** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के महाप्रबन्धक द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच अभी चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो जांच पूरी करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जांच की जा रही है और जांच अधिकारी से जांच शीघ्रताशीघ्र पूरी करने के लिए कहा गया है।

बिरला, टाटा, डालमिया के कर्मचारियों की परिलब्धियां आदि

3552. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** बिरला, टाटा, डालमियां के कर्मचारियों की परिलब्धियां आदि के बारे में 20 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1845 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस कानून, नियम अथवा आदेश के अन्तर्गत सरकारी लिमिटेड कम्पनियों के कार्यकारी निदेशकों, निदेशकों, प्रबन्ध निदेशकों और अन्य कर्मचारियों को उनके आरामदायक जीवन यापन के लिए फ्रिज, वातानुकूलन जैसी आधुनिक सभी सुविधाओं से युक्त वैभवपूर्ण सामानों से सज्जित आवास और निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है;

(ख) इस प्रकार का व्यय किस सीमा तक प्रतिवर्ष किया जा सकता है और क्या ऐसी कम्पनियों को करदेय आय और उनकी आर्थिक मूल्य की गणना करते समय उनकी उपलब्ध राशि ऐसी कम्पनियों के वार्षिक प्रतिवेदनों से संलग्न विवरणों में शामिल की जाती है; और

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 65 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है, सरकार का विचार इस प्रकार के विलासपूर्ण व्यय पर कोई रोक लगाने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम की धारा 637कक के साथ पठित, धारा 269, 198, 309 तथा 388 के उपबन्धों के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार के लिए, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा उन प्राइवेट लि० कम्पनियों, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की सहायक हों, के निदेशकों, प्रबन्ध निदेशकों/पूर्ण कालिक निदेशकों तथा प्रबंधकों की नियुक्ति, व्यक्तिगत पारिश्रमिक तथा परिलब्धियों को विनियमित करना अपेक्षित है। ऊपर कथित प्रबन्धकीय कार्मिकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक को विनियमित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्धी नवीनतम मार्ग-दर्शक नियम 9-11-1978 तथा 4-10-1979 को प्रेषित किए गए थे। इन मार्ग-दर्शक नियमों के अनुसार, 5,000 रु० प्रतिमास का अधिकतम वेतन, वेतन तथा परिलब्धियों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं का कमीशन, की अनुमति प्रदान की गई है, एवं इस प्रकार के प्रबन्धकीय कार्मिकों की परिलब्धियां, कम्पनी अधिनियम की धारा 198 के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत यथा उपबन्धित, कम्पनी द्वारा किए गए वास्तविक व्यय अथवा देयताओं के आधार पर, वार्षिक वेतन के समतुल्य राशि तक निबन्धित की गई हैं। कम्पनी अधिनियम में, वर्तमान में पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के अन्य कार्यकारियों के पारिश्रमिक को विनियमित करने के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। तथापि, निदेशकों से सम्बन्धित कार्यकारियों के मामले में, यदि इस प्रकार के सम्बन्धी लाभ के ऐसे पदों या स्थानों को धारित कर रहे हों, जिनका पारिश्रमिक 3,000 रु० प्रतिमास से कम न हो, तो इनकी नियुक्तियों के लिये, अधिनियम की धारा 314(ख) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन आवश्यक है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति आदेशों के उल्लंघन का जब कभी पता चलता है, तो उनकी परीक्षा की जाती है, एवं कम्पनियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है। पुनः लेखा-बहियों की परीक्षा करने तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेषित स्वीकृति आदेशों के किसी अतिलंघन को विनिर्दिष्ट करने का उत्तरदायित्व सांविधिक लेखा-परीक्षकों का है। सांविधिक लेखा-परीक्षकों की इन रिपोर्टों के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

कम्पनी के वार्षिक लेखाओं में दिखाये गये पारिश्रमिक में, परिलब्धियों का रौपिक मूल्य सम्मिलित करना भी अपेक्षित है। कर योग्य आय की संगणना की बाबत, यह आयकर अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत विनियमित की जाती है।

नये तेल शोधक कारखानों की स्थापना

3553. **श्री नवीन रवाणी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ नये तेल शोधक कारखाने स्थापित करने और कुछ मौजूदा तेल शोधक कारखानों का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. इस समय कुछ शोधनशाला विस्तार और आधुनिकीकरण प्रायोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। ये निम्नलिखित हैं :—

(i) 1·2 मि०मी० टन प्रति वर्ष (एम०टी०पी०ए०) का विस्तार (4·5 मि०मी० टन प्रतिवर्ष की परिशोधन क्षमता प्राप्त करने के लिए) और कोचीन शोधनशाला 1·0 मि०मी० टन प्रतिवर्ष के फ्लूइड केटेलिटिक क्रेकिंग यूनिट की स्थापना;

(ii) 0·75 मि०मी० टन प्रतिवर्ष का विस्तार (6 मि०मी० टन प्रतिवर्ष की परिशोधन क्षमता प्राप्त करने के लिए) और भारत पेट्रोलियम शोधनशाला, बम्बई में 0·6 मि०मी० टन प्रतिवर्ष के फ्लूइड केटेलिटिक क्रेकिंग यूनिट की स्थापना;

(iii) 2·8 मि०मी० टन प्रतिवर्ष का विस्तार (5·6 मि० मी० टन प्रतिवर्ष की परिशोधन क्षमता प्राप्त करने के लिए) और मद्रास शोधनशाला में 0·6 मि० मी० टन प्रतिवर्ष के फ्लूइड केटेलिटिक क्रेकिंग यूनिट की स्थापना;

(iv) 3·0 मि०मी० टन प्रतिवर्ष का विस्तार (4·5 मि०मी० टन प्रतिवर्ष की परिशोधन क्षमता प्राप्त करने के लिए) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम शोधनशाला, विशाखापतनम में 0·6 मि०मी० टन प्रतिवर्ष के फ्लूइड केटेलिटिक क्रेकिंग यूनिट की स्थापना सहित; और

(v) संतोलन यूनिट के रूप में कार्य करने के लिए बम्बई स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन की शोधनशाला में 2·0 मि०मी० टन प्रतिवर्ष का विस्तार इन प्रायोजनाओं को वर्ष 1984-85 तक पूरा किये जाने की सम्भावना है।

2. निम्नलिखित गौण संसाधन सुविधाएं भी कार्यान्वयनाधीन हैं :—

(i) इण्डियन आयल कार्पोरेशन की कोयाली शोधनशाला में 1·0 मि० मी० टन प्रतिवर्ष का फ्लूइड केटेलिटिक क्रेकिंग यूनिट।

(ii) इण्डियन आयल कार्पोरेशन की मथुरा शोधनशाला में 1·0 मि०मी० टन प्रतिवर्ष का फ्लूइड केटेलिटिक क्रेकिंग यूनिट; और

(iii) बरौनी शोधनशाला में 0·5 मि०मी० टन का डिलेड कोकिंग संयंत्र ।

3. इसके अतिरिक्त, दो नई शोधनशालाएं जिनमें से प्रत्येक की 6 मि०मी० टन प्रतिवर्ष की क्षमता होगी करनाल और मंगलौर स्थान पर स्थापित करने के लिए प्रस्ताव दिया है।

4. हल्दिया शोधनशाला का 3·5 मि० मी० टन प्रतिवर्ष का विस्तार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

मैसर्स मार्कशार्प एंड धाम द्वारा साइप्रोहेप्टाडीन का निर्माण

3554. **श्री निहालसिंह :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स मार्कशार्प एण्ड धाम जिस लाइसेंस के अधीन साइप्रोहेप्टाडीन का निर्माण करते हैं, उनकी संख्या और तारीख क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस कम्पनी द्वारा साइप्रोहेप्टाडीन के निर्माण के लिए प्रत्येक वर्ष प्रयोग में लायी गई देशी और विदेशी सामान का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक प्रकार का कितना सामान प्रयोग में लाया गया;

(घ) कच्चे सामान की मात्रा आयातित निवेश लागत, बीमा और भाड़ा क्या है और साइप्रोहेप्टाडीन का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ङ) साइप्रोहेप्टाडीन का कारखाना मूल्य क्या है; और

(च) मैसर्स मार्क शार्प एण्ड धाम द्वारा इस औषधि की निर्माण-लागत क्या स्वीकृत की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) बल्क साइप्रोहेप्टाडाइन के निर्माण के लिए मैं० शर्प एण्ड धोमे के पास कोई पृथक औद्योगिक लाइसेंस नहीं है। तथापि, वे आई (डी०एंड० आर०) अधिनियम 1951 की अनुसूची 1 के स्पष्टीकरण 2 के प्राधिकार के अन्तर्गत इस औषध का निर्माण कर रहे थे। इस बल्क औषध के उत्पादन को विनियमित करने हेतु एक औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए कम्पनी ने हाल ही में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और इस आवेदन पत्र को अन्तिम रूप से रद्द कर दिया गया है।

(ख), (ग) और (घ) साइप्रोहेप्टाडाइन के निर्माण, के लिए प्रयोग किये गए कच्चे मालों के सम्बन्ध में सूचना, जहां तक उपलब्ध है, नीचे दी गई हैं :—

क्र.सं.	कच्चे माल का नाम	प्राप्ति के स्त्रोत	यदि आयात किया गया है तो सी०आई०एफ० मूल्य
1	2	3	4
1.	एवसोलूट अल्कोहल	स्वदेशी	—
2.	एकोटिक एसिड ग्लोसियल	वही	—
3.	हाइड्रोक्लोरीक एसिड	वही	—

(जारी···)

1	2	3	4
4.	डेरगो जी-60 या ब्रीलेक्स कारबोन (हाइपिनकारबोन)	वही	—
5.	सोडियम क्लोराइड	वही	—
6.	साइप्रेकारबिनोल बेस	आयातित	रु० 9.9 प्रति ग्राम (1979 में)

गत तीन वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा साइप्रोहेप्टाडाइन की निम्नलिखित मात्राओं का निर्माण करने की सूचना दी गई है :—

वर्ष	उत्पादन (कि.ग्रा.)
1979	301
1980	302
1981	162

(ङ) और (च) वर्ष 1980-81 के दौरान साइप्रोहेप्टाडाइन का सी०आई०एफ० आयात मूल्य 2 रु० प्रति ग्राम था। सीमाशुल्क की वर्तमान दर के आधार पर आयात की अवतरित लागत 3·70 रु० प्रति ग्राम बैठती है। सभी निर्माताओं के फार्मूलेशनों के मूल्य आयातों की अवतरित लागत के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। मैं० मर्क शर्प एण्ड धोमे आफ इण्डिया लि० ने औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1970 के अधीन उनके द्वारा घोषित 6·25 रु० प्रति ग्राम के अपने स्वदेशी मूल्य की बजाए आयात की अवतरित लागत के आधार पर फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित करने के विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन दिया है। कम्पनी का अभ्यावेदन रद्द कर दिया गया है।

अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह में ताप विद्युत संयंत्र

3555. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक ताप विद्युत संयंत्र केन्द्र स्वीकृत किया है, यदि हां तो स्वीकृति किस तारीख को दी गई और संस्थापना कार्य कब आरम्भ किया जाएगा;

(ख) क्या उक्त कार्य की संस्थापना के लिए अण्डमान और निकोबार प्रशासन को अनुमति दी जाएगी और अथवा भारत सरकार किसी बाहरी एजेंसी को नियुक्त करेगी किसी बाहरी एजेंसी की नियुक्ति की स्थिति में अण्डमान और निकोबार प्रशासन को कार्य न सौंपे जाने के क्या कारण हैं,

(ग) क्या भारत सरकार इस बात से सहमत है कि सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति स्थानीय लोगों में से की जायेगी, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सी०ई०ए० के कुछ कर्मचारी मुख्य भूमि से पोर्ट ब्लेयर में तैनात किए गए हैं, यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा (पदनाम सहित) क्या है, और पोर्ट ब्लेयर में उन्हें तैनात किये जाने का क्या औचित्य है ?

— **ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप-समूह के साउथ अण्डमान में 2×5 मेगावाट का ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने की एक स्कीम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है। औपचारिक प्रशासनिक स्वीकृति शीघ्र ही जारी कर दिए जाने की आशा है। प्रारम्भिक कार्य चल रहे हैं और प्रतिष्ठपना सम्बन्धी कार्य 1983-84 के प्रारम्भ में शुरू हो जाने की सम्भावना है।

(ख) प्रतिष्ठपना सम्बन्धी कार्य करने के लिए एजेंसी का निर्णय अण्डमान तथा निकोवार प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके लिया जाएगा।

(ग) जहां तक सम्भव और व्यवहार्य होगा समूह "ग" और समूह "घ" का नियोजन स्थानीय आधार पर किया जाएगा।

(घ) अब तक इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का कोई भी कर्मचारी मुख्य भूमि से पोर्ट ब्लेयर में तैनात नहीं किया गया है।

पूना में नोटरियों की संख्या में वृद्धि

3556. **श्री वी०एन० गाडगिल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूना शहर के लिए कितने नोटरी मंजूर किए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार शहर के तीव्र विकास और बढ़ती हुई माँग को ध्यान में रखते हुए इनकी संख्या में वृद्धि करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) पूना जिला के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा अपने कोटे से नियुक्त किए जाने वाले नोटरियों की संख्या 4 है। किंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य में नोटरियों की नियुक्ति के लिए कोटे में कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई गई है।

(ख) जी हां, इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव महाराष्ट्र की राज्य सरकार के परामर्श से विचाराधीन है।

विदेशी निर्माताओं और पूर्तिकर्ताओं को ठेके पर दी जाने वाली विद्युत परियोजनायें

3557. **श्री रामप्रसाद अहिरवार** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तापीय विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनका विदेशी निर्माताओं और पूर्तिकर्ताओं के साथ ठेका किया जा रहा है;

(ख) ताप एककों की संख्या तथा आकार क्या हैं (मेगावाट में) ठेका लेने वाली विदेशी पार्टियां और उनके भारती एजेण्टों के नाम क्या हैं, ठेके का मूल्य करोड़ रुपयों में कितना है; और

(ग) क्या उक्त प्रत्येक ठेके के लिये सारे विश्व के टेंडर माँगे गये हैं, और यदि नहीं, तो प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र (चरण-एक) तथा रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र (चरण-एक) की स्थापना के लिए ठेकों को हाल ही में अन्तिम रूप दिया गया है। ब्यौरे नीचे दिए अनुसार है :—

(1) विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र (चरण एक)

यूनिट का साईज	—6 × 210 मेगावाट
विदेशी ठेका लेने वाली पार्टी	—मै० टकनो-प्रोमएक्सपोर्ट (यू.एस.एस.आर.)
भारतीय एजेण्ट	—कोई नहीं
ठेके का मूल्य	—321 करोड़ रुपये (लगभग)

(2) रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र (चरण-एक)

यूनिट का साइज	—2 × 500 मेगावाट
विदेशी ठेका लेने वाली पार्टी	—मै० नार्दन इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज (यू०के०)
भारतीय एजेण्ट	—कोई नहीं
ठेके का मूल्य	—410 करोड़ रु० (लगभग)

(ग) जी, नहीं। विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र (चरण-एक) दिसम्बर, 1980 में भारत और यू०एस०एस०आर० के बीच हस्ताक्षर किए गए आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौते के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया जा रहा है। जहाँ तक रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र (चरण-एक) का सम्बन्ध है, द्विपक्षीय आधार पर यू०के० द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसरण में, परियोजना स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने निर्माताओं के एक ब्रिटिश कन्सोर्टियम के साथ विचार-विमर्श किया था और ठेका दिया था।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

3558. **श्री एन०ई० होरो** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग क्षेत्रीय आयुक्त के पद पर कार्य कर रहे हैं; यदि हाँ, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संवर्ग के कितने आयुक्त हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भारत भर के क्षेत्रीय कार्यालयों में कोई भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में क्षेत्रीय आयुक्त स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि भारत भर के क्षेत्रीय कार्यालयों में सामान्य संवर्ग के कनिष्ठ क्षेत्रीय आयुक्त स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रहे हैं;

(घ) भारत के विभिन्न राज्यों में ऐसे कितने कनिष्ठ क्षेत्रीय आयुक्त स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रहे हैं;

(ङ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रीय आयुक्तों के विरुद्ध इस भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(च) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार तथ्य इस प्रकार हैं :—

(क) जी, हां। अनुसूचित जाति समुदाय के चार अधिकारी और अनुसूचित जनजाति समुदाय का एक अधिकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों/उप क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों (ग्रेड-3) और उप क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के पद बराबर के हैं और वे एक ही काडर पद है और उनका वेतनमान भी समान है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उप क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के रूप में उनकी तैनाती से उनका अधिक्रमण नहीं होता और उन्हें वित्तीय हानि नहीं होती। उनकी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त या उप क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के रूप में तैनाती प्रशासनिक हितों तथा सार्वजनिक सेवा की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जाती है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

डाक-तार विभाग में कनिष्ठ इंजीनियर ग्रुप "ख" के पद पर पदोन्नत किए गये कनिष्ठ इंजीनियर

3559. **श्री त्रिलोक चन्द : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1981 में 800 कनिष्ठ इंजीनियरों को कनिष्ठ इंजीनियर ग्रुप (ख) के पद पर पदोन्नत किया गया था और क्या आरक्षण कोटे के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को भी पदोन्नत किया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या शेष कनिष्ठ इंजीनियरों के चयन के लिये डाक-तार विभाग में नवम्बर, 1981 में एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें अधिकतर अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के थे;

(घ) यदि हां, तो शेष अनुमोदित अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा आयोजित करने के क्या कारण थे;

(ङ) क्या सभी चुने गये अभ्यर्थियों, जो पहले ही पदोन्नत किये जा चुके थे और जिन्हें पदोन्नत किया जाना था, के लिए 1981 की प्रतियोगी परीक्षा में बैठना आवश्यक था या केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा देनी थी जिन्हें पदोन्नत किया जाना शेष था; और

(च) यदि हां, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग परीक्षा लेने के क्या कारण थे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां। मई 1981 में 800 जूनियर इंजीनियरों को तार इंजीनियरिंग ग्रुप 'बी' में पदोन्नत किया गया था। इन 800 अधिकारियों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को भी मई 81 में पदोन्नत किया गया था।

(ख) चूंकि यह अधिकारी निर्धारित नियमों के 1200 के अनुमोदित में अपेक्षाकृत नीचे थे, अतः नियमों के अनुसार आरक्षण कोटा के शेष अधिकारियों को 30-6-82 से पदोन्नत कर दिया गया था।

(ग) और (घ) जी नहीं। डाक-तार विभाग ने मार्च 1982 में 33⅓ प्रतिशत कोटा के लिए जूनियर इंजीनियरों की तार इंजीनियरिंग सेवा ग्रुप 'बी' में पदोन्नति के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की थी जिसमें वे कर्मचारी, जिन्होंने विभागीय अर्हक परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण कर ली थी, पात्र थे। यह परीक्षा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों सहित सभी उम्मीदवारों के लिए थी।

(ङ) प्रतियोगी परीक्षा अनिवार्य नहीं थी। यह उन सभी कर्मचारियों के लिए थी जो विभागीय अर्हक परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण कर चुके थे।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना करना

3560. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में बार-बार तूफान आने की घटनाओं को देखते हुए जैसा कि हाल में हुआ, राज्य में स्थापित किये जाने वाले कुछ अतिरिक्त आकाशवाणी केन्द्रों के लिए स्थानों का चयन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उनके स्थापना स्थलों के बारे में ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) उन परियोजना को कार्यान्वित करने में, जिसे पहले आरम्भ किया गया था, अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

देश में कोयले के भण्डारों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

3561. श्री सुभाष यादव
श्री अर्जुन सेठी } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड ने जो कोल इण्डिया लि० का योजना केन्द्र है, देश के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में पर्याप्त कोयले के भण्डार का पता लगाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर खोज कार्य आरम्भ करने हेतु कोई विशेष योजना बनाई है;

(ख) उन स्थानों और राज्यों के नाम क्या हैं जहां खोज कार्य किया गया है और किया जा रहा है;

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) उसमें कितना खर्च आया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हाँ ।

(ख) अग्रता आधार पर विस्तृत समन्वेषण जिन स्थानों में किया जा रहा है, वे हैं : पश्चिम बंगाल के कस्टा (पूर्व), अधग्राम और बकुलिया; बिहार के पीरपैंती/बाराहट, हूरा 'सी', पीपरवार और अशोक; मध्य प्रदेश के अमोलोरी, दीपका, सियालघोगरी, रावनवारा उत्तर और गोटीटोरिया पूर्व और पश्चिम; उड़ीसा के कलिंग और बेलपहार । यह क्षेत्र रानीगंज राजमहल, सिंगरौली, उत्तर करनपुरा, तालचर, ईब घाटी, कोरबा पेंच घाटी और मोहपानी की कोयला खानों में स्थित हैं ।

(ग) उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में समन्वेषण प्रगति पर है और अब तक कुल 1,38,342 मी० ड्रिलिंग की गई है तथा वर्ष 1983 के अन्त तक इसके पूरा हो जाने की सम्भावना है । इसके परिणाम-स्वरूप लगभग 3,900 मिलियन टन कोयला भंडारों के प्रमाणित होने की सम्भावना है ।

(घ) ऊपर बताए गए अग्रता ब्लाकों में समन्वेषण के कार्यक्रम की लागत रु० 12 करोड़ के लगभग होगी ।

सार्वजनिक उपक्रमों में संविदा श्रम प्रणाली को समाप्त किया जाना

3562. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में से संविदा श्रम प्रणाली समाप्त करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि संविदा श्रम प्रणाली अभी अभी सार्वजनिक उपक्रमों में चल रही है; और

(ग) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो उपरोक्त (ख) के क्या कारण हैं और सरकार का सभी सार्वजनिक उपक्रमों में संविदा श्रम प्रणाली को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 70 के अधीन, केन्द्रीय सरकार ने संलग्न विवरण में निर्दिष्ट व्यवसायों/संक्रियाओं में ठेका श्रमिकों के रोजगार को प्रतिषिद्ध करने के लिए पहले ही अधिसूचनाएं जारी की हैं।

(ख) और (ग) सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ठेका श्रम पद्धति की विद्यमानता की जानकारी है। ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम की धारा 10 ठेका श्रमिकों के रोजगार के निषेध से सम्बन्धित है और इसमें यह व्यवस्था है कि संबंधित सरकार केन्द्रीय बोर्ड के साथ या, जैसी स्थिति हो, राज्य बोर्ड के साथ परामर्श करके किसी प्रतिष्ठान में किसी प्रक्रिया, संक्रिया या अन्य कार्य में ठेका श्रमिको के रोजगार को प्रतिषिद्ध कर सकती है। तथापि, ठेका श्रम को प्रतिषिद्ध करने वाली अधिसूचना को जारी करने से पहले सम्बन्धित सरकार को स्वयं यह समाधान करना पड़ता है कि सम्बन्धित प्रतिष्ठान में कार्य का स्वरूप वर्षानुवर्षी प्रकार का है और ठेका श्रमिकों को दिया गया कार्य सामान्यत: उक्त प्रतिष्ठान या उससे सदृश प्रतिष्ठान में नियमित श्रमिकों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में ठेका श्रम पद्धति की समाप्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर किया जा सकता है जो ऐसे प्रस्तावों की जांच करता है और श्रम मन्त्रालय को उपयुक्त सिफारिशें करता है। कार्य के कुछ और वर्गों में ठेका श्रम को प्रतिषिद्ध करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

विवरण

क्रमांक	उद्योग का नाम	रोजगार का नाम
1.	कोयला खानें	(1) कोयला निकालना या कोयला निकालना तथा बेचना; (2) कोयला लादना और उतारना; (3) अधिभार हटाना और भूमि काटना; (4) साफ्ट कोक विनिर्माण; और (5) स्टोन डिफ्टस की ड्राईविंग और भूमिगत विविध स्टोन कटिंग
2.	भवन	झाड़ू लगाना, धूल झाड़ना और चौकसी
3.	लोहा अयस्क खानें	(1) अधिभार हटाना; (2) ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग; (3) फ्लोट और आपरेशनस; (4) क्रशिंग प्लाटों, स्क्रीनिंग प्लाटों और/या कन्वेयर बैल्टों में मक क्लीनिंग संक्रियाएं; और (5) वेमन लेवलिंग आपरेशन।
4.	चूना-पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज खानें	(1) अधिभार हटाना; और (2) ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की नियुक्ति

3563. **श्री जय नारायण रौत** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश नियुक्त करने के सम्बन्ध में राज्यों के मुख्य मन्त्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों की राय मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए उन्हें स्मरण-पत्र भेजेगी ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) इस विषय में राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों की राय नहीं मांगी गई है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के सुसंगत उपबंधों के अधीन की जाती है, जिनमें किसी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के आरक्षण के लिए उपबंध नहीं है। किन्तु सरकार के राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को अगस्त, 1980 में पत्र लिखा है जिसमें उनसे कहा गया है कि उनके लिए यह संभव होना चाहिए कि वे बार से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़े वर्गों या अन्य कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों का पता लगाएं जो नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त हों ताकि इन वर्गों के और अधिक व्यक्ति उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए जा सकें।

(ग) मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों से राय नहीं मांगी गई थी, इसलिए इस विषय में उनसे शीघ्रता करने के लिए कहने का कोई प्रश्न नहीं है।

स्पोर्टस इक्विपमेंट (पी) लि०, जीवन मन्डी, आगरा

3564. **श्री निहालसिंह** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्पोर्ट इक्विपमेंट (प्रा) लि०, जीवन मण्डी, इन्द्रा मिल्स कम्पाउण्ड, आगरा, उत्तर प्रदेश में कितने कर्मचारी दैनिक और मासिक मजूरी आधार पर कार्य कर रहे हैं; और

(ख) उक्त फर्म ने गत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि की कितनी राशि जमा कराई और इन खातों की कितनी राशि अभी जमा कराई जानी है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रतिष्ठान में 48 कर्मचारी नियोजित हैं। मासिक मजदूरी और दैनिक मजदूरी के आधार पर इन कर्मचारियों की संख्या सम्बन्धी ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई सूचना इस प्रकार है :—

कर्मचारी राज्य बीमा की देय राशियां :

यह प्रतिष्ठान 15-3-1981 से कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधीन लाया गया है और इसने जनवरी, 1982 तक के अंशदानों की बाबत 14,180.05 रुपये की राशि का भुगतान किया है। तथापि, नियोजक में फरवरी, 19 2 से आज तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के उपबन्धों को पालन नहीं किया है।

कर्मचारी भविष्य निधि की देय राशियां :

इस प्रतिष्ठान पर 30-9-1979 से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 लागू किया गया है और इसने 10/79 से 2/8 तक की अवधि के सम्बन्ध में 51,672.50 रुपये की राशि जमा कराई है और 8/82 तक का प्रतिष्ठान की ओर 9551·40 रुपये की राशि बकाया है।

महिलाओं का प्रशिक्षण

3565. **श्री अशफाक हुसैन : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान महिला प्रशिक्षण के लिये विस्तृत रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में नई दिल्ली में हुई अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी की बैठक की सिफारिशों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या निर्णय और क्या नीतियां हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां। स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के सहयोग से, नई दिल्ली में सितम्बर, 1982 में हुए महिलाओं से लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धी सेमीनार में श्रम मंत्रालय द्वारा सिफारिशें की गई थी।

( ) सेमिनार की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर इन सिफारिशों की जांच की जाएगी।

विदेशों द्वारा औषधियों का ढेर लगाना

3566. **श्री एस०बी० सिदनाल** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन, बुल्गारिया, इटली और अन्य देशों द्वारा भारतीय बाजार में औषधियों का ढेर लगाये जाने के कारण बल्क औषधि उद्योग के विकास को भारी धक्का पहुंचा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बल्क दवाइयों के उदारतापूर्वक आयात किए जाने से भारतीय उद्यमी निरुत्साहित हो गए हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान बल्क दवाइयां कितनी मात्रा में आयात की गई; और

(घ) विदेशी सप्लाईकर्ताओं की प्रतिस्पर्धा से देशी औषधि उद्योग की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) देश में बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के आयात का विनियमन आयात और निर्यात नीति के अधीन किया जाता है। प्रत्येक बल्क औषध के उत्पादन में विकास की अवस्था पर निर्भर करते हुए और बल्क औषधों के स्वदेशी उत्पादन को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से आयात नीति में औषधों के आयात पर समुचित प्रतिबंध लगाये गये हैं। औषधों के स्वदेशी उत्पादन पर शुल्क प्रवर्धन की भी व्यवस्था की गयी है। प्रतिबन्धित औषध मदों और सीमित मात्रा में आयात के लिये अनुभेय मदों का बड़े पैमाने पर आयात किये जाने और उनका स्टाक जमा होने की कोई सम्भावना नहीं है। जहां तक सरणीबद्ध बल्क औषधों का सम्बन्ध है, राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर खरीद की जाती है और ऐसी खरीद आवश्यकताओं और स्वदेशी उत्पादकों से उपलब्धता के बीच अन्तर की सीमा तक की जानी है।

औषधों के बड़े पैमाने पर आयात की सम्भावना उन मामलों में होती है जहां या तो आयातों की अनुमति स्वत: लाइसेंसों के अन्तर्गत है अथवा औषधों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमेय है। चूंकि ऐसी अधिकतर मदों का निर्माण या तो देश में नहीं किया जाता या उनका घरेलू उत्पादन महत्वहीन है। सरकार ने देश में उनकी मुक्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से उनके आयात की अनुमति दी है। जब और जैसे ही निर्माता ऐसी किस्म की औषधि का नियमित उत्पादन प्रारम्भ होने की सूचना सरकार को देते हैं तो ऐसी औषधों के आयातों पर समुचित आयात प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

वर्ष 1981-82 के दौरान बल्क औषधों के आयातों का मूल्य 105·06 करोड़ रुपये सी०आई० एफ० था जबकि पूर्व वर्ष 1980-81 के दौरान आयातों का मूल्य 87·24 करोड़ रुपये सी०आई०एफ० था।

भारतीय फिल्मों का पाकिस्तान को निर्यात

3567. **श्री एच०एन०नन्जे गौडा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने भारतीय फिल्मों का आयात करने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को इस मामले में कोई अभ्यावेदन मिला है अथवा इस बारे में कोई बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान को भारतीय फिल्मों का निर्यात करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो किस आधार पर ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) से (ङ) कुछ समाचार पत्रों में ऐसे समाचार छपे थे कि पाकिस्तान सरकार भारतीय फिल्मों का आयात करने के बारे में विचार कर रही है। बाद में इन समाचारों का खण्डन किया गया था। पाकिस्तान सरकार से ऐसा कोई सरकारी संकेत नहीं रहा है कि वह भारतीय फिल्मों का आयात करने का इच्छुक है। समाचारपत्रों में छपे पहले के समाचारों को देखते हुए राष्ट्रीय फिल्म विकास ने इसके बारे में पाकिस्तान के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को लिखा था। पाकिस्तान के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए फिलहाल पाकिस्तान को भारतीय फिल्मों का निर्यात करने का प्रश्न नहीं उठता।

कोपिल पनबिजली परियोजना का निर्माण

3568. **श्रीमती किशोरी सिन्हा**
श्री भीमसिंह } : **क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोपिल पनबिजली परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके निर्माण की लागत आरम्भ में अनुमानित लागत से अधिक रही है;

(ग) यदि हां, तो लागत किस हद तक बढ़ी है और उसके कारण क्या हैं; और

(घ) क्या इन कारणों से बचा जा सकता है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) कोपीली जल विद्युत परियोजना 56·77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1974 में स्वीकृत की गई थी। इस परियोजना का निर्माण कार्य उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम द्वारा जून, 1976में हाथ में लिया गया था। परियोजना में दो बिजली घरों नामशः खण्डोग (2 × 25 मेगावाट) तथा कोपीली (2 × 50 मेगावाट) का निर्माण किए जाने की व्यवस्था है। खण्डोग बिजली घर में 25 मेगावाट का पहला यूनिट मार्च, 1983 में चालू किये जाने का लक्ष्य है तथा कोपीली बिजली घर में 50 मेगावाट का पहला विद्युत उत्पादन यूनिट दिसम्बर, 1984 में चालू किए जाने की सम्भावना है।

हाल ही में कोपीली जल विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत संशोधित की गई है और अद्यतन अनुमानित लागत 149·02 करोड़ रुपए है। इन संशोधित अनुमानों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग में इस समय जांच की जा रही है। कोपीली परियोजना के 1974 में तैयार किए गए मूल अनुमानों के बाद से निर्माण सामग्रियों, मशीनरी और उपस्कर तथा श्रम प्रभारों की लागत में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस परियोजना के लागत अनुमानों में वृद्धि के प्रमुख कारणों में से यह एक कारण है। इसके अतिरिक्त, लागत अनुमानों में कुछ वृद्धि कार्यों में कुछ संशोधनों और मूल परियोजना में शामिल सामग्रियों की मात्रा में वृद्धि के कारण हुई है।

एकाधिकारी गृहों के कार्यकरण की जांच करने के लिए संसद सदस्यों की समिति

3569. **श्री राम विलास पासवान** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एकाधिकारी गृहों के कार्यकरण की जांच करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति गठित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) केवल एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार घरानों के कार्यकरण का नियतकालिक जांच के लिए संसद सदस्यों को इस प्रकार की समितियों के गठन के लिए ना तो कम्पनी अधिनियम, 1956 और ना ही एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में कोई व्यवस्था है।

तथापि, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों के कार्यकरण की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है तथा अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने या उनके प्रभावी रूप से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

भारी मात्रा में सोडा-ऐश बेचा जाना

3570. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : *क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या बल्गारिया के अधिकारियों ने इस आरोप का खंडन किया है कि उनका देश बहुत सस्ते मूल्यों पर भारत में भारी मात्रा में सोडा-ऐश भेजता आ रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि चालू वर्ष में भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर केवल 50,000 टन मात्रा का आयात किया गया जो 15 लाख टन के उत्पादन के 3.3 प्रतिशत भाग को दर्शाता है;

(ग) समाचार पत्र में प्रकाशित उक्त समाचार के अनुसार सोडा-ऐश की उक्त भारी मात्रा के आयात के आधार पर मैसर्स टाटा कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादन के 50 प्रतिशत की कटौती के सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या उपाय करने का है; और

(घ) यदि उत्पादन में उक्त कटौती की जाती है तो क्या 7.30 लाख टन की हमारी अनुमानित मांग के समक्ष मात्रा 6.50 लाख टन का देश के लिए अनिष्टकार हो सकता है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) और (ख) जी *हाँ। दि० 8 सितम्बर, 1982* के फाइनेंसियल एक्सप्रेस, नई दिल्ली में दी गई खबर के अनुसार भारत

में बुल्गारिया के राजदूत ने नई दिल्ली में 7-9-82 को हुई प्रेस कान्फ्रेंस में इस बात से इन्कार किया है कि उनका देश बहुत सस्ते मूल्यों पर भारत में भारी मात्रा में सोडा ऐश भेज रहा है।

उन्होंने सूचित किया है कि बुल्गारिया यूरोप में सोडा ऐश का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसकी उत्पादन क्षमता 1.5 मिलियन टन है। और भारत ने उनके देश से केवल 50,000 टन का आयात किया है। माननीय राजदूत ने यह भी कहा है कि सोडा ऐश के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट आई थी जिस पर अनेक देशों को उसका निर्यात किया गया था और भारत से वही मूल्य लिया गया था। अत: इस आरोप में कोई तथ्य नहीं है कि बुल्गारिया भारत में भारी मात्रा में सोडा ऐश स्थानीय उत्पादकों को नुक्शान पहुंचाने के लिए भेजता है।

महानिदेशक वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी कलकत्ता के पास उपलब्ध सांख्यिकी के अनुसार 1979-80 में सोडा ऐश का कुल आयात 1.34.697 टन था और इसमें से बुल्गारिया से किया गया आयात 76.483 टन (57 प्रतिशत) था। 1980-81 (जनवरी 1981 तक) की अवधि के दौरान सोडा ऐश की कुल 94.942 टन मात्रा का आयात किया गया था जिसमें से बुल्गारिया के सोडा ऐश का भाग 35,852 टन (38 प्रतिशत) था। तथापि जनवरी 1981 के बाद की अवधि के लिए सोडा ऐश की आयात सांख्यिकी अभी तैयार और प्रकाशित नहीं हुई है।

(ग) और (घ) जनवरी से अगस्त 1981 तक की अवधि के दौरान मै० टाटा कैमिकल्स लि० द्वारा सोडा ऐश का कुल 2.41.557 टन उत्पादन किया गया था जबकि 1981 की तदनुसार अवधि के दौरान 2,58,726 टन उत्पादन किया था। जनवरी से अगस्त, 1982 तक की अवधि के दौरान हुआ उत्पादन 1981 की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 17,169 टन कम है। सोडा ऐश की कमी के बारे में इस मंत्रालय को कोई शिकायत/सूचना प्राप्त नहीं हुई है। स्वदेशी उत्पादन और खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन इसके आयात के कारण सोडा ऐश की कोई कमी नहीं है।

सोडा-ऐश पर आयात शुल्क

3571. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोडा ऐश पर आयात शुल्क हाल ही में फिर बढ़ा दिया गया है;

(ख) क्या उन्होंने यह कहा है कि सोडा ऐश का मूल्य घटाने के बारे में भी बी० आई० सी० पी० से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपभोक्ता एसोसिएशनों के परामर्श करने के बाद विचार किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार को पता है कि कुछ निर्माता बहुत लाभ कमा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार को शुल्क बढ़ाकर और अधिक मूल्य समर्थन देने की क्या आवश्यकता पड़ी थी ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) दिनांक 31-1-1982 को सोडा ऐश पर आयात शुल्क को आधार मूल्य के 60 प्रतिशत अनुसंगिक मूल्य के 20% और

सममूल्य के 15.75 प्रतिशत के स्तर पर पुनः स्थापित कर दिया गया था। दिनांक 28-2-1982 के आयात शुल्क को संशोधित करके आधारभूत मूल्य के 60 प्रतिशत आनुसंगिक मूल्य के 25 प्रतिशत और सम मूल्य के 15.75 प्रतिशत के बराबर कर दिया गया था। आयात शुल्क की दरों में उसके पश्चात कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (बी० आई० सी० पी०) सोडा ऐश की उत्पादन लागत पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है। सरकार द्वारा रिपोर्ट पर निर्णय अभी लिया जाना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सोडा ऐश का मूल्य

3572. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में सी० पी० सी० द्वारा आयातित सोडा ऐश का मूल्य घटाकर 1800 रुपये प्रति टन कर दिया है;

(ख) क्या कारण है कि सरकार डेढ़ वर्ष तक हमारे काण्डला पहुंचने के 2250 रुपये प्रतिटन के मूल्य पर अड़ी रही थी जबकि इस मूल्य पर इसे खरीदने वाला कोई ग्राहक नहीं था;

(ग) काण्डला पहुंचने के इस घटाये गए 1800 रुपए प्रतिटन मूल्य पर प्रतिटन वसूली क्या होगी जबकि गोदाम के किराये ब्याज बीमा तथा अन्य प्रशासनिक खर्चों को भी हिसाब में लिया जाएगा;

(घ) इस सौदे में अब तक कितनी हानि हुई है; और

(ङ) क्या इसके लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) जी हाँ।

(ख) कांडला गोदाम पर सोडा ऐश का मूल्य, अनेक वास्तविक मदों, जैसे अवतरित मूल्य परिवहन खर्च, गोदाम भाड़ा आदि, को ध्यान में रखते हुए 2250 रुपये प्रति टन निश्चित किया गया था। अतः आयातित भंडारों का निपटान उसी मूल्य पर करने के प्रयत्न किए गए थे।

(ग) से (ङ) आयात करने से पहले सोडा ऐश की सप्लाई वर्ष 1978, 1979 और 1980 के पूर्वार्ध में कम थी और खुला बाजार मूल्य उपभोक्ताओं के लिए 2600 रुपये से 3000 रुपये प्रति टन तक पहुंच गया था। बाजार में सोडा ऐश की उपलब्धता को बढ़ाने की दृष्टि से राज्य व्यापार निगम (एस०टी०सी०) के माध्यम से सोडा ऐश का स्टॅसिवेस से बाजार मूल्य गिरना आरम्भ हो

गया। परिणामस्वरूप कांडला गोदाम पर 2250 रुपये प्रति टन के निर्धारित मूल्य पर आयातित स्टाक का निपटान नहीं किया जा सका और यह निर्णय किया गया कि स्टाक को 1800 रुपये प्रति टन के मूल्य पर बेचा जाये। इससे राज्य व्यापार निगम को अधिकांश स्टाक को निपटाने में सहायता मिली जिसके शीघ्र समाप्त होने की आशा है। संशोधित मूल्य, गोदाम का किराया, बीमा, रुकी हुई पूंजी पर ब्याज के कारण 31-3-1982 तक लगभग 87 लाख रुपये की कमी हुई है।

डाक-तार कर्मचारियों को बोनस

3573. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार कर्मचारियों को दिये जाने वाले उत्पादिता बोनस के लिए किस आधार पर उत्पादिता का हिसाब लगाया जाता है और उत्पादिता की कौन-कौन सी शर्तों को शत-प्रतिशत शर्तें कहा जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि शत-प्रतिशत उत्पादिता के लिए 25 दिनों का वेतन बोनस के रूप में अदा किया जायेगा और शत-प्रतिशत उत्पादिता के साथ 25 दिनों के इस वेतन को जोड़ने का क्या आधार है; और

(ग) क्या शत-प्रतिशत उत्पादिता बोनस, बोनस अधिनियम के अन्तर्गत दिए जाने वाले 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस से अधिक होता है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) डाक-तार कर्मचारियों को बोनस देने के लिए उत्पादन की परिगणना करने के लिए विभाग में प्रति कर्मचारी द्वारा किए गये कुल उत्पादन को आधार बनाया गया है। कुल उत्पादकता का निर्धारण करने के लिए डाक-तार तथा टेलीफ़ोन शाखाओं में प्रत्येक कर्मचारी द्वारा निपटाए गए परियात एवं प्रचालन की मात्रा की अलग-अलग तथा एक साथ परिगणना करके यह उत्पादकता सूचकांक तैयार किया जाता है। 1977-78 को समाप्त होने वाली पंचवर्षीय अवधि का सर्वाधिक कार्य निष्पादन 1976-77 में प्राप्त किया गया था अत: इस वर्ष के स्टाफ उत्पादकता सूचकांक को 100 आधार बनाया गया है। 100 आधार के उत्पादकता सूचकांक तक उत्पादन होने पर 25 दिन का वेतन देय होता है। यदि किसी वर्ष के दौरान स्टाफ उत्पादकता सूचकांक 100 से अधिक रहता है तो प्रति 1 प्रतिशत की वृद्धि पर एक दिन के अतिरिक्त बोनस की परिगणना करके 25 दिन में वेतन से अधिक बोनस दिया जाएगा। यदि स्टाफ उत्पादकता सूचकांक किसी वर्ष 100 से कम रहता है तो प्रति 0.7 प्रतिशत की गिरावट के लिए एक दिन की दर से 25 दिन के बोनस में कमी की जाएगी। यदि किसी वर्ष में कुल उत्पादकता सूचकांक 95 से कम रहता है तो उस वर्ष के लिए कोई बोनस देय नहीं होगा।

(ख) जी, हां डाक-तार विभागीय परिषद (जे०सी०एम) में कर्मचारी पक्ष के साथ विचार-विमर्श के बाद उनकी सहमति से ही उत्पादकता सूचकांक 100 होने पर 25 दिन के वेतन का भुगतान के लिए आधार बनाया गया है।

(ग) जी नहीं।

मैसर्स फाईजर द्वारा निर्मित मदें

3574. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स फाईजर द्वारा विना वैध लाइसेंस किन-किन मदों का निर्माण किया जाता है, उनके नाम क्या हैं और पिछले तीन वर्षों में उनका वार्षिक उत्पादन कितना था, उनकी कीमतें क्या थीं और यदि मूल्यों के लिए कोई अनुमति दी गई तो उसके ब्यौरे क्या हैं; और

(ख) कम्पनी द्वारा निर्धारित सिद्धांतों/नियमों और विनियमों का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) 32 औषध फार्मूलेशनों के सम्बन्ध में मै० फाईजर लि० उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन प्राधिकारों/अनुमतियों के बारे में अपने दावे प्रमाणित करने में समर्थ नहीं हुए हैं। इन मदों के ब्यौरे और गत 3 वर्षों के दौरान उत्पादन दर्शाने वाला एक **विवरण-पत्र** संलग्न है। इन उत्पादों के मूल्यों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) चूंकि ऐसी घटनाएं अनेक अन्य औषध कम्पनियों, भारतीय और विदेशी दोनों के मामले में नोट की गई है, अत: उत्पादन की ऐसी घटनाओं के बारे में सामान्य नीति निर्णय लेते समय ऐसी मदों के उत्पादन पर एक निर्णय लिया जा सकता है।

विवरण

क्रम० सं०	मद का नाम	इकाई	निम्न वर्षों के दौरान		
			1979-80	1980-81	1981-82
1	2	3	4	5	6
1.	ब्रेकोनेक्स इन्जेक्शन विटामिन सहित	—	—	—	—
2.	मल्टीबीटाप्लेक्स ड्राप्स	शीशियां	285996	204904	234253
3.	मल्टीविटाप्लेक्स ड्राप्स	"	193013	116740	116868
4.	बीकोस्यूल सिरप	"	2350501	1436582	2836189
5.	बेकोनेक्स गोलियां	—	—	—	—
6.	मल्टीवेटाप्लेक्स फोर्ट केप्सूल	000 में सं.	19303	14829	13246
7.	ड्रमास्यूल्स कैप्सूल	"	30227	24277	26132

(जारी···)

1	2	3	4	5	6
8.	बीकोस्यूल कैप्सूल	000 में सं०	181391	160017	220499
9.	बरमेक्स तरल बारमर 100 मि०लि० 500 मि०लि० और 45 लिटर	शीशियां	151314	107744	186981
10.	कोरेक्स कफ सिरप 50 मि०लि० और 100 मि०लि०	"	5611574	3963528	6438120
11.	टी. ए. ओ सिरप	"	2950050	74588	100069
12.	टी एओ ऐड ड्राप्स 5 मि०लि०	"	—	—	—
13.	" " कैप	000 में सं०	2345	574	1438
14.	बिसिन ओफथ	शीशियां	550409	451783	725914
15.	फेनोसिल गोलियां	000 में सं०	38194	28976	26183
16.	डेल्टाकोर्टिल गोलियां	"	38093	26355	35946
17.	" "	"	8647	4701	12600
18.	" आई एम/आई ए इंजेक्शन	वैल्स	57786	40622	41919
19.	नेबासुल आंख मलहम	ट्यूब	187579	150838	151474
20.	नेबासुल त्वचा मलहम 15 ग्राम	ट्यूब	1376569	706522	1341139
21.	नेबासल्फ इन्सटी लोशन	शीशियां	242066	213333	277125
22.	नेबासल्फ पाउडर 10 ग्राम	"	3313994	3395522	4902937
23.	नेबोकोर्टिल आंख मलहम	ट्यूब	296075	227846	225363
24.	नेबोकिल त्वचा मलहम 5 ग्राम और 15 ग्राम	"	191727	137748	195621
25.	ड्यूरोल 100 मि०लि०	—	—	—	—
26.	नेफरिल और गोलियां	000 में सं०	1213	—	651
27.	मेस्टालोन यू शीशी	वैल्स	413897	378622	413972
28.	टेरामाइसिन एस० एफ० कैप	"	31603	28301	31177
29.	टेरामाइसिन इन्ट्रामस्युलर घोल	"	21402	11770	14346
30.	टेरामाइसिन आर्टिक घोल	शीशियां	314703	409448	303587
31.	टेरामाइसिन अंडा फार्मूला	कि०ग्राम	30245	26320	32308
32.	ऐसोनेक्स ए गेन्यूल्स	"	5475	1541	2674

मैसर्स फीजर द्वारा ड्यूमैक्स रजिस्ट्रेशन के आधार पर उत्पादित मदें

3575. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स फीजर द्वारा ड्यूमैक्स रजिस्ट्रेशन के आधार पर (डी एण्ड आर) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कितनी और कौन-कौन-सी मदों का कितना-कितना उत्पादन किया जाता है,

(ख) क्या पंजीकरण लाइसेंस के कैप्सूलों को पंजीकृत कराया हुआ है, यदि नहीं, तो वे कैप्सूल की ऐसी कितनी मदों को उत्पादन करते हैं, जिनका कच्चा माल सरकारी प्राधिकारकों द्वारा दिया जाता है; और

(ग) गत तीन-वर्षों के दौरान, वर्षवार फीजर को कैप्सूल बनाने के लिए कौन-कौन-से और कितने-कितने कच्चे माल का आवंटन किया गया ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) उपलब्ध सीमा तक ऐसी मदों का **विवरण** संलग्न है जिनके लिए मैसर्स फाइजर (आई) लि० ड्यूमेक्स के ट्रेड मार्क का उपयोग कर रहे हैं।

(ख) कम्पनी ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अधीन जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र के अतर्गत लाने के लिए कैप्सूल्स की तीन मदों का दावा किया। तथापि, कम्पनी अपने दावे को सिद्ध नहीं कर पाई है।

(ग) रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई नीति के अनुसार सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों का वितरण स्टेट कैमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन आफ (आई) लि० द्वारा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार मैसर्स फाइजर लि० को आबंटित की गई सरणी-बद्ध प्रपुंज औषधों के नाम तथा मात्राएं नीचे दी गई हैं :—

क्रमांक	मद का नाम	आवंटित मात्रा (कि०ग्रा० में)		
		1979-80	1980-81	1981-82
1	2	3	4	5
1.	क्लोरोक्वीन फास्फेट	550	550	550
2.	स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट	11490	12000	1500
3.	मिटामिन विमोनो	6124	6124	6124
4.	विटामिन बी-1 मोनो	75	165	165
5.	विटामिन बी-2	3000	3060	3000
6.	पिपराजाइन हाइड्रेट	5000	5000	17565
7.	विटामिन सी	—	48930	60000

विवरण

1. पी०ए०एस० ग्रेन्यूल्स
2. सोडियम पी० ए० एस० ग्रेन्यूल्स
3. प्रेसोनाक्स एस ग्रेन्यूल्स
4. आइसोनेक्स गोलियां
5. आइसोनेक्स फोर्ट गोलियां
6. आइसोजोन गोलियां
7. आइसोजोन फोर्ट गोलियां
8. फेनोसिन त्रिसुल्फा गोलियां
9. मल्टिविटाप्लेक्स ड्राप्स
10. मल्टिविटाप्लेक्स इलिक्सिर
11. मल्टिविटाप्लेक्स फोर्ट कैपसूल्स
12. मल्टिविटाप्लेक्स गोलियां
13. प्रिनेक्स कैपसूल्स
14. बीकोसूल्स कैपसूल्स
15. बीकोसूल्स सिरप
16. ड्यूपेन-10
17. बीकोनेक्स गोलियां
18. बीकोनेक्स इन्जेक्शन
19. फेनोसिन गोलियां
20. फेनोसिन फोर्ट गोलियां
21. पी० पी० एफ० 4/20
22. नेबासल्फ इन्सटीलेशन
23. नेबासल्फ आई आएंटमेंट
24. नेबासल्फ स्किन मलहम
25. निबासल्फ स्प्रिकलिंग पाउडर
26. ड्यूमासूल्स कैपसूल्स
27. डायापेक सर्स.
28. पी० ए० एम० इन्जेक्शन
29. डायापेन
30. डायापेन-एफ
31. नेबाकोर्टरिल आई मलहम
32. नेबाकोर्टरिल त्वचा मलहम
33. प्रोटिनेक्स ग्रेन्यूल्स
34. ड्यूरोल
35. इन्सूलिन लेन्टे
36. स्ट्रेप्टोनेक्स इन्जेक्शन
37. स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन 1/2 ग्राम
38. स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन 1 ग्राम
39. डालोनाल गोलियां
40. ड्यूपेन
41. ड्यूविट
42. मिल्क आफ मैकनेशिया।

बेलगाम में टेलीविजन सुविधा का दिया जाना

3576. **श्री फूलचन्द वर्मा**
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी
श्रीमती किशोरी सिन्हा } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेलगाम में टेलीविजन सुविधा दिए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वहां पर टेलीविजन सुविधा कब तक उपलब्ध हो जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) से (घ) बेलगाम में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए कुछ मांगें रही हैं। संसाधनों की कमी के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं हुआ है।

(ङ) वेलगाम क्षेत्र में दूरदर्शन केन्द्र की सुविधा की व्यवस्था करना भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

नामरूप उर्वरक संयंत्र का विस्तार

3577. **श्री फूलचन्द वर्मा**
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी
श्रीमती किशोरी सिन्हा : **क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नामरूप उर्वरक संयंत्र के विस्तार सम्बन्धी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस योजना का प्रथम प्रारूप कब तैयार किया गया था तथा उसे कार्यान्वित करने का निर्णय कब किया गया था; और

(घ) इस योजना के कब तक कार्यान्वित होने तथा पूरा होने की आशा है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) प्राकृतिक गैस पर आधारित नामरूप III उर्वरक परियोजना, जिसकी वार्षिक क्षमता 1.52 लाख टन नाइट्रोजन है, को सरकार द्वारा मई, 1979 में अनुमोदित किया गया था। परियोजना पर 44.69 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा अंश सहित 238.74 करोड़ रु० की लागत आने का अनुमान है। परियोजना में 600 टन प्रति दिन वाला एक अमोनिया संयंत्र और 1167 टन प्रतिदिन वाला एक यूरिया संयंत्र सम्मिलित है।

(ग) भारतीय उर्वरक निगम द्वारा दिसम्बर, 1977 में परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, आयल इंडिया लि०, असम गैस कम्पनी, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन और प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लि० जैसी विभिन्न संबद्ध एजेन्सियों के साथ विस्तृत बैठकों के पश्चात् कार्यान्वयन के लिए परियोजना को सरकार द्वारा मई 1979 में मंजूरी दी गई थी।

(घ) संयंत्र द्वारा नवम्बर, 1984 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिये जाने की आशा है।

कर्मचारी भविष्यनिधि में प्राप्त अंशदान

3578. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य की राज्य भविष्य निधि में वर्षवार कुल कितना अंशदान प्राप्त हुआ है; और

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा इस मद में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि जमा किए जाने का अनुमान था ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उन प्रतिष्ठानों के बारे में भविष्य निधि अंशदानों के क्षेत्र-वार लेखे रख रहा है जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आते हैं। एक विवरण संलग्न है जिसमें छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के बारे में अंशदानों के क्षेत्र-वार आंकड़े और कुल प्राप्तियां दर्शाई गई हैं। वर्ष 1984-85 के आंकड़ों को अभी तैयार किया जाना है।

विवरण

छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के बारे में भविष्य निधि अंशदानों के आंकड़ों और वास्तविक प्राप्तियां (क्षेत्रवार) को दर्शाने वाला विवरण।

(रुपये करोड़ों में)

क्रमांक	क्षेत्र	1980-81		1981-82		1982-83	1983-84
		आंकड़े	कुल प्राप्तियां	आंकड़े	कुल प्राप्तियां	आंकड़े	आंकड़े
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.02	17.45	19.00	20.19	25.98	26.80
2.	असम	2.27	2.08	3.95	2.53	4.50	5.00
3.	बिहार	4.86	4.68	5.30	5.73	7.00	7.30
4.	दिल्ली	12.18	12.49	13.20	15.01	17.16	18.50
5.	गुजरात	33.50	35.39	37.00	42.65	46.00	48.00
6.	कर्नाटक	20.53	19.35	23.00	23.53	26.50	28.00
7.	केरल	16.68	18.22	20.95	20.53	21.20	22.50
8.	मध्यप्रदेश	11.33	11.74	12.70	14.41	15.22	15.98
9.	महाराष्ट्र	105.63	110.12	116.49	119.36	129.46	135.00
10.	उड़ीसा	5.99	6.84	7.51	8.60	8.84	9.50
11.	पंजाब	20.89	21.27	24.00	26.76	28.60	30.00
12.	राजस्थान	7.29	8.23	8.20	9.54	10-75	14.00
13.	तमिलनाडु	40.10	40.83	47.26	47.15	53.64	55.55
14.	उत्तर प्रदेश	26.44	22.38	28.39	23.52	29.75	30.50
15.	पश्चिम बंगाल	35.57	39.22	40.13	38.24	42.51	42.81
	कुल जोड़	359.28	370.49	407.08	417.75	463.11	489.44

सम्बलपुर में आकाशवाणी स्टूडियो की इमारत का खोला जाना

3579. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बलपुर में आकाशवाणी के स्टूडियों की इमारत कब खोली जाएगी; और

(ख) इमारत के खोले जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) नए स्टूडियो के मार्च, 1983 में चालू होने की सम्भावना है।

(ख) जब स्थान को नींव रखने के लिए खोदा गया था तो विदरें देखी गई थीं और मिट्टी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भवन के नक्शे में आपरिवर्तन करना पड़ा था और इसलिए विलम्ब हुआ।

छठी योजना के अन्त तक विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन

3580. **श्री नीरेन घोष** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के अन्त तक पश्चिम क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी;

(ख) भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में यह विद्युत उत्पादन क्षमता किस आधार पर वितरित की गई हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पूर्वी क्षेत्र को सबसे कम क्षमता वितरित की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या यह सच है कि पश्चिमी क्षेत्र विद्युत-उत्पादन की सूची में सबसे ऊपर है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) योजना दस्तावेज के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना के अंत में विभिन्न क्षेत्रों में परिकल्पित प्रतिष्ठापित विद्युत क्षमता निम्नानुसार है :

क्षेत्र	छठी पंचवर्षीय योजना के अंत में परिकल्पित प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावाट) में
उत्तरी	13423
पश्चिमी	13771
पूर्वी	8188
दक्षिणी	11772
उत्तर पूर्वी	1003

(ख) से (घ) प्रत्येक राज्य/क्षेत्र के लिए व्यस्ततम मांग और ऊर्जा की प्रत्याशित आवश्यकता, उस क्षेत्र आदि में विद्युत शक्यता सहित अनेक विचारणीय पहलुओं के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता में वृद्धि किए जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों के विद्युत कार्यक्रमों में अन्तरों से विभिन्न क्षेत्रों का आर्थिक विकास और वृद्धि सहित विभिन्नताएं प्रकट होती हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वी क्षेत्र में परिकल्पित उत्पादन क्षमता में वृद्धि उस क्षेत्र में विद्युत की मांग में वृद्धि पर आधारित है।

(ङ) जी, हां। वर्ष 1981-82 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन निम्नानुसार था :—

क्षेत्र	विद्युत उत्पादन मिलियन यूनिट में
उत्तरी	33267
पश्चिमी	38055
पूर्वी	17235
उत्तर पूर्वी	1128
दक्षिणी	33240

भारत कोकिंग कोल लि० के क्षेत्र में गैर-सरकारी ठेका प्रणाली

3581. **श्री नीरेन घोष :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि० के क्षेत्र में गैर-सरकारी ठेका-प्रणाली चल रही है;

(ख) भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा कितने गैर-सरकारी ठेके दिए गए और किन्हें दिए गए;

(ग) क्या गैर-सरकारी ठेका-प्रणाली के परिणामस्वरूप धनबाद झरिया क्षेत्रों में माफिया गिरोह गतिशील है; और

(घ) इस प्रणाली को समाप्त न करने के कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क), (ग) और (घ) कुछ श्रेणियों के कामों के लिए गैर-सरकारी लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं। कोवले के सड़क परिवहन के विभागीकरण की एक योजना पहले ही कार्यान्वित की जा रही है और इस बात के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि सिविल निर्माण कार्यों से भी गैर-सरकारी ठेकेदारों को हटा दिया जाये।

(ख) भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा 1982 में दिए गए ठेकों के ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(अप्रैल 1982 तक)

बरौरा एरिया

1. मैसर्स रामबाबू हेलीवल
2. " रामअवतार खेमका
3. " एच०एन० सिंह
4. " डी०एन० शर्मा एंड कं०
5. " जगमोहन सिंह
6. " श्री मैक० लोडर्स
7. " अर्जुन ट्रांसपोर्ट एंड कं०

महुदा एरिया

8. मैसर्स अरबिंद ट्रांसपोर्ट
9. " हिन्द ट्रांसपोर्ट एजेन्सी
10. " रामअवतार खेमका

गोविंदपुर एरिया

11. मैसर्स सुरेन्द्र सिंह
12. " बीएन्ट सिंह नन्दा
13. " राय ट्रांसपोर्ट कं०
14. " अबदुल सत्तार
15. " राय ट्रांसपोर्ट कं०

कटरास एरिया

16. मैसर्स गुलाबचन्द खेमका
17. " जयसिंह एंड पार्टनर
18. " बालमजी लाकजी
19. " धनबाद इण्ड० कारपोरेशन
20. " शंकर कोल ट्रांस० एजेन्सी

सिजुआ एरिया

21. मैसर्स बादशाह खान
22. " श्री शीओ नारायण प्रसाद
23. मैसर्स हरबिंदर सिंह जगपाल
24. " एम०पी० ट्रांसपोर्ट एण्ड कं०
25. " राम ट्रांसपोर्ट

कुसुन्डा एरिया

26. मैसर्स जे०डी०एस० ट्रांसपोर्ट कं०
27. " रेनू कैरियर
28. " अकतर ट्रांसपोर्ट एजेन्सी
29. " एम०सी० पारामनिक
30. " नीलम ट्रांसपोर्ट
31. " खारीकाबंद ट्रांसपोर्ट
32. " बेरंग खण्डेलवाल
33. " कुसुन्दा ट्रांसपोर्ट
34. " सिंह ट्रांसपोर्ट
35. " श्री गणेश ट्रांसपोर्ट

भागबंद एरिया

36. मैसर्स अरविंद कोल ट्रांसपोर्ट
37. " एम०पी० ट्रांसपोर्ट

कुस्टोरे

38. मैसर्स अनिल कोल कैरियर्स

बस्ताकोला

39. मैसर्स ट्रांसपोर्ट हाउस
40. " अलेद ट्रांसपोर्ट
41. " अग्रवाल ट्रांसपोर्ट
42. " एक्स-फौजी ट्रांस० (प्रा०) लि०

लोडना

43. मैसर्स मगध रोडवेज

44. मैसर्स पञ्चल ट्रांसपोर्ट
45. " बी०एल० अग्रवाल
46. " उमर खान
47. " एम०एस० बनर्जी
48. " राजीव एंड कं०
49. " एक्स-फौजी ट्रांस० (प्रा०) लि०
50. " बागेश्वर सिंह
51. " सीताराम धवन

भंवरा

52. मैसर्स आर०बी० इन्टरप्राइसेस
53. " जनकराज शर्मा
54. " एस०के० सिंह एण्ड कं०
55. " काका कोयला कं०

चंच विक्टोरिया

56. मैसर्स हीरालाल कपाली
57. " मुना खान
58. " रामपादा रेवानी

सुदामडीह

59. मैसर्स आर०पी० सिंह एण्ड कं०
60. " एस०के० सिंह एण्ड कं०
61. " फौजी कोयला कैरियर (प्रा०) लि०

मूनीडीह

62. मैसर्स फौजीकोयला कैरियर (प्रा०) लि०
63. " सैनिक गुड्स कैरियर (प्रा०) लि०

1982-83 के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा

3582. **श्री नीरेन घोष :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1982-83 में 3482 एम०डब्ल्यू० की अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध होगी;

(ख) यदि हां, तो इस अतिरिक्त ऊर्जा का क्षेत्रवार वितरण क्या होगा;

(ग) क्या विद्युत संयंत्र बनाने में कोई क्षेत्रीय असमानता है; और

(घ) यदि नहीं, तो पश्चिमी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन बढ़ने और इसकी तुलना में पूर्वी क्षेत्र में अवरुद्ध हो जाने के क्या कारण है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) 1982-83 के संशोधित कार्यक्रम में 3482 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को चालू करने की परिकल्पना की गई है। इस क्षमता का क्षेत्रवार वितरण इस प्रकार है :—

क्षेत्र	1982-83 के दौरान अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिए लक्ष्य, मेगावाट में
उत्तरी	552
पश्चिमी	1590
दक्षिणी	695
पूर्वी	498
उत्तर-पूर्वी	147
अखिल भारत	3482

(ग) और (घ) प्रत्येक राज्य/क्षेत्र के लिए व्यस्ततम मांगें और ऊर्जा की प्रत्याशित आवश्यकता, उस क्षेत्र आदि में विद्युत शक्यता सहित अनेक विचारणीय पहलुओं के आधार पर विद्युत कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है । विभिन्न क्षेत्रों के विद्युत कार्यक्रमों में अन्तरों से विभिन्न क्षेत्रों का आर्थिक विकास और वृद्धि सहित विभिन्नताएं प्रकट होती हैं।

केन्द्रीय रोजगार समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही

3583. **श्री कुम्भाराम आर्य :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) केन्द्रीय रोजगार समिति की 1981-82 के दौरान कितनी बैठकें हुईं;

(ख) समिति ने सरकार को क्या-क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान रोजगार समिति की 6 जुलाई, 1981 को एक बैठक हुई थी।

(ख) और (ग) केन्द्रीय रोजगार समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें और उन पर की गई कार्यवाही संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 5608/82]

मजदूरों के अधिकार और कर्त्तव्यों के बारे में शिक्षा

3584. **श्री ईरा अनबारासु :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल बोर्ड आफ वर्कर्स एजूकेशन मजदूरों को उनके अधिकारों की शिक्षा दे रहा है और क्या शिक्षा मन्त्रालय के अंतर्गत श्रमिक विद्यापीठ मजदूरों को उनके कर्तव्यों की शिक्षा दे रहा है जैसा कि हाल में श्रमिक विद्यालय के बंगलौर अधिवेशन में "इण्टक" के महासचिव ने उल्लेख किया है; और

(ख) यदि हां, तो मजदूरों को दी जा रही इस दुहरी शिक्षा को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) इण्टक के जनरल सेक्रेटरी ने बंगलौर में हुई विचार-गोष्ठी में ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया कि केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षा दे रहा है और शिक्षा मन्त्रालय के अधीन श्रमिक विद्यापीठ श्रमिकों को उनकी जिम्मेदारियों की शिक्षा दे रहा है। अपनी सदारती टिप्पणियों में इण्टक के जनरल सेक्रेटरी ने यह टिप्पणी की थी कि इस बात की बहुत जरूरत है कि हमारे राष्ट्रीय प्रयास के किसी भी क्षेत्र में एक ही प्रयास की द्विरावृत्ति न होने दी जाय। इस विचार-गोष्ठी का एक उद्देश्य इस बात पर भी विचार करना था कि इन दो संगठनों के कार्यकलापों का कैसे समन्वय किया जाए। विचार-गोष्ठी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इन दो संगठनों के कार्यकलाप एक दूसरे के पूरक हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में रोजगार सम्बन्धी कार्यकारी दल की शिफारिश

3585. **श्री ईरा अनबा रासु :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में रोजगार सम्बन्धी कार्यकारी दल ने क्या शिफारिशें की हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई): (क) और (ख) विदेश में रोजगार विषयक कार्यकारी दल की तीन बैठकें हुई हैं। इन बैठकों में विभिन्न मामलों पर विचार किया गया है, परन्तु कार्यकारी दल ने अभी तक अपना विचार-विमर्श पूरा नहीं किया है और अभी तक कोई विशिष्ट शिफारिशें नहीं की गई हैं।

टेलीविजन रिले केन्द्र कोडाईकनाल के प्रसारण के अन्तर्गत आने वाले जिले

3586. **श्री ईरा अनबारासु :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोडाईकनाल में टेलीविजन रिले केन्द्र से प्रसारण कितने जिलों में किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन०के०पी० साल्वे): जबकि कोडाईकनाल के दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर द्वारा मदुरै और कोयम्बतूर जिलों को पूर्णतया कवर कर लिया जायेगा, रामनाथ पुरम, सलेम, तिरुची, तिरुनेलवेल्ली और तन्जावुर के जिलों का इसका कवरेज आंशिक होगा।

एशियाड पर डाक टिकट जारी किया जाना

3587. **श्री रामप्यारे पनिका :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार एशियाड पर डाक टिकट जारी करने का था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसको अब स्थगित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या एशियाड पर यह डाक टिकट भविष्य में जारी किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) सरकार ने नवम एशियाई खेल; 1982 विषयक अनेक डाक-टिकट जारी करने का निर्णय लिया है। इन खेलों से पूर्व इनके प्रचार के उद्देश्य से 1981 के दौरान चार डाक-टिकट पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इस वर्ष छः से लेकर आठ डाक-टिकट जारी करने का प्रस्ताव है।

(ख) 28-8-82 को जारी किए जाने वाले दो डाक-टिकटों के एक सेट को जारी करना स्थगित कर दिया गया।

(ग) दोनों डाक-टिकटों में से एक डाक-टिकट के विषय में कुछ भ्रांति थी। फिर भी, इस डाक-टिकट को निकट भविष्य में जारी करने का प्रस्ताव है। दूसरा डाक-टिकट 30-10-82 को जारी किया गया।

(घ) इसको जारी करने की निश्चित तारीख अभी निश्चित नहीं की जा सकी है।

उत्तर प्रदेश को अच्छी किस्म के कोयले की सप्लाई

3588. **श्री रामप्यारे पनिका** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को उसके विद्युत संयंत्रों के लिए अच्छी किस्म का कोयला सप्लाई करने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा कोयला सप्लाई करने का आश्वासन दिया है;

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश को कितनी मात्रा में कोयला सप्लाई किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसे कब तक सप्लाई कर दिया जायेगा;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश को सप्लाई की जा रही कोयले की मात्रा राज्य के विद्युत संयंत्रों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उस राज्य को कोयले की सप्लाई की मात्रा बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो कितनी और कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) कोयला विभाग के अधीन एक स्थायी संयोजन समिति देश में बिजली घरों की जरूरतों का पुनरीक्षण करती है और प्रत्येक तिमाही में उनके कोयला संयोजन निश्चित करती है। इस समिति की बैठकों में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विभाग, रेलवे, कोयला कम्पनियों तथा राज्य विद्युत बोर्डों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। स्थायी संयोजन समिति की इन बैठकों में उत्तर प्रदेश के बिजली घरों की कोयले की जरूरतों पर विस्तार से विचार किया जाता है, तिमाही संयोजन कोयले की मात्रा और इसके साथ-साथ किस्म दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए निश्चित किए जाते हैं। इसलिए सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को उसके बिजली घरों को अच्छे किस्म के कोयले की सप्लाई के लिए कोई आश्वासन देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पिछले कई वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के बिजली घरों को कोयले के वास्तविक प्रेषण निम्न-लिखित रहे हैं :

(आंकड़े हजार टनों में)

वर्ष	प्रेषण
1979-80	6452
1980-81	6809
1981-82	7419
1982-83 (वर्ष का पूर्वार्द्ध)	3788

(घ) से (च) उत्तर प्रदेश के बिजली घरों को सप्लाई किए जा रहे कोयले की मात्रा उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफी है तथा उत्तर प्रदेश के सभी बिजली घरों के पास कोयले का पर्याप्त स्टाक है।

ग्रामीण विद्युतीकरण सम्बन्धी नई परियोजनाएं

3589. **श्री रामप्यारे पनिका** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी कुछ नई परियोजनओं का काम शुरू करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं की संख्या क्या है तथा उन पर कितनी धनराशि खर्च करने की सम्भावना है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कुछ गांगों का भी विद्युतीकरण किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे गांगों की संख्या क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) राज्यों के सामान्य विकास कार्यक्रमों के अधीन उपलब्ध स्रोतों के अंतर्गत, जिसके लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम की वित्त सहायता भी दी जाती है, राज्य बिजली बोर्डों द्वारा ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम के 1969-70 में इसके प्रारम्भ से, सितम्बर, 1982 के अंत तक कुल 1762.69 करोड़ रुपए की ऋण सहायता से 5540 ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम के माध्यम से नई और चल रही ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को वित्त पोषित करने के लिए 1982-83 के वित्त वर्ष 232.83 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष के दौरान उपर्युक्त राशि के पूर्णतः उपयोग किए जाने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) 1982-83 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई विभिन्न चालू तथा नई परियोजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 2788 गांवों के विद्युतीकरण किए जाने का प्रस्ताव है।

टेलीफोन के तारों और केबलों की चोरी

3590. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन के केबिलों की चोरियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार टेलीफोन केबिलों की हुई चोरी का ब्यौरा क्या है;

(ग) टेलीफोन के तारों और केबिलों की चोरी के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए;

(घ) क्या गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में संचार मंत्रालय के कर्मचारी/भूतपूर्व कर्मचारी शामिल हैं और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनके विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भूमिहीन श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी

3591. **श्री कृष्णप्रताप सिंह :** क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जीवन निर्वाह व्यय बढ़ गया है ;

(ख) क्या सरकार ने भूमिहीन श्रमिकों के लिए वर्षों पहले निर्धारित की गई न्यूनतम मजूरी की पुनरीक्षा करने के लिए राज्य सरकारों को पत्र लिखा है; और

(ग) यदि हाँ, तो राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार का विचार इस बारे में कोई नया केन्द्रीय कानून लाने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) जुलाई, 1980 में हुए श्रम मन्त्री सम्मेलन के 31वें अधिवेशन में यह निर्णय किया गया कि दो वर्षों में कम-से-कम एक बार या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 प्वाण्टों की वृद्धि होने पर, जो भी पहले हो, न्यूनतम मजदूरी दरों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उनमें संशोधन किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों को राज्य सरकारों/प्रशासनों के ध्यान में लाया गया। नए 20-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात्, उन राज्य सरकारों/प्रशासनों को, जिन्होंने पिछले दो

वर्षों के दौरान कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी-दरों में संशोधन नहीं किया है, फिर परामर्श किया गया कि वे कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित/संशोधित करें।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों/प्रशासनों द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित/संशोधित मजदूरी की दरें और तारीखें दर्शायी गई हैं। इस सम्बन्ध में में किसी नए केन्द्रीय विधान का प्रस्ताव नहीं है। **ग्रन्थालय में रखा गया। [देखिए संख्या एल० टी० 5609/82)**

पर्वतीय आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में पी० सी० ओ० तथा सी० ओ० की स्थापना

3592. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पर्वतीय, आदिवासी तथा पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार सुविधाओं के तेजी से विस्तार की बाधाओं में से एक बाधा उक्त क्षेत्रों में इन सुविधाओं की स्थापना के लिए स्टोर्स की अपर्याप्त सप्लाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या पी०सी०ओ०/सी०ओ० तथा टेलीफोन/टेलीग्राफ लाइनों के लिए विभिन्न स्टोर वस्तुओं की समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पर्याप्त मात्रा में और समय पर सप्लाई के लिए किसी द्रुत कार्यक्रम को तैयार करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो क्या स्टोर के आवंटन में इन क्षेत्रों के लिए कोई प्राथमिकता किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) एवं (ख) स्टोर की सभी मदों की सप्लाई की स्थिति में 1981-82 की तुलना में 1982-83 में पर्याप्त सुधार हुआ है और सार्वजनिक टेलीफोनघर/संयुक्त डाक तारघर के निर्माण के लिए अधिकांश स्टोर अब उपलब्ध हैं। विवरण में दिए गए विवरण में इसकी स्थिति स्पष्ट की गई है। सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त डाक तार घर तथा अन्य संचार लाइनें उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम पहले से ही मौजूद हैं और सर्किलों द्वारा उसका पालन किया जा रहा है।

(ग) एवं (घ) पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सम्बन्धित जनरल मैनेजर दूरसंचार द्वारा भेजे गए मामलों को स्टोर की सप्लाई में प्राथमिकता दी जा रही है।

विवरण

महत्वपूर्ण लाइन स्टोर की सप्लाई स्थिति

क्रम सं०	मद	1981-82 (वर्ष भर)	1982-83 (सितम्बर 1982 तक)
1.	सौर्ट की हैमिलटन ट्यूब	17,20,000 अदद	7,98,900 अदद
2.	सौकेट्स	9,48,000 अदद	7,65,000 अदद
3.	ब्रैकेट्स	9,80,000 अदद	13,98,000 अदद
4.	स्टाक्स	12,63,000 अदद	12,33,000 अदद
5.	लोहे का तार	44,000 मिट्रिक टन	23,400 मिट्रिक टन
6.	अलमुनियम का तार	92,000 कि०मी०	41,000 कि०मी०

स्मारक टिकट जारी किया जाना

3593. **प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार द्वारा स्वतन्त्रता सैनानियों, कवियों, लेखकों, कलाकारों तथा अन्य महान व्यक्तियों के सम्मान में अब तक स्मारक टिकट जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं जिनके सम्मान में वे टिकट जारी किए गए हैं और वे किन अवसरों पर जारी किए गए तथा उनका मूल्य, आकार तथा संख्या कितनी थी तथा वे किस राज्य के थे;

(ग) उन स्वतन्त्रता सेनानियों, कवियों, लेखकों, कलाकारों, अन्य महान व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिनके सम्बन्ध में अनुरोध सरकार के पास लम्बित हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक किया जाएगा और डाक टिकट जारी करने का मानदंड क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां।

(ख) इन विशिष्ट व्यक्तियों के नाम, किस अवसर पर डाक-टिकट जारी किए गए तथा उनके मूल्यवर्ग अनुबन्ध 'क' में दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5610/82**]

विशिष्ट व्यक्तियों पर डाक-टिकट सामान्यत: निम्नलिखित आकारों में जारी किए जाते हैं :

नियत डाक टिकट :

2.8 × 3.3 सें०मी०

2 × 2.3 सें०मी०

स्मारक डाक टिकट :

4.1×2.4 सें०मी०

4×3.4 सें०मी०

3.3×2.8 सें०मी०

2.9×2.9 सें०मी०

3.4×2.4 सें०मी०

4×2.3 सें०मी०

4×4 सें०मी०

5.8×4 सें०मी०

4×2.8 सें०मी०

चूंकि सरकार केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विशिष्ट व्यक्तियों पर ही डाक-टिकट जारी करती है अत: जिन विशिष्ट व्यक्तियों पर डाक-टिकट जारी किए गए थे, वे किस राज्य के हैं, ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ग) उन स्वतन्त्रता सेनानियों, कवियों, कलाकारों तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की सूची जिन पर डाक-टिकट जारी करने के मामले सरकार के विचाराधीन हैं, अनुबंध (ख) में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5610/82]

(घ) डाक-टिकट जारी करने के मामलों पर फिलैटलिक सलाहकार समिति द्वारा विचार किया जाता है और उसके बाद समिति की सिफारिशों को प्राप्त करके इस सम्बन्ध में सरकार निर्णय लेती है। फिलैटलिक सलाहकार समिति की जो बैठक 21 अक्तूबर, 1982 को होनी निश्चित हुई थी उसे कुछ असाधारण कारणों के फलस्वरूप स्थगित करना पड़ा। अत: इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किया जाएगा, यह बताना सम्भव नहीं है।

सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों और टेलीफोन केन्द्रों आदि की स्थापना में प्रयोग में लाए जाने हेतु निर्मित/प्राप्त 'स्टाल्क्स' (एस०टी०ए०एल०के०एस०)

3594. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग ने चालू वित्त वर्ष के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों/टेलीफोन केन्द्रों आदि की स्थापना में प्रयोग में लाए जाने हेतु कोई स्टाल्क्स निर्मित और प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी सही-सही संख्या कितनी है और बहुराज्यीय दूर संचार सर्किलों के मामले में (राज्यवार) प्रत्येक दूर संचार सर्किल के लिए कितने 'स्टाल्क्स' आवंटित किए गए हैं; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने का विचार है कि ऐसे सभी सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों/टेलीफोन केन्द्रों तथा मंजूर की गई तथा/अथवा स्थापित की जा रही टेलीफोन तार लाइनों में इस आवश्यक वस्तु के अभाव में बाधा न पड़े ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग) 1981-82 की की तुलना में 1982-83 के दौरान "स्टाल्क्स" की सप्लाई में पर्याप्त सुधार हुआ है। चालू वर्ष के दौरान 12,33,000 स्टाल्क की सप्लाई 30-9-82 तक विभिन्न दूरसंचार सर्किलों को गई है जबकि 1981-82 के पूरे वर्ष में 12,63,000 स्टाल्क की ही सप्लाई की गई थी। स्टाल्क का दूरसंचार वार आवंटन विवरण में दिया गया है। पहले से ही मंजूर किए गए सार्वजनिक टेलीफोनघर/संयुक्त डाक तार घर तथा टेलीफोन/तार लाइनों को, लक्ष्य अवधि को ध्यान में रखे बगैर ही, खोलने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

विवरण

1982-83 के दौरान विभिन्न दूर संचार सर्किलों को आबंटित "स्टाल्क"

सर्किल का नाम	कुल आबंटन
आन्ध्र प्रदेश	8.00 लाख
बिहार	3.00 लाख
गुजरात	5.00 लाख
जम्मू एवं काश्मीर	0.50 लाख
कर्नाटक	2.50 लाख
केरल	4.00 लाख
महाराष्ट्र	3.00 लाख
मध्यप्रदेश	1.50 लाख
उत्तर पूर्व सर्किल	2.00 लाख
उत्तर पश्चिम सर्किल (पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश)	3.00 लाख
उड़ीसा	1.00 लाख
राजस्थान	2.00 लाख
उत्तर प्रदेश	3.00 लाख
पश्चिम बंगाल	3.00 लाख
तमिलनाडु	5.50 लाख
योग	47.00 लाख

सूरत टेलीफोन डिवीजन में नये टेलीफोन एक्सचेंजों और पी० सी० ओ० कनेक्शनों की मांग

3595. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान सूरत टेलीफोन डिवीजन से नए टेलीफोन एक्सचेंजों और पी०सी०ओ० कनेक्शनों के लिए प्राप्त मांगों की कुल संख्या क्या है;

(ख) इन मांगों पर स्वीकृत पी०सी०ओ० कनेक्शनों और टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थानवार संख्या क्या है;

(ग) किन-किन स्थानों पर पब्लिक काल आफिस और टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए हैं और शेष स्थानों पर ये कब से काम आरम्भ कर देंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) वर्षवार-प्राप्त मांग निम्न प्रकार है :—

वर्ष	टेलीफोन एक्सचेंज	सार्वजनिक टेलीफोन घर
1	2	3
1980-81	4	7
1981-82	4	9
1982-83	शून्य	शून्य

(ख) स्थानवार मंजूरी नीचे दी गई है :—

वर्ष	टेलीफोन एक्सचेंज	सार्वजनिक टेलीफोनघर
1	2	3
1980-81	फानसा	रायगढ़
	परिया	मलवान
	खारेल	सरवाम
		गोडथल
		बांदरवाला
		मांडवा
		ओंजल

(जारी···)

1	2	3
1981-82	एरेथ	साकरपाटल
	जांखवाब	सुवेर
		कालीवेल
		गुरहादी
		उमरवाड़ा
		अमारडा
		सिंगपुर
		वालवाडा
		समगहम
1982-83	कामरेज	शून्य
	कवास	

(ख) जहां टेलीफोन एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफोनघर खोले गए हैं, उन स्थानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	टेलीफोन एक्सचेंज	सार्वजनिक टेलीफोनघर
1	2	3
1980-81	सपुतारा	नोगमा (सी)
	आत	मांडव खाडर्क
		नोगामा (एम)
		पिनिजात
		खानवेल
		जाखपाव
		पिपरी
		बालासुर
		सुरपा
		भकाडबन
		सारा
		टांकल
		घोंडमाल
		प्रतापनगर
		पाचोल

(जारी···)

1	2	3
1981-82	नारोली	ओंजल
	गुरुकुल सुपा	गोधथल
	परिया	मांडवा
	खारेल	सुवीर
	फसा	मधुवन
		देगाडी
		अम्बा
		नानापोनधा
1982-83	डोलवान	शून्य
	नोगामा	

शेष स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफोनघर खोले जाएंगे बशर्ते कि अपेक्षित भंडार और उपस्कर उपलब्ध हों।

लोअर लंगमय प्रोजेक्ट में डीजल जनरेटिंग सेटों का उपयोग

3596. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम स्थित लोअर लंगमय प्रोजेक्ट में कितने डीजल जनरेटिंग सेट उपलब्ध हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान, प्रत्येक जनरेटिंग सेट ने, प्रति मास कितने यूनिट बिजली पैदा की;

(ग) इन मशीनों को चलाने तथा उनके रख-रखाव के लिए, गत पांच वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) क्या यह सच है कि डीजल जनरेटिंग सेटों का कोई उचित उपयोग नहीं किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन): (क) से (घ) लोअर लग्यप परियोजना में निम्नलिखित 7 डीजल विद्युत उत्पादन सेट उपलब्ध हैं :—

248—248 कि० वा० के 4 सेट

27.2—27.2 कि० वा० के दो सेट

34.3 कि० वा० का 1 सेट

डीजल सेट समुचित रूप से उपयोग में लाए गए हैं। लोअर लग्यप परियोजना को चालू करने से पूर्व ये यूनिटें परियोजना कालोनियों में रोशनी के लिए बिजली सप्लाई करने तथा निर्माण के

लिए विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग में लाई गई हैं। ओअर लग्यप परियोजना के आंशिक रूप से चालू हो जाने के बाद इन यूनिटों का उपयोग सहारे के रूप में, जल-विद्युत उपलब्ध न होने की अवधि के दौरान विद्युत की इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा रहीं हैं।

पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक सेट द्वारा हर माह उत्पादित यूनिटों और चलाने तथा अनुरक्षण तंत्र पर किए गए वार्षिक व्यय के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गोरखपुर में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना

3597. **श्री राम लाल राही :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में टेलीविजन केन्द्र स्थापित किया जाना था; और

(ख) यदि हां, तो गोरखपुर, जहां भूमि और इमारतें दोनों उपलब्ध हो सकते थे, के बजाय इसे देवरिया में स्थापित किए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) गोरखपुर में दूरदर्शन केन्द्र छठी योजना की एक परियोजना के अंग के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा, देवरिया में अल्प शक्ति वाली दूरदर्शन संग्रहण-व-रिले पद्धति स्थापित की जा रही है।

औषधों का निर्यात

3598. **श्री राम लाल राही**
श्री एन०के० शेजवलकर } : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 सितम्बर, 1982 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जहां औषधों और फार्मास्युटिकल्स निर्यात उद्योग में पैरा कम्पनियों का अंशदान कुल निर्यात के 70 प्रतिशत से अधिक हो गया है; की भारतीय कम्पनियों का अंशदान कम हो गया है;

(ख) उक्त निर्यात तथा भारतीय कम्पनियों के अंशदान को बढ़ाने के लिए सरकार का विचार कौन से उपाय करने का है;

(ग) क्या यह सच है कि क्षमता उपयोग और ऋण लाइसेन्सों पर प्रतिबन्ध और अवास्तविक मूल्य नीति के कारण निर्यात को हानि पहुँच रही है; और

(घ) यदि हां, तो हमारे निर्यात को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उटाने का है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने इस रिपोर्ट को देखा है। 1981-82 में 95.41 करोड़ रुपये रु० की औषधों और दवाइयों का निर्यात हुआ जबकि गत वर्ष में 76.18 करोड़ रु० का निर्यात हुआ था। 1981-82 की निर्यात नीति और विद्यमान निर्यात नीति में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में उपलब्धता पर विपरीत प्रभाव न पड़े, निर्यात के लिए अनेक प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है। इन सुविधाओं में अग्रिम/पेशगी लाइसेंस, आर० ई० पी० लाइसेंस प्रदान करना, आई० आर० एम० ए० सी० (औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र) योजना का संचालन, नगद क्षतिपूर्ति योजना, आदि शामिल है। ये सुविधाएं सभी औषध निर्माता कम्पनियों, चाहें वे फैरा के अन्तर्गत है अथवा नहीं, को उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। निर्यातों में तीव्रता से वृद्धि हो रही है। विशेष रूप से विकासशील देशों में औषधों और भेषजों के निर्यात संवर्धन के लिए एस० टी० सी० और चैमेक्सिल प्रयास कर रहे हैं।

ड्रग फौरमुलेशन्स के मूल्य निर्धारण हेतु मशीनरी

3599. **श्री राम लाल राही**
श्री एन० के० शेजवलकर : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बाजार में 30-40,000 ड्रग फोरम्युलेशन्स के मूल्य निर्धारित करने हेतु पर्याप्त मशीनरी है;

(ख) क्या यह सच है कि बल्क ड्रग्स और फौरम्युलेशन्स के मूल्य निर्धारित करने में अत्यधिक विलम्ब होना है जिसके कारण निर्माताओं ने इन ड्रग्स का निर्माण करना बन्द कर दिया है जो अलाभ-कर हो गए हैं; और

(ग) सरकार का विचार जल्दी से मूल्य निर्धारित/मंजूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) : औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 में श्रेणी-I. श्रेणी-II और श्रेणी-III फार्मूलेशनों के सम्बन्ध में लीडर मूल्य को अधिसूचित करने की व्यवस्था है। ऐसे लीडर मूल्य सरकार द्वारा समय-समय पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं। उत्पादक ऐसे अधिसूचित मूल्यों को एक ही प्रकार के पैक्स, सान्द्रता तथा मिश्रणों के लिए पृथक तथा विनिर्दिष्ट अनुमति लिए बिना लागू कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जिन पैक्स के लिए निर्धारित करने अपेक्षित होते हैं उनकी संख्या काफी कम हो जाती हैं। औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 के आरम्भ होने के बाद, सरकार ने स्वदेश में उत्पादित की जाने वाली 200 मूल्य नियन्त्रित प्रपुंज औषधों पर आधारित अनेक फार्मूलेशनों के मूल्य संशोधित न करने के कारण किसी उत्पादक द्वारा किसी प्रपुंज औषध/फार्मूलेशन के उत्पादन

को रोकने का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशनों के मूल्यों में संशोधन करने की शीघ्र अनुमति देने के हर सम्भव प्रयास किए जाते हैं।

केरल आकाशवाणी केन्द्रों के कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकानों का निर्माण

3600. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केरल के आकाशवाणी केन्द्रों के कर्मचारियों के लिए त्रिवेन्द्रम, कालीकट, त्रिचूर और अलप्पी में रिहायशी मकानों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : जी, हां। छठी योजना अवधि के दौरान कालीकट में 16 रिहायशी क्वार्टर बनाने की अनुमोदित योजना है।

केरल में शाखा तथा उप-डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाना

3601. **श्री के० कुन्हम्बु** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में 1982-83 के दौरान जिन उप-डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाएगा उनके नाम क्या हैं; और

(ख) इस अवधि के दौरान केरल में जिन उप-डाकघरों का दर्जा बढ़ा कर मुख्य डाकघर किया जाएगा उनके नाम क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कच्चा-टिबूद्वीप के आसपास के समुद्र के दोहन का कार्यक्रम

3602. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस समझौते के अनुसरण में, जिसके अधीन भारत सरकार ने 1974 में पाक स्ट्रेट में स्थित कच्चाटिबू द्वीप श्री लंका को सौंप दिया था, समुद्री सतह के संसाधनों के दोहन के प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कार्यक्रमों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की भूमिका का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके अधीन भारत को क्या लाभ होने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारत सरकार और श्री लंका के बीच समुद्री सीमा के आरपार कोई भूगर्भीय, पेट्रोलियम अथवा प्राकृतिक गैस संरचना हो तो दोनों देश इस प्रकार का करार करने का यत्न करेंगे जिससे संरचना अथवा क्षेत्र का अधिक प्रभावी तौर पर दोहन किया जा सके और उससे आनुपातिक प्राप्ति हो सके।

(ङ) इस समय, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग पाक जलडमरुमध्य में कच्चाटिबू द्वीप के समीप पेट्रोलियम अथवा प्राकृतिक गैस संसाधनों के दोहन का कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

बोकारो इस्पात संयंत्र में भविष्य निधि सदस्यता के लिये मजदूरों और ठेकेदारों का नामांकन न करना

3603. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारों में कार्य कर रहे तीस हज़ार ठेकेदारों और नैमित्तिक मजदूरों के सम्बन्ध में भविष्य निधि सदस्यता को नामांकित न करने के बारे में 26 जून, 1982 के दैनिक प्रेट्रियट में प्रकाशित समाचार की सरकार को जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सभी पात्र ठेकेदारों और नैमित्तिक मजदूरों को उनकी निश्चित तारीखों से उनको भविष्य निधि की सदस्यता में नामांकित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यह सभा की मेज़ पर रख दी जाएगी।

इंडियन मैटल एण्ड फैरोएलायज लिमिटेड की बी० पंडा कम्पनी की परिसम्पत्तियां

3604. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी० पंडा एण्ड कम्पनी लिमिटेड, उड़ीसा की मार्च, 1982 तक की नवीनतम परिसम्पत्तियां क्या हैं;

(ख) इंडियन मेटल एंड कारबिड लिमिटेड, उड़ीसा की मार्च, 1982 तक की नवीनतम परिसम्पत्तियां क्या हैं;

(ग) इण्डियन मेटल एण्ड फैरी एलाइज लिमिटेड, उड़ीसा को मार्च, 1982 तक की नवीनतम परिसम्पत्तियां क्या हैं;

(घ) कलिंग ट्यूब्स लिमिटेड चौद्धार की मार्च, 1982 तक की नवीनतम परिसम्पत्तियां क्या हैं; और

(ङ) यदि परिसम्पत्तियों के नवीनतम तथा अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (घ) मैं० कलिंगा ट्यूब्स लिमिटेड का मैसर्स इण्डियन मेटल एंड फैरोएलाइज के साथ समामेलन हो गया है।

तीन कम्पनियों मैसर्स बी० पंडा एण्ड कम्पनी लिमिटेड, मैसर्स इण्डियन मैटल एण्ड कार्बाइड लिमिटेड और मैसर्स इण्डियन मैटल्स एण्ड फैरोएलायज लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 31 दिसम्बर, को समाप्त होते हैं। 31 दिसम्बर तक तीनों कम्पनियों की परिसम्पत्तियां निम्न प्रकार थीं :—

(1)	मैसर्स बी० पंडा एण्ड कम्पनी लिमिटेड	25.95 लाख रु०
(2)	मैसर्स इण्डियन मैटल्स एण्ड कार्बाइड लिमिटेड	171.37 लाख रु०
(3)	मैसर्स इण्डियन मैटल्स एण्ड फैरा एलायज लिमिटेड	2077.31 लाख रु०

(ङ) उत्पन्न नहीं होता।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में राज्यों की जल विद्युत परियोजनाएं स्वीकृति हेतु विचाराधीन

3605. **श्री बी० आर० नहाटा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कितनी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य से स्वीकृति हेतु मिली है और प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था तथा इस की क्षमता क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की अवस्था क्या है; और

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कितनी और कौन-सी जल विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं और कौन-सी परियोजनाएं स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में 69 जल विद्युत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं। के० वि० प्रा० द्वारा इन परियोजनाओं में से 16 को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 8 परियोजना रिपोर्ट के वि० प्रा०/के० ज० आ० की टिप्पणियों के आधार पर उनमें संशोधन करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों को वापस भेज दी गई है। उन 8 बहूद्देश्यीय परियोजनाओं पर जिनमें अन्तर्राजीय पहलू शामिल हैं और जिनमें योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। शेष परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

जल विद्युत परियोजनाओं की तकनीकी जांच एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें जल-विज्ञान, भू-विज्ञान, सिविल डिजाइन, विद्युत की डिजाइन आदि विभिन्न विधाएं शामिल हैं। परियोजनाओं की स्वीकृति में लिया गया समय फील्ड अन्वेषणों की पर्याप्तता तथा उपयुक्त आंकड़ों की पर्याप्तता तथा परियोजना रिपोर्ट में दिए गए इन्जीनियरी ब्यौरों पर निर्भर करता है।

यद्यपि, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण परियोजनाओं के शीघ्र मूल्यांकन करने का प्रयास करता है, इस प्रक्रिया में लगने वाला वास्तविक समय विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है इनमें से कुछ के० वि० प्रा० के नियन्त्रण से बाहर होते हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण एक सांविधिक संस्था है और केवल ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृत करना इसका दायित्व है जो प्रणाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे अच्छे उपलब्ध तकनीकी और आर्थिक विकल्पों को पूरा करती है।

भारतीय एल्यूमिनियम निगम लि० के लोहारडागा कार्यालय का विघटन

3606. **श्रीमती सुमति उरांव :** क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मैसर्स भारतीय अल्यूमिनियम निगम लि० 7, कांउसेलर हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता 1, 1974 में लोहारडागा, रांची बिहार में अपना बाक्साइट खान कार्यालय बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हाँ तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि क्या मैसर्स भारतीय अल्यूमिनियम निगम लि० कलकत्ता ने लोहराडागा में अपना कार्यालय बन्द करते समय लोहारडागा में अपने कर्मचारियों के प्रति अपने दायित्व का पालन किया है; और

(ग) क्या सरकार ने निगम से इन सभी वर्षों के दौरान लोहारडागा कार्यालय के अपने भूत-पूर्व कर्मचारियों के विभिन्न भविष्य निधि खातों उपदान आदि के मामलों को निपटाने में असफल रहने के कारणों के बारे में पूछा है तथा क्या सरकार एक निर्धारित तारीख तक कर्मचारियों द्वारा ऐसे भुगतान प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

ब्रिटिश दासता विरोधी सोसाइटी की रिपोर्ट

3607. **श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ब्रिटिश दासता विरोधी सोसाइटी की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार समिति (यू०एन० ह्यूमन राइट्स कमेटी) को प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां तो रिपोर्ट का पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) "भारत में बंधुआ श्रमिक" विषयक मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए दासता-विरोधी सोसाइटी की रिपोर्ट में, जो दासता विषयक विशेषज्ञों के यू०एन० कार्यकारी दल को प्रस्तुत की गई थी, यह बताया गया है कि 50 और 70 लाख श्रमिकों के बीच (सभी ग्रामीण मजदूरी कमाने वालों का 2-3 प्रतिशत) 10 लाख

जमीदारों के संभाव्यय ऋणी बन्धक हैं और उनके प्रकाशित मामला अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है जहाँ यह पद्धति नहीं है। 50-70 लाख बंधुआ श्रमिकों की संख्या केवल अनुमान के रूप में है और पता लगाए गए बंधुआ श्रमिकों की वास्तविक संख्या के समुतुल्य नहीं है। सरकार ने मानवीय अधिकारों के संरक्षण के लिए दासता विरोधी सोसाइटी के आंकड़ों को स्वीकार नहीं किया है। राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों के अनुसार 30-6-1982 को देश में पता लगाए गए और मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों की कुल संख्या 1,44,930 है जिनमें से 84,269 को पुनर्वासित किया जा चुका है।

ट्रेड यूनियनों द्वारा वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत करना

3608. **श्री भीखा भाई : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में पंजीकर, ट्रेड यूनियन्स, दिल्ली प्रशासन ने उन यूनियनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है जिन्होंने वर्ष 1977 तक की वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की थी, और ऐसा करते समय उन्होंने भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी यूनियन को अनदेखा कर दिया यद्यपि इस यूनियन ने अपने सभी रीजनों/जोनों/राष्ट्रीय समिति से सम्बन्धित वर्ष 1977 तक की विवरणियां प्रस्तुत नहीं की थी बल्कि केवल कर्नाटक रीजन से सम्बन्धित लेखे प्रस्तुत किए थे;

(ख) यदि हां, तो पंजीकरण रद्द करने में इस यूनियन के नाम को उपेक्षित करने के क्या कारण हैं तथा जो चूककर्ता उचित वार्षिक विवरणियां और उचित लेखे प्रस्तुत करने में असफल रहे उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस तथ्य की उपेक्षा की तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या कोई ट्रेड यूनियनें भी हैं जिन्होंने उचित और वास्तविक वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं की तथा उनका पंजीकरण रद्द नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन, दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 की धारा 10 के अधीन वर्ष 1977 की वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत न किए जाने के कारण जुलाई, 1982 में 106 ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण को रद्द कर दिया गया। तथापि, ऐसी यूनियनों के पंजीकरण को रद्द नहीं किया गया जो 1977 के अन्त में पंजीकृत हुई थीं। क्योंकि वार्षिक विवरणी प्रस्तुत न किए जाने के कारण किसी विशिष्ट यूनियन का पंजीकरण तभी रद्द किया जाता है, जबकि उस यूनियन ने रद्द किए जाने वाले वर्ष में पर्याप्त समय तक वास्तव में कार्य किया हो। भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी यूनियन की, जो 31-8-77 को पंजीकृत की गई और जिसकी सदस्यता का सीमा-क्षेत्र सम्पूर्ण देश है, पंजीकरण के समय सदस्य संख्या केवल 55 थी, जबकि सम्मिलित विवरणियों में यह संख्या 56,199 दिखाई गई थी। इसका पंजीकरण रद्द नहीं किया गया क्योंकि यह आशा थी कि सदस्यों का नामांकन और विभिन्न समितियों की आय और व्यय, जैसा कि उनके संविधान में उल्लिखित है, का वास्तविक कार्य उनके पंजीकरण के कुछ महीनों के पश्चात ही किया जा सकता

है। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण के पश्चात 31-5-79 को वर्ष 19/9 के सम्बन्ध में सम्मिलित वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की थी और तत्पश्चात् इसने वर्ष 1979 और 1980 की विवरणियां भी प्रस्तुत की हैं।

डाक-तार विभाग की सलाहकार समिति में संसद सदस्यों की यात्रा तथा दैनिक भत्ता शामिल

3609. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संचार मंत्रालय की सलाहकार समिति डाक-तार विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति तथा अन्य ऐसी सलाहकार समितियों में भाग लेने वाले सदस्यों को संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों को अधिशासित करने वाले नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता अदा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सर्किल स्तर पर गठित डाक-तार सलाहकार समिति तथा टेलीफोन सलाहकार समितियों में शामिल संसद सदस्यों को वेतन तथा भत्ता नियमों के अनुसार यात्रा तथा दैनिक भत्ता अदा नहीं किया जाता है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं तथा क्या यह कथित नियमों का उल्लंघन नहीं है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस असंगति को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां।

(ख) सर्किल स्तर पर गठित डाक-तार सलाहकार समिति और टेलीफोन सलाहकार समितियों में संसद सदस्यों को भारत सरकार वित्त मंत्रालय के का०ज्ञा० सं० 19049/1 81-पी-IV दि० 16-3-81 के अनुसार दैनिक भत्ता तथा संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम के खंड-4 के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक-तार विभाग तथा दूर संचार अनुसंधान केन्द्र में अधिकारियों की पदोन्नति

3610. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों 1980, 1981 तथा 1982 के दौरान डाक-तार विभाग तथा दूर-संचार अनुसंधान केन्द्र में कुछ अधिकारियों की तदर्थ। स्थानीय प्रबन्ध के आधार पर दूर संचार अभियांत्रिकी सेवा ग्रुप 'ख' से दूर संचार अभियांत्रिकी सेवा ग्रुप 'क' में पदोन्नति की गई है;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों यदि कोई हों, को दर्शाते हुए वर्षवार कितनी-कितनी पदोन्नतियां की गई;

(ग) प्रत्येक पदोन्नत अधिकारी का नाम, अनुभाग, पदोन्नति की तारीख क्या है;

(घ) प्रत्येक रिक्ति (अवकाश से हुई रिक्ति, नियमित रिक्ति, कम अवधि की रिक्ति, लंबी अवधि की रिक्ति) जिसके स्थान पर पदोन्नति की गई, का प्रकार तथा तारीख क्या है; और

(ङ) ऐसी नियमित रिक्तियों को समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार नियमित आधार पर भरे जाने के लिए उठाए गए कदम ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

वाइरस फ़ीवर के कारण औषधियों के मूल्यों में वृद्धि

3611. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1982 में संक्रामक रोग वाइरस फीवर के फैल जाने से एंटी पाइरेटिक्स अनालजीस्लिक एंटी बायोटिक-एंटी मलेरियल और दर्द निवारक औषधियों के मूल्य 10 से 20 प्रतिशत बढ़ गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अनिवार्य औषधियों के मूल्यों में वृद्धि रोकने और उन पर नियन्त्रण रखने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) वायरस बुखार का सामना/उपचार करने हेतु कोई विशिष्ट दवाई नहीं है। बुखार, शरीर दर्द और सिर दर्द के लिए लाक्षणिक उपचार बताया गया है और इसका प्रबन्ध पेरासिटामोल, अनलजिन और एस्प्रिन जैसी एनलजेसिक और एंटीपाइरेटिक्स द्वारा किया जा सकता है। ये फार्मूलेशन औषध मूल्य नियन्त्रण आदेश 1979 के अधीन मूल्य नियन्त्रित हैं। संघटक बल्क औषधों के मूल्यों और पैकिंग सामग्री जैसे कच्चे मालों की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये, फार्मूलेशनों के मूल्य समय-समय पर संशोधित किये जाते हैं। पेरासिटामोल, एनलजिन और एस्प्रिन निहित फार्मूलेशनों के मूल्यों में हाल फ़िलहाल में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ऐसे फार्मूलेशनों की बिक्री सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर करने के बारे में राज्य औषध नियंत्रकों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

ग्रामीण क्षेत्रों को सस्ती ऊर्जा सप्लाई करने की योजना

3612. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को सस्ती ऊर्जा सप्लाई करने की योजनाएं तैयार की हैं; और

(ख) ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने हेतु ऊर्जा, पानी उठाने के तरीकों तथा कृषि उपकरणों के लिये क्या तरीके पता लगाये गए है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय स्रोतों जैसे, सौर उर्जा, पवन उर्जा, जीव भार एवं जैव गैस से ऊर्जा, इत्यादि के उपयोग के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का समन्वय और कार्यान्वयन करने के लिए ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग की स्थापना की है। आयोग द्वारा जो मुख्य गतिविधियां हाथ में ली गई हैं, उनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

अनुसंधान और विकास का तीव्रीकरण, परिपक्व प्रौद्योगिकियों का उपगोगीकरण, औद्योगिक उत्पादन को त्वरित करने के लिए वित्तीय और संवर्धनात्मक उपाय और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक सूचना कार्यक्रम। जिन नवीकरणीय ऊर्जा युक्तियों और प्रणालियों का पहले से विकास किया जा चुका है उनमें से, सौर जल तापन प्रणालियां, सौर फसल शुष्क, सौर पम्प, सौर कुकर, जल पम्पन और अन्य अनुप्रयोगों के लिए सौर प्रकाश वोल्टीय सैल्स, वायु पम्प, पारिवारिक टाइप के और सामुदायिक/सांस्थानिक टाइप के जैव गैस संयंत्र, जैव गैस इंजन और संशोधित लद्दू पशु शक्ति युक्तियां सम्मिलित हैं। जैसे-जैसे पारम्परिक ईंधनों की लागते बढ़ रही हैं और प्रौद्योगिक और अन्य प्रगतियों के कारण नवीकरणीय प्रणालियों की लागतों में कमी आती जा रही है, इससे यह आशा की जाती है कि ऊर्जा से नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के पारम्परिक स्रोतों की अधिकाधिक प्रतिपूर्ति कर पाएंगे। एक देशव्यापी क्षेत्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जो कि इन युक्तियों और प्रणालियों के व्यापारिक पैमाने पर उत्पादन और व्यापक पैमाने पर सम्वर्द्धन कर रहा है।

राज्य पन-बिजली परियोजना को सहायता

3613. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य पन-बिजली परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के प्रावधान के बारे में केन्द्र की राष्ट्रीय नीति क्या है;

(ख) क्या केन्द्र को राज्य पन-बिजली परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) राज्यों को केन्द्रीय सहायता उनकी वार्षिक योजनाओं के लिए ब्लाक ऋणों तथा ब्लाक अनुदानों के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मूले के आधार पर दी जाती है। यह सहायता प्रत्येक राज्य को उनकी समग्र योजना के लिए दी जाती है तथा किसी क्षेत्र में किसी विशिष्ट परियोजना/संगठन के लिए नहीं दी जाती।

बड़े औद्योगिक गृहों की अस्तियों में वृद्धि

3614. **श्री ए०के० राय** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के बीस बड़े औद्योगिक गृहों की कुल आस्तियां, निवल और कर पूर्व, दोनों प्रकार का पूंजी लाभ क्या क्या है तथा गत पांच वर्षों में इनमें कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) क्या बड़े पूंजीपतियों के विकास और उनके लाभ का देश के औद्योगिक विकास से विशेष रूप से वर्ष 1979 के संदर्भ में कोई सम्बन्ध नहीं है, यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) वर्ष 1976, 1977, 1978, 1979 और 1980 में देश में बड़े बीस औद्योगिक घरानों (वर्ष 1980 में परिसम्पत्तियों के अनुसार श्रेणीबद्ध) की आस्तियां, प्रदत्त पूंजी और लाभ (कर पूर्व) निम्न प्रकार थे :—

(करोड़ रु० में)

	परिसम्पत्तियां	प्रदत्त पूंजी	करपूर्व लाभ
1976	4832·06	761·67	330·92
1977	5294·29	832·91	379·88
1978	5718·97	867·13	400·79
1979	6614 89	92°·74	51··52
1980	7611·92	979 78	544·24

(ख) वर्ष 1977 से 1980 तक की अवधि में देश में 20 बड़े औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्तियों और लाभों में वृद्धि को निम्न प्रकार दिया जाता है :—

अवधि	प्रतिशत में वृद्धि	
	परिसम्पत्तियां	लाभ
1977-78	९·0	5·5
1978-79	15·5	28·6
19-7980	15·1	5·6

इन संकेतों द्वारा प्रतिफलित औद्योगिक घरानों की वृद्धि का औद्योगिक वृद्धि के साथ प्रत्यक्ष रूप से सह-सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मुझे एक निवेदन करना है। कृपया आप हमारी बात सुनें और उसके पश्चात उस पर अपना निर्णय दें। इस सदन की यही प्रथा रही है कि जब भी कोई नीति सम्बन्धी निर्णय लिए जाएं वह सदन के भीतर लिए जाएं। श्री खडिलकर ने बोनस के सम्बन्ध में सदन में घोषणा की और श्री ढिल्लों ने उनकी खिचाई की और कहा जब सदन का सत्र चल रहा हो तो यह सदन के भीतर किया जाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया मेरे पास आइए।...नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : प्रधान मंत्री ने नागालैण्ड में घोषणा की है कि कांग्रेस (आई) के शासन वाले राज्यों को अधिक सहायता दी जाएगी ...

अध्यक्ष महोदय : इस बात का पहले ही खण्डन किया जा चुका है।

प्रो० मधु दण्डवते : किसी अज्ञात प्रवक्ता ने कोई स्पष्टीकरण दिया है किसी उत्तरदायी मंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए। श्री ढिल्लों द्वारा श्री खडिलकर की सदन से बाहर बोनस के सम्बन्ध में वक्तव्य देने पर खिचाई की गई जबकि सदन सत्र में था। श्री खडिलकर ने खेद व्यक्त किया और उस गलती को नहीं दोहराया। जो बात श्रम मन्त्री पर लागू होती है वह प्रधान मन्त्री पर भी लागू होती है। आपकी क्या राय है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : उस प्रथा पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी क्या राय है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : जब भी नया अध्यक्ष आता है वह प्रथा समाप्त हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय : प्रथा से विमुख होने का कोई प्रश्न ही नहीं जो कुछ जैसा है वैसा ही है। मैं इसकी जांच करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : कम से कम इसे विचाराधीन रखिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : आज के अखबार में मद्रास दूरदर्शन द्वारा हिन्दी प्रसारण समाप्त करने के सम्बन्ध में समाचार है। मैं मन्त्री महोदय से इस विषय पर वक्तव्य देने को कहूंगा। यदि आप अनुमति दें तो वह ऐसा करने के लिए तैयार हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : केवल तमिलनाडु ही नहीं हमारे राज्य में भी यही कुछ हो रहा है...(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीर हाट) : बंगाल में भी यही कुछ हो रहा है हमारे सभी स्थानीय कार्यक्रम एक साथ समाप्त कर दिए गए हैं ? लोगों को राष्ट्रीय कार्यक्रम सुनने के लिए मजबूर किया जाता है ? हमारे कार्यक्रम आपके कार्यक्रमों से कहीं अधिक बेहतर हैं (व्यवधान)

मैंने आपको एक सूचना दी है जो सीमान्त राज्य मणिपुर में विद्रोह से निपटने के नाम पर की जाने वाली ज्यादतियों से सम्बन्धित है। परसों ही एक बहुत मशहूर फिल्म निर्माता और नाटककार की गोली मार कर हत्या कर दी गई। उसे गिरफ्तार करने के स्थान पर उसकी गोली मार कर हत्या कर दी गई··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ·····श्री शास्त्री।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस प्रकार की बातों से वहां पर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है जो राष्ट्रहित में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक वक्तव्य दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की अन्धाधुंध गोलाबारी और उन लोगों की हत्या जिनका विद्रोह से कुछ लेना देना नहीं है, की अनुमति नहीं दी जा सकती हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप मन्त्री महोदय से तथ्यों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने को कहें···

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आश्वासन की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : किस बात पर ?

श्री रामावतार शास्त्री : आपको स्मरण होगा कि हमने एक एडजर्नमेंट मोशन दिया था, बिहार में भूख से सौ मौतें हुई, उसके बारे में, और आपने कहा था कि इस सम्बन्ध में आप···

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कोई ऐसा तथ्य नहीं आया है।

श्री रामावतार शास्त्री : तो आप हमको इस पर बहस करने की इजाजत दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको दिखा दूंगा और आपसे सलाह भी कर लूंगा।

(व्यवधान)

श्री नीरेन घोष (दमदम) : पुलिस द्वारा नागरिक स्वतन्त्रता संघ पर हमला किया गया जिसमें श्री तारकुंडे घायल हुए··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है।

श्री नीरेन घोष : यह प्रेस की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। मैं इस पर विचार नहीं करूंगा। अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : दुर्भाग्य से इस देश में दंगे रोजमर्रा की बात हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत बुरी बात है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह खेद का विषय है कि अब बड़ौदा में भयंकर स्थिति हो गई है। कुछ ऐसे लोग हैं जो यह कह रहे हैं कि इसाईयों और अल्पसंख्यकों को सरकार की निगरानी में रखा जाए। बहुत से लोगों द्वारा नफरत की भावना फैलाई जा रही है और सरकार निष्क्रिय बैठी है। बड़ौदा में भी जब ताजिया का जलूस निकाला गया कोई भी पुलिस कर्मचारी साथ नहीं था। यह अल्पसंख्यकों का अधिकार है कि वह जलूस निकाल सके···

अध्यक्ष महोदय : हमने इस मामले पर पहले ही बारीकी से विचार किया है।

(व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं मांग करता हूं कि गुजरात सरकार को साम्प्रदायिक एकता और सदभावना बनाए रखने में असफल होने के कारण मुअत्तिल कर दिया जाए।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैंने एक एडजर्नमेंट मोशन दिया है। पिछले एक हफ्ते में बिहार में 31 हरिजन आदिवासियों को गोली से उड़ा दिया गया है। ये वे लोग हैं जो भूखे हैं और रिलीफ मांग रहे हैं। उसके ऊपर पुलिस गोली चला रही है। हम लोगों ने एडजार्नमेंट मोशन दिया है। अभी शास्त्री जी ने भी कहा है कि पिछले समय में आपने कहा था कि मैं···

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आ जाइए, आपसे सलाह कर लेंगे।

श्री राम विलास पासवान : आप मेरी बात तो सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है।

श्री राम विलास पासवान : यहां बस और ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ तो आपने फैक्टस मंगाने से पहले ही एडमिट कर लिया। अब आप एडमिट क्यों नहीं करते हैं। हम सरकार को प्रूफ देंगे कि लोग भूख से मर रहे हैं। बिहार और बंगाल में लोग भूख से मर रहे हैं। पुलिस उसके बदले में गोली दे रही है।

(व्यवधान)

श्री बी०डी०सिंह (फुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एडजार्नमेंट मोशन दिया है कि बड़ौदा में जो काम्यूनल रायट···

अध्यक्ष महोदय : इसकी बात हो गई। मैंने सुन लिया है।

श्री बी०डी० सिंह : यह बारह दिन से चल रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री आपको कुछ कहना है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : महोदय, आपने हमको मौका नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो दे रहा था। आप नहीं बोल रहे हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जब ये बोल रहे थे, तो मैं कैसे बोलूं।

अध्यक्ष महोदय : आज तो आपने बड़ा सद्भाव दिखलाया।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह हिन्दुस्तान अखबार है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण खबर छपी है। जो देश में 70 प्रतिशत जनता से सम्बन्धित है। अनाज के वितरण में व्यापक हेरा-फेरी की जा रही है। एक जन-चिकित्सक यहाँ से तीन करोड़ रुपए और एक हाजी-मस्तान नामक व्यक्ति इससे सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : कोई नोटिस दीजिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप देखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : हां, देखूंगा। एडजार्नमेंट मोशन की बात नहीं है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप कालिंग एटेंशन स्वीकार कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : फैक्टस पता करूंगा, देख लूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधान मन्त्री द्वारा नागालैण्ड में दिए गए वक्तव्य के सम्बन्ध में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि देश की प्रधान मंत्री यह कहती हैं कि कांग्रेस (आई) सरकारों पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाएगा तो हमारी राजनैतिक स्थिति के संदर्भ में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि लोगों को प्रत्यक्ष रूप से गैर-कांग्रेस सरकारों का बहिष्कार करने को कहा जा रहा है। यदि प्रधान मंत्री कहती हैं कि केन्द्रीय सहायता का यही आधार है तो यह हमारी अर्द्धसंघीय प्रणाली को ही समाप्त कर देता है।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके सम्बन्ध में पहले ही कह चुका हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आप इस मामले पर विचार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री बागड़ी का नाम पुकारा है।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, देश के बारे में एक सवाल है। मैंने आपको एडजार्नमेंट मोशन दिया है। कालिंग एटेंशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : किस बात के लिए ?

श्री मनीराम बागड़ी : भाषा के सवाल को लेकर और कान्स्टीचूशन में···

अध्यक्ष महोदय : आपसे बात करूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी : आप थोड़ा सा सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया।

श्री मनीराम बागड़ी : वैसे मेरे में दम नहीं है बोलने का। मेरे में दम होता तो लोकसभा नहीं चल सकती। यह बुजदिली है। लोकसभा चल रही है। भारत मां की जबान टूट रही है। यहां गांधी का नाम लेकर सब चर्चिल की जबान बोलते हैं। आज गांधी की हत्या कर रहे हैं। हिन्दुस्तान में बी०बी०सी० लंदन से हिन्दी में होगा, वायस आफ अमेरिका से हिन्दी से होगा, लेकिन तमिलनाडु में दूरदर्शन में हिन्दी नहीं चलेगी—यह सोचने की बात है। यह मामूली बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : यह निर्णय तमिलनाडु सरकार द्वारा लिया गया है···

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बैठ नहीं सकते ?

(व्यवधान)

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मैंने आफिसर्स के खिलाफ मोशन दिया है। श्री जगपाल जी आ गए हैं। उनके पास कमर की टूटी हुई हड्डी के एक्स-रे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आज ही दिया है।

श्री रशीद मसूद : पहले भी दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री रशीद मसूद : आप ने पहले रिपोर्ट मंगाई थी। यह बिलकुल सीरियस मामला है। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा···

अध्यक्ष महोदय : मैं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं—मैं इसको देखूंगा···

(व्यवधान)

श्री रशीद मसूद: इस पर कुछ न कुछ करना चाहिए इनके खिलाफ झूठा केस बनाया गया है।

(व्यवधान)

श्री जगपालसिंह (हरिद्वार) : जो रिपोर्ट बिहार गवर्नमेंट ने भेजी है आप को उसे स्वीकार नहीं करना चाहिये। बिहार गवर्नमेंट या कोई भी प्रदेश सरकार अपनी एफ०आई०आर० के खिलाफ कैसे रिपोर्ट भेज सकती है ? आपने इस सदन में कहा है कि उनके खिलाफ रिपोर्ट आई है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि मेरे ऊपर जिन धाराओं को लगा कर मुझ को जेल में बन्द किया गया, उसका क्या औचित्य था ? क्या मैं उस आन्दोलन में शामिल था···

अध्यक्ष महोदय : यह तो अदालत देखेगी। मैं न्यायपालिका से ऊपर नहीं हूं।

श्री जगपालसिंह : जनता पार्टी के महामन्त्री···

श्री रशीद मसूद : यह जुडीशियरी का मसला नहीं है। कोई एम० पी० जेल जाएगा तो यह उसके विशेषाधिकार का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री रशीद मसूद : हम जुडीशियरी में इन्टरफीयर नहीं कर रहे हैं। यह चालान एक्जीक्यूटिव ने किया है, उनको दफा 332 में बन्द कर दिया गया। उस अफसर के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। इसमें आपको कार्यवाही करनी चाहिये, वरना इस तरह से हाउस नहीं चलेगा।

श्री जगपाल सिंह : बिलकुल नहीं चलेगा। आप बिलकुल प्रोटेक्ट नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो भी सम्भव है वह मैं कर रहा हूं।

श्री रशीद मसूद : यहां बहुत से कांग्रेसी एम०पीज अपने चीफ मिनिस्टर से मुत्तफिक नहीं हैं। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे चल सकेगा ?

अध्यक्ष महोदय : जो भी सम्भव है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं।

श्री जगपाल सिंह : वहां डी०एम० ने खुद मुझ को गिरेबान पकड़ कर वान में फेंक दिया था और अस्पताल में लाठियों से मारा गया। लेकिन आप की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अस्पताल के अन्दर पुलिस के द्वारा हम लोगों की हड्डियां तोंड़ दी गई। लेकिन आप इस कुर्सी पर बैठकर प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। एक नहीं, पचासों एम०पीज के साथ ऐसा हुआ है···

श्री रशीद मसूद : ये 50 लाख आदमियों को रिप्रेजेन्ट करते हैं। इनके वोटर्स इनके साथ हैं, अगर इनके साथ ऐसा होगा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे नियमों के अनुसार काम करना होता है।

श्री रशीद मसूदी : आप देखिये, एक मेम्बर-आफ-पार्लियामेंट की डेफिनेशन क्या है···

अध्यक्ष महोदय : आप देखिये—जहां प्रिवलेज का मामला बनता है वह प्रिवलेज कमेटी को चला जाता है, जहां नहीं बनता है वहां नहीं जाता है। मैं रूल्ज से बंधा हुआ हूं।···

श्री जगपाल सिंह : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट झूठे केश में एम०पीज को इन्वाल्व कर लेता है—लेकिन आप की तरफ से नहीं पूछा जाता है कि एम०पी०को उस सैक्शन में क्यों बन्द किया गया है···

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कर सकता।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष जी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले ढाई सालों में जितने मेम्बरों के साथ ऐसा हुआ है, जिसने मेम्बरों को पीटा गया है, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में जितने संसद सदस्यों के साथ ऐसा हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ था···

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, आज तक किसी आफिसर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जब मेम्बर खुद खड़ा होकर यहां कहता है कि मुझे पीटा गया है तब आप कार्यवाही करते हैं···

श्री रामावतार शास्त्री : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीनियर एस०पी० तक ऐसा करते हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप ने संविधान के अधीन जो रूल्ज आफ प्रोसीजर बनाये हैं मैं तो उनसे बंधा हुआ काम करता हूं और मेरा जो धर्म बनता है उसको निभाने की चेष्टा करता हूं। अगर मेरे किसी साथी का, मेरे किसी मेम्बर का अपमान होता है तो हम उसको अपना अपनान मानते हैं और उसी हिसाब से प्रिवलेज कमेटी को दे देते हैं और वह कमेटी सारा काम करती है। मैं उसमें क्यों पक्षपात करूंगा ? मैं अपने मेम्बर की रक्षा क्यों नहीं करूंगा ? इसमें मेरा क्या नुकसान या फायदा होता है ?

(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : मैंने प्रिविलेज मोशन दिया है, आज तक आपने कोई रिपोर्ट नहीं मांगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आज ही टेप कर लेता हूं। हमने एतराज नहीं किया है। मैं एतराज क्यों करूं ? आज भी किया है। ···(**व्यवधान**)··· मैंने भेजने की बात नहीं की। मैं देखकर बताऊंगा आपको। हम हर एक आदमी की बात सुनते हैं। मैं सबको एलाऊ करता हूं। किस को एलाख नहीं किया, यह बताइए।

श्री जगपाल सिंह : मेरा एक प्रिविलेज मोशन है, आज तक आप ने कोई कार्यवाही नहीं की।

अध्यक्ष महोदय : हमने बहुत कार्यवाही की है।

श्री पी० शिव शंकर (**व्यवधान**)

श्री हीरालाल आर परमार (पाटन) : मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि संसद सदस्यों पर जो मारी-मारी होती है, इसको बन्द किया जाए। हमारे यहां के कलक्टर ने भी मेरा अपमान किया था और इस सदन में मैंने इस बारे में प्रश्न उठाया था। आपने सी०बी०आई० से इंक्वायरी कराई और वह इंक्वायरी मेरी तरफदारी में है लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है।···(**व्यवधान**) मेरी बात आप सुनिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० शिवशंकर।

श्री जगपाल सिंह : आप इनकी बात सुनिये। ये कहते हैं कि रिपोर्ट आई है।

अध्यक्ष महोदय : कोई रिपोर्ट नहीं है। ···(**व्यवधान**)···मैंने सारा देखा है, मैं क्या करूं।

(व्यवधान)

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1981-82 की समीक्षा और इसका वार्षिक प्रतिवेदन

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैं (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5570/82]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के सम्बन्ध में विवरण

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : श्री बी० शंकरानन्द की ओर से मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के सम्बन्ध में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5571/82)

सिक्का-निर्माण (नवम एशियाई खेल, दिल्ली, 1982 के लिए एक सौ रुपये, दस रुपये, पच्चीस पैसे और दस पैसे के स्मारक सिक्कों का मानक वजन और गुणान्तर सीमा, नियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : श्री पट्टाभिराम राव की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : (1) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सिक्का-निर्माण (नवम एशियायी खेल, दिल्ली, 1982 के लिए एक सौ रुपये, दस रुपये, पच्चीस पैसे और दस पैसे के स्मारक सिक्कों का मानक वजन और गुणान्तर सीमा) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 11 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 724(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5572/82]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 613(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 15 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका में विनिर्दिष्ट टायरों को उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5573/82]

उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1977-78 और उड़ीसा एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कटक के वर्ष 1976-77 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन और विलम्ब के दो विवरण

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : मैं (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) (एक) उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5574/82]

(ख) (एक) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कटक के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कटक का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद (1) के (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5575/82]

सिक्का निर्माण (विश्व खाद्य दिवस के लिए पच्चीस पैसे और दस पैसे के स्मारक सिक्कों का मानक वजन और गुणान्तर सीमा) नियम, 1982, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत अधिसूचना, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 अधिसूचनाएं जिनके द्वारा सिक्किम राज्य में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के उपबंध 1 अक्तूबर, 1982 से लागू किए गए हैं आदि

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सिक्का निर्माण ("विश्व खाद्य दिवस" के लिए 25 पैसे और दस पैसे के स्मारक सिक्कों का मानक वजन और गुणान्तर सीमा) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 12 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 728(अ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5576/82]

(2) स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 114 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5577/82]

(एक) स्वर्ण नियंत्रण (प्रारूप, फीस और प्रकीर्ण विषय) संशोधन नियम, 1982, जो 14 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 740अ में प्रकाशित हुए थे।

(दो) स्वर्ण नियंत्रण (व्यवहारियों का अनुत्रापन) संशोधन नियम, 1982, जो 14 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 741 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) स्वर्ण नियंत्रण (व्यवहारियों का अनुज्ञापन) संशोधन नियम, 1982, जो 14 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 742 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) स्वयं नियंत्रण (प्रारूप, फीस और प्रकीर्ण विषय) संशोधन नियम, 1982 जो 14 अक्तूबर 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 743 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 624(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 22 अक्तूबर 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो स्वीडन के क्रोनरो को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को स्वीडन के क्रोनरों में बदलने सम्बन्धी पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5578/82]

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अंतर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5579/82]

(एक) सा० का० नि० 625(अ) जो, 23 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो निम्न सल्फर भारी स्टाक को किसी परिष्करण शाला में ईंधन के रूप में इस्तेमाल हेतु सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(दो) सा०का०नि० 626(अ), जो 23 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो पोलीविनाइल क्लोराइड से बनी फिल्मों से भिन्न फिल्मों अथवा शीटों को, जो 0.25 मिलीमीटर की मोटाई तक की हों, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(5) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5580/82]

(एक) सा० का० नि० 579(अ), जो 30 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के उपबन्ध 1 अक्तूबर, 1982 से लागू किए गए हैं।

(दो) सा० का० नि० 582(अ), जो 1 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा राज्य में 1 नवम्बर, 1982 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कर का उद्ग्रहण लागू किया गया है।

(तीन) सा० का० नि० 583(अ), जो 1 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने हेतु अधिकारी विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

(6) (एक) नेशनल इंस्टीच्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी, नई दिल्ली के वर्ष 1981-1982 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सँस्करण) और लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीच्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी, नई दिल्ली वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5581/82]

विधेयकों पर अनुमति

सचिव : महोदय, मैं 22 अक्तूबर, 1982 को सदन में अन्तिम सूचना देने के बाद से चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किए गए तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित आठ विधेयकों की प्रतियां सभा पटल पर रखता हूँ :—

1. भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1982
2. सीमा शुल्क टैरिफ (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1982
3. रबड़ (संशोधन) विधेयक, 1982
4. मुख्तारनामा (संशोधन) विधेयक, 1982
5. चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक, 1982
6. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक 1982
7. असम विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1982
8. विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1982

दंढ विधि (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री डी०के० नायकर (धारवाड़ उत्तर) : मैं भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

दंड विधि (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य

श्री डी० के० नायकर (धारवाड़ उत्तर) : मैं भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य का अभिलेख सभा-पटल पर रखता हूं।

हीरालाल आर० परमार (पाटन) मैंने हाऊस में प्रश्न उठाया था। आप ने इंक्वायरी कराई और वह रिपोर्ट मेरी तरफ़दारी में है लेकिन गवर्नमेंट ने क्लक्टर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आप की रिपोर्ट नहीं आई, मैं क्या करूं। **(व्यवधान)** हम ने कहलवा दिया था और इन से बयान दिलवा दिया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किस से रिपोर्ट मांगू। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मेरा प्वांइन्ट आफ आर्डर है। मैम्बर कहता है कि रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में यह है कि उस के साथ बदतमीजी की गई और उस को पीटा गया, फिर सरकार क्यों कल्प्रिट्स को बजा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : किस को बना रही है ?

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा (गढ़वाल) : यदि प्रथम दृष्टया मामला बन गया है तो आप मामला विशेषाधिकार समिति को क्यों नहीं सौंप देते हैं ?

श्री राम विलास पासवान : आप मामला विशेषाधिकार समिति को क्यों नहीं सोंपते ?

अध्यक्ष महोदय : : मैं किसी मामले के बिना कुछ नहीं कर सकता। यदि कोई आधार नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं ? **(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सत्यसाधन चकवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : हमारे संसद सदस्यों की तो बात छोड़िये, सत्तारूढ़ दल के संसद सदस्यों को भी पीटा गया है। कृपया हमारे बारे में सोचिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं समाज बदल सकता हूं। मैं नहीं कर सकता।

श्री राम विलास पासवान : मैम्बर को इतना प्रिवलेज है। क्या मैम्बर को इसी तरह पिटवाया जाएगा, बेइज्जत किया जाएगा ? कोई भी मैम्बर हो, यह दोनों पक्षों के मैम्बर्स का मामला है।

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : महोदय, बात बिल्कुल स्पष्ट है। श्री परमार ने एक निश्चित आरोप लगाया है और उन्होंने स्पष्ट वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि···

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें सुना था। मैंने उन्हें पहले ही अनुमति दे दी है।

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : तब महोदय, मामले को विशेषाधिकार समिति को क्यों नहीं सौंपा जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : कोई मामला ही नहीं है। मैं कैसे भेज सकता हूं ?

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : वह कहते हैं मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो की गलती से सिद्ध हो चुका है। आप या तो यह कहिये कि वक्तव्य सही नहीं है या तो इसका खण्डन कीजिए या···

अध्यक्ष महोदय : वह वक्तव्य दे रहे हैं किन्तु, मेरे पास वक्तव्य नहीं है।

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : क्या आप अपना निर्णय कल देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही इस पर निर्णय दे दिया है। आप मेरे से मिलिए। मैं अभी क्या बताऊं आपको, जिस तरीके से यह कहा जा रहा है।

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : महोदय, सदन के प्रति आपके अत्यधिक सम्मान के बारे में हम जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : बहुगुणा जी, सदन का सम्मान मेरा कर्तव्य है। मैं क्यों कहूंगा कि श्री परमार को अपमानित किया जाये ?

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : महोदय, आपका कहना बिल्कुल ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्यों कहूंगा कि श्री जगपाल सिंह को अपमानित किया जाए।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : यह हो रहा है, सर।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मिल गया है। मुझे पहले मिल गया है।

श्री जगमाल सिंह (हरिद्वार) : आपने इसी हाउस में यह कहा था कि एम० पीज० को प्रोटेक्ट करूंगा। आज मैम्बर्स के साथ क्या हो रहा है ? आप इस सदन में अध्यक्ष की कुर्सी पर बठे हैं, लेकिन सदन के बाहर··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह आपका है। यह मेरा नहीं आपका है। यह मेरा नहीं है। यह आपका नियम है। इसमें जो कुछ है मैं वैसा करूंगा ? मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता।

श्री जगपाल सिंह : आप मुझे रूल्स आफ क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ने दीजिए···

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : अब तक, अध्यक्ष जी, हम जो प्रेक्टिस फोली करते रहे हैं, उसके मुताबिक आप एक कमेटी बना दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में कमेटी बनी हुई है। रूल्स मेकिंग कमेटी है। आप अमेंड कर दीजिए रूल्स को, मैं उनको इस्तेमाल करने लग जाऊंगा। आपने जो मेरे हाथ बांध दिये हैं रूल्स से, उनको मैं कैसे तोड़ दूं। आप जो भी नियम मुझे देंगे, मैं उनके अनुसार ही काम करूंगा। आप नये रूल्स बना दीजिए मैं उनके अनुसार काम करने लगूंगा। अब तक तो यही रूल्स हैं। मैं तो···मैं नियमों·····मैं कानून नहीं बना सकता हूं। मैं नियम नहीं बना सकता। मैं आपका विनम्र सेवक हूं और वही करता हूं जिसके लिए आप प्राधिकृत करते हैं। मैं वही कुछ कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नियम बदल दीजिए। मैंने उनसे उद्धृत किया है। मैं आपके साथ हूं। नियम बदल दीजिए, मैं उनका पालन करूंगा।

श्री राम विलास पासवान : नियम पर्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह पर्याप्त नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह स्थान चर्चा का नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : सर, आप एम० पी० की परिभाषा बता दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे से क्यों पूछते हैं ? किताब में लिखी हुई है।

(व्यवधान)

यदि कुछ है। आप मुझसे मिलिये। मैं इसे नहीं बदल सकता। यह आप लोग द्वारा ही लिखे गए हैं, मैंने इन्हें नहीं लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जाइये। जी हां, श्री बनातवाला।

एक माननीय सदस्य : आप रूल्स में परिवर्तन लाइये।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं ला सकता।

आप नियय बदल दीजिए।

यह आप पर निर्भर है, मुझ पर नहीं। इसे बदल दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने सदन में प्रत्येक विषय के लिये अनुमति दी है। मैंने कभी भी किसी मामले को रोकने का प्रयत्न नहीं किया। श्री जगपाल सिंह जी, मैं आपके लिए नियम नहीं बदल सकता हूं। जी हां, श्री बनातवाला।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : संसद सदस्यों की परिभाषा यह की जानी चाहिए—वे सदस्य जिनकी रक्षा की जानी है।

अध्यक्ष महोदय : आप परिभाषित कीजिए, मैं क्रियान्वित करूंगा। मैं क्यों नहीं उसका क्रियान्वयन करूंगा।

श्री जगपाल सिंह : आप हमारा प्रोटेक्शन कीजिए। बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष की कुर्सी···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप यह व्यवस्था कानून में बदल दीजिए, मैं उसका पालन करूंगा।

श्री जगपाल सिंह : जनता पार्टी के महामन्त्री को भी···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री बनातवाला बोलेंगे।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री बहुगुणा जी, नियम समिति बनी हुई है। आप उसमें परिवर्तन कीजिये।

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : मेरा एक विनम्र सुझाव है। आप संसद सदस्यों के बारे में आचार संहिता तैयार करने के लिए सभी दलों के नेताओं की एक बैठक कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप कर लीजिए।

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : महोदय, आप स्वयं इस दिशा में पहल कर सकते हैं इससे संसद सदस्यों के मान की रक्षा करने में काफी सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : इसमें प्रत्येक सदस्य चाहे वह किसी भी दल का हो किसी न किसी समय सम्बद्ध हो सकता है। आप जो कहेंगे मैं करूंगा।

श्री राम विलास पासवान : भारत सरकार सदन में खड़े होकर कह दे कि मैम्बर्स के प्रति यदि अमानवीय व्यवहार होता है तो उसके प्रति कड़ा रुख अपनाया जाएगा, लेकिन सरकार तो स्वयं करवा रही है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हाउस चलने दीजिए।

श्री जगपाल सिंह : हमको लाठियों से मारकर बंद कर दिया जाए और आप सदन को चलाना चाहते हैं। आप स्टेट गवर्नमेंट से ना पूछें कि क्या मामला है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो पूछ लिया है। (**व्यवधान**)

मैं नहीं कर सकता । मेरे हाथ बन्धे हैं ।

(व्यवधान)

मैं अपनी मर्जी से सदन क्यों चलाऊंगा ? यह आपका नियम है । मैंने सदन को नियमों के अनुसार चलाना है ।

आप रूल करके बन्द कीजिए ।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : बिहार में जंगल का रूल चल रहा है ।

श्री जगपाल सिंह : हमको लाठी मारकर बन्द कर देगें···(**व्यवधान**)

डा० वसंत कुमार पंडित (राजगढ़) : आपके पास सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बैठक बुलाने की अंतर्निहित शक्ति है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य नियम समिति का है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष यहोदय : मैं क्या कर सकता हूं ।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : पटना में क्या हुआ, मेंबर पर क्या गुजरी, यह सारे तथ्य सदन के सामने नहीं आये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : आपने किन तथ्यों के प्रकाश में फैसला किया है, यह आप बता दे तो शायद हम भी आपके साथ सहमत हो जाएं ।

अध्यक्ष महोदय : आप आकर देख लीजिये, मैं कुछ छिपाकर नहीं रखता हूं । मैं क्या कुछ छिपाऊगां ?

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : मेंबर बहुत उत्तेजित हैं ।

श्री रामविलास पासवान : आप रिपोर्ट उसी से मंगाते हैं जो पीसता है ।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : आप पार्लियामेंट की कमेटी क्यों नही बताते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं ऐसा कर सकता हूं ? क्या ऐसा करने की मेरे पास शक्ति है ?

श्री रामविलास पासवान : जगपालसिंह को पीटा गया, परमार को पीटा गया, जटिया को पीटा गया, भोगेन्द्र झा को पीटा गया, जो पीटते हैं, उन्हीं से आप रिपोर्ट मंगाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : और किससे मांगे ?

श्री रामविलास पासवान : हम लोगों की एक कमेटी बनाकर भेज दीजिए ।

श्री जगपालसिंह : आपके पास लोकसभा का स्टाफ है, सेक्रेटरी है···।

अध्यक्ष महोदय : नियमों में व्यवस्था नहीं है।

डा० वसंत कुमार पंडित : यदि नियम में सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने की व्यवस्था नहीं है तो आपके पास सदस्यों की शिकायतों की जांच करने की अंतर्निहित शक्तियां हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी कमेटी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। मैं तो वही कर सकता हूं जो आप कहेंगे। आप नियम में परिवर्तन कर दीजिए मैं उसका पालन करूंगा। मेरे पास विकल्प नहीं है। आप उसे बदल दीजिए। मैं उसका पालन करूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) अध्यक्ष जी, बात यह है कि यदि आम आदमी को थानेदार पीटता है तो उसके लिए अदालत होती है और यदि चुने हुए मेम्बर के साथ दुर्व्यवहार होता है तो उसकी हर बात को देखने के लिए आप कस्टोडियन हैं। आपके पास पूरे अख्तियारात हैं। आप बड़ी से बड़ी सजा दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कमेटी के पास हैं, मैंने कब इन्कार किया है। हम रैफर करते हैं, कब इंकार किया है ?

श्री मनीराम बागड़ी : इस तरह से मेम्बर्स को थानेदारों द्वारा पीटा जाएगा और आप मेम्बर्स को डिसबिलीव करेंगे तो जनतंत्र चलने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप करना चाहें तो रूल को चेंज कर दीजिए।

श्री मनीराम बागड़ी : मैंने पुलिस के खिलाफ शिकायत की थी। एक हरीजन को थानेदार ने पीटा था, लेकिन पुलिस कप्तान के विरुद्ध कुछ नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : जब बात बनती है तो हो जाता है। मुझे तो कोई एतराज नहीं होता है।

श्री रामविलास पासवान : श्री कुंवर राम के मामले पर सदन में विचार हुआ और प्रिविलेज कमेटी ने भी रिपोर्ट दी कि सदस्य के साथ व्यवहार ठीक नहीं हुआ तो अधिकारी को बुलाकर प्रताड़ित कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : कौन करेगा। क्या मैं हाउस को ओवर-रूल कर सकता हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : यह बात आपकी सही है कि आप हाऊस को ओवर-रूल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाऊस में ऐसा कौन आदमी हो सकता है जो इस सदन के सदस्य के अपमान को बर्दाश्त करे।

अध्यक्ष महोदय : हाऊस किसी बेवकूफ आदमी को फांसी लगाए, किसी को कुछ करे, इसमें मुझे क्या एतराज है। मैं सुझाव मानने के लिए तैयार हूं। मैं सुधार करने के लिए तैयार हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला : बड़ौदा के साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में मेरे नोटिस का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए [illegible] पहला है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सीतापुर) : जगपाल जी बाले मामले में [illegible]

अध्यक्ष महोदय : मुझे अभी-अभी कागज मिला है।

श्री जी० एम बनातवाला : मेरा एक निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही उसे अस्वीकार कर दिया है।

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

19 अक्तूबर 1982 को दिल्ली में जखीरा रेल फाटक पर एक मालगाड़ी की दिल्ली परिवहन निगम की एक बस तथा एक जीप के साथ टक्कर का समाचार

श्री जी० एम० बनातवाला (पोठानी) : मैं रेल मन्त्री, जो अनुपस्थित हैं, का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय···

अध्यक्ष महोदय : वह बीमार हैं। वह अनुपस्थित नहीं हैं। वह बीमार हैं।

श्री जी०एम० बनातवाला : की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"29 अक्तूबर 1982 को दिल्ली में जखीरा रेल समपार पर एक मालगाड़ी, दिल्ली परिवहन निगम की एक बस और एक जीप में टक्कर के फलस्वरूप तीन व्यक्तियों के मरने और कई व्यक्तियों के घायल होने का समाचार तथा भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदम।"

रेल मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): 29-10-1982 को पटेल नगर और दयाबस्ती स्टेशनों के बीच रोहतक रोड पर स्थित चौकीदार वाले समपार फाटक सं० 4-बी पर लगभग 9-45 बजे एक मालगाड़ी तथा दि०प०नि० की एक बस के बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हो गयी। बड़ी लाइन की मालगाड़ी शकूरबस्ती जा रही थी और दि०प०नि० की बस नं० डी०एल०पी-162 सुल्तानपुरी से पहाड़गंज आ रही थी।

इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप बस के तीन यात्रियों की मृत्यु हो गयी और अन्य 3 यात्री घायल हो गए। घायलों में से दो को गम्भीर चोटें आयीं। मालगाड़ी के ड्राइवर और सहायक ड्राइवर को लोगों ने मारा-पीटा और उन्हें भी चोटें आयीं। ड्राइवर गम्भीर रूप से घायल हो गया।

घायलों को डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। बाद में, ड्राइवर और सहायक ड्राइवर को रेलवे अस्पताल में दाखिल कराया गया। बस के घायल यात्रियों में से एक को 30-10-1982 को अस्पताल से छुट्टी कर दी गयी। रेलवे चिकित्सा यान और सहायता गाड़ी को दुर्घटना-स्थल पर भेजने का शुरू में आदेश दिया गया था लेकिन उन्हें रद्द कर दिया गया क्योंकि

उनकी आवश्यकता नहीं थी। समपार पर आतायात का यावागमन पूरी तरह से 29-10-1982 को 11-30 बजे से फिर शुरू हो गया था। दिल्ली मंडल के मंडल रेल प्रबन्धक अन्य अधिकारियों के साथ दुर्घटना-स्थल पर पहुंच गये। उत्तर रेलवे के अपर महाप्रबन्धक भी मुख्य यातायात संरक्षा अधीक्षक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दुर्घटना-स्थल पर तत्काल पहुंचे।

रेल एवं संसदीय कार्य उप-मंत्री भी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और इंजीनियरी सदस्य के साथ दुर्घटना-स्थल पर और डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल गये, जहां घायलों को दाखिल कराया गया था।

मृतकों, गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों और अन्य घायल व्यक्तियों को राहत के रूप में क्रमश: 2,000 रु०, 1,500 रु० और 500 रु० की दर से अनुग्रह राशि के भुगतान की व्यवस्था कर दी गयी है।

दुर्घटना के समय, प्रत्यक्षत:, समपार के फाटक को खुला छोड़ दिया गया था। फाटक वाले और पटेल नगर स्टेशन के ड्यूटी पर तैनात सहायक स्टेशन मास्टर को निलम्बित कर दिया गया है। पुलिस द्वारा फाटक वाले को हिरासत में ले लिया गया था।

रेल संरक्षा के आयुक्त, उत्तर सर्किल, लखनऊ, जो नागर विमानन मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं, दुर्घटना की सांविधिक जांच 2-11-1982 को प्रारम्भ करेंगे।

(उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री जी०एम० बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय, यह रेल दुर्घटना अत्यन्त दु:खद है जो कि रेलवे की असफलता की द्योतक है। जखीरा के निकट रेलवे समपार पर रेल कर्मचारी तैनात रहता है और जिन परिस्थितियों में दुर्घटना हुई है उनसे स्पष्ट है कि इसके लिए रेलवे ही पूरी तरह जिम्मेदार है। माननीय रेल उपमंत्री ने अभी एक वक्तव्य दिया है जो मात्र दुर्घटना के वर्णन के अलावा कुछ नहीं है और उसले यह पता नही लगता है कि भविष्य में ऐसी रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाये जाने का विचार किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वक्तव्य में तथ्यों पर प्रकाश कम डाला गया है, उनको छिपाया अधिक गया है।

मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। पहली बात तो यह कि हमें बताया गया है कि रेलवे समपार पर यातायात रुक गया था और रेल कर्मचारी फाटक बन्द नहीं कर सका और वह खुला रह गया। इस बात पर बहुत गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह कि मन्त्री महोदय हमें यह बतायें कि क्या यह सच नहीं है कि समपार से पहले और बाद के दोनों सिगनल खराब थे और काफी समय से खराब पड़े थे। इन सिगनलों को ठीक नहीं किया गया हालांकि हमें यह बताया जाता रहा है कि रेलवे यात्रियों और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए चिंतित है। तीसरी बात, मालगाड़ी में सीमेंट क्षमता से अधिक भरा हुआ था। मेरा उप मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस बारे में भी हमें कुछ बतायें। चौथी बात, चूंकि सिगनल खराब थे पटेल नगर के स्टेशन मास्टर ने चालक को 'आगे जाने का ज्ञापन'

(प्रोसीड मिमो) दिया और यह ज्ञापन इस गाड़ी के चालक को इस बात का कनई दिया गया कि पटेल नगर से कुछ फर्लांग की दूरी पर स्थिति यह समपार अभी खुला वहां पर यातायात रुका हुआ था। पांचवी बात जो सामने आती है और जिससे उपायों के प्रति लापरवाही रवैया सामने आता है, वह है रेल फाटकों की दोषपूर्ण आयो लगा है कि समपार से कुछ पहले एक मोड़ है और इस मोड़ के कारण ही रेल चाल यातायात को नहीं देख सका।

छठी बात यह है कि जखीरा रेलवे स्टेशन के निकट जो मौजूदा रेलवे फाटक सबसे अधिक भीड़भाड़ रहती है। फिर भी इसकी ओर रेलवे प्राधिकारियों का ध्यान पर तुरन्त पुल बनाये जाने की आवश्यकता है, लेकिन जबकि दिल्ली में हर जगह बड़ी बनाये जा रहे हैं, इस स्थान पर पुल बताने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया जब सबसे अधिक भीड़भाड़ रहती है।

इसके अतिरिक्त मेरे विचार में, मंत्री जी इस विषय में हमें और जानकारी हैं, इस स्थान विशेष पर पुल बनाने का प्रावधान किया गया था, पर तु इस मामले जा रहा है। परन्तु यदि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है तो क्या उप मंत्री इस देंगे कि वर्तमान परिस्थितियों एवं रेलवे फाटक के स्थल को ध्यान में रखते हुए लिए प्रावधान किए जाने पर तुरन्त ध्यान दिया जायेगा ?

मेरा सातवां मुद्दा यह है कि फाटक से इस ओर तथा फाटक के उस ओर की भी शोचनीय है, जिसके कारण भी दुर्घटनाएं होती हैं।

मैं आशा करता हूं कि मैंने जो मुद्दे उठाये हैं, उनके बारे में माननीय उपम जानकारी देंगे।

अब मैं कुछ सामान्य बातें करना चाहूंगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रेल रही है, 1979 और 1982 के बीच की अवधि में 3,043 रेल दुर्घटनाएँ हुईं—जिन दुर्घटनाएँ रेल कर्मचारियों की चूक के कारण हुईं।

महोदय, जबकि रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है, इसकी पृष्ठभूमि पर नितांत आवश्यक है। भूतपूर्व रेल मन्त्री, श्री पी० सी० सेठी ने दक्षिण दिल्ली पुल का उदघाटन करते हुए कहा था कि रेलवे प्रशासन समपारों पर सुरक्षा सुनिश्चि उत्सुक है। उन्होंने विशेष तौर पर समपारों का उल्लेख करते हुए कहा था कि बहुत ही उत्सुक है। उन्होंने उसी समय कहा था कि रेलवे इस सम्बन्ध में बहुत ही कि महत्वपूर्ण सड़कों पर स्थित अत्यन्त भीड़ वाले समपारों के स्थान पर सड़क चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सभा में अगस्त, 1982 में पूरक मांगों पर चर्चा के देते हुए तत्कालीन रेल मंत्री श्री पी० सी० सेठी ने कहा था कि उच्च स्तरीय नियमित रूप से सुरक्षा उपायों की जांच एवं निगरानी करते रहते हैं। मैं पूछना

समूचे राष्ट्र को यह बताया जा रहा है कि रेलवे समपारों पर हो रही दुर्घटनाओं सम्बन्धी प्रश्न पर सरकार बहुत अधिक ध्यान दे रही है और इस सभा को भी यह बताया गया है कि गहन जांच इत्यादि की जा रही है, फिर भी लापरवाही की वजह से इतनी घातक दुर्घटनाएं घटी हैं जिन्हें टाला जा सकता था। अस्तु क्या माननीय मन्त्री जी हमें बतायेंगे कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं को टालने के लिए विशेषतौर से रेलवे समपारों के विषय में क्या कदम उठाये जा रहे हैं। महोदय, हम गत वर्षों से सुनते रहे हैं कि केवल उन्हीं रेलवे समपारों पर घातक दुर्घटनाएं होती हैं जहां रेल कर्मचारी तैनात नहीं हैं, परन्तु अब स्थिति इस सीमा तक बिगड़ चुकी है कि वे रेलवे समपार भी सुरक्षित नहीं हैं जहां रेल कर्मचारी तैनात हैं···

महोदय, मुझे कुछ समय और दीजिए। मैं अपनी बात समाप्त कर ही रहा हूं···।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ सैकण्ड या कुछ मिन्ट ?

श्री जी०एम० बनातवाला : अब हम ऐसी घटनाओं को लेते हैं जिनमें रेलगाड़ियां रेलवे समापारों पर सड़क वाहनों से भिड़ गईं। 1978-79 में इस प्रकार की 86 घटनाएं हुईं। 1979-80 में 115 और 1980-81 में फिर इस प्रकार की 90 घटनाएं हुईं। मैं कहना चाहता हूं कि रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की घटनाओं के बाद रेलवे समपारों पर रेलगाड़ियों की सड़क वाहनों से हुई भिड़न्त की दुर्घटनाओं की संख्या सबसे अधिक है। भारतीय रेलवे में दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण रेलों का पटरी से उतर जाना है और दूसरा है रेलवे समपारों पर रेलों का सड़क वाहनों से भिड़ जाना। इसलिए···

उपाध्यक्ष महोदय : अतः अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जी०एम० बनातवाला : इसलिए मैं पूछता हूं कि इसके बाजजूद लापरवाही क्यों करती जा रही है ?

जहां तक रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा जांच की गई दुर्घटनाओं की संख्या का सम्बन्ध है, 1978-79 में केवल दो ऐसी दुर्घटनाओं की जांच की गई थी और 1979-80 में फिर दो घटनाओं की जांच की गई और 1980-81 में भी केवल दो ही ऐसी घटनाओं की जांच के आदेश दिए गए हैं परन्तु इन जांचों के बारे में मैं यह कहूंगा कि जैसा कि मैं समझता हूं रेलवे की जांच दुर्घटना के तीन दिनों के भीतर शुरू हो जानी चाहिए थी। मेरे विचार से निर्धारित सामान्य पद्धति यही है। परन्तु ऐसा क्यों है कि जबकि दुर्घटना 29 को हुई और अब 2 तारीख को इतने दिन बाद जांच शुरू की गई है ? यह विलम्ब किन कारणों से हुआ ?

दूसरी बात यह है कि रेलवे जांच में सामान्यतः जनसामान्य और प्रेस वाले नहीं आ सकते हैं। राष्ट्र को विश्वास में लेना आवश्यक है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति यह समझे कि कोई भी कार्यवाही छिपाई नहीं जा रही है। इस सम्बन्ध में भारी आशंका रहती है। अतः क्या उपमंत्री इस सभा को यह आश्वासन देंगे कि यह जांच खुली होगी—जहां जनसामान्य एवं प्रेस जा सके ?

अंत में, मैं यह कहूंगा कि जबकि रेल दुर्घटनाओं में मरने वालों को 50,000 रुपए दिए जाते हैं, रेलवे लाइन पार करते समय मरने वालों को एकमुश्त राशि के अलावा कोई मुआवजा नहीं दिया

जाता। यह भेदभाव क्यों है ? जीवन का मूल्य समान है। और जिन रेलवे समपारों पर रेल कर्मचारी तैनात हैं, वहाँ दुर्घटनाएं होने पर दोष पूर्णतया रेल प्रशासन का ही है। अत: क्या रेलवे समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं पर भी यह उपबन्ध लागू किये जायेंगे ? क्या मन्त्री जी सभा को बतायेंगे कि रेल दुर्घटनाएं रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : उपाध्यक्ष महोदय,···

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, यह छोटी लाइन के मन्त्री हैं बड़ी लाइन के मंत्री कहां हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए पहले प्रश्न के सम्बन्ध में कि रेल मंत्री उपस्थित क्यों नहीं हैं, मैं यह निवेदन करूंगा कि दुर्भाग्यवश किसी सार्वजनिक सभा में उनके टखने में चोट आ गई है और वह यहां आने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए वे नहीं आये हैं। इसका कोई अन्य कारण नहीं है···(**व्यवधान**) एक सार्वजनिक सभा में जब उनका कोई समर्थक उन्हें मालार्पण कर रहा था—वे एक मेज पर खड़े थे, वहां से गिर गए और उन्हें चोट लग गई। परिणामत: वे यहां नहीं आ सके।

अब मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर आता हूं। जहां तक सामान्यत: दुर्घटनाएं होने एवं बिशेषत: रेलवे समपारों पर दुर्घटनाएं होने का सम्बन्ध है, यह सच है कि सरकार इस विषय में काफी सचेत एवं चिंतित है। इसी कारण सरकार समय-समय पर उपचारात्मक उपाय करती रही है। तत्कालीन रेल मंत्री श्री सेठी ने भी सदन को यही बताया था।

महोदय, अब मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाये गए कुछ प्रश्नों पर आता हूं। उन्होंने कहा है कि संकेतक (सिगनल) दोषपूर्ण थे। मैं कहता हूं कि यह दोषपूर्ण संकेतक का मामला नहीं है। यहां "इंटरलाकिंग" प्रणाली है। अब प्रश्न उठता है कि यह घटना कैसे घटी। ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर और गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हैं। तब ही किसी रेलगाड़ी को स्टेशन से गुजरने दिया जाता है। इस प्रकार सहायक स्टेशन मास्टर और गेटमैन के बीच प्राइवेट नम्बर का विनिमय होता है। अर्थात वे परस्पर बातचीत करते हैं। निकासी इसी प्रकार की जाती है। जब प्राइवेट नम्बर का परस्पर आदान-प्रदान हो जाता है गेट बन्द कर दिया जाता है। इस प्रकार स्टेशन मास्टर को मालूम हो जाता है कि सब ठीक-ठाक है और वह रेलगाड़ी को आगे बढ़ने की अनुमति दे देते हैं। जब वह प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हैं तो उसे रिकार्ड में दर्ज भी कर लिया जाता है। इस मामले में मालगाड़ी को आगे जाने की अनुमति इसी प्रकार दी गई थी।

श्री जी०एम० बनातवाला : यदि गेटमैन फाटक बन्द नहीं करता तो क्या होता है ?

श्री मल्लिकार्जुन : उदाहरण के तौर पर, विकसित प्रणाली इस प्रकार है। सहायक स्टेशन मास्टर या स्टेशन मास्टर ड्यूटी पर होता है। परन्तु समपार पर गेटमैन तैनात होता है। ड्यूटी पर तैनात सहायक स्टेशन मास्टर या स्टेशन मास्टर उस गेट-मैन से सम्पर्क करते हैं कि रेलगाड़ी गुजरने वाली है। वह गेटमैन से फाटक बन्द करने को कहते हैं। फाटक बन्द करके वह वापस आता है और सहायक स्टेशन मास्टर को बताता है कि सब ठीक है। वह फाटक बन्द करता है और रजिस्टर में दर्ज करता है। ड्यूटी पर तैनात गेटमैन और स्टेशन मास्टर के बीच प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान

इस प्रकार होता है। तत्पश्चात रेलगाड़ी गुजरने के बाद फाटक खोल दिया गया था। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है मैं इसकी गहराई में नहीं जा सकता क्योंकि यह जांच का विषय है। दोषी व्यक्ति का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है दोषी व्यक्ति का पता लग जाने के पश्चात् उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। जहाँ तक ऊपरी पुल का सम्बन्ध है, जिसके पक्ष में माननीय सदस्य ने तर्क दिए हैं, इस बारे में प्रस्ताव रखा जा चुका है। इसे 83-84 के निर्माण कार्य-कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा। इस पर विचार-विमर्श चल रहा है। ऊपरी पुल का निर्माण करने के लिए दिल्ली प्रशासन एवं रेलवे दोनों को ही अपना अंशदान देना है। हम इसकी गम्भीरता को महसूस कर रहे हैं। हम इसे 1983-84 के निर्माण कार्य कार्य-क्रम में शामिल कर रहे हैं। योजना आयोग ने भी इसे स्वीकृत कर दिया है।

अर्थात यह कार्य दिल्ली प्रशासन और रेलवे द्वारा किया जायेगा। इस पुल का निर्माण हर हालत में किया जायेगा। हमें 2 करोड़ रुपए व्यय करने होंगे। घटनाचक्र इस प्रकार रहा है।

जहां तक दुर्घटनाओं की पृष्ठभूमि का सम्बन्ध है, इस सम्माननीय सदन में कई बार इस विषय पर चर्चा हुई है। अब केवल सुरक्षा उपायों एवं गाड़ियों की समय पाबन्दी पर चर्चा करने के लिए मन्त्री जी ने इस महीने की 4 तारीख को महाप्रबन्धकों की एक बैठक बुलाई है। इन दोनो ही बातों के लिए न केवल हम संसद सदस्य बल्कि संसद के बाहर के व्यक्ति एवं सरकार भी बहुत चिंतित है। एक समिति गठित की जाएगी। इस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष स्वयं मन्त्री महोदय होंगे। इसका अर्थ यह है कि सरकार ऐसी दुर्घटनाओं को टालने के प्रति बहुत अधिक चिंतित है। हम समय-समय पर बहुत से उपचारात्मक उपाय करते रहे हैं। इस मामले में वस्तुस्थिति यह है और ऊपरी पुल शीघ्र ही बना दिया जाएगा।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उपमंत्री जी का उत्तर सुना है। श्री बनातवाला ने बड़ी वाक पटुता से रेलवे प्रशासन पर आरोप लगाया है और मैं उनके विचारों से सहमत हूं कि यह रेलवे की कार्यकुशलता की एक करुण गाथा है। उपमंत्री के उत्तर से यह स्पष्ट है कि 20 अक्तूबर से पूर्व "इंटरलाकिंग" प्रणाली नहीं थी और वे जानते ही हैं कि इस रेलवे समपार पर भारी भीड़-भाड़ होती है और 9.45 बजे (पूर्वाह्न) जब यह दुर्घटना घटी उस समय भीड़-भाड़ का समय था। जब संकेतकों को नए रूप देने का कार्य चल रहा था और इस कारण से इण्टरलाकिंग प्रणाली नहीं चल रही थी तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि गेट बन्द है कोई विशेष सावधानी क्यों नहीं बरती गई ? दूसरे यह बात हमारी समझ में नहीं आई कि संकेतक में हरी रोशनी क्यों हो रही थी जबकि एडवांस स्टार्टर काम नहीं कर रहा था और इस प्रकार मालगाड़ी के चालक को गाड़ी आगे ले जाने का संकेत मिला। उपमंत्री जी ने यह बात स्पष्ट नहीं की है और मैं चाहूंगा कि वह स्थिति स्पष्ट करें।

महोदय, जो उत्तर दिया गया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय लोगों द्वारा फ्लाई-ओवर की माँग काफी समय पहले की गई थी। उपमंत्री महोदय ने वह तारीख नहीं बताई है जब उन्हें उन लोगो की मांग प्राप्त हुई थी, उनके मंत्रालय ने कब उस पर विचार किया और कब उसे योजना आयोग को भेजा गया और कब इसे स्वीकृत किया गया क्योंकि एशियायी खेलों के दौरान

काफी संख्या में फ्लाई ओवरों का निर्माण किया गया है। ऐसा कैसे हुआ कि इतने महत्त्वपूर्ण फ्लाई-ओवर का निर्माण नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप तीन व्यक्ति मर गए और बहुत से अन्य जख्मी हो गए ? इससे पता चलता है कि रेलवे को लोगों की जिन्दगी अथवा बिना किसी विशेष व्यवस्था के इस प्रकार के भारी यातायात में निहित जोखिम की कोई चिंता नहीं है। सम्भवतः स्टेशन मास्टर ने "प्रोसीड-आन मीमो" जारी किया और मंत्री जी कहते हैं कि सम्बन्धित कर्मचारियों ने अपने निजी नम्बर बदल लिए थे। यह स्पष्ट नहीं है। फाटक बन्द नहीं थे और मालगाड़ी 15 कि० मी० प्रति घण्टे की रफ्तार से चल रही थी और इस स्थिति में रेलवे के 'गेटमैन' को लाल झण्डी दिखाकर रेलगाड़ी को रोकना चाहिए था। अतः यह स्पष्ट नहीं है कि जब गाड़ी धीमी गति से चल रही थी तो गाड़ी को आपातकालीन और सामान्य ब्रेक लगाकर रोका क्यों नहीं जा सका ?

महोदय, अब रेलवे ने 'यातायात पुलिस को उस स्थान पर यातायात नियन्त्रण करने हेतु कहा है। इससे स्पष्ट है कि यह फाटक काफी व्यस्त फाटक है और काफी संख्या में यातायात यहां से गुजरता है और विशेषकर अधिक भीड़भाड़ के समय में और जब कि इन्टर-लाक प्रणाली कार्य कर रही हो तो क्या रेलवे प्रशासन का यह कर्त्तव्य नहीं है, जबकि वे यह जानते हों कि यह कार्य नहीं कर रहा है, कि वे यातायात पुलिस की मदद लें। अब वे इस खतरे के प्रति क्यों जागरूक हुए हैं—तीन आदमी मर जाने और अन्य तीन के जख्मी हो जाने के बाद ? अब वे यातायात पुलिस की मदद मांग रहे हैं। उन्होंने यातायात के नियन्त्रण हेतु यातायात पुलिस की सहायता पहले ही क्यों नहीं ली ? मेरा प्रश्न यह है।

अतः मेरे प्रश्न ये हैं और मैं माननीय उप-मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक इस ऊपरी पुल के निर्माण को एशियाई खेल कार्यक्रम में शामिल करने का सम्बन्ध है, विभाग ने बहुत पहले ही इस मामले पर विचार किया था। इस मामले पर एशियाड आयोजन समिति द्वारा तथा नगरपालिका प्रशासन द्वारा भी विचार किया गया था किन्तु किसी न किसी तरह, वह रह गया। अब इस परियोजना को स्वीकृति दे दी गयी है। योजना आयोग से भी स्वीकृति ले ली गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने यह अवसर खो दिया; एशियाड के नाम पर आप इसे भी बना सकते थे।

श्री मल्लिकार्जुन : विभाग ने इस पर काफी विचार किया। किन्तु हर हाल में इस ऊपरी पुल का निर्माण होने जा रहा है। इसमें कोई भी रुकावट नहीं है।

जहाँ तक अन्य मामले हैं जैसे लाल झण्डी दिखाना और गाड़ी को रोकना आदि, वह काफी नजदीक आ गई थी। ऐसा प्रयास तो किया था, किन्तु यह बेकार रहा और इसी बीच बस का पिछला भाग गाड़ी से टकरा ही गया।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : मैंने एक निर्दिष्ट प्रश्न पूछा था। रेलवे की इन्टर-लाक व्यवस्था काम नहीं कर रही थी। इस रेलवे फाटक पर भारी मात्रा में यातायात भी रहता है। अब उन्होंने यातायात पुलिस से यातायात के नियन्त्रण में सहायता मांगी है। यातायात पुलिस को पहले क्यों नहीं कहा गया ? मेरा प्रश्न यह है। उन्होंने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है।

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक अभिज्ञ उपायों का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहूगा : जहाँ तक इण्टर-लाकिंग प्रणाली के फेल होने आदि की बात है उसे रेलवे प्रशासन की जाँच में शामिल किया गया है। जहां तक पुलिस तैनात करने का सम्बन्ध है। यह एक भूल हुई है जिसकी अवश्य ही जांच की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोहम्मद असगर अहमद अनुपस्थित।

श्री रवीन्द्र वर्मा—अनुपस्थित।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना ठीक नहीं है कि दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। वास्तव में हम दुर्घटनाओं को भूल ही गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन श्री बनातवाला ने तो आंकड़े दिए हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : पिछले कुछ महीनों से कोई दुर्घटना नहीं हुई है। लोग यह महसूस करते हैं कि रेल द्वारा सफर करते समय वे सुरक्षित हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश यह दुर्घटना हो गई।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : इसका क्या अर्थ हुआ ? क्या उनका कहने का अर्थ यह है कि हर महीने कोई दुर्घटना होनी चाहिए ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मैं केवल यह कह रहा हूं कि कुछ सुधार हुआ है। पिछले 5-6 महीनों में कोई दुर्घटना नहीं हुई है। उसके बाद यह पहली दुर्घटना है। यह दुर्भाग्य की बात है कि एक बस वाला मर गया।

श्री जी०एम० बनातवाला : तरन-तारन दुर्घटना के बारे में क्या कहना है जो कि रेलवे से ही सम्बन्धित है। वह इसके बारे में भूल ही गए हैं। कभी-कभी हम कोई बात बहुत जल्दी भूल जाते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उन्हें केवल गन्ने की कीमतें ही याद रहती हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : जब रेलवे इंजन का चालक गाड़ी को चला रहा होता है और उसके लिए गाड़ी रोकना सम्भव नहीं था तो कम से कम बस वाला तो बस रोक सकता था किन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसने बस नहीं रोकी। जब इन्जिन चालक और अन्य व्यक्ति जख्मी हो गए हैं तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अनुकम्पा के आधार पर उन्हें कोई भुगतान करने की घोषणा की गयी है अथवा नहीं ? मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली नगर निगम अपने हिस्से का योगदान देगा। इस पुल की लागत दो करोड़ रु० है। स्वाभाविक है कि उन्हें 1 करोड़ रु० देने होंगे। यह उचित भी है। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या

दिल्ली नगर निगम 1 करोड़ रु० की यह राशि देने की स्थिति में है। यदि वह देने की स्थिति में नहीं है तो क्या जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार दिल्ली नगर निगम की सहायता करेगी ? मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं।

इसके अतिरिक्त महोदय, दुर्घटना से प्रभावित लोगों को, जो घायल हो गए थे चिकित्सा सहायता देने में कर्मचारियों ने तत्परता दिखाई। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि शीघ्र चिकित्सा सहायता देने हेतु रेलवे कर्मचारियों ने तत्काल कार्यवाही की।

प्रो० मधु दंडवते : अन्तिम संस्कार भी समय पर पूरा किया गया।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : यह ठीक है; यह जनता पार्टी का ख्याल है, हम केवल उपचार करते हैं और शेष काम जनता पार्टी करती है। मेरा प्रश्न यह है कि, कितने समय में यह ऊपरी पुल पूरा हो जाएगा ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह पूरा होने में एक या दो वर्ष लेगा। इस अन्तरिम अवधि के दौरान, ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाने जा रही है ?

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, यह ठीक है—मैं आशा करता हूं कि सदन इसे अन्यथा नहीं लेगा—कि फाटकों पर दुर्घटनायें कम हो गई हैं। 1979-80 में चौकीदार वाले तथा बिना चौकीदार वाले फाटकों दोनों में मिलाकर 115 दुर्घटनाएं हुई थीं। अब 1981-82 में यह घटकर 84 रह गई हैं। यदि हम अप्रैल-सितम्बर 1981 के आंकड़े लें तो 39 दुर्घटनाएं हुईं। यदि हम इसकी तुलना अप्रैल-सितम्बर, 1982 के आंकड़ों से करें तो वह 33 ही है। अत: यह कम हो रही हैं। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें इनकी प्रशंसा करनी चाहिए। किन्तु तथ्य यह है कि यह घट रही हैं। रेलवे प्रशासन का यह प्रयास है कि वह लोगों की सुरक्षा के हित में ऐसे सभी कदम उठाये। वास्तविकता को छिपाया नहीं जा सकता तथा काफी सुधार किया जा सकता है और अक्सर किया भी जाता है। रेलवे प्रशासन अपनी ओर से लोगों की अधिकतम सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम गोपाल रेड्डी को इसके आंकड़े देने चाहिए थे।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मंत्री जी वही आंकड़े दे रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है यानि इस फाटक पर ऊपरी पुल का निर्माण, मैं सदन को सूचित करता हूं कि यह बनाया जायेगा। चूंकि रेलवे ने इसे अपने 1983-84 के निर्माण कार्यों में शामिल कर लिया है हम इसके लिए दो करोड़ रु० देंगे और दिल्ली प्रशासन का अंशदान 2 करोड़ रु० से अधिक ही होगा। अनुमानत: यह 5 अथवा 6 करोड़ रु० हो सकता है। किन्तु इससे यातायात तथा लोगों की सुरक्षा के हित में पूरा किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय ने यह पूछा था कि यह कब पूरा होगा।

श्री मल्लिकार्जुन : हमने इसे 1983-84 के निर्माण कार्यों में शामिल किया है और उसका निर्माण कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर है। यह 3 अथवा 4 वर्षों में पूरा किया जायेगा। मैं निश्चित रूप से यह नहीं बता सकता कि यह कब पूरा होगा।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या नगर निगम दो करोड़ रु० का अपना हिस्सा देने की स्थिति में है।

श्री मल्लिकार्जुन : चूंकि इसे योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दे दी गई है, दिल्ली प्रशासन इस दिशा में काफी रूचि ले रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली प्रशासन अपना हिस्सा लगाने में आगे आयेगा। मुझे आशा है कि यह 3 अथवा 4 वर्षों में पूरा हो जाएगा।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याहन भोजन के लिए दो बजकर दस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर 16 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (दूसरा संशोधन) विधेयक

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद सदस्य के वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य तौर पर उन विधेयक को पेश करने की अनुमति मांगी जाती है तो उसका विरोध नहीं किया जाता है। फिर यह विधेयक तो संसद सदस्यों के वेतन, पेंशन और भत्तों से सम्बन्धित है। इसलिए मेरा विरोध आपको खल रहा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, देश में यह धारणा है कि संसद सदस्य और विधान मण्डलों के सदस्य अपने वेतन में, भत्ते में और अपनी सुविधाओं में अनाप-शनाप विस्तार करते जाते हैं। मुझे कुछ विधान मंडलों के सदस्यों के वेतन और भत्तों का विवरण देखने को मिला है। उनमें एकरूपता नहीं है। संसद में जो यह विधेयक लाया जा रहा है इसमें कहा गया है कि इससे 17 लाख रुपये का खर्च बढ़ेगा। हो सकता है कि सलाह-मशविरा करके यह किया जा रहा है।

मगर, उपाध्यक्ष महोदय, आप विधेयक को देखिए। इसमें लिखा है कि तीसरे दर्जे के स्थान पर दूसरे दर्जे शब्द लिख दिये जाएं। बहुत दिन हो गये, देश में रेल गाड़ियों में तीसरा दर्जा खत्म हुए। आजकल तीसरा दर्जा है ही नहीं। क्या इसके लिए यह विधेयक जरूरी था? क्या यह काम नियमों में संशोधन करके नहीं किया जा सकता था? तीसरे दर्जे के स्थान पर दूसरे दर्जा शब्द रख दिये जायें, इस संशोधन का क्या मतलब है? तीसरा दर्जा आज कहां है? इसी तरह से इसमें कहा गया है कि तीसरे दर्जे के स्थान पर प्रथम दर्जे शब्द रख दिये जायें। क्या इतने छोटे से संशोधन को करने के लिए हमें संसद के कानून में परिवर्तन करना होगा? यह काम नियमों से क्यों नहीं हो सकता है? जैसे रेलवे में तीसरा दर्जा खत्म हो गया, और उसके स्थान पर केवल दूसरा दर्जा रह गया। यह परिवर्तन भी आपने किया था।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने सुविधाओं की दृष्टि से हवाई जहाज से यात्रा करने की कुछ सुविधा दी है । लेकिन अगर कोई संसद सदस्य डिफ्रेंस पे करके हवाई जहाज से सफर करना चाहे तो वह अनुमति आपने नहीं दी । मुझे संसद सदस्य के नाते और एक पार्टी के प्रतिनिधि के नाते सारे देश में घूमना पड़ता है। मैं डिफ्रेंस पे करके एयर कंडीशन में तो जा सकता हूं लेकिन हवाई जहाज से नहीं जा सकता । रेलें और हवाई जहाज दोनों ही सरकार चलाती हैं । मुझे डिफ्रेंस पे करके हवाई जहाज से यात्रा करने की भी सुविधा क्यों नहीं होनी चाहिए ? मेरे पास फर्स्ट क्लास का पास है । उसको डिफ्रेंस पे करके मुझे हवाई जहाज से यात्रा करने की भी सुविधा होनी चाहिए । इसके बारे में यह सोचना कि इससे हवाई जहाज में भीड़ बढ़ जायेगी क्योंकि संसद के सदस्य बेरोक-टोक हवाई यात्रा शुरू कर देंगे, यह ठीक नहीं है । घर से पैर निकालना खर्चा करना होता है । कितने संसद सदस्य हवाई जहाज से यात्रा करते हैं ? मैं हवाई अड्डे पर देखता हूं कि जो भी संसद सदस्या यात्रा करते हैं उनमें से बहुतों के पास वहां घर तक पहुंचाने के लिए गाड़ी नहीं होती है । तो यह आप भेद क्यों कर रहे हैं ? संसद सदस्यों को हवाई जहाज से डिफरेंस देकर के यात्रा करने की सुविधा मिलनी चाहिए। डिफरेंस कोई कम नहीं है, बहुत डिफरेंस देना पड़ेगा, लेकिन यह तो मेरी समझ में नहीं आता कि रेल में एयरकंडीशन में डिफरेंस देकर यात्रा की जा सकती है, लेकिन हवाई जहाज से डिफरेंस देकर यात्रा नहीं की जा सकती ।

इसलिए मेरा कहना यह है कि टुकड़ों में लाने के बजाय एक कंसालिडेटेड विधेयक लाइए। कुछ चीजें छूट गई हैं, जिनका उल्लेख मैं नहीं करना चाहता । चीफ व्हिप की बैठक हुआ करती थी, उसको क्यों खत्म कर दिया गया । पार्लियामेंट के चीफ व्हिप विधान मण्डलों के चीफ व्हिपों की बैठक बुलाया करते थे [और कई सामान्य प्रश्नों की चर्चा होती थी । इस मामले में भी वहां पर सलाह हो सकती थी । हरियाणा में क्या मिल रहा है, हिमाचल में क्या मिल रहा है, बढ़ाने की एक होड़ लगी हुई है । इसके बारे में हम एक समान नीति बना सकते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि वह ऐसी स्थिति में इस विषय पर बोल सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कभी-कभी वह बहुत अच्छे सुझाव देते हैं और अच्छे मित्र जैसा व्यवहार करते हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इन्होंने बढ़वाने के लिए घंटे खराब किए और अब मुझे 10 मिनट देने पर इतने उतावले हो रहे हैं कि जल्दी पास हो जाए और ये पत्नी के साथ हवाई जहाज की यात्रा कर सकें । मेरी तो इसमें रुचि है नहीं । (**व्यवधान**)

इसलिए मैं इन बातों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं और इसके लिए विरोध करने की जो प्रक्रिया है, उसका लाभ उठा रहा हूं ।]

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, मैंने एक नोटिस दिया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आपने कोई नोटिस नहीं दिया ।

छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 से संबंधित प्रस्ताव को लेते हैं।

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, में प्रस्ताव करता हूं :

"कि 6 मई 1981 को सभापटल पर रखी गई छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 पर इस सभा द्वारा विचार किया जाये।"

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : जब पांचवी पंचवर्षीय योजना पर बहस चल रही थी, उस समय मैं बोल रहा था। तब सभा भंग कर दी गई थी। इसलिए मैं अब अपने भाषण को पुनः शुरू कर सकता हूं।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं छठी पंचवर्षीय योजना से सम्बधित महत्वपूर्ण बहस को शुरू करने को सम्मानजनक एवं सौभाग्य समझता हूं। मैं अपना भाषण बहुत ही संक्षिप्त रखने का प्रयास करूंगा ताकि सभा के माननीय सदस्यों के लिए पर्याप्त समय मिल सके, योजना के बारे में हम जिनके विचार सुनने को अत्यन्त उत्सुक हैं।

योजना संबंधी दस्तावेज फरवरी 1981 से देश के समक्ष है। मैंने योजना पर चर्चा के लिए तीन बार सूचनाएं दी थी लेकिन चर्चा के लिए समय नहीं था। हर वर्ष 1981-82 और 1982-83 की वार्षिक योजनाएं भी संसद में प्रस्तुत कर चुके हैं जिनमें 1980-81 और 1981-82 की अर्थ-व्यवस्था की समीक्षा की गई है। फिलहाल, छठी योजना की मध्यावधि समीक्षा की जा रही है ताकि अद्यतन कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया जा सके और यह पता लगाया जा सके कि शेष योजनावधि के दौरान कितना कार्य पूरा किया जाना चाहिए। हमने 1980-81 की वार्षिक योजना तैयार करने को कार्य भी शुरू कर दिया है।

छठी पंचवर्षीय योजना की मुख्य बातें सुविदित हैं। इसका उद्देश्य कुल राष्ट्रीय उत्पादन दर को बढ़ाकर 5.2 प्रतिशत करना है। इस उद्देश्य को कृषि में 4 प्रतिशत से कुछ कम तथा खनन एवं निर्माण में लगभग 7 प्रतिशत उत्पादन दर करके प्राप्त किया जाएगा। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग और कृषि, उद्योग, विद्युत एवं परिवहन के क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करनी होगी। बुनियादि ढ़ाँचे, जिसने अन्य क्षेत्रों के अलावा ऊर्जा का महत्वपूर्ण क्षेत्र एवं परिवहन सुविधाएं शामिल हैं, में सुधार करने के सतत प्रयास किये जायेंगे। इसी संदर्भ में सरकार ने तेल की खोज और उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है और खनिज तेल के उत्पादन का लक्ष्य छठी योजना में 1984-85 तक 216 लाख टन से बढ़ाकर 275 2 लाख टन कर दिया है।

देश की अर्थ-व्यवस्था 1980-81 में काफी हद तक सुधरी है। 1981-82 में इसमें सुधार हुआ और यह काफी मजबूत हुई। ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों के साथ कृषि औद्योगिक उत्पादन में काफी वृद्धि हुई और मुद्रास्फीति की दर भी काफी कम हो गई। कुल स्वदेशी उत्पादन

जो 1979-80 में लगभग 5 प्रतिशत कम हो गया था, 1980-81 में 7·5 प्रतिशत बढ़ गया और आशा है कि 1981-82 में इसमें 4·6 प्रतिशत वृद्धि और हुई है। योजना के प्रथम दो वर्षों में औसत वृद्धि 6 प्रतिशत वार्षिक थी जो योजना के लक्ष्य से भी अधिक है।

योजना का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि विकास लाभ अधिक लोगों को मिले और विशेष तौर पर कमजोर वर्गों की हालत सुधरे। भारत में योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी कम करके अन्ततः उसे समाप्त करना है और छठी योजना में इस बात को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई है।

योजना की नीति है उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना तथा गरीबों की दशा सुधारने के लक्ष्य से तैयार किए गए कार्यक्रमों की सहायता करना। हम सरकारी नीतियों के पुनर्वितरणात्मक पूर्वाग्रह को कायम और मजबूत करने के लिए वचनबद्ध हैं, चाहे वह नीतियां कराधान, सरकारी, व्यय, मूल्य निर्धारित करने अथवा लाइसेंस प्रणाली के विषय में हों। इन्हे इस प्रकार से तैयार किया जायेगा जिससे उत्पादन में उपेक्षित वृद्धि तथा गरीबों तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया जा सके।

विकास कार्यक्रमों में ये लक्ष्य निहित हैं। इस प्रकार कृषि विकास के अनेक कार्यक्रम हैं जिनका उद्देश्य सिंचाई, रसायनिक खाद का अधिक उपयोग, सुधरे बीजों का प्रयोग तथा बैंकों से ऋण सुविधाएं बढ़ाकर उत्पादन में और वृद्धि करना है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जायेंगे कि छोटे एवं मध्यम स्तर के किसानों और ग्रामीण दस्तकारों तक भी आधारभूत सामग्री पहुंच जाये। प्रायः हम देखते हैं कि विकास योजनाओं का लाभ अपेक्षाकृत खुशहाल वर्गों तक ही पहुंचता है और छोटे एवं मध्यम स्तर के किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों की उपेक्षा हो रही है। सरकार यह प्रयास कर रही है कि इस पद्धति को रोका जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि लाभ उचित एवं उन वर्गों को मिले जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

गरीबों को कम करने के लिए विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में, रोजगार के अवसर काफी बढ़ाने होंगे। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो आज देश भर में चलाया जा रहा है द्वारा डेरी, सुअर पालन, भेड़ पालन, बागवानी आदि जैसे भू-आधारित व्यवसायों को प्रोत्साहन देना होगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना के प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक खंड में 600 परिवारों को सहायता और बैंक ऋण संलभ कराने का प्रस्ताव है—कृषि एवं सम्बद्ध कार्यों की योजनाओं द्वारा 400 परिवार लाभान्वित होंगे, ग्राम एवं कुटीर उद्योग द्वारा 100 परिवार और सर्विस सैक्टर में अन्य 100 परिवार लाभान्वित होंगे। छठी योजनावधि के दौरान इस कार्यक्रम से 1·5 करोड़ परिवार लाभविन्त होंगे, जिसके लिए योजना में 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसे केन्द्र एवं राज्य बराबर वहन करेंगे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81 और 1981-82 में क्रमशः लगभग 280 लाख एवं 30 लाख परिवारों की सहायता की गई।

भूमिहीनों और सीमान्त किसानों के लाभ के लिए, जिन्हें खेती के मौसम के अलावा शेष समय में बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

श्री बन्सीलाल

भारद्वाज, श्री परसराम

श्री भीमसिंह

भोले, श्री आर० आर०

श्री बीरबल

चव्हाण, श्री एस० बी०

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

श्री दलवीर सिंह

डेनिस, श्री एन०

श्री दिग्विजय सिंह

दुबे, श्री रामनाथ

श्री ईरा मोहन

*गामित, श्री छींतूभाई

श्री गुफरान आजम

हेम्ब्रम, श्री सेत

झा, श्री कमलनाथ

खां, श्री महमूद हसन

कोसलराम, श्री के० टी०

कृष्ण, श्री एस० एम०

श्री कृष्ण प्रताप सिंह

कृष्णन्, श्री जी० वाई०

कुंचन, श्री गंगाधर एस०

श्रीमती माधुरी सिंह

श्री महाबीर प्रसाद

महाजन, श्री वाई० एस०

मालन्ना श्री के०

श्री मल्लिकार्जुन

मीणा, श्री रामकुमार

* उन्होंने गलती से गलत स्थान से मतदान किया और बाद में इसकी सूचना अध्यक्ष को दी।

मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मुत्तेमवार, श्री विलास
नागरत्नम, श्री टी०
नायकर, श्री डी० के०
नायर, श्री बी० के०
श्री नन्दी येल्लैया
नारायण, श्री के० एस०
नायक, श्री मृत्युंजय
श्री निहाल सिंह
पदायाची, श्री एस० एस० रामास्वामी
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पनिका, श्री रामप्यारे
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द
पटेल, श्री शान्तु भाई
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री उत्तमराव
फुलवारिया, श्री विरदा राम
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
श्री काजी सलीम
कादरी, श्री एस० टी०
रंगा, प्रो० एन० जी०
राठौर, श्री उत्तम
रवाणी, श्री नवीन
प्रो० सत्यदेव सिंह
शक्यवार, श्री नाथूराम
सिंह, डा० बी० एन०
सुब्बा, श्री पी० एम०
सूर्यवंशी , श्री नरसिंह
थोरट, श्री भाऊसाहिब

वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
विजयराघवन, श्री वी० एस०
व्यास, श्री गिरधारी लाल
वाघ, डा० प्रताप
यादव, श्री सुभाष चन्द्र
श्री जैनुल बशर

विपक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
बाग, श्री अजित
बालानन्दन, श्री ई०
श्री चतुर्भुज
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
घोष, श्री नीरेन
गिरि, श्री सुधीर
हसदा, श्री मतिलाल
मंडल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मुखर्जी, श्री समर
पलानीअप्पन, श्री सी०
परांजपे, श्री बाबूराम
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
साहा, श्री अजितकुमार
शमन्ना, श्री टी० आर०

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में—68

विपक्ष में— 19

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं विधेयक पुनःस्थापित** करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) दिल्ली विश्व-विद्यालय में सामान्य स्थिति लाने की आवश्यकता

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक गत 12 अक्तूबर से, और कर्मचारी गत 20 सितम्बर से हड़ताल पर हैं। प्राप्त हुई सभी सूचनाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि सामान्य शिक्षण और कार्यालय का काम विश्वविद्यालय और इसके कालेजों में पूरी तरह से ठप्प पड़ा है।

बताया जाता है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा को पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया है वहां से अनुपूरक परीक्षाओं के कार्य की देख रेख की जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण केन्द्र सरकार की यह विशेष जिम्मेदारी हो जाती है कि वह इसका सामान्य काम-काज सुनिश्चित करे।

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ अध्यक्ष ने कुलपति को लिखित रूप में सूचित किया है कि हड़ताल के चालू रखने पर पुनः विचार किया जा सकता है यदि कुलपति महोदय एक मामले पर आगे कार्यवाही करने को उद्यत हैं। संघ की कार्यकारी परिषद ने कहा है यदि अश्वासन देने और उसका कार्यन्वयन करने का कार्य शुरू किया जाय तो संघ सार्थक वार्ता करने को तैयार है।

मैं शिक्षा मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे इसमें अविलम्ब हस्तक्षेप करें और वे एक ओर शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच तथा दूसरी ओर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय के बीच बातचीत के माध्यम से विश्वविद्यालय में सामान्य स्थिति लाने के लिए कदम उठाएं। कुछ मांगों, जैसे पदोन्नित के अवसर और आवास जिसका विश्वविद्यालय और कर्मचारी संघ के बीच भी जिक्र हुआ था, पूरा करने के लिए उचित कदम उठाने की जरूरत है।

(दो) कौड़ी राम (गोरखपुर) स्थित टेलीफोन एक्सचेंज का कार्यकरण

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : मान्यवर, में आपके माध्यम से अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बांसगांव गोरखपुर में स्थित कौड़ीराम कस्बे में स्थापित टेलीफोन एक्सचेंज की अव्यवस्था के संबंध

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया : सर्वश्री नन्द किशोर शर्मा, कमलालुद्दीन अहमद, उमा कांत मिश्र, एम० सिंगारावाडीवेल, रतन सिंह राजदा, के० कन्हम्बु।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुनःस्थापित किया गया।

में संचार मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमान मेरा निर्वाचन क्षेत्र आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में परिवहन की भी दशा अत्यन्त दयनीय है। ऐसी परिस्थिति में उक्त एक्सचेंज जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बिल्कुल केन्द्र में स्थित है फिर भी इसकी दशा अत्यन्त शोचनीय है। यह बिल्कुल खराब पड़ा रहता है। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में जिला मुख्यालय या अन्य स्थानों से संपर्क करना चाहता है तो वह संपर्क नहीं कर पाता। यह एक्सचेंज बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर है। इस एक्सचेंज से काफी संख्या में व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक टेलीफोन लिए गए हैं जैसे बस स्टेशन, पावर हाउस, एस. डी. ओ. पावर हाउस, तहसीलदार बांसगांव एस. डी. एम. बांसगांव आदि। साथ ही साथ विभागीय पी. सी. ओ. अर्थात कौड़ीराम, गगहा, सहगौरा, गजपुर, मलांव, बांसगांव, उस्वां, बेलीपार तथा महावीर छपरा आदि का भी संबंध इसी एक्सचेंज से है।

अतः पुनः आपके माध्यम से संचार मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि अविलम्ब प्रथमिकता के आधार पर इस एक्सचेंज में सुधार करने के लिए आदेश प्रदान करें तथा साथ ही साथ इसी प्रकार के एक्सचेंज जो कि बड़हलगंज में स्थापित है का भी सुधार करने के लिए आदेश प्रदान करें।

(तीन) औरंगाबाद में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की मांग

श्री काजी सलीम (औरंगाबाद) : मराठवाड़ा क्षेत्र के लोगों की काफी समय से मांग चली आ रही कि औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में एक दूरदर्शन केन्द्र खोला जाये।

औरंगाबाद में औद्योगिक कार्य भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने उस क्षेत्र में औद्योगिक एकक खोलने के इच्छुक उद्योगपतियों को बहुत सी सुविधाएं देने की घोषणा की है।

औरंगाबाद एक महत्वपूर्ण शैक्षिक केन्द्र है और यहां एक विश्वविद्यालय और इस एक ही शहर में 30 से भी अधिक महाविद्यालय हैं जिसमें मेडिकल, इन्जीनियरी और विधि महाविद्यालय भी शामिल हैं। इस क्षेत्र में एक पूर्ण विकसित कृषि विश्वविद्यालय भी है जिसने औरंगाबाद में अनुसंधान केन्द्र खोला है। शिक्षा के उद्देश्य से भी दूरदर्शन केन्द्र का होना जरूरी है।

इस शहर का मराठी और दखनी भाषा का समृद्ध साहित्यिक इतिहास भी है। आज भी यहां बहुत से प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो सारे भारत में और एशिया में मराठी, हिंदी और उर्दू भाषाओं में प्रसिद्ध हैं और वे नाटक और कविता का सृजन कर रहे हैं। यहां रेडियो और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बहुत अच्छे गायक हैं और नर्तक भी हैं।

इन सब बातों के अलावा, इस स्थान का महत्व और भी अधिक इसलिए हो गया है क्योंकि यहां अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं और यहां लाखों भारतीय तथा विदेशी पर्यटक हमारी महान विरासत को देखने आते हैं।

तकनीकी दृष्टिकोण से भी प्रसारण टावर बनाने के लिए स्थल का सुझाव देना भी उचित होगा। यहां एक पहाड़ी स्थान 2500 फुट ऊंचा इसका नाम महेसमाल है और औरंगाबाद के बहुत निकट है और इस स्थान को पहले से ही इस कार्य के लिए चुना गया था। इसके अतिरिक्त, औरंगाबाद माइक्रोवेव की परिधि में भी पड़ता है।

हाल में ही यह निर्णय किया गया है कि इस क्षेत्र को ब्राड गेज रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। नगर विमानन विभाग ने एक और विमान सेवा की व्यवस्था करके औरंगाबाद को बम्बई, दिल्ली, नागपुर, और खुजराहो के साथ जोड़ दिया है। अतः मैं आप से अनुरोध करता हूं कि औरंगाबाद में यथाशीघ्र स्टुडियो की सुविधा वाले दूरदर्शन केन्द्र खोलने की सम्भावना का पता लगाया जाए। सरकार की यह नीति है कि ऐसे सभी प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक केन्द्रों में दूरदर्शन केन्द्र की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

(चार) श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए श्रम कानूनों को लागू किया जाना

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 377 के अधीन निम्नलिखित मामला रखना चाहता हूं।

श्रमिक कानूनों का उचित अनुपालन श्रमिकों को शोषण से बचाने तथा उनके हितों की रक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक है। मालूम हुआ है कि श्रमिक कानूनों का नियोजकों द्वारा उल्लघन किया जा रहा है जिसका श्रमिक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और सरकार को श्रमिक कल्याण नीति का श्रमिकों को यथोचित लाभ नहीं मिल रहा है। हाल ही में श्रमिक कानून उल्लंघन के मामले में एक मजिस्ट्रेट द्वारा केवल 200 रुपये का जुर्माना किये जाने पर उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि मजिस्ट्रेटों द्वारा श्रमिक कानूनों के उल्लंघनों की उपेक्षा की जा रही हैं जिन्हें वे मामूली अपराध समझते हैं। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से श्रमिक कानूनों के उल्लंघन के मामलों में अपने-अपने उच्च न्यायालयों से अधिक कड़ा दण्ड देने के लिए कहने के निदेश दिये हैं किंतु इतने से ही श्रमिक कानूनों का समुचित अनुपालन होना सुनिश्चित नहीं हो सकता है। श्रमिक कानून का उल्लंघनों की गंभीरता को देखते हुए विधायी उपाय सहित सभी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है तभी श्रमिकों के हितों की रक्षा हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम नगीना मिश्र। अनुपस्थित।

(पांच) पुलायास जाति को पिछड़ी जाति के रूप में सूचीबद्ध करने से सम्बन्धित मंडल आयोग की सिफारिश

श्री के० कुन्हम्बु (कन्नानोर) : केरल के पुलायास समुदाय के लोग जिनकी संख्या में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या के 60 प्रतिशत से भी अधिक है, अत्यन्त पिछड़ा समुदाय है। परम्परानुसार उन्हें समाजिक ढ़ांचे में सबसे निचला स्थान दिया गया है। अनुसूचित जाति होने के कारण उन्हें दिए गए आरक्षण एवं अन्य लाभों के बावजूद उनके समाजिक स्तर या उनकी आर्थिक स्थिति में कोई स्पष्ट सुधार गोचर नहीं हुआ है।

अब मंडल आयोग की रिपोर्ट में की गई इस सिफारिश के परिणामस्वरूप केरल में अत्यन्त विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि पुलाया समुदाय को भी अन्य पिछड़े समुदायों की सूची में शामिल किया जाए। इस कदम से यह समुदाय आरक्षण आदि के प्राप्त लाभों से वंचित हो जाएगी और इससे यह समुदाय और पिछड़ जाएगा। इसके अतिरिक्त मंडल आयोग द्वारा राज्यों को परिचालित प्रश्नावली में इस बात का विशेष उल्लेख था कि अन्य पिछड़े समुदायों के सम्बन्ध में जानकारी भेजते हुए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को शामिल न किया जाये। इन परिस्थितियों में बड़े आश्चर्य की बात है कि आयोग ने पुलाया समुदाय को अन्य पिछड़े समुदायों की सूची में रखने का निर्णय कैसे कर लिया जो कि आयोग विचारार्थ विषयों के प्रतिकूल है। इससे इस समुदाय में व्याकुलता एवं आश्चर्य की लहर दौड़ गई है। और उन्होंने सरकार की इस सिफारिश को स्वीकार न करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक आन्दोलन छेड़ दिया है।

अत: मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि पुलाया समुदाय के लोगों को "अन्य पिछड़े समुदायों' की सूची में शामिल करने की मंडल आयोग की इस सिफारिश को अस्वीकार कर दिया जाए और इस अत्यन्त पिछड़े समुदाय के साथ न्याय किया जाये।

(छः) हल्दिय तेल शोधक कारखाने का विस्तार

श्री निरेन घोष (दम-दम) : हल्दिया तेल शोधक कारखाने की क्षमता को 25 लाख टन करने का प्रस्ताव है। मैंने हाल ही में हल्दिया तेल शोधक कारखाने का दौरा किया था। मैंने पाया कि तेल शोधक कारखाना बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। जब असम आन्दोलनकारी गोहाटी तेलशोधक कारखाने को ठप्प कराने में सफल हो गए थे, उस समय देश का काम हल्दियां तेल शोधक कारखाने से चला। हल्दिया तेल शोधक कारखाना के अनुसंधान एवं विकास विभाग ने दो नए वाणिज्य उत्पादों को पूर्णतया स्वदेशी ढंग से विकास किया है नामत: सिलेन्डर आयल एवं एक नए प्रकार की अयस्क जो वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद है। यदि तेल शोधक कारखाने की क्षमता बढ़ा कर एक लाख टन कर दी जाए तो हल्दिया तेल शोधक कारखाना देश को और नए उत्पाद सुलभ करायेगा और प्रस्तावित हल्दिया पेट्रोकेमिल कम्पलैक्स के लिए ईंधन की सप्लाई भी कर पायेगा।

मैंने हल्दिया गोदी की यात्रा की थी और वहां देखा कि तेल-घाट (आयल-जेटी) और गोदी के बीच एक स्थान तलाश किया गया है जहां सुपर टैंकर खड़े हो सकेंगे।

नौसंचालन चैनल के डुबाव को और गहरा करने का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। मेरा रसायन मंत्री तथा योजना मंत्री से आग्रह है कि वे हल्दिया तेलशोधक कारखाने के विस्तार कार्यक्रम को स्वीकृत प्रदान कर दें।

(सात) स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके परिवारों की पेंशन में वृद्धि करने की मांग

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने सन् 1972 के 15 अगस्त से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना क्रियान्वित की। सन 1980 के जुलाई तक सेनानियों को भारत सरकार से दो सौ रुपये महावारी पेंशन की राशि मिलती रही। पेंशन की राशि 1-8-80

से बढ़ा कर दो सौ रुपये के बदले तीन सौ रुपये महावारी कर दी गई। इस प्रकार अभी 1,23,861 सेनानियों को पेंशन की राशि मिल रही है।

मंहगाई आसमान छू रही है और यह अब तक की मंहगाई से अधिक है। ऐसी स्थिति में तीन सौ रुपए माहवारी में सेनानियों के लिए काम चलाना मुश्किल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि :—

(1) स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन की राशि बढ़ा कर पांच सौ रुपए महवारी की जाए,

(2) सेनानियों की विधवाओं को भी सेनानियों के बराबर पेंशन दिया जाए,

(3) पेंशन पाने की शर्ते छः माह जेल की सजा को घटा कर तीन माह कर दिया जाए,

(4) गांधी इर्विन समझौते के बाद रिहा सभी सेनानियों को पेंशन दिया जाए,

(5) स्वतंत्रता सैनिक केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति की पिछली बैठकों में लिए गए तमाम निर्णयों को अविलंब लागू किया जाए,

(6) जाली सेनानियों को मिलने वाली पेंशन की राशि बन्द की जाए तथा उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए और सेनानियों का संक्षिप्त जीवन परिचय प्रकाशित किया जाए।

(आठ) उत्तर प्रदेश, बिहार तथा हरियाणा में बिजली की दरों में वृद्धि को वापस लेने की मांग

श्री राम विलास पासवाना (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो देश में किसानों को कृषि हेतु बिजली नहीं मिलती, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा आदि प्रदेशों में बिजली दरों में वृद्धि कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में बिजली पांच पैसे प्रति यूनिट बढ़ोत्तरी कर दी गई है। किसानों के प्राइवेट ट्यूवेल की बिजली का दर प्रति-हार्सपावर पंद्रह रुपये से बढ़ाकर वाइस रुपए पचास पैसे कर दिया गया है।

हरियाणा में भी अठारह रुपए से बढ़ाकर बिजली का दर प्रतिहार्स पावर बाइस रुपए कर दिया गया है। इसी तरह अन्य प्रान्तों में भी बढ़ोत्तरी की गई है। दर बढ़ाने के बाद भी बिजली कितने घंटे उपलब्ध हो पाएगी, पता नहीं।

विद्युत दरों में बढ़ोतरी किसानों के लिए कष्टदायक है। इससे भुगतान समय पर नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप कनेक्शन कटेगा तथा सिंचाई पर प्रभाव पड़ेगा। किसानों में काफी रोष है। अतः सरकार बिजली दर में की गई बढ़ोतरी को वापस ले तथा किसानों को बिजली उपलब्ध कराने की गारंटी दे।

छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 से संबंधित प्रस्ताव को लेते हैं।

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, में प्रस्ताव करता हूं :

"कि 6 मई 1981 को सभापटल पर रखी गई छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 पर इस सभा द्वारा विचार किया जाये।"

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : जब पांचवी पंचवर्षीय योजना पर बहस चल रही थी, उस समय मैं बोल रहा था। तब सभा भंग कर दी गई थी। इसलिए मैं अब अपने भाषण को पुनः शुरू कर सकता हूं।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं छठी पंचवर्षीय योजना से सम्बधित महत्वपूर्ण बहस को शुरू करने को सम्मानजनक एवं सौभाग्य समझता हूं। मैं अपना भाषण बहुत ही संक्षिप्त रखने का प्रयास करूंगा ताकि सभा के माननीय सदस्यों के लिए पर्याप्त समय मिल सके, योजना के बारे में हम जिनके विचार सुनने को अत्यन्त उत्सुक हैं।

योजना संबंधी दस्तावेज फरवरी 1981 से देश के समक्ष है। मैंने योजना पर चर्चा के लिए तीन बार सूचनाएं दी थी लेकिन चर्चा के लिए समय नहीं था। हर वर्ष 1981-82 और 1982-83 की वार्षिक योजनाएं भी संसद में प्रस्तुत कर चुके हैं जिनमें 1980-81 और 1981-82 की अर्थ-व्यवस्था की समीक्षा की गई है। फिलहाल, छठी योजना की मध्यावधि समीक्षा की जा रही है ताकि अद्यतन कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया जा सके और यह पता लगाया जा सके कि शेष योजनावधि के दौरान कितना कार्य पूरा किया जाना चाहिए। हमने 1980-81 की वार्षिक योजना तैयार करने को कार्य भी शुरू कर दिया है।

छठी पंचवर्षीय योजना की मुख्य बातें सुविदित हैं। इसका उद्देश्य कुल राष्ट्रीय उत्पादन दर को बढ़ाकर 5.2 प्रतिशत करना है। इस उद्देश्य को कृषि में 4 प्रतिशत से कुछ कम तथा खनन एवं निर्माण में लगभग 7 प्रतिशत उत्पादन दर करके प्राप्त किया जाएगा। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग और कृषि, उद्योग, विद्युत एवं परिवहन के क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करनी होगी। बुनियादि ढ़ाँचे, जिसने अन्य क्षेत्रों के अलावा ऊर्जा का महत्वपूर्ण क्षेत्र एवं परिवहन सुविधाएं शामिल हैं, में सुधार करने के सतत प्रयास किये जायेंगे। इसी संदर्भ में सरकार ने तेल की खोज और उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है और खनिज तेल के उत्पादन का लक्ष्य छठी योजना में 1984-85 तक 216 लाख टन से बढ़ाकर 275 2 लाख टन कर दिया है।

देश की अर्थ-व्यवस्था 1980-81 में काफी हद तक सुधरी है। 1981-82 में इसमें सुधार हुआ और यह काफी मजबूत हुई। ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों के साथ कृषि औद्योगिक उत्पादन में काफी वृद्धि हुई और मुद्रास्फीति की दर भी काफी कम हो गई। कुल स्वदेशी उत्पादन

जो 1979-80 में लगभग 5 प्रतिशत कम हो गया था, 1980-81 में 7·5 प्रतिशत बढ़ गया और आशा है कि 1981-82 में इसमें 4·6 प्रतिशत वृद्धि और हुई है। योजना के प्रथम दो वर्षों में औसत वृद्धि 6 प्रतिशत वार्षिक थी जो योजना के लक्ष्य से भी अधिक है।

योजना का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि विकास लाभ अधिक लोगों को मिले और विशेष तौर पर कमजोर वर्गों की हालत सुधरे। भारत में योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी कम करके अन्ततः उसे समाप्त करना है और छठी योजना में इस बात को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई है।

योजना की नीति है उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना तथा गरीबों की दशा सुधारने के लक्ष्य से तैयार किए गए कार्यक्रमों की सहायता करना। हम सरकारी नीतियों के पुनर्वितरणात्मक पूर्वाग्रह को कायम और मजबूत करने के लिए वचनबद्ध हैं, चाहे वह नीतियां कराधान, सरकारी, व्यय, मूल्य निर्धारित करने अथवा लाइसेंस प्रणाली के विषय में हों। इन्हे इस प्रकार से तैयार किया जायेगा जिससे उत्पादन में उपेक्षित वृद्धि तथा गरीबों तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया जा सके।

विकास कार्यक्रमों में ये लक्ष्य निहित हैं। इस प्रकार कृषि विकास के अनेक कार्यक्रम हैं जिनका उद्देश्य सिंचाई, रसायनिक खाद का अधिक उपयोग, सुधरे बीजों का प्रयोग तथा बैंकों से ऋण सुविधाएं बढ़ाकर उत्पादन में और वृद्धि करना है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जायेंगे कि छोटे एवं मध्यम स्तर के किसानों और ग्रामीण दस्तकारों तक भी आधारभूत सामग्री पहुंच जाये। प्रायः हम देखते हैं कि विकास योजनाओं का लाभ अपेक्षाकृत खुशहाल वर्गों तक ही पहुंचता है और छोटे एवं मध्यम स्तर के किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों की उपेक्षा हो रही है। सरकार यह प्रयास कर रही है कि इस पद्धति को रोका जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि लाभ उचित एवं उन वर्गों को मिले जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

गरीबों को कम करने के लिए विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में, रोजगार के अवसर काफी बढ़ाने होंगे। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो आज देश भर में चलाया जा रहा है द्वारा डेरी, सुअर पालन, भेड़ पालन, बागवानी आदि जैसे भू-आधारित व्यवसायों को प्रोत्साहन देना होगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना के प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक खंड में 600 परिवारों को सहायता और बैंक ऋण संलभ कराने का प्रस्ताव है—कृषि एवं सम्बद्ध कार्यों की योजनाओं द्वारा 400 परिवार लाभान्वित होंगे, ग्राम एवं कुटीर उद्योग द्वारा 100 परिवार और सर्विस सैक्टर में अन्य 100 परिवार लाभान्वित होंगे। छठी योजनावधि के दौरान इस कार्यक्रम से 1·5 करोड़ परिवार लाभविन्त होंगे, जिसके लिए योजना में 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसे केन्द्र एवं राज्य बराबर वहन करेंगे। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81 और 1981-82 में क्रमशः लगभग 280 लाख एवं 30 लाख परिवारों की सहायता की गई।

भूमिहीनों और सीमान्त किसानों के लाभ के लिए, जिन्हें खेती के मौसम के अलावा शेष समय में बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि योजना अवधि में प्रतिवर्ष 30 से 40 करोड़ जन दिवस रोजगार उपलब्ध किये जा सके। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम विशेषतौर पर अधिशेष मजदूरों की सहायता से ग्रामीण इलाकों में चिरस्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण करने के लिए तैयार किया गया है। 1980-81 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 42·4 करोड़ जन दिवस रोजगार उपलब्ध किये गये। 1981-82 में 34.5 करोड़ जन दिवस रोजगार उपलब्ध किये गये। साथ ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए योजना में पर्याप्त संसाधन रखे गये हैं। योजना में न्यूनतम विकास कार्यक्रम पर भी बल दिया गया है, चूंकि प्रगति से पूर्व बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा, पोषण, लोक स्वास्थय, ग्रामीण जलपूर्ति, ग्रामीण सड़कें एवं विद्युतीकरण और भूमिहीनों के लिए आवास का उपबन्ध है। छठी योजना में इस कार्यक्रम के लिए 5,807 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय भेदभाव को कम करने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं। दूसरे उपायों में क्षेत्रीय विशेष कार्यक्रमों का उल्लेख किया जा सकता है जैसे सूखा संवेदित क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा उत्तर पूर्वी परिषद के कार्यक्रम।

योजना के रोजगार सम्बन्धी अनुमानों से ज्ञात होता है कि श्रमिकों की संख्या में प्रतिवर्ष 2·54 प्रतिशत वृद्धि होगी, जबकि रोजगार में 4.17 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होगी। अतः आगामी समय में रोजगार की स्थिति में सुधार होना चाहिए। छठी योजना में ही 3·4 करोड़ मानव व्यक्ति वर्ष के समान नए रोजगार उपलब्ध होंगे। अत : बेरोजगारों की संख्या में और अधिक वृद्धि नहीं होगी। हमने मानक व्यक्ति वर्ष में रोजगार का अनुमान लगाया है अर्थात एक वर्ष में 273 दिनों के लिए प्रति दिन 8 घंटे का नियोजन। तथापि व्यवहार में सभी को इस प्रकार का रोजगार नहीं मिलता। यदि इसको छोड़ दिया जाए तो योजना अवधि के दौरान अनुमानित बेरोजगारों की संख्या कम हो जायेगी। परन्तु छठी योजना के लिए निर्धारित रोजगार सम्बन्धी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन आवश्यक है।

माननीय सदस्य जानते हैं कि हाल ही में हुई जनगणना परिणामों से पता चलता है कि जनसंख्या की कुल जन्म दर में कोई कमी नहीं आई है। हम परिणामों को काफी सावधानी से देख रहे हैं ताकि यह पता लग सके कि छठी पंचवर्षीय योजना कार्यक्रमों को किस प्रकार पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता है जिससे जनगणना आंकड़ों द्वारा प्रकट हुई स्थिति पर काबू पाया जाये। फिर भी, एक बात स्पष्ट है और कई वर्षों से स्पष्ट है कि यदि हम अपनी जनसंख्या में वृद्धि पर रोक नहीं लगा सकते तो हमारी विकास की सभी योजनायें बेकार हो जायेंगी। मैं परिवार नियोजन की महत्वता पर जोर डाले बिना नहीं रह सकता और इस पर राष्ट्रीय मतैक्य जरूरी है ताकि लोगों के सभी वर्ग, चाहे वे किसी भी विचारधारा के हों, इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्देश्य में सहयोग करें। छठी योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए काफी धनराशि का प्रावधान है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि परिवार नियोजन के किसी प्रभावकारी कार्यक्रम के स्रोतों में बाधा नहीं आने दी जायेगी।

योजना प्रलेख में निर्धनता की रेखा से नीचे के लोगों की प्रतिशतता में भारी कमी लाने का प्रस्ताव है। 1972-73 में निर्धनता की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 52 प्रतिशत थी और

1977-78 तक यह संख्या घट कर 48 प्रतिशत रह गई। छठी योजना में यह और कम 30% तक लाये जाने का प्रस्ताव है। 30% भी बहुत ऊंची संख्या है। इसका अर्थ यह हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में लोग निर्धनता की रेखा से नीचे हैं। फिर भी हम स्वयं के प्रति और पिछले तीन दशकों में किए गए प्रयासों के प्रति न्यायोचित नहीं हैं यदि यदि हम इन अनुमानों की **आजमाइश** को नहीं मानते अथवा यदि हम इस तथ्य को काफी महत्व नहीं देते कि इनमें जो कि सरकार की जागरूक नीतियों और सार्वजनिक व्यय के माध्यम से उपभोग व अन्य लाभों के भारी मात्रा में पुनर्वितरण के आंकड़े शामिल नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर इन अनुमानों में इस तथ्य पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है कि बहुत-सी सेवाओं जैसे कि शिक्षा, स्वसथ्य सुविधायें, पोषण, सुधरे हुए जल आपूर्ति और अन्य जन सेवायें, मुफ्त प्रदान की गई हैं।

इन अनुमानों में सड़कों के निर्माण, विद्युतीकरण और संचार सुविधाओं के फलस्वरूप हुए सामान्य सुधारों पर भी प्रकाश नहीं डाला गया है।

हमने योजना में उच्चतम प्राथमिकता निर्धनता को कम करने और कुछ समय बाद इसे पूर्णतः हटा देने पर दी है। मैं इस बहुत बड़े कार्य के महत्व को घटाना नहीं चाहता फिर भी इस दिशा में हमारे प्रयासों के महत्व को बेकार के निराशावाद द्वारा कम नहीं किया जाना चाहिए।

20 सूत्री कार्यक्रम को नई परिभाषा और नया रूप दिया गया है। संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रमों की घोषणा प्रधान मंत्री ने 14 जनवरी, 1982 को की थी। इनमें छठी योजना में शामिल किए गये कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया है और उन्हें अधिक गति दी गई है। जबकि संशोधित कार्यक्रम में कम सुविधा प्राप्त लोगों के रहन-सहन की स्थिति में सुधार करने पर अधिक बल दिया गया है। इसका उद्देश्य उत्पादन में सर्वतोमुखी विकास करना भी है। जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण की तात्कालिक जरूरत को ध्यान में रखते हुए, इस कार्यक्रम में परिवार नियोजन को लोगों के एक आन्दोलन के रूप में स्वैच्छिक आधार पर बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 14 मार्च, 1982 को हुई अपनी बैठक में, संशोधित कार्यक्रम को प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित करने का अपना निश्चय प्रकट किया जिसमें कि छठी योजना के मुख्य मुद्दे शामिल हैं।

श्री सतोश अग्रवाल (जयपुर) : यह सम्भव है जबकि स्वास्थ्य मंत्री के आठ बच्चे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अपकी क्या स्थिति है ?

श्री सतोश अग्रवाल : तीन।

श्री एस० बी० चव्हाण : चूंकि निर्धनता उपशमन के विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित करने और उत्पादन की सन्तोषजनक दर प्राप्त करने हेतु उत्पादकता बढ़ाना जरूरी है, इसलिए वर्ष, 1982 को 'उत्पादकता' वर्ष घोषित किया गया है। सब ओर से उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जायेगा और उत्तम परिणाम प्राप्त करने हेतु उपलब्ध स्रोतों के अधिकतम और अधिक प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित किये जायेंगे। नीति बनाने तथा संचालन सम्बन्धी रुकावटों का पता

लगाने, जिनसे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, के लिए कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गई है और उत्पादन तथा उत्पादकता का उच्च स्तर प्राप्त करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किए जायेंगे ।

मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि छठी योजना प्रलेख में प्रस्तुत की गई योजना हेतु स्रोतों, आंतरिक तथा बाह्य दोनों को ही भारी गतिशीलता की जरूरत होगी । राज्यों तथा केन्द्र द्वारा पहले ही काफी प्रयास किए गये हैं, किन्तु 1979-80 से लागत में वृद्धि के साथ-साथ 1979-80 के करों की दरों पर चालू राजस्व से अधि प्राप्ति कटौती को ध्यान में रखकर, उसी क्रम में, जैसा कि छठी योजना प्रलेख में बताया गया है, नाममात्र अतिरिक्त संसाधन जुटाना पर्याप्त नहीं है । छठी योजना की जरूरी अपेक्षायें पूरी करने और संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम में उल्लिखित लक्ष्यों को पूरा करने हेतु केन्द्र तथा राज्यों दोनों के लिए ही यह जरूरी होगा कि वे भारी मात्रा में संसाधन जुटाने का प्रयास करें। साथ ही यह भी जरूरी है कि गैर-विकास व्यय को रोकना होगा ताकि जुटाये गये अतिरिक्त संसाधनों के लाभ योजना को मिलें ।

हम इस तथ्य को भी जानते हैं कि योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु मुद्रास्फीति नियंत्रण और मूल्यों में स्थिरता की आशा पैदा करना बहुत महत्वपूर्ण है। मूल्यों में वृद्धि को रोकने हेतु काफी उपाय किये गये हैं और आपको यह जानकर काफी हर्ष होगा कि 1981-82 में मुद्रास्फीति की दर में कमी आई है। बिन्दू से बिन्दू आधार पर थोक मूल्य सूचकांक में 1980-81 में 16.4% की तुलना में केवल 2.1% की वृद्धि हुई । फिर भी, इस मामले में किसी प्रकार के आत्मसंतोष के लिए कोई स्थान नहीं है । अर्थव्यवस्था में अब भी स्फीतिकारी दबाव मौजूद हैं। योजना के अन्तर्गत किए गये निवेश से अतिरिक्त आय और मांग बढ़ेगी। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मूल्य स्थिति पर नजर रखी जाय और मूल्यों को स्थिर रखते हेतु मांग और आपूर्ति को सुनियोजित किया जाये ।

(श्री एस० एम० कृष्ण पीठासीन हुए)

योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मनिर्भरता है । इसका अर्थ है कि हमें अपने विकास के लिए वित्त पोषण हेतु बाहरी दुनिया पर अपनी निर्भरता को न्यूनतम करना होगा। विशेषकर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे आयात की बढ़ती हुई जरूरतों को वित्त पोषित करने हेतु हमारे निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हो। यह स्पष्ट है कि हम निकट भविष्य में इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि तेल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि से हमारे भुगतान सन्तुलन पर अतिरिक्त भार पड़ा है। हमारा मध्यवर्ती उद्देश्य हमारे बाहरी भुगतानों में सन्तुलन लाना है और इसी बीच योजना उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इस पैमाने पर बाहरी संसाधन बढ़ाना जरूरी है । इसके लिए निर्यात वृद्धि के जोरदार कार्यक्रम के साथ-साथ पैट्रोलियम, इस्पात, उर्वरक, सीमेंट और वनस्पति तेलों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात प्रतिस्थापन जरूरी है। भुगतान संतुलन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए निवेश और उत्पादन लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं।

व्यापार अन्तर को पाटने और बाहरी लेखे पर व्यवहार्यता प्राप्त करने में क्षेत्रीय समायोजन को काफी समय लगेगा इसलिए सरकार ने नवम्बर, 1981 से नवम्बर, 1984 की तीन वर्षों की अवधि में भुगतान सन्तुलन की सहायता हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से विस्तारित निधि सुविधा

प्रबन्ध के अन्तर्गत 5 बिलियन (5 अरब) रु० विशेष आहरण अधिकार ऋण हेतु एक अनुबन्ध किया है। फिर भी, चूंकि अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण से केवल एक सीमित अवधि के लिए ही राहत मिलेगी, अतः वांछित समायोजन यथाशीघ्र करने के लिये, कदम उठाये जा रहे हैं। मध्यवर्ती तरीके अपनाते हुए 1982-83 की वार्षिक योजना में पेट्रोलियम, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात और वनस्पति तेलों के उत्पादन को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है ताकि आयात को नियन्त्रणनीय सीमा के भीतर ही रखा जा सके; इसी प्रकार इसमें निर्यात बढ़ाने के लिए और प्रयास किये जायेंगे। 1982-83 की आयात और निर्यात नीतियों से उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि की जरूरत और भुगतान सन्तुलन स्थिति को सुदृढ़ बनाने की झलक मिलती है। विदेशों में रह रहे भारतीयों को विदेशी मुद्रा और निवेश करने के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए कदम भी उठाये गये हैं।

स्वावलम्बन और निर्धनता को घटाना छठी योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस योजना में विकास की एक निश्चित प्रक्रिया का प्रस्ताव है।

योजना बनाना ही काफी नहीं है। इसे क्रियान्वित करना इससे बहुत महत्वपूर्ण है। छठी योजना में प्रभावकारी क्रियान्वयन हेतु जरूरत महसूस की गई है और इस उद्देश्य के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। इन्हीं के अनुरूप ही कार्यवाही की जा रही है। विशेषकर निगरानी की व्यवस्था को सरल और कारगर बनाया गया है। योजना आयोग 20 क्षेत्रों की चुनिंदा योजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखता है। यह प्रति तिमाही लक्ष्यों के प्रति उत्पादन की प्रगति तथा 10 करोड़ और उससे ऊपर की लागत वाली परियोजनाओं के समय और लागत के प्रति क्रियान्वयन की समीक्षा करता है। प्रति तिमाही सम्बन्धित मंत्रालयों के सचिवों द्वारा कार्यनिष्पादन समीक्षा बैठकों से इन कार्यकलापों को सहायता मिलती है। इन बैठकों में योजना आयोग के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। उत्पादन और निर्माणाधीन परियोजनाओं के क्रियान्वयन और उसकी कमियों की समस्याओं तथा सुधारात्मक उपायों पर इन बैठकों में चर्चा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, वार्षिक योजना बनाते समय, योजना आयोग केन्द्रीय मन्त्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धितों के परामर्श से पिछले वर्ष के योजना कार्यक्रमों, परियोजनाओं और स्कीमों की आलोचनात्मक समीक्षा भी करता है ताकि जहाँ तक सम्भव हो सके वार्षिक योजना वास्तविक रूप से तैयार हो सके। योजना आयोग के सदस्य के स्तर पर योजना के तिमाही कार्य निष्पादन मूल्यांकन बैठकें और छमाही मूल्यांकन बैठकों की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। विशिष्ट अन्तर क्षेत्रीय पहलुओं और क्रियान्वयन की समस्याओं के साथ-साथ सुधारात्मक उपायों हेतु सुझावों तथा अनुवर्ती कार्यवाही पर इन कार्यनिष्पादन बैठकों में गहराई से चर्चा की जाती है। विषय के प्रभारी योजना आदेश आयोग के सदस्य राज्य सरकारों, विद्युत मण्डलों से विद्युत कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु बैठकें करते हैं।

प्रधान मन्त्री के शब्दों में "योजना का मापदंड उसका उद्देश्य नहीं, अपितु उपलब्धि है, आवंटन नहीं अपितु लाभ है। हम इस योजना को दृढ़निश्चय से क्रियान्वित को कटिबद्ध हैं।" मुझे लेशमात्र भी सन्देह नहीं है कि इस कार्य में हमें इस सभा का तथा राष्ट्र का पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा।

महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 6 मई, 1981 को सभा पटल पर रखी गई छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 पर इस सभा द्वारा विचार किया जाये।"

श्री सतीश अग्रवाल : कार्य मन्त्रणा समिति में जब छठी पंच वर्षीय योजना पर चर्चा करने सम्बन्धी प्रश्न उठाया गया था तो हमने मांग की थी कि उसका मध्य-अवधि मूल्यांकन सभी सदस्यों को सुलभ कराया जाए और प्रतिपक्षी सदस्य मेरे वक्तव्य गवाही देंगे कि यह आश्वासन दिया गया था कि सभी सदस्यों को मध्य-अवधि मूल्यांकन सुलभ कराया जायेगा ताकि इन वर्षों, 1980-81 और 1981-82, के दौरान हुई प्रगति के सम्बन्ध में सदस्यों को अवगत कराया जा सके। परन्तु मुझे अफसोस है कि इस सभा के सदस्यों को ऐसा कोई मध्यावधि मूल्यांकन सुलभ नहीं कराया गया है और इसके सुलभ न होने के कारण हम इस पर चर्चा नहीं कर सकेंगे और न हि उस वादविवाद में कोई योगदान दे पायेंगे जो राष्ट्रीन विकास परिषद द्वारा योजना सम्बन्धी दस्तावेजों को स्वीकार करने से पहले होना चाहिए था। विगत वर्षों में योजना प्रारूप पर न्यूनाधिक रूप से हमेशा सदन में वाद-विवाद हुआ है। इस बार यह कोई खास बात है जो सदन में इस पर वाद-विवाद नहीं हुआ और न हि इसे सदन में स्वीकृति प्रदान की गई थी। कोई सुझाव भी नहीं दिया गया था और सरकार इसी योजना पर कार्य कर रही है और अब सरकार, इस सभा में 1980 और 1981 के दौर वगैर किसी चर्चा और विचार-विमर्श के हमारा सहयोग मांग रही है। यह दस्तावेज सभापटल पर 6 मई, 1981 को रखा गया था। इसको लगभग डेढ़ वर्ष हो गया है। इस पर अब वाद-विवाद हो रहा है। मैंने इसका तब भी विरोध किया था। यह सदन की अवमानना है कि इस योजना के आरम्भ होने के ढाई वर्ष बाद अब इस योजना पर वाद-विवाद हो रहा है। परन्तु मैं सम्बद्ध मन्त्री महोदय जी से यह जानना चाहता हूं कि गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों सम्बन्धी मध्यावधि मूल्यांकन अथवा प्रगति रिपोर्ट को सभा के सदस्यों को सुलभ करवाने में क्या कठिनाई थी ? मूल्यांकन के न होने पर, मैं समझता हूं कि इस पर 3 या 4 घंटे अथवा इस पर 9 बजे तक या 10 बजे तक चर्चा करने का यह गलत तरीका है ताकि इस मामले को यहीं समाप्त किया जा सके क्योंकि सदस्य सरकार की इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि सरकार इस पर वाद-विवाद करने की अनुमति नहीं दे रही —अब यह केवल परम्परा पूरी करने वाली बात होगी। यदि सरकार प्रतिपक्ष से ठोस और रचनात्मक सुझाव और उसका सहयोग ईमानदारी से चाहती है तो यह दस्तावेज हमारे पास होना चाहिए और हमें वाद-विवाद के लिए भी अधिक समय दिया जाना चाहिए।

यही मेरा नम्र सुझाव है।

सभापति महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त। मेरे विचार से लगभग सभी बातें इसमें आ गई हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (वशीर हाट) : अब, मुझे इस बात पर बेहद अफसोस है। मैं हर सत्र में योजना पर चर्चा कराने की आवश्यकता लिए चिल्लाता रहा हूं। गत सप्ताह सदन स्थगित होने से पहले से भी, सरकार की ओर से कोई संकेत नहीं दिया गया कि इस पर कोई चर्चा होगी। मन्त्री महोदय ने स्वयं भी यह बात स्वीकार की है कि उन्होंने तीन बार नोटिस दिया है परन्तु इसके लिए समय नहीं मिला था। अब, अचानक जबकि सत्र का अवसान होने वाला है, इस मद को कार्यसूची में

रखा गया है जिस प्रकार इस पर अब चर्चा होगी वह केवल संक्षिप्त रूप में ही होगी और योजना संबंधी अस्पष्ट चर्चा होगी। निस्सन्देह, लोग इस बारे में अपने सिद्धान्त कह सकते हैं। परन्तु हम यह चाहते हैं कि, जैसे कि सतीश अग्रवाल ने कहा है, हमारे पास कुछ तो होना चाहिए जिस पर हम ठीक तरह से चर्चा कर सकें। यह नहीं कि दो साल हुए हों, लगभग तीन वर्ष हो चुके हैं। योजना का केवल दो वर्ष से थोड़ा सा अधिक समय बाकी रह गया है। हमारे पास कोई मूल्यांकन या समीक्षा या कोई और दस्तावेज नहीं है ताकि हम इस पर अर्थपूर्ण वाद-विवाद कर सकें। मुझे नहीं समझना कि मन्त्री जी हमारी कोई सहायता कर सकते हैं। इस मामले को बहुत देर तक टाला गया है। मैं केवल अपने विचार बता रहा हूं। मुझे मेरे साथियों के विचारों का पता नहीं। मुझे उनसे विचार-विमर्श करने का अवसर ही नहीं मिला। परन्तु मैं इस चर्चा को और आगे स्थगित करने के लिए तैयार हूं बशर्ते विस्तार-पूर्वक चर्चा शुरू करने से पहले कागजात, दस्तावेज या मूल्यांकन उपलब्ध कराया जाए। ऐसे ही चर्चा करने से क्या फायदा है ?

हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अब मन्त्री जी बोलेंगे। मैं आपको भी एक अवसर जरूर दूंगा।

हेमवती नन्दन बहुगुणा : आप हमें एक अवसर दें।

सभापति महोदय : क्या इस पर ही चर्चा हो सकती है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : हां, आप मेरी बात सुनिए। आखिरकार, योजना सारे राष्ट्र की सम्पत्ति है। मेरा मतलब है, यह किसी एक दल जैसी बात नहीं है। आमतौर पर, योजनाएं शुरू करने से पहले, इन्हें हमारे समक्ष इन पर चर्चा और वाद-विवाद के लिए रखा जाना चाहिए और इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद इस पर विचार-विमर्श करती थी और इस पर अन्तिम निर्णय लेती थी।

एक माननीय सदस्य : राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस पर चर्चा की है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : ठीक है, सदन को निश्चित रूप से इसकी जानकारी नहीं दी गई। आजकल, हम समाचार पत्रों में प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। हमें सूचना मिलती रहती है और मेरे पास यह दिखाने के लिए समाचार पत्रों की बहुत सी कतरने हैं कि परिवहन सम्बन्धी मध्यावधि मूल्यांकन में उतनी उपलब्धि, बिजली में इतनी उपलब्धि, कृषि में इतनी उपलब्धि। इसमें इतनी गिरावट आई है आदि। इस विषय पर चर्चा करते समय हम किस बात पर विश्वास कर रहे हैं। मंत्री महोदय आगे आएं और यह कहें कि यह सब झूठ है। इसलिए श्री सतीश जी और श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा अपने-अपने वक्तव्य में उठाए गये मुद्दे सही हैं।

मन्त्री महोदय हमें बताएं कि :

(क) सदन के समक्ष मध्यावधि समीक्षा क्यों नहीं रखी गई ?

(ख) इस वाद-विवाद को तब तक क्यों नहीं टाला जा सकता जब तक कि मध्यावधि समीक्षा सुलभ हो ?

मैं यह जानना चाहूंगा कि इस वाद-विवाद के लिए कौनसा समय रखा गया है। जैसाकि प्रस्ताव किया जा रहा है, क्या हम इसे आज ही समाप्त कर देंगे ? इसका कोई महत्व नहीं, है तो भी, हम इस पर वाद-विवाद करेंगे। परन्तु खास बात यह है कि क्या हम इस वाद-विवाद को जल्दी समाप्त करना चाहते हैं और 10 बजे या 12 बजे तक इसलिए बैठेंगे कि कि यह समाप्त हो जाये। इसके लिए कितना समय रखा गया है ? क्या हम इस पर आज और कल वाद-विवाद करेंगे अथवा हम इस चर्चा को आज ही समाप्त कर देंगे ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तरपूर्व) : महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा।

मैंने इस दस्तावेजों को पढ़ लिया है जोकि हमारे पास हैं। मन्त्री जी ने कभी भी सदन में कृषि योजना की स्थिति के बारे में हमें विश्वास में नहीं लिया। वास्तव में हम भूल गए थे कि कोई छठी योजना भी थी लेकिन आज, हमने सातवीं योजना बनाने के सम्बन्ध में सुना है। उदाहरण के तौर पर मंत्री जी ने सदन के बाहर कहा कि बिजली की आवश्यकता पूरी करने सम्बन्धी 12000 और अतिरिक्त मैगावाट का अतिरिक्त लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने सदन में भी ऐसा कहा है। मैं आपको विभिन्न बातों की पूरी सूची दे सकता हूं जो कि इस योजना के लक्ष्य पूरे न होने के सम्बन्ध में सदन के बाहर कही जा रही हैं। किसी एक दस्तावेज में कहीं भी ऐसा नहीं किया गया है।

दूसरी बात यह कि उनके अपने योजना आयोग में उन्होंने 20 समूह बनाए हैं, मुझे इस बात का पता नहीं कि क्या यह उस 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अनुरूप है जो इस योजना के कार्य निष्पादन सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहे हैं। सर्वप्रथम, जो वार्षिक योजना पिछली बार सदन में रखी गई थी वह छठी योजना से ही भिन्न है। उदाहरण के तौर पर वार्षिक योजना में विकास की दर 4.5 प्रतिशत मानी गई थी जबकि छठी योजना में यह बताया है कि यह दर कम से कम 5.2 प्रतिशत होगी। इसलिए, इसमें परस्पर विरोध है। और फिर, योजना दस्तावेज में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहीं भी जिक्र नहीं है। वे इसे कैसे प्राप्त करेंगे ? अतःएव, इन दस्तावेजों के न होने के कारण, आपस में परामर्श करने के बाद, हमें इस योजना पर चर्चा करने के लिए कोई और समय तय किया जाना चाहिए।

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : यह बहुत अच्छी बात है कि आखिरकार मंत्री महोदय योजना के सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए सदन में आए हैं। परन्तु सदस्यों को इस पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए और हमें पर्याप्त दस्तावेज भी दिये जाने चाहिए। अन्यथा, इस योजना पर हम सही ढंग से चर्चा कैसे कर सकते हैं ? योजना की सफलता लोगों पर निर्भर है। देश के लोग संसद के माध्यम से आवाज उठा सकते हैं। सरकार इन सब बातों की रोक लगा रही है। आज, कार्य मन्त्रणा समिति में प्रतिपक्ष के सदस्य द्वारा मांगी गई मध्यावधि समीक्षा नहीं दी गई। और अब अचानक मन्त्री जी योजना के लक्ष्य पूरे होने, योजना के गुण और दोषों आदि के सम्बन्ध में वक्तव्य दे देते हैं। इन सब दस्तावेजों के बिना हम इस पर चर्चा कैसे कर सकते हैं ? इसलिए, मेरा सुझाव है कि पहले सारी सामग्री दी जाये, हमें मध्यावधि समीक्षा दी जाये ताकि हम उपयोगी ढंग से चर्चा कर सकें।

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, जब इस सभा में इस सप्ताह के कार्य पर चर्चा हुई थी, तो संसदीय मामलों के प्रभारी मंत्री ने मुझे कार्यवाही सारांश भेजा था जिसमें श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह मुद्दा उठाया था कि जब तक मध्यावधि समीक्षा सम्बन्धी दस्तावेज सुलभ नहीं कराये जाते, इस छठी योजना पर चर्चा करने का कोई उद्देश्य नहीं होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : यही बात तो हर सदस्य कह रहा है।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैंने संसदीय मामलों के मन्त्री को सूचित कर दिया था कि मध्यावधि समीक्षा की जा रही थी। निस्संदेह, समाचारपत्रों में जो कुछ कहा जा रहा है, मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता कि वे किस स्रोत का उपयोग कर रहे हैं···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपका उपयोग कर रहे हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं इस आरोप का बिल्कुल खण्डन करता हूं। मैं यह समझता था कि आप मजाक के तौर पर कह रहे थे। मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैं इस प्रकार कार्य नहीं करता। आप मुझ पर आरोप यह न लगाएं, निस्संदेह, यदि आप मजाक में कहना चाहते हैं, मैं इस को मान लेता हूं परन्तु आरोप के तौर पर मैं इसे नहीं मानता।

मैंने संसदीय मामले के मन्त्री को सूचित कर दिया था कि योजना आयोग के लिए वह दस्तावेज देना सम्भव नहीं है जिसमें सभा को दस्तावेजों के रूप में छठी योजना की समीक्षा दी जा सके और इसके बावजूद, यदि सदस्य इस छठी योजना पर चर्चा करना चाहें तो कम से कम हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास इस पत्र की एक प्रति है मंत्रणा समिति के समक्ष यही बात सामने रखी गयी थी, यदि मैं गलती पर नहीं हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह आपका अन्तरिक मामला है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : इस पहलू को कार्य मन्त्रणा समिति के समक्ष नहीं रखा गया था कि समीक्षा सुलभ नहीं कराई जा सकेगी। संसदीय मामलों के मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था और कहा था कि, "मैं सम्बद्ध मंत्री तक आपकी बात पहुंचा दूंगा। यह किसी एक दल का दस्तावेज नहीं है। यह एक राष्ट्रीय दस्तावेज है।"

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने कहा था कि वे पता लगायेंगे।

श्री एस० बी० चव्हाण : उन्होंने पता लगा लिया था। मैंने उन्हें बता दिया था कि इस अवस्था में, यह सूचना सदन को नहीं दी जा सकती। वास्तव में, छठी योजना समीक्षा स्थापित करनी पड़ी थी। मैंने ऐसा विशेषरूप से इसलिए किया था कि हम पहले माननीय सदस्यों के विचार सुन सकें।

श्री सतीश अग्रवाल : इस विषय पर हमारे विचार जान सकें ?

श्री एस० बी० चव्हाण : आपने जो कुछ कहा है उसे मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुनता रहा हूं। कृपया मेरी बात को भी समझने का प्रयास करें। यदि मैं छठी पंचवर्षीय योजना की समीक्षा पूरी करता और प्रत्येक बात को अन्तिम रूप दे देता और उसके बाद सभा में आता तो कहने को कुछ न

रह जाता। पूरा ममला अन्तिम रूप में होगा। वास्तव में माननीय सदस्य श्री सतीश अग्रवाल ने इस पहलू पर मेरे साथ विचार-विमर्श किया था। मैंने उन्हें बताया था कि वास्तव में उसे लगभग डेढ़ से दो महीने तक स्थगित किया था। राज्य सरकारें इसके लिए वचनवद्ध हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : बाहर की गई चर्चा को उद्धृत नहीं करना चाहिए क्योंकि अन्यथा हम बहुत सी बातों पर चर्चा करते हैं। यदि मंत्री महोदय के साथ यह व्यक्तिगत चर्चा है तो उनसे बहुत से व्यक्तियों के लिए यह बहुत परेशानी उत्पन्न करेगा। कृपया नीजी चर्चा को उद्धृत न करें।

श्री एस० बी० चव्हाण : ठीक है।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं कार्य मंत्रणा समिति की बात कर रहा हूं जिसमें मैंने कहा था कि हम इन पर चर्चा नहीं करेंगे। यह संसद का अपमान है।

श्री एस० बी० चव्हाण : मुझे ठीक बता दिया गया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी: क्या आप मुझे एक और व्यवधान की अनुमति देंगे ? आप कहते हैं कि समीक्षा करने से पूर्व आप हमारे विचार जानना चाहते हैं। लेकिन जब तक हम आपके कार्य-निष्पादन को जान न लें, तब तक हम आपको कैसे बता सकते हैं कि इस समीक्षा में क्या किया जाये ? कम से कम इस दस्तावेज को अवश्य प्रस्तुत करें।

श्री एस० बी० चव्ह.ण : मेरे विचार से माननीय सदस्य डा० स्वामी इस सदन के एक बुद्धिमान सदस्य हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : धन्यवाद।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैंने अपनी आरम्भिक टिप्पणी में उल्लेख किया है कि हमने वर्ष 1981-82 और 1982-83 के लिये वार्षिक योजना के दस्तावेज में पूर्ववर्ती वर्ष की समीक्षा शामिल की गई है। वास्तव में लागू किये जाने वाले दोषनिवारक एक ऐसी वस्तु नहीं है जो आप यहां पर पायेंगे।

माननीय सदस्य डा० स्वामी ने मेरे खिलाफ अन्य आरोप यह लगाया है कि मैंने सदन के बाहर कुछ कहा है जिसे मैं माननीय सभा से छिपाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं इस आरोप का पूरी तरह से खंडन करता हूं। मैंने कुछ नहीं कहा है और जो कुछ मैंने कहा है वह वही है जो मैंने इस सभा में कहा है। सभा के बाहर मैंने कोई नई बात नहीं कही है। कृपया ईश्वर के वास्ते सदन में ऐसा कोई आरोप न लगायें जब तक आप स्वयं न जांच कर लें कि यह कहां तक ठीक है अथवा नहीं। यह पहलू भी महत्वपूर्ण है।

अत: यह निर्णय करना माननीय सभा के लिए है कि क्या उसकी इसमें रूचि है। वास्तव में मैं इसमें तंग आ गया हूं।

तीन अथवा चार बार मैंने नोटिस दिये हैं। वास्तव में फरवरी, 1981 में छठी योजना को अन्तिम रूप दिया गया था। मई 1981, में इसे सभा-पटल पर रखा गया था और इसके बाद मैं

निरन्तर छठी पंचवर्षीय योजना पर चर्चा के लिये सूचनाएं देता रहा हूं। लेकिन अन्य महत्वपूर्ण मामले थे और इस दस्तावेज की चर्चा के लिये मंत्रणा समिति को समय नहीं मिला था। अतः माननीय सदस्यों को इस दस्तावेज पर चर्चा न करने के लिये सरकार को दोषी नहीं ठहराना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यदि इस मामले को शून्य काल के दौरान उठाया जाता तो यह समस्या हल हो जाती।

सभापति महोदय : अब हम काम की बातें करें। समय क्यों बर्बाद करें। मेरे विचार से चर्चा जारी रहनी चाहिये। यह एक दिन की चर्चा होगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आज कितने घंटे रह गये हैं? अब तीन बजे से अधिक समय हो गया है। यह चर्चा आज और कल होनी चाहिये।

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने कुछ निर्णय लिया है और उस निर्णय को देखते हुए उसे अधिकार है.....

श्री सतीश अग्रवाल : उस दिन प्रश्न काल के बाद 12 बजे के बाद उसे शीघ्र लिया जाना था। आज अभी समिति की बैठक होनी है। 3.30 बज चुके हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि आज हमने ध्यानाकर्षण सूचना के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं किया है।

श्री सतीश अग्रवाल : जब चर्चा सूची में लिखी गई थी तो मैंने प्रस्ताव किया था कि यह 12 बजे के बाद पूरे दिन के लिये होगी। यह कार्य मंत्रणा समिति का उद्देश्य नहीं था कि हम इस पर केवल ढाई घंटे चर्चा करेंगे।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि हम अवश्य कहते हैं कि यह लगभग चार घंटे चलने वाली एक दिन की चर्चा है। लेकिन हमेशा होता रहा है कि वाद-विवाद स्वयं ही विनियमित हो जाता है। अतः आओ हम चर्चा शुरू करें।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : क्या आपका आशय एक दिन और एक रात है?

सभापति महोदय : हम उसी तरह से देखें जैसा चीजें स्वयं स्पष्ट होती जाती हैं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 6 मई, 1981 को सभा-पटल पर रखी गई 'छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85' पर विचार करती है।"

श्री बालानंदन का नाम पुकारने से पूर्व मुझे श्री ए० के० रायं के नाम एक *स्थानापन्न* प्रस्ताव मिला है। स्पष्टीकरण और विवरण को देखते हुए क्या सदस्य महोदय *अपना स्थानापन्न* प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं?

श्री ए० के० राय (धनबाद) : जी हां । मैं प्रस्तुत कर रहा हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं :

1. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

'छठी पंचवर्षीय योजना 1980-35,' जो 6 मई, 1981 को सभा पटल पर रखी गई थी, पर विचार करने के बाद इस सभा की राय है कि पहले वाली योजनाओं की भांति ही वर्तमान विकास की पूंजीवादी पद्धति पर अधारित है और इस कारण वह बेरोजगारी, मूल्य-वृद्धि गरीबी और असमानता जैसे देश की किसी भी मूल समस्या को हल करने में अक्षम है, तथा यह विदेशी निर्भरता पर आधारित है, जो कि देश का पतन करके उसे नव-उपनिवेशवाद के मार्ग पर ले जा रही है और देश की प्रभु-सत्ता के लिए ही खतरा उत्पन्न कर रही है तथा इस कारण सरकार निदेश देती है कि—

(क) वर्तमान योजना को पूर्णरूपेण बदलकर इसे फिर से तैयार किया जाये,

(ख) लोक योजना समिति गठित की जाये, जिसमें विपक्ष के वे नेता शामिल किये जायें, जिसकी समाजवाद और आत्मनिर्भरता में निष्ठा हो,

(ग) अर्थव्यवस्था को 'एक व्यक्ति एक रोजगार,' 'कृषि क्रांति,' 'औद्योगिक क्रांति,' और 'सांस्कृतिक क्रांति' के माध्यम से मुक्ति के स्पष्ट समाजवादी मार्ग के अनुसार नया रूप दिया जाये ।"

सभापति महोदय : अब दोनों मूल प्रस्ताव और स्थानापन्न प्रस्ताव पर चर्चा की जायेगी ।

श्री बालानन्दन ।

श्री ई० बालानन्दन : सभापति महोदय, मलयालम में एक कहावत है 'एक मृत बच्चे की जन्म पत्री पढ़ना' । इसी प्रकार हमें योजना के तीसरे वर्ष में छठी पंचवर्षीय योजना पर चर्चा करने के लिये अनुमति दी जा रही है। सरकारी नेता और योजना आयोग तथा योजनाबद्ध विकास में रुचि रखने वाले व्यक्ति प्रायः कहते रहे हैं कि योजना की सफलता पूरी तरह से योजना के कार्यान्वयन में लोगों के शामिल होने पर निर्भर है अर्थात् योजना के कार्यान्वयन में लोगों को सम्बद्ध होना । स्वयं लोकतंत्र की बातचीत करते हुए भी यदि लोगों को योजना में स्वयं सम्बद्ध किया जाये तो हमारे देश में वास्तविक अर्थों में लोकतन्त्र का विकास हो सकता है। इस समय लोगों के बारे में भूल जाइये । लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों को इस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी गई है यहां तक कि योजना को बनाने में संसद सदस्यों को सम्बद्ध नहीं किया गया है । इससे पता चलता है कि सरकार कहती है और करती क्या है । सरकार के समग्र दृष्टीकोण की जांच करते हुए हमें इस प्रकार के योगदान का पता चलेगा। सरकार अनेक बातों का दावा करेगी लेकिन देश में इसके विपरीत हो रहा होगा । समग्र रूप में योजना के बारे में यही कहा जा सकता है । मैं इस प्रारंभिक टिप्पणी को करना चाहता हूं ।

अब योजना के कुछ उद्देश्यों का उल्लेख करूंगा। पहली पंचवर्षीय योजना 1957 में शुरू की गई थी और योजना का उद्देश्य अथवा मुख्य प्रयोजन यह दर्शाया गया था कि विकास की एक ऐसी प्रक्रिया शुरू की जाए जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो और लोगों को समृद्ध और अधिक विविध जीवन के लिए नये अवसर खुलें। अन्य योजनाओं ने भी इस प्रकार के उद्देश्य और विचार दिये थे कि लोगों को अच्छा जीवन देने के लिए यथासंभव शीघ्र ही हमारा देश विकसित होगा। ठीक-ठीक कहा जाये तो दूसरी योजना, जो अवाड़ी संकल्प के मार्गचिह्न पर आई थी जिसमें समाज के समाजवादी पद्धति को उद्घोषणा की गई थी, में 1967-68 तक राष्ट्रीय आप को दुगुना करने और 1937-74 तक प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि आय और सम्पति में असमानता के लिए उत्तरदायी अत्यन्त महत्वपूर्ण एक कारण सम्पत्ति का स्वामित्व था। दूसरी योजना में इसका उल्लेख किया था और इसमें असमानताओं को कम करने के बारे में कहा गया था। तीसरी योजना को लागू करने में भी इस प्रकार की बातों को बताया गयाथा लेकिन इसमें एक बात और थी —इसमें समाज की समाजवादी पद्धति आदि का उल्लेख नहीं था। चौथी योजना और सम्पत्ति के स्वामित्व में असमानताओं को कम करने में ठहराव के प्रयासों का उल्लेख किया गया था और स्पष्ट आशा व्यक्त की गई थी विकास कार्यक्रम से नये असंतुलन और आगे असमानतायें पैदा नहीं होंगी लेकिन इन असंतुलनों को कम करने के लिए कुछ नहीं किया गया था। यह चौथी योजना है। उन्होंने यह भी कहा था 'न्याया के साथ विकास'। चौथी योजना में इस पर बल दिया गया था। पांचवी योजना आने पर भी उन्होंने गरीबी को दूर करने और असमानता में कम करने के बारे में कहा था। इसमें जनसंख्या के निचले 30 प्रतिशत पर ध्यान देने की बात कही गई थी। सम्पत्ति के स्वामित्व के बारे में किसी अमूल-चूल कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया गया था लेकिन पांचवी योजना में भूमि-सुधारों के बारे में कुछ अस्पष्ट बात थी।

अब हम छठी योजना पर आते हैं। योजना के प्रलेख में यह कहा गया है : 'भारत में योजना को चार शीर्षों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है : (एक) विकास (2) आधुनिकीकरण, (3) आत्म-निर्भरता और (4) सामाजिक न्याय।' कोई भी व्यक्ति जो इन छह योजनाओं और इसके बाद की योजनाओं और छठी योजना के दो वर्षों, —वार्षिक योजनायें यहां पर हैं, का अध्ययन करता है तो पता चलेगा कि इन योजनाओं में घोषित इन सामाजिक उद्देश्यों का क्या हुआ। वे दावा करते हैं कि सरकारी क्षेत्र से हम एक आर्थिक व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं जो समाजवाद अथवा समाजवाद जैसी किसी वस्तु आदि की शुरूआत है। लेकिन यह कुछ नहीं है और यह केवल इस तथ्य को छिपाना है कि हम अथवा आप पूंजीवाद का निर्माण कर रहे हैं। यह एक स्वीकार्य तथ्य है और यह छठी पंच-वर्षीय योजना में भी इस प्रकार कहा गया है। मैं पैराग्राफ 1.9, पृष्ठ 2 से उद्धृत करता हूं :

> "संक्षेप में, गैर-सरकारी क्षेत्र में विकास के लिए आधारभूत ढांचे और प्रमुख उद्योगों में अधिक पूंजी निवेश एक पूर्व शर्त है।"

अन्य योजनाओं में भी इसी प्रकार के उद्देश्य तथा विचार प्रकट किए गए थे कि हमारे देश का शीघ्रता से विकास किया जाना चाहिए जिससे कि जनता का जीवन स्तर सुधर सके। वस्तुतः दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि अवाड़ी प्रस्ताव के परीक्षण के रूप मे सामने आई थी। इस प्रस्ताव में समाज-वादी प्रणाली की घोषणा की गई थी जिसका उद्देश्य 1967-68 तक राष्ट्रीय आय को बढ़ाकर तथा

1973-74 तक प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर दुगना करना था; उसमें यह भी कहा गया था कि आय और धन में असमानता का सबसे महत्वपूर्ण एकमात्र कारण है सम्पत्ति का स्वामित्व; यही बात दूसरी पंचवर्षीय योजना में कही गई थी और इसमें असमानता कम करने की भी बात कही गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी इसी प्रकार की बात कही थी परन्तु जब तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू की गई तब उसमें समाजवादी प्रणाली आदि का कोई जिक्र नहीं था। चौथी पंचवर्षीय योजना में आय और सम्पत्ति स्वामित्व में असमानना कम करने के लिए जो उपाय बताए गए थे वह काफी कमजोर थे तथा उसमें यह आशंका भी व्यक्त की गई थी कि विकासात्मक कार्यों से कहीं और असन्तुलन व असमानताएं न बढ़ जाएं परन्तु इस असन्तुलन को कम करने के लिए लिए कोई उपाय नहीं किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना ऐसी ही थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में "न्याय के साथ-साथ विकास" पर भी जोर दिया गया था पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भी गरीबी दूर करने और असमानता दूर करने लिए कहा गया था। इसमें सबसे निम्न जीवन स्तर के 30 प्रतिशत जनता की ओर भी ध्यान देने के कहा गया था। पांचवीं योजना में सम्पत्ति के बारे में कुछ अधिक तो नहीं कहा गया था परन्तु भूमि सुधारों आदि के बारे में कुछ अवश्य कहा गया था।

अब हम छठी पंचवर्षीय योजना को लेते हैं। योजना के दस्तावेज में कहा गया था "भारत में योजना चार शीर्षों के भीतर आती हैं: (1) विकास (2) आधुनिकीकरण (3) आत्मनिर्भरता और (4) सामाजिक न्याय। यदि आप इन सभी छः योजनाओं तथा छठी योजना के दो वर्षों पर विचार करें-- वार्षिक योजनाएं भी यहां हैं — तो आप देखेंगे कि इन योजनाओं में बनाए गए सामाजिक उद्देश्यों का क्या हाल हुआ है। उनका यह दावा है गैर-सरकारी क्षेत्र में हम मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना रहे हैं जो कि समाजवाद या समाजवाद जैसी व्यवस्था का पूर्वारम्भ है। परन्तु यह कुछ भी नहीं है। यह केवल इस बात को छुपाने के लिए है कि पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह बात एकदम सच है और छठी पंचवर्षीय योजना में भी यही कहा गया है। मैं पृष्ठ 2 के पैरा 1·9 का एक अंश उद्धृत करता हूं :—

> "संक्षिप्त में, मूलभूत सुविधाओं और प्रमुख उद्योगों में अधिक पूंजी निवेश से ही गैर-सरकारी क्षेत्र का विकास हो सकता है। और फिर बहुत से गैर-सरकारी उद्यम, सरकारी क्रियाकलापों पर निर्भर करते हैं और उनका विकास और लभाप्रदता सरकारी क्षेत्र के अधिक निवेश पर निर्भर है।"

इसलिए, यह कहना कि इस योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था या सरकारी क्षेत्र आदि से समाजवाद आ जाएगा सही नहीं है। प्रमुख उद्देश्य तो पूंजीवाद का विकास करना है। योजना में भी शब्दों को घुमाफिराकर यही कहा गया है। इन योजनाओं का कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है सिर्फ पूंजीवाद सफल हुआ है। जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में बड़े-बड़े इजाफादारों का विकास हुआ है तथा कृषि के क्षेत्र में सामन्ती, पूंजीपती भूस्वामियों का विकास हुआ है तथा जिस संकट की स्थिति से हम गुजर रहे हैं वह इसी के कारण है।

हमने योजना मन्त्री श्री चव्हाण ने बहुत सी बातों का दावा किया था। अभी मैं उन पर विचार नहीं करना चाहता। परन्तु आज अमरीका, जर्मनी, इंग्लैंड आदि संसार के सभी बड़े-बड़े

पूंजीपति देश जैसे संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं। बड़े-बड़े अर्थशास्त्री हमारे देश के नहीं वरन वह बड़े-बड़े अर्थशास्त्री जिनकी बात सारी दुनिया में मानी जाती है—कह रहे हैं कि पूंजीवादी देशों में संकट की स्थिति चल रही है। वैसी जैसी कि संकट स्थिति भी 1930 में हुई थी। बड़े-बड़े बैंकों में हम स्थिति को देख रहे हैं। हम सोचते थे कि यह बड़े-बड़े बैंक हैं जिन्हें कुछ नहीं होगा। परन्तु इंग्लैंड के एक आर्थिक समाचार-पत्र 'इकानामिस्ट' के अनुसार बहुत बड़े-बड़े बैंक बन्द होने वाले हैं और किसी भी दिन वह दिवालिया हो जाएंगे। यही नहीं कुछेक सरकारें भी इसी स्थिति में हैं। अभी कुछ दिन पूर्व इस सभा में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के ऋणों आदि का जिक्र हो रहा था। मैं इसका विस्तृत वर्णन नहीं करना चाहता। यह भी बताया गया है कि अर्जेन्टीना, मैक्सिको आदि जो सरकारें विश्व बैंक आदि के ऋणों पर निर्भर थीं वे भी आज संकट में हैं और दिवाला निकाल रही हैं। और भी बहुत सी सरकारें जैसे इंडोनेशिया, फिलिपाइन्स आदि भी इसी सूची में हैं। तथा संसार का सबसे बड़ा 'वंडरलैंड'—जापान तथा प० जर्मनी जिनकी आर्थिक उपलब्धियों का जिक्र मार्क्सवादी अर्थव्यस्था का खण्डन करने तथा सरकार की समाजवादी प्रणाली दिखाने के लिए किया जाता था वे भी गम्भीर संकट में हैं। अमेरिका में भी आज या कल हम यही सुनने वाले हैं कि—मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं परन्तु समाचार पत्र यही कहते हैं —रीगन की अर्थव्यवस्था भी अधिक नहीं चलेगी और जनता इसके खिलाफ वोट देने वाली है। यह स्थिति सारे संसार में है। इसलिए कोई भी योजना बनाने से पहले देख लेना चाहिए कि यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवाद के सहारे पूंजीवाद बना रहे हैं तो हमें अपने देश में काफी संकट का सामना करना पड़ेगा जो कि हम इस समय कर रहे हैं।

पैरा 1.43 में यह दावा किया गया है कि एक उद्देश्य सामाजिक न्याय भी है और योजना के दो महत्वपूर्ण आयाम हैं। पहला आयाम है समाज के निर्धनतम वर्गों के जीवन स्तर में सुधार और दूसरा है परिसम्पत्तियों के वितरण में असमानताओं को कम करना। यदि हम इन दो उद्देश्यों का विवेचन करें तो देखेंगे कि गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा असमानता बढ़ रही है। जैसा कि उन्होंने बताया कि 1972-73 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 50 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 41.1 प्रतिशत थी। वर्ष 1977-78 में ग्रामीण क्षेत्रों में यह 51 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 38 प्रतिशत थी औसतन देश की 48 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा के नीचे थे। आज स्थिति क्या है ? वे कुछ आंकड़े बता रहे थे और चूंकि मेरे पास इसके आंकड़े नहीं है, इसलिए मैं उनकी बात का खण्डन नहीं कर सकता। परन्तु सामान्य स्थिति, योजना और आर्थिक संकट को देखते हुए कोई भी पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ रही है। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे पास आंकड़े नहीं हैं और सरकार ने सही साकड़े नहीं बताए हैं।··· (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उन्होंने गरीबी की रेखा को पुनः परिभाषित कर दिया है।

श्री ई० बालानन्दन : यह तो बिल्कुल भूमि सुधारों की तरह है। पुनः परिभाषित करने का मतलब तो···मैं इस सब पर बहस नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। परन्तु योजना के आंकड़ों में यह बताया गया है कि खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ रही है और उनके काम के हितों की संख्या तथा वार्षिक आय घट रही है। मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं कि "एक गरीब श्रमिक का किए गए एक

सर्वेक्षण से यह पता चला है कि 1964-65 और 1974-75 के बीच ग्रामीण श्रमिकों के लिए जितने दिन रोजगार उपलब्ध था उसकी संख्या पुरुषों के लिए दस प्रतिशत और महिलाओं के लिए 7.5 प्रतिशत घटी तथा औसतन आय भी घटी है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ रही है, इसमें सबसे निर्धन वर्ग के व्यक्ति तथा खेतिहर मजदूर हैं, जिन्हें हर वर्ष काम मिलता है। उनकी संख्या भी घट रही है। उनकी आय भी घट रही है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यही स्थिति है।

जहां तक असमानताओं में कमी का प्रश्न है आप देखेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों के अनुसार वह भी बढ़ रही है। ग्रामीण इलाकों में परिसम्पत्तियों का वितरण इस प्रकार है :—

मैं योजना दस्तावेज पैरा 149 से उद्धृत कर रहा हूं :—

"निर्धन परिवार जिनकी परिसम्पत्तियां 1961 में 1,000 रुपये की थी अब मुद्रा-स्फीति के कारण 2,500 हो गई है। वर्ष 1961 में ऐसे परिवारों की संख्या 30 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1971 में 35 प्रतिशत हो गई।"

वर्ष 1961 से 1971 तक यह 30 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो गई। गरीब परिवारों के पास एक झोंपड़ी और कुछ घर गृहस्थी का समान था। यह स्थिति है। जहां तक भूमि के वितरण का सम्बन्ध है, भारत जैसे देश में जहां कि 70 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है, यदि आप देश का विकास करना चाहते हैं तो कृषि सम्बन्धी आय बढ़ानी पड़ेगी। कृषि सम्बन्धी गतिविधियां तभी बढ़ाई जा सकती हैं जब भूमि सुधारों में आमूल परिवर्तन किए जाएं। इस बात से, कुछ रूढ़वादियों को छोड़ कर सभी सहमत हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि छोटे और मध्यम किसानों के पास 70 प्रतिशत भूमि जोतें हैं जो कि भूमि का कुल 24 प्रतिशत उपयोग में लाते हैं। इस 70 प्रतिशत भूधारी 24 प्रतिशत भूमि का उपयोग करते हैं। 76 प्रतिशत भूधारी 30 प्रतिशत से कुछ ही कम भूमि का उपयोग करते हैं। जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों की परिसम्पतियां घट रही हैं। कृषि पर निर्भर 70 प्रतिशत जनता के पास कुल 24 प्रतिशत भूमि है। यह भी बंटी हुई है और भूमि की जोत के विस्तृत सर्वेक्षण से यह स्पष्ट है कि लगभग 50 प्रतिशत भूमि 10 प्रतिशत कृषकों के पास है।

भूमि पर आज भी बड़े-बड़े भूस्वामियों का एकाधिकार है। शायद हमारे महोदय 20 सूत्री कार्यक्रम की बात कर रहे थे जिनमें कि भूमि-वितरण पर कुछ जोर दिया गया है। उस कार्यक्रम का क्या हुआ ? अगस्त तक कुल 4 से 5 प्रतिशत कार्यान्वयन ही हो पाया था। यह समाचार-पत्रों में भी छपा था। शायद मन्त्री महोदय इसका खण्डन करें। इस प्रकार भूमि-सुधार न तो गम्भीरतापूर्वक किए जाते हैं और न देश में इन्हें गम्भीरतापूर्वक लिया जाता है। भूमि-सुधारों के मामले में, जैसा कि माननीय सदस्य प्रो० दण्डवते ने कहा कि गरीबी की रेखा पुनः परिभाषित करके कम कर दी गई है। भूमि का जहां तक सम्बन्ध है भूमि गायब होती जा रही है। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते आंकड़ों से ऐसा पता चलता है।

प्रो० मधु दंडवते : भूमि तो कहीं दिखाई ही नहीं देती है।

श्री ई० बालानन्दन : जमीन गायब होती जा रही है । एक समय था जबकि 50 करोड़ एकड़ भूमि थी ।

कोई भूमि वितरित नहीं की जाती और सरकार द्वारा कोई भूमि नहीं ली जाती । अंतत: योजना के आंकड़ों में जोतने वाले को कोई भूमि दिये बिना, इसे बहुत कम कर दिया जाता है। श्रीमान, यह चाल चली जाती है कि भूमि सुधार अधिनियम में कुछ कमियां रखी गई हैं ताकि भू-स्वामी अधिशेष भूमि को तत्काल दूसरों के नाम और कभी-कभी तो अपने कुत्तों और गायों के नाम करवा सकें । इसलिए, कोई अधिशेष उपलब्ध भूमि नहीं है क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है । श्रीमान, यदि हमारे जैसा बड़ा देश समृद्ध होना चाहता है तो कृषि-मजदूरों और छोटे किसानों की भूमि तथा आदान दिए जाएं ताकि वे अधिक अन्न उपजा सकें और अपनी तथा देश की आर्थिक स्थिति को सुधार सकें । लेकिन, श्रीमान, यह राजनीतिक इच्छा शक्ति विद्यमान नहीं है ।

श्रीमान, 32 वर्ष से योजनाएं बनाने की परिपाटी चल रही है लेकिन इसका परिणाम यह है कि एक तरफ तो अत्यधिक गरीबी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और बढ़ते हुए ऋण का बोझ हमें खाए जा रहा है ओर दूसरी और ग्रामीण तथा औद्योगिक कामगारों की वास्तविक आय घटती जा रही है । हम देखते हैं कि कुछ मुट्ठी भर एकाधिकारी पूंजी पति और भू-स्वामियों का एक समृद्ध व्यापारी तथा सटोरिये अपने धन में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहे हैं । टाटा और उसकी सहायक कम्पनियों की परिसम्पतियां 1948 में 29 करोड़ रु० की थी और बिरला उद्योग समूह की 22 करोड़ रुपये की और प्रत्येक की सम्पत्ति दो वर्ष पहले 1,500 करोड़ हो गई थी । बीस एकाधिकारी औद्योगिक घरानों की परिसम्पित्तियां 1969 में 2,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 1975 में 4500 करोड़ रुपये हो गई थी । छः वर्ष में ही उन्होंने अपनी परिसम्पत्तियां दोगुनी कर ली हैं और यह प्रक्रिया जारी है ।

श्रीमान, एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि कई बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों ने हमारे देश में विशाल सम्पत्ति एकत्र कर ली है और उनमें से कई बीस बड़े व्यापारी घरानों की सूची में शामिल हैं । बहु-राष्ट्रिकों और उनके द्वारा नियोजित कम्पनियों ने अपनी परिसम्पत्तियों के सारे निगमित औद्योगिक सेक्टर के 40 प्रतिशत के बराबर बढ़ा लिया है । श्रीमान, हमारा देश आज स्वतंत्र है । यदि ऐसा 1947 से पहले किया गया होता तो हम मान सकते थे । श्रीमान, सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने कहा था कि साम्राज्यवादी कई तरह से हमारा शोषण कर रहे हैं । अब, 32 वर्ष की योजना प्रक्रिया के बाद भी हम देखते हैं कि निगमित परिसम्पत्तियों का 40 प्रतिशत अब भी विदेशी बहु-राष्ट्रिकों के हाथ में है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : फिर, धारक बांड···

श्री ई० बालानन्दन : विषमता कम करने का दूसरा लक्ष्य इस प्रकार प्राप्त किया जा रहा है। सारे देश की 50 प्रतिशत से भी अधिक जनता को प्रतिदिन एक बार भी भोजन नहीं मिल पाता है। एक तरफ यह तस्वीर है और दूसरी तरफ भी बिरला और टाटा की परिसम्पत्तियां बढ़ती जा रही हैं । आप गणना कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी आय और परिसम्पतियां

कितनी हैं। अत: यह प्रवृत्ति है जो उल्टी दिशा में विकसित हो रही है और भारी परिसम्पत्तियों वाले लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। उनकी परिसम्पत्तियां अधिकाधिक होती जा रही हैं।

फिर, श्रीमान, मैंने आपको बताया है कि उपलब्ध अधिशेष भूमि के आंकड़े धीरे-धीरे गायब हो रहे हैं। मेरे पास उपलब्ध अधिशेष भूमि के आंकड़े हैं, इसमें सरकार द्वारा ली गई भूमि और वितरित भूमि दोनों तरह के आंकड़े शामिल हैं।

श्रीमान, सरकार कुछ ऐसे आंकड़े दे रही है जो आपस में मेल नहीं खाते हैं।

छठी योजना के दस्तावेज के अनुसार सरकारी स्तर पर अनुमानित अधिशेष भूमि 21.3 लाख हेक्टेयर थी। 15.76 लाख हेक्टेयर भूमि पर कब्जा किया गया और 6.97 लाख हेक्टेयर भूमि वितरित की गई। ये छठी योजना के आंकड़े हैं। कुछ समय पूर्व संभावित अधिशेष भूमि 215 लाख या 86 लाख हेक्टेयर थी। वह भी 30 एकड़ की सीमा के आधार पर परिकलित की गई थी जो 1971-72 के आंकड़ों के अनुसार थी।

श्रीमान, जब आधारभूत भूमि सुधार किए गए थे उस समय यह कहा गया था कि 220 लाख हेक्टेयर 500 लाख एकड़ भूमि अधिशेष बताई गई भूमि का क्षेत्र प्रति वर्ष घटता जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं बड़े पैमाने पर भूमि नहीं ली गई है। और, वर्तमान योजना में हमें केवल 21.3 लाख हेक्टेयर भूमि लेनी है जो अधिशेष घोषित की गई है। इसमें से 6 लाख हेक्टेयर भूमि पहले ही वितरित की जा चुकी है और शेष वितरित की जानी है। दूसरी स्पष्ट है कि छठी योजना में भूमि सुधार पर गम्भीरता से विचार नहीं किया गया है। जैसाकि कुछ सदस्यों ने बताया है 20 सूत्री कार्यक्रम को भी कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

अब मैं उद्योग पर आता हूं। छठी योजना के परिव्यय से न केवल अवैध क्षमता को वैध बनाने की पुष्टि होती है बल्कि इससे उद्योग में इसकी स्वत: वृद्धि को भी अनुमति मिलती है। निर्यात की लम्बी अवधि की योजनायें कोर सेक्टर से सीधी सम्बद्ध है। आप देख सकते हैं कि एकाधिकारी तथा बहु-राष्ट्रिक अपनी क्षमता का 25 प्रतिशत विस्तार करने के लिए किसी की अनुमति के बिना ही पूर्णत: स्वतंत्र हैं और इसके लिए सरकार द्वारा कम दर पर धन दिया जा रहा है। एकाधिकारियों और बहु-राष्ट्रकों को योजना निष्पादन में निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति की आड़ में खुली छूट्टी दी जाती है :—

(एक) उन प्रोद्योगिकी का उपयोग ;

(दो) स्केल में मितव्ययिता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त क्षमता स्थापित करना ;

(तीन) ऐसी प्रक्रियाएं शुरू करना जिनसे ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग हो सके ; और

(चार) निर्यातोन्मुखी उद्योग स्थापित करना।

अब, इन चार-उप-शीर्षों की आड़ में विदेशी प्रोद्योगिकी निर्बाध आयातित की जा रही है। नई प्रोद्योगिकी शुरू करने के नाम पर हमारे अनुभव कटु रहे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस

बात पर ध्यान दें। तीन सेक्टरों, अर्थात्, भारी बिजली का सामान उर्वरक और तेल खोजने के क्षेत्र में, विदेशी प्रोद्योगिकी के नाम पर, हमने बहु-राष्ट्रिकों को आमंत्रित किया है। भारी इलेक्ट्रीकल्स के क्षेत्र में हम भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड और सीमेन्स के करार के बारे में जानते हैं, पश्चिम जर्मनी की कम्पनी सीमेन्स के साथ एक व्यापक प्रकार का करार किया गया है। इस पर संसद तथा अन्यत्र भी चर्चा हुई है। आयात किये जाने वाली वस्तुओं का निर्माण हमारे तकनीशियन अपनी योग्यता से ही कर सकते हैं। लेकिन वह करार जनता के असंतोष के कारण लागू नहीं किया जा सका। हमारे तकनीशियन बड़े-बड़े उर्वरक संयंत्रों की स्थापना कर सकते है ; हम 900 टन की क्षमता के उर्वरक संयंत्र लगा सकते हैं। जब हमने लगभग 1300 टन क्षमता का उर्वरक कारखाना लगाया तो इसका काम एक विदेशी कम्पनी को दे दिया गया है। यह काम देशी तकनीकी जानकारी से सरलता से किया जा सकता था। अर्थात् हम विदेशी मुद्रा बचा सकते थे। हमारे अपने लोग, अपने तकनीशियन इस उद्योग का विकास कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है।

अब तेल निकालने के मामले में, तेल और प्राकृतिक गैस उपयोग की आलोचना हो सकती है। लेकिन माननीय मन्त्री कह रहे थे कि वे तेल निकालने की योजना के अनुसार कार्य कर रहे हैं। इस कार्य को कौन कर रहा है? सारा काम हमारे तकनीशियनों द्वारा किया जा रहा है। जब बम्बई में तेल निकालने का कार्य एक विदेशी कम्पनी को दिया गया था तब आपने इस बात को ध्यान में रखा। करार पर हस्ताक्षर करने के लिए, यह निर्णय करने में कई वर्ष लगेंगे कौन सी कम्पनी को कार्य दिया जाए। इस तरह कई वर्ष का समय नष्ट हुआ और राष्ट्र की क्षति हुई। मैं उदाहरण के रूप में इन तीनों सेक्टरों को सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं आप देश में पूंजीवाद का निर्माण कर रहे हैं और आप हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भू-स्वामियों एकाधिकारियोंऔर बहु-राष्ट्रिको को प्रोत्साहन दे रहे हैं। आप यही करने का प्रयास कर रहे हैं।

योजना के पूंजी-निवेश पक्ष पर आते हुए मैं कहना चाहता हूं कि छठी योजना के लिए निजी क्षेत्र का पूंजी-निवेश 74,710 करोड़ रुपये है जबकि सरकारी क्षेत्र का पूंजी-निवेश 97,500 करोड़ रुपये है। उद्योग तथा खनिजों के पूंजी-निवेश में निजी क्षेत्र का हिस्सा 30,323 करोड़ रुपये है और सरकारी क्षेत्र का 15,070.75 करोड़ रु० है। इसका अर्थ क्या है? निजी क्षेत्र का पूंजी निवेश दो गुना है। जबकि आप कह रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र का पूंजी-निवेश बहुत अधिक है—97,000 करोड़ रुपये है और गैर सरकारी क्षेत्र के लिए यह कार्य अर्थात 74,000 करोड़ रुपये है ; आप इसका दूसरा पहलू भी तो देखिए। वास्तव में उद्योगों और खनिजों के लिए किया जाने वाला पूंजी निवेश निजी क्षेत्र के लिए दो गुना है। यदि आप पूंजी-निवेश के आंकड़ों का और विश्लेषण करें तो देखेंगे कि आधारभूत ढांचे के लिए मुख्यत: पूंजी निवेश सरकारी क्षेत्र का है - बिजली, सड़क निर्माण, रेलवे आदि। इनके लिए धन सरकारी क्षेत्र को खर्च करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में निजी पूंजीपतियों के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए पूंजी-निवेश सरकारी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। यह सब हो रहा है और इस प्रकार आप पूंजी-निवेश कर रहे हैं।

हम संसाधन किस प्रकार जुटाते हैं ? यहां फिर, आप मुझे क्षमा करेंगे, मैं कहूंगा कि आप सरकारी क्षेत्र की वित्त पोषण एजेंसियों के माध्यम से संसाधन जुटाकर उन्हें निजी क्षेत्र की वित्त-

पूर्ति का मुख्य स्रोत बनाते हैं। सरकारी क्षेत्र के लिए 97,500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए योजना में दिया गया विभाजन कुछ इस प्रकार है :

विदेशों से राशि निकालना लगभग 10,000 करोड़ रुपये यथार्थ में यह राशि 9,929 करोड़ रुपये हैं। अपने विदेशी मुद्रा कोष से राशि निकालना 1—1000 करोड़ रु०। अतिरिक्त राजस्व—21,702, करोड़ रुपये। घाटे की वित्त-व्यवस्था —5,000 करोड़ रुपये। 23,302 करोड़ रु० की राशि हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे। सर्व प्रथम हम करों को मुख्यत: अप्रत्यक्ष करों को बढ़ा कर यह राशि अर्जित करेंगे। दूसरे सरकारी क्षेत्र में निर्मित वस्तुओं के दाम बढ़ा कर और तीसरे खाद्य, उर्वरक और निर्यात के लिए राज-सहायता को कम करके यह रकम प्राप्त करेंगे। इस प्रकार यह धन राशि एकत्र की जाएगी। और यदि ऐसा होता है तो इसी से गरीब लोगों पर और अधिक भार पड़ेगा।

करों के बारे में मैं एक और बात कहना चाहता हूं। योजना में कहा गया है कि करों की बकाया राशि की वसूली करने के गंभीर प्रयास किये जाएंगे। बहुत अच्छा है। लेकिन हमें सभा में 'काले धन' के संबंध में हुई चर्चा याद है। योजना मंत्री महोदय, जिस अर्थ-व्यवस्था में आप योजना बना रहे हैं उसमें काले धन की मात्रा कितनी है ?

10 वर्ष अथवा इससे पहले काला धन 24,000 करोड़ रुपये के लगभग था। इसकी संख्या के बारे में किसी को पता नहीं है। इसकी योजना कौन बनाता है ? हमारे श्री वेंकटारामन वित्त मन्त्री थे जो मेरे मित्र थे। उन्होंने सभा में कहा था "मुझे आशा है जिनके पास काला धन है वे आगे आयेंगे और उन विशेष धारक बांडों को खरीदेंगे" वह उनके लिए कितने अधिक उदार हैं। सरकार का कहना है "कानून सभी के लिए कानून होता है।" इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं होगा। सरकार अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के बारे में गम्भीर है। "यदि यह ऐसा है तो सरकार ऐसा कैसे कह सकती है ?" जिन लोगों ने ठगी कर बहुत सा रुपया जमा किया है उन्हें रियायतें दी जा रही हैं। कालाधन रखने वालों के प्रति सरकार का यह दृष्टिकोण है। यदि गरीब मजदूर 10 रुपये अधिक मांगते हैं तो आप उनसे कहते हैं "जैसाकि आप बम्बई के मजदूरों से कह रहे हैं, चूंकि आप दस महीनों से हड़ताल पर हैं। हम आपको कुछ नहीं देंगे।"

यह विचार धारा गलत है। योजना संसाधन समाज के निर्धन वर्गों से जुटाये जा रहे हैं इससे भी मूल्य वृद्धि तथा मुद्रास्फीति होगी।

अब मैं योजना पर आता हूं। केरल में एक कहावत है : "मृत बच्चे की जन्मकुन्डली को पढ़ना।" हमारे योजना मंत्री महोदय ने योजना के कार्यकरण के सम्बन्ध में कोई नवीनतम आंकड़े देने में उदारता नहीं दिखाई। लेकिन मेरे पास कुछ रिपोर्ट हैं (**व्यवधान**) पहले दो वर्षों के लिए अनुमानित परिव्यय तथा वर्ष 1982-83 के लिए प्रावधान, दोनों को मिलाकर कुल 54,647 करोड़ रुपये अथवा 97,500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय का केवल 55.4 प्रतिशत था। इसी बीच मूल्य में वृद्धि हो गई है। आजकल मूल्य, वित्तीय परिव्यय 18,000 करोड़ रुपये अधिक होंगे। तब योजना कहां है ?

योजना के शेष दो वर्षों के लिए वर्ष 1979-80 के मूल्यों के आधार पर 18,000 करोड़ रुपये का परिव्यय अधिक होना चाहिए यदि बातें लक्ष्य के अनुसार होती हैं। योजना मंत्री यह बताने में बहुत मेहरबान थे कि वे मुद्रास्फीति को घटा रहे हैं। अतः हम 7% प्रतिवर्ष की घटी दर के आधार पर अगले दो वर्षों के लिए गणना करेंगे। आप इसका खण्डन कर सकते हैं। और यह कह सकते हैं कि यह 6 प्रतिशत है। यदि हम 7 प्रतिशत के आधार पर गणना करते हैं तो क्या होगा। अगले दो वर्षों में मूल अनुमान के अनुसार हमें लगभग 61,453 करोड़ रुपये (43,453 करोड़ रुपये + 18,000 करोड़ रुपये) निवेश करने पड़ेंगे। यदि आप मुद्रास्फीति की दर 7 प्रतिशत लेते हैं, तो आपको इसे 40 प्रतिशत और बढ़ाना पड़ेगा। अब अगले दो वर्षों के लिए परिव्यय 70,000 करोड़ रुपये हो जायेगा।

रुपया कहां है। रुपया वहां नहीं है। सरकार यह कह सकती है कि हमें रुपया मिलेगा। बाहरी संसाधनों से संसाधनों में वृद्धि हो गयी है और हमारा व्यापार घाटा पहले ही बढ़ा हुआ है। आपको रुपया कहां से मिलेगा? इसलिए मैंने कहा था। सर्वप्रथम छठी योजना सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए होती है। आप इस रुपये को प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं यह धनराशि दो वर्षों के भीतर जुटायी नहीं जा सकती है। जब तक सरकार आगे आकर यह नहीं कहती है कि ठीक है हम पहले सभी विदेशी बहुराष्ट्रिकों को अपने हाथों में ले रहे हैं फिर भारतीय बहुराष्ट्रिकों को अपने हाथों में लेंगे।

तत्पश्चात् सरकार राशि निवेश करेगी और लक्ष्य पूरा करेगी। मेरा विचार है कि आप ऐसा कहते हैं, तो आप सरकार में योजनामंत्री नहीं रहेंगे। इसलिए यह नहीं हो सकता है।

20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ आंकड़े हैं। अधिक शोर-शराबे वाले 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में अत्यधिक हास्यास्पद निष्पादन रहा है। 9 अगस्त के अन्त तक की रिपोर्ट से पता लगता है कि इसके निम्नलिखित विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत कार्यान्वयन की निम्नलिखित दरें हैं:—भूमिहीनों की भूमि का आवंटन (लक्ष्य का 7 प्रतिशत) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (16 प्रतिशत) समेकित ग्रामीण नियोजन (16 प्रतिशत) नसबन्दी (18.8 प्रतिशत)। आपकी एक व्यक्ति की नसबन्दी क्यों करनी चाहिए। अच्छा साधन भी हैं: ग्रामीण रोजगार (28·2 प्रतिशत) आपने योजना दस्तावेज में रोजगार के सम्बंध में कुछ आंकड़े दिये हैं, यह बताया गया है कि आप पांच वर्षों में 340 लाख रोजगार पैदा करने जा रहे हैं। पांच वर्षों में नये बेरोज़गारी की संख्या 350 लाख होगी। और इसकी संगणना उन युवकों के आधार पर की गई है जो 15 वर्ष से अधिक उम्र के हैं; और यदि यह योजना मूल लक्ष्य है और यदि इसे पूरा कर लिया जाता है फिर भी बेरोजगारी बनी रहेगी। मैं आपसे सहमत हूं; यदि आप थोड़ी देर के लिए यह कहते हैं कि आप 15 वर्ष से कम उम्र के युवकों को न गिनें। बेरोजगारी के लिये आपके पास कोई योजना नहीं है। क्या यह रोजगार पाने के लिये सबसे बड़ा रामबाण है? ग्रामीण नियोजन के लिये आपने कितना कार्यान्वित किया है? यह 28·2 प्रतिशत है। फिर आप यह दावा कैसे करते हैं कि रोजगारी के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं? बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए यह 27·5 प्रतिशत है—आवास-भूखण्ड आवंटन (19.9 प्रतिशत) गन्दी बस्ती सुधार (20 प्रतिशत) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास (24 प्रतिशत) ग्रामीण विद्युतीकरण (21 प्रतिशत)

जैविक-गैस संयंत्र (11 प्रतिशत) पेयजल परियोजनाएं (35 प्रतिशत)। यही सभी ठीक है जो विभिन्न राज्य सरकारों ने दावा किया है। आपको किसी बात का पता नहीं है शायद आप यह कह सकते हैं कि सरकार सही है।

मैंने आपसे पहले कहा था कि योजना सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए थोथी है और आप यह कहते हैं कि यह 20 सूत्री कार्यक्रम प्रत्येक बात के लिए रामबाण है, वह पहले ही थोथा है; इस प्रकार योजना बिल्कुल थोथी है।

मुझे एक और मुद्दे का उल्लेख करना है। सत्तारूढ़ दल तथा विपक्षी दलों में विभिन्न मुद्दों पर विरोध हो सकता है। लेकिन मैं सत्ताधारी दल से प्रार्थना करता हूं कि वह एक मुद्दे पर हमारे साथ सहमत हो जाये। एक राष्ट्र के रूप में हम जनसाधारण का कार्य कर रहे हैं। हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ऋण लिया है। हमने इस सम्बन्ध में बहुत बार चर्चाएं की थी। उस समय हमने आपसे कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की निरंकुश शर्तें हैं और इन सभी तरीकों से वे हमारी स्वतन्त्रता पर काबू कर लेंगे। अब बहुत सी रिपोर्टें आ चुकी हैं। यदि आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारियों से ऋण लेते हैं तो वे हमसे एक राजनैतिक नीति अपनाने के लिए कहेंगे। वह भी उनके अधिनायकवाद के अनुसार एक दीर्घकालीन नीति होगी। इसलिए हमें यहां योजना के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इन अधिकारियों ने कहा है निदेशक ने बहुत से शब्दों में कहा है—"कि यदि हम उनसे ऋण लेना चाहते हैं, हमें एक आर्थिक तथा राजनैतिक नीति अपनानी चाहिए जिसे वे हमसे अपनवाना चाहते हैं, और हमें एक दीर्घकालीन नीति अपनानी चाहिए जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ करार में है। इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष झंझट के पश्चात आप एक खुली नीति को अपना रहे हैं। भारत में जिसकी अब प्रत्येक व्यक्ति शिकायत कर रहा है। अब हम इस्पात का आयात कर रहे हैं जबकि हमारे पास प्रचुर मात्रा में इस्पात है।

हम उर्वरक आयात कर रहे हैं जबकि हसारे पास पर्याप्त उर्वरक है। हम लगभग 18 से 20 मदों का आयात भी कर रहे हैं जो देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपभोक्ता वस्तुएं।

श्री ई० बालानन्दन : हां उपभोक्ता वस्तुएं। यह एक पक्ष है। दूसरे पक्ष का भी मैं अभी उल्लेख कर रहा हूं। आप इस पर विचार कीजिए और देश के हित में आप इस अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष झंझट से बाहर आ जाइए। अन्यथा यह देश एक और अर्जेंटाइना या मैक्सी को या इंडोनेसिया हो जाएगा। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि हमारे देश को उस सीमा तक जाना चाहिए। मुझे भारत पर अभिमान है। इसलिए हमें इसे अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष से एक बार और फिर हमेशा के लिए अलग हो जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि इस योजना में हमारे पास हैं—और प्रत्येक योजना के बारे में यह कहा जाता है कि हमारी योजना का आधार सुदृढ़ है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अच्छा मौसम है।

श्री ई० बालानन्दन : इस बार दो बार बाढ़ तथा सूखा पड़े । इस लिए क्या होने जा रहा है। बहुत से राज्यों में 20 जिलों में से 20 जिले बाढ़ तथा सूखा से प्रभावित हुए हैं। इसके परिणाम-स्वरूप देश में खाद्य उत्पादन घट रहा है। योजना के अनुसार हर जगह चावल निर्णय मूल्य को बढ़ाना पड़ा था और सूखा तथा बाढ़ों के कारण खाद्यान्न का स्टाक भी बहुत कम होने जा रहा है। इस लिए देश को एक दूसरी गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसलिए, मैं योजना मंत्री महोदय से नयी योजना बनाने के लिए प्रार्थना करता हूं। यह बिल्कुल कोई योजना नहीं है। यह योजना नहीं है। यह योजना चोथी है। यदि आप योजना बनाना चाहते हैं। आपको लार्ड कीस एण्ड कम्पनी की रूपरेखा से बनाना चाहिए।

मैं इस का उल्लेख इस लिए कर रहा हूं क्योंकि केनिसियम स्कूल के सभी सिद्धांतवादी आप की सहायता नहीं कर रहे हैं। इस लिए हमें अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा। 20 सूत्री कार्य-क्रम का समयावार अब और ज्यदा वैध नहीं है। इसलिए आप के मंत्रालय को. श्री एल० के० झा तथा अन्य अर्थ-शास्त्रियों को जो योजनाएं भी बनाते हैं, इसको नोट करना चाहिए। मैं आप से कह रहा हूं कि अर्थ-शास्त्री अथवा वे व्यक्ति जो योजनाएं बनाते है उन्हें वर्तमान आवश्यकता की समझ होनी चाहिए। यदि आप देश को बचाना चाहते हैं तो आप को यह करना चाहिए अन्यथा देश दल-बदल में बद्दल जाएगा और इस लिए हमें इस योजना बनाने की नीति में पूर्णत: परिवर्तन करना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री चिन्तामणि पाणिग्रही।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : सभापति महोदय श्रीमन, हम मंत्री महोदय के अभारी हैं कि उन्होंने सभा में छठी योजना की चर्चा के लिए यह प्रस्ताव रखा है। यद्यपि इसमें देर हो गई है फिर भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। विभिन्न दृष्टिकोण यहां व्यक्त किये जा सकते हैं। लेकिन जब हम छठी योजना पर विचार करते हैं तो हमें पृष्टभूमि को भी अवश्य देखना चाहिए जिसमें इस योजना को लाया गया था। जहां तक आर्थिक क्षेत्र का सम्बन्ध था यह पूर्ण तथा एक आराजकता की स्थिति थी जो 1977 से 1980 तक रही थी। इसलिए जनता ने सोचा था कि शायद कोई योजना नहीं आएगी। फिर भी यह विचार किया गया था कि कोई योजना होनी चाहिए और योजना जारी रहनी चाहिए। इसलिए छठी योजना को बड़े भारी प्रयासों के बाद लाया गया था। यदि आप उस पृष्ठ भूमि में फिर उपलब्धियों को देखें जिनको हमारे माननीय योजना मंत्री महोदय ने गिनाया है वे देश में स्थिरता लाने में वास्तव में ही सराहनीय हैं।

जब हम पूरी बात पर विचार कर रहे हैं, हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यद्यपि उपलब्धियां बहुत बड़ी रही हैं तो समस्याएं भी बड़ी हैं। योजना की आधी अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए मैं जो कुछ सुझाव दे रहा हूं मैं उस व्यक्ति की तरह दे रहा हूं जो गांवों में भ्रमण करता है जिसे जनता की भावनाओं की जानकारी है तथा जिसने उनकी हालत को देखा है। आज देश का आधा भाग सूखा की चपेट में है। आप जहां कहीं जाते हैं वहां पूरी तरह सूखा है तथा अकाल की स्थिति है। अब हम जो प्रश्न अपने से ही पूछते हैं वह यह है कि क्या जिन सिंचाई सुविधाओं को

आप बहुत से वर्षों से जुटाते रहे हैं और उनपर भारी मात्रा में धन भी खर्च किया है उनसे वास्तव में क्या लाभ हुआ है और क्या संसधानों का अधिकतम उपयोग किया गया है।

छठी योजना वास्तव में अब तक कि सबसे बड़ी योजना थी। यह पिछली योजनाओं से बहुत बड़ी थी। लेकिन मुद्रास्फीति के दौरान बनने के कारण यह वास्तव में ज्यादा बड़ी नहीं हो सकी। इसका सीधा सा कारण यह है कि व्यय की गणना 1979-80 के मूल्यों के आधार पर की गई थी जो पिछली योजनाओं के मूल्यों से बहुत अधिक थे। अतः 1970-71 के मूल्य स्तर के सन्दर्भ में छठी योजना के लिए सरकारी क्षेत्र पर होने वाला व्यय लगभग 44,972 करोड़ रु० आयेगा और 1960-61 के मूल्य आधार से यह 25,563 करोड़ रुपए होगा। अतः चूकि यह योजना मुद्रास्फीति के दौरान बनी थी इसलिए इसका व्यय मुद्रास्फीति के बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। अतः योजना भवन में स्थित योजना आयोग ने मध्यावधि मूल्यांकन करते समय, जो धीरे-धीरे अर्थात समाचार पत्रों में प्रकाशित होता जा रहा है और बृहत रूप में सामने आएगा, जैसा कि मंत्री जी ने वायदा किया है इस बात का संकेत दिया है कि 97,500 करोड़ रुपए के सार्वजनिक क्षेत्र के खर्च का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

शुरू से ही हमारी योजनाओं में मुख्य बल इस बात पर दिया जाता रहा है कि हम अपनी अर्थ-व्यवस्था को स्वतंत्र बनायें और तकनीकी एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें। योजना दर योजना, हम अपनी आर्थिक स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता को कैसे मजबूत करते हैं ? यदि हम पांचवी योजना से सम्बन्धित दस्तावेज का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि इस योजना में आत्मनिर्भरता को लक्ष्य बनाया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश हेतु केवल 4·6 प्रतिशत विदेशी सहायता की आवश्यकता होगी तथा यह प्रस्ताव है कि 1985-86 तक अधिकांश विदेशी सहायता को समाप्त कर दिया जाये। हमने देश भक्ति से ओत प्रोत इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया है। लेकिन वास्तव में इसके विपरीत ही हुआ है।

अब हो सकता है यह अविश्वसनीय प्रतीत हो। भारत पर 1950-51 के दौरान कोई विदेशी ऋण का भार नहीं था। राष्ट्रीय आंकड़ा 32·3 करोड़ रु० का था। दूसरी योजना के अन्त तक यह राशि बढ़ कर 761 करोड़ हो गई। चिन्ता उस समय व्यक्त की गई जब 1965-66 में यह राशि बढ़ कर 2591 करोड़ रुपए हो गई। परन्तु 1977-78 के अन्त तक इस राशि में भारी वृद्धि हुई और यह लगभग 9000 करोड़ रु० हो गई। 1981-82 में, जबकि भारी संकट का समय था, विदेश से आने वाला ऋण जिनसे हमारे कार्य चले, 11,820 करोड़ रुपए तक बढ़ गया आज नवम्बर में यह राशि 16,000 करोड़ है। महोदय, इस अवसर पर दादा भाई नारोजी की अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तक का हवाला दिया जा सकता है। इस पुस्तक में भारतीय जनता के विचारों को व्यक्त करते हुए यह कहा गया था कि ब्रिटिश लोग भारत का शोषण कर रहे हैं और आप जानते हैं कि दादा भाई नारोजी ने लिखा था कि ब्रिटिश लोग भारत से लगभग 5 करोड़ पौंड मूल्य की राशि ले गये थे। इसी सम्बन्ध में उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। उससे भारतीय जनता प्रभावित हुई और उनमें स्वदेशी की भावना पैदा हुई जिसके परिणामस्वरूप स्वदेशी आन्दोलन आरम्भ हुआ। मुझे याद है कि स्वतंत्रता सेनानी किस प्रकार से ब्रिटेन से आयात किए गए कपड़ों को जला देते थे।

आइये अब हम भारतीय संसाधनों के विदेशों में अंतरण के विषय पर आयें जो भारत पर विदेशी ऋण की अकल्पित मात्रा में अत्यधिक वृद्धि के कारण हुआ। कोई ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता। महोदय, 1970-71 में विदेशी ऋणों पर प्रतिवर्ष ब्याज की राशि 450 करोड़ रुपए थी जो 1979-80 में 884 करोड़ अर्थात लगभग दुगनी हो गई। 2000 शताब्दी तक ब्याज की यह राशि प्रति वर्ष 1,00 करोड़ रुपए से भी अधिक हो जाएगी। इसकी अदायगी के लिए भारत को 1,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी परन्तु अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति के अनुसार यह मौजूदा भुगतान घाटे के प्रतिकूल 1500 करोड़ से 2000 करोड़ प्रतिवर्ष है। वर्तमान स्थिति यह है। अतः सरकार पर विदेशी ऋण के ब्याज के भुगतान का भार यह है। लेकिन विदेशी निजी पूंजी भी देश में आ रही है। इसके साथ-साथ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारत में प्रतिवर्ष लगभग 300 करोड़ रुपए मूल्य की पूंजी का निवेश किया जा रहा है। इस राशि में निरन्तर वृद्धि होगी क्योंकि 'फेरा' (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम) की नीति की अवहेलना की जा रही है ताकि प्रौद्योगिक उन्नति के नाम पर और अधिक विदेशी निजी पूंजी प्राप्त की जा सके। जब मैं कुछ वर्ष पूर्व सोवियत संघ गया था उस समय मैं "युकरेन" गया था। बहुत समय पूर्व, 1917 में विश्व के सभी पूंजीवादी राष्ट्र ने सोवियत संघ का बहिष्कार कर दिया था ताकि यह देश प्रगति न करे। उन वर्षों में सोवियत संघ ने 'डेनीपर' बांध बनाना आरम्भ कर दिया था। सोवियत संघ ने छः टरबाइनों के फलस्वरूप आज सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है जो किसी को भी चुनौती दे सकती है। अस्तु, जनता के पसीने, श्रम तथा रक्त से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। हमारे जैसे विशाल देश की प्रगति उधार लेकर नहीं की जा सकती। इस बात से सभी उस बहादुर जनता को मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने किस प्रकार कुर्बानी देकर अपने राष्ट्र का निर्माण किया। अतः मैं यह कहूंगा कि अब समय आ गया है जबकि हमें स्वयं सोचना है कि सतत अनुसंधान द्वारा ही हम स्वयं एक महान राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और अनुसंधान के लिए हमारा देशभक्ति की भावना से ओत प्रोत होना आवश्यक है। हमें उच्च प्रौद्योगिक के विक्रेताओं से अभिभूत नहीं होना चाहिए जो प्रतिदिन विभिन्न देशों का दौरा करते रहते हैं और बताते हैं कि "यह एक उन्नत प्रौद्योगिकी है, हम इसे बेचना चाहते हैं, आप ले लीजिए।" महोदय, ये विक्रेता जो आज यह उन्नत प्रौद्योगिकी बेचते हैं कल आ कर कहेंगे कि" यह नई प्रौद्योगिकी विकसीत की गई है। कल हमने जो प्रौद्योगिकी बेची थी वह आज पुरानी हो चुकी है। अतः हमें नई प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। ज्ञान खरीद कर हो सकता है आप विद्वान बन जाए लेकिन विद्वान से बुद्धिमान व्यक्ति सदैव ही बेहतर होता है जैसा कि गीता, बाइबल और वेदों में लिखा है। मांगी हुई जानकारी से हम विश्व भर के देशों की चुनौतियों का सामना नहीं कर पायेंगे। केवल अनुसंधान कार्यों द्वारा ही हम प्रगति कर सकते हैं न कि विदेशों से केवल प्रौद्योगिकी ही खरीद कर।

ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए भारत छह वर्षों तक ओ० पी० डब्ल्यू० सी० स्रोतों पर निर्भर रहा। यह एक भारी रूकावट थी। परन्तु 1980-81 में पैट्रोलियम का अत्यधिक उत्पादन हुआ और खनिज तेल के मूल्यों में गिरावट आई। इसकी पूर्वकल्पना की जा सकती है कि प्रतिकूल व्यापार संतुलन के पतन के साथ भारत की विदेशों पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। परन्तु यह देख कर बड़ी निराशा होती है कि व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है और आयात की मात्रा में भी वृद्धि हो रही

है। ऐसा क्यों हो रहा है ? एक ऐसा वर्ग है जो चाहता है कि हम प्रतिवर्ष अधिक से अधिक आयात करें। उर्वरक कारखानों में क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। जो कुछ भी वे तैयार कर रहे हैं उसकी पूर्ण रूप से खपत नहीं होती है और फिर भी यह वर्ग चाहता है कि हम और आयात करें चाहे हमारे पास उपर्युक्त स्टाक पड़ा रहे। यदि आप इस वर्ग अथवा इन्हें प्रोत्साहित करने वाले लोगों के इतिहास पर नजर डाले तो अ प देखेंगे कि उनके बहुत से लोग आज अमेरिका तथा अन्य दूसरे देशों में फल फूल रहे हैं। अत: यह वर्ग आत्मनिर्भरता के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों में गतिरोध उत्पन्न करना चाहता है। दोषी व्यक्तियों, जो आत्मनिर्भरता के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों योजना के कार्यान्वयन में अड़चन डालना चाहते हैं, का पता लगाने के लिए देशभक्ति की भावना की आवश्यकता है।

यद्यपि विश्व बैंक की सहायता एवं अन्य सहायता की सभी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं, भुगतान संतुलन एक अत्यन्त नाजुक स्थिति में पहुंच गया है। पिछले 17 महीनों में आरक्षित मुक्त विदेशी मुद्रा में, 1,118 करोड़ रुपये की आरक्षित कमी आई। अप्रैल 1981 में यह आरक्षित राशि 4,822 करोड़ रुपये थी जो 13 अप्रैल, 1982 को घटकर 3,634 करोड़ रुपये हो गई। यदि इस स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो वर्ष 1985-86 तक भारत में विदेशी मुद्रा का प्राय: अकाल पड़ जाएगा।

मैं आशा करता हूं कि शायद आप यह पूछें कि विश्व बैंक ने क्या कहा है। विश्व बैंक ने "टोरन्टो" में हाल में सम्पन्न हुई बैठक में इस ओर ध्यान दिलाया है कि भारत को अपने अत्यन्त प्रतिकूल व्यापार संतुलन को ठीक करने के लिए नीति निर्धारित करनी चाहिए। इसका क्या अभिप्राय है ? विश्व बैंक के इस सुझाव का क्या आशय है ?

भारत में और विदेशों में बसे स्वार्थी लोग अत्यन्त धूर्त तरीके से यह समाचार फैला रहे हैं कि भारत का निर्यात इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि यह सस्ता नहीं है। अपनी वस्तुओं को सस्ते मूल्य पर निर्यात करने के लिए हम अपने व्यापारियों को प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न प्रोत्साहनों के रूप में दे रहे हैं ताकि वे अधिक निर्यात कर सकें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : 542 करोड़ रुपये।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मुझे नहीं मालूम। ये आपके आंकड़े हो सकते हैं। यह बात कही जा रही है कि अपने निर्यात को सस्ता बनाने के लिए यही एकमात्र तरीका है कि रुपये का अवमूल्यन कर दिया जाए। अत: विश्व बैंक चालाकीपूर्ण ढंग से हमें यह बताना चाहता है कि हमें अपने निर्यात को सस्ता बनाना पड़ेगा और यह हम केवल रुपये का अवमूल्यन करके ही कर सकते हैं। हमें इस बात का विरोध करना होगा। 'निर्यात अथवा विनाश' का नारा भारत जैसे देश पर लागू नहीं होता है।

पांच सतत योजनाओं के बाद हम जब आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हम सभी ओर से विदेशी पूंजी के भारी बहाव के नए संकट का सामना कर रहे हैं। व्यापार घाटा 6,000 करोड़ रुपये हो गया है। मुझे विश्वास है कि आगामी दो वर्षों में इसमें और अधिक वृद्धि होगी।

योजना भवन के 'निगरानी कक्ष' ने 12 राज्यों द्वारा प्रगति के बारे में भेजी गई इस रिपोर्ट पर खेद व्यक्त किया है कि वहां कार्यों में 'बिल्कुल भी प्रगति नहीं' हुई है। मैं नहीं जानता कि ये राज्य कौन से हैं। शायद एक तो पश्चिम बंगाल है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : बारह में एक तो हो गया, 11 तो बतलाइए।

श्री चिन्तामणी पाणिग्रही : शायद मैं पश्चिमी बंगाल के साथ मैं केरल का भी नाम लूंगा।

उन्होंने लोगों के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण स्कीमों के बारे में 12 राज्यों की 'शून्य' प्रगति पर निराशा व्यक्त की है। साथ ही, उन राज्यों का ओवरड्राफ्ट अब 1,250 करोड़ रु० है। क्या राज्यों ने संसाधन जुटाने के लिए कोई प्रयास किये हैं ?

हमारा एक मुख्य ध्येय पर्यावरण संरक्षण है। छठी योजना की यह एक अच्छी विशेषता है। हाल ही में, मैं उड़ीसा में कोरापुर गया था। मैंने पाया कि एक व्यापारिक घराने ने सम्पूर्ण जंगलों को नीलामी में खरीद लिया तथा वे अपनी फैक्टरी हेतु लकड़ी का कोयला तैयार करने हेतु जला रहे हैं। मैं इण्डियन मेटल एण्ड फैन्नो अलाय लिमिटेड आफ उड़ीसा का हवाला दे रहा हूं। यदि यही कुछ करने की अनुमति दी जाती रही तो हम अपनी वन सम्पदा को कैसे बचा पायेंगे ? कौन इसकी देखरेख करेगा ?

मुझे प्रसन्नता है कि योजना आयोग पैसे की मंजूरी देते समय योजना कार्यक्रमों और राज्यों द्वारा की गई प्रगति के विश्लेषण हेतु विभिन्न ग्रुपों का गठन करता है।

अब मैं क्षेत्रीय असन्तुलन पर आता हूं। यदि हम 1979-80 की प्रति व्यक्ति आयलें तो दिल्ली में यह 2,498 रु०, पंजाब में 2,278 रु०, उड़ीसा में 843 रु०, हिमचल प्रदेश 877 रु०, बिहार में 795 रु० और असम में 1083 रु० थी। हम इन क्षेत्रीय असन्तुलनों को कैसे दूर कर सकते हैं ?

हम पैसा खर्च कैसे करते हैं ? योजना आयोग ने राज्यों से कहा है कि वे यह सूचना दें कि वे कैसे पैसा खर्च करते हैं। राज्य सरकारों की योजना के इन दो वर्षों के दौरान 29,000 करोड़ रु० की तुलना में 15,524 करोड़ रु० से अधिक के कुल परिव्यय करने की असफलता काफी गंभीर है। पश्चिमी बंगाल के लिए 3,500 करोड़ रु० मंजूर किए गए थे जबकि उन्होंने केवल 1088 करोड़ रु० ही खर्च किए हैं। महाराष्ट्र के लिए 6,175 करोड़ रु० का परिव्यय था किन्तु इसने केवल 1,983 करोड़ रु० ही व्यय किए हैं। अत: यह देखा जा सकता है उन्होंने मंजूरशुदा राशि का 50 प्रतिशत से भी कम व्यय किया है। यदि यह प्रवृत्ति अगले तीन वर्षों तक भी जारी रही--

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा: भारत सरकार की क्या स्थिति है ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : अब आपकी बारी आयेगी तब आप बता सकते हैं।

अब मैं घाटे की अर्थव्यवस्था पर आता हूं, तीसरी योजना में यह 1,133 करोड़ रु० थी, चौथी योजना में 2060 करोड़ रु० और अन्तिम पांचवीं योजना में 1,354 करोड़ रु० थी। किन्तु दुख की

बात यह है कि 1980-85 की पूरी अवधि में घाटे की अर्थव्यवस्था के माध्यम से जो राशि पूरी की जाने का प्रस्ताव था लगभग आधी राशि योजना के पहले ही वर्ष में व्यय हो गई। इससे यह पता चलता है कि अन्ततः घाटे की अर्थ व्यवस्था की राशि छठी योजना में पूर्वानुमान से काफी अधिक होगी।

जब तक हम इन समस्याओं को हल नहीं कर लेते तब तक छठी योजना मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करना काफी कठिन है। इसलिए, माननीय मन्त्री जी ने जो कुछ कहा है उसका पूर्णतः समर्थन करते हुए मैं एक बार फिर उनसे यह अनुरोध और अपील करूंगा कि जो भी रुकावटें आज हमारे सामने हैं उन पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए और उनका हल ढूंढ़ना चाहिए।

***श्री ईरा मोहन** (कोयम्बटूर): माननीय सभापति महोदय, मैं अपने दल द्राविण मुनेत्र कषगम की ओर से छठी पंचवर्षीय योजना पर कुछ शब्द कहूंगा। छठी योजना के दो वर्ष पहले ही पूरे हो चुके हैं और जिस पर भी हम छठी योजना पर इस चर्चा का स्वागत करते हैं क्योंकि यह पहला अवसर है कि इस सदन को छठी योजना के मुख्य मुद्दों के बारे में पता लगा है। पिछले अवसरों पर पंचवर्षीय योजनाओं पर संसद के दोनों सदनों की समितियों में चर्चा हुआ करती थी तत्पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल की गई योजनाओं पर इस सदन में लाभदायक चर्चा होती थी। दुर्भाग्यवश छठी योजना इस प्रक्रिया में से नहीं गुजरी और मुझे इसके कारण भी नहीं पता हैं। छठी योजना पर चर्चा हेतु जो समय आवंटित किया गया है वह भी एक विस्तृत चर्चा के लिए कम है अतः मैं स्वयं को योजना प्रक्रिया की मुख्य विशेषताओं तक सीमित रखूंगा।

महोदय छठी योजना के प्रारम्भ से बढ़ती हुई मुद्रास्फीति से छठी योजना के वित्तीय उद्देश्य और आर्थिक ध्येयों को प्राप्त करने के रास्ते में रुकावटें आयेंगी। यह निष्कर्ष अब तक क्रियान्वित की गई वार्षिक योजनाओं में योजना की गति के धीमी पड़ने के तथ्य से निकाला गया है। वार्षिक योजनाओं के अतिरिक्त, अब हमारी प्रधान मंत्री के नए 20 सूत्री कार्यक्रम को काफी प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। हमारी माननीय प्रधान मंत्री के नए 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्यवन पर दिए जा रहे जोर से और वार्षिक योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने को दी जा रही महत्वता से पता चलता है कि छठी योजना लक्ष्यों को घटाया जा रहा है।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

जैसा कि मैंने पहले कहा है मैं स्वयं को समय की कमी के फलस्वरूप योजना प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण विशेषताओं तक ही सीमित रखूंगा। महोदय, पंचवर्षीय योजना की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र द्वारा वित्तीय आबंटन किया जाता है और यह राशि राज्यों द्वारा केवल स्वीकृत योजनाओं पर ही खर्च की जानी चाहिए। किन्तु दूर्भाग्यवश, कुछ राज्य सरकारें योजना निधियों को उन योजनाओं पर खर्च कर देती हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया होता। यदि योजना राशि को किन्हीं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर व्यय किया जाये तो कुछ अल्पकालीन लाभ हो सकते हैं। किन्तु यह एक गलत दृष्टिकोण है। योजना स्कीमों के क्रियान्वयन से

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

प्राप्त होने वाले दीर्घकालीन लाभों से ऐसे अल्पकालीन लाभ तो समाप्त ही हो जायेंगे। अतः यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि योजना निधियों को अनुमोदित योजनाओं पर ही व्यय किया जाये।

यहां, मैं इस तथ्य का उल्लेख करूंगा कि केन्द्र द्वारा सूखे और बाढ़ से निपटने के लिए दी गई निधियों को बाद में राज्यों की योजनाओं पर व्यय किया जाता है। बाढ़ राहत सहायता और सूखा राहत सहायता को योजना निधियों में से निकाल दिया जाये। आप इसमें इन्कार नहीं करेंगे कि बाढ़ एक अप्रत्याशित प्राकृतिक विपदा है और इसी प्रकार सूखा भी मानसून न आने से पड़ता है, यह भी एक प्राकृतिक विपदा है। मेरा सुझाव है कि योजना निधियों और बाढ़ राहत कार्यों के लिए आबंटित निधियों को परस्पर सम्बन्धित नहीं किया जाना चाहिए। बाढ़ राहत और सूखा राहत के लिए दी गई वित्तीय सहायता को योजना निधियों में समायोजित नहीं किया जाना चाहिए।

महोदय, यह एक आम बात बन गई है कि योजना निधियां वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यानि मार्च के महीने में रिलीज की जाती हैं आप यह आशा कैसे कर सकते हैं कि राज्य इस सारी राशि को एक ही महीने में खर्च कर लेंगे? योजना आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये निधियां काफी पहले आबंटित कर दी जायें। अन्तिम समय पर आबंटन के परिणामस्वरूप योजना निधियों में भारी बचत होती है, जिसे राज्य सरकारें अन्य ऐसी योजनाओं पर व्यय करने को प्रेरित होती हैं, जिन्हें योजना आयोग ने स्वीकृति नहीं दी होती। केन्द्रीय योजना आयोग को योजना विधियों में ऐसी बचतों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी बचतों को अन्य गैर-योजना स्कीमों पर व्यय न किया जाए।

यदि राज्य सरकार किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिया बनाना चाहती है, तो उसे केन्द्र की अनुमति लेनी चाहिए। एक नियम है कि केन्द्र की अनुमति के बिना किसी राज्य द्वारा उन नदियों पर जो अन्तर-राज्य विवाद में शामिल हैं और वह राज्य उस विवाद में एक पार्टी है, कोई सिंचाई परियोजना नहीं बनायी जानी चाहिए, जबकि हमारे संविधान में सिंचाई राज्य सूची का विषय है। किन्तु कर्नाटक सरकार ने लगभग 220 करोड़ रु० की अपनी ही लागत से कावेरी नदी की सहायक नदियों--हेमावती, हरिंगी और काबिनी--पर तीन सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना ही किया है। जबकि इन तीनों जलाशयों में अतिरिक्त पानी रहता है, कर्नाटक सरकार तमिलनाडु की न्यूनतम जरूरत के लिए भी पानी नहीं देता है। तमिलनाडु के तटवर्ती अधिकारों को कर्नाटक राज्य द्वारा देने से इन्कार किया जा रहा है। क्या भारत सरकार राज्यों को ऐसे सिंचाई बांध बनाने की अनुमति देने जा रही है क्योंकि नदियों का उद्गम उनके राज्यों में है? क्या केन्द्र राज्यों द्वारा मानदण्डों के उल्लंघन के प्रति मूक दर्शक ही बना रहेगा? कावेरी नदी के पानी की पर्याप्त सप्लाई न होने के कारण तमिलनाडु के थंजावूर और तिरूचिरापल्ली जिले, जो कि तमिलनाडु के चावल-भरपूर जिले हैं, आज शुष्क क्षेत्र जैसे नजर आते हैं। केन्द्रीय योजना आयोग को ऐसे नदी जल विवादों के हल करने में सीधा भाग लेना चाहिए और उसे उन राज्यों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए जो अन्तर-राज्य विवादों में शामिल नदियों पर बांध बनाने के नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते

हैं। इन मामले में, तमिलनाडु के लोगों की मांग है कि उन्हें कर्नाटक में कावेरी के पानी की पर्याप्त सप्लाई करायी जाये।

हाल ही में केन्द्रीय योजना आयोग ने विचार प्रकट किया है कि तमिलनाडु राज्य की वार्षिक योजना निधियों के गैर-योजना स्कीमों पर व्यय किये जाने के फलस्वरूप विरक्त हो रही है। मैं अनुरोध करूंगा कि योजना आयोग को तमिलनाडु सरकार को परामर्श देना चाहिए कि वह गैर-योजना स्कीमों को क्रियान्वित करने हेतु कैसे संसाधन जुटाये। सम्पूर्ण तमिलनाडु में सूखे से निपटने के लिए तमिलनाडु को वित्तीय सहायता अवश्य दी जानी चाहिए। मैं सुझाव देता हूं कि ऐसी सूखा राहत सहायता को तमिलनाडु के योजना आबंटनों के प्रति समयोजित नहीं किया जाना चाहिए। यदि यह किया जाता है तो इससे तमिलनाडु के योजनाबद्ध विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, आज ताप विद्युत परियोजनाओं और पन-विद्युत परियोजनाओं द्वारा प्रतिष्ठामित क्षमता का केवल 45% ही विद्युत उत्पादन हो रहा है। तमिलनाडु राज्य में स्थायी रूप से बिजली में कटौती हो रही है। इस समय तमिलनाडु में 30% बिजली की कटौती हो रही है। परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग प्रतिष्ठापित क्षमता का केवल 40% ही प्रयोग कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु क्रियान्वित की जा रही विद्युत परियोजनायें किस चरण में हैं।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण मामला उठाता हूं। यह दुःख की बात है कि कृषि प्रयोजनों के लिए सुलभ जल का केवल 14% का उपयोग किया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि शेष 86% पानी बेकार समुद्र में चला जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान यह स्थिति है। सरकार ने आंकड़े दिये हैं कि देश में सूखे और बाढ़ से 1400 करोड़ रुपये का वार्षिक नुकसान होता है। 1400 लाख घन मीटर जल में से हम केवल 200 लाख घन मीटर जल का उपयोग कर रहे हैं। हमें इस बहुमूल्य जल की इतनी अधिक मात्रा के बेकार हो जाने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने हैं।

छठी योजना के प्रारम्भ से ही कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और आज रुपये की क्रयशक्ति लगभग 18 पैसे है। वास्तव में छठी योजना के वित्तीय लक्ष्य भी गलत होंगे। योजना आयोग के सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि हमरी 40 करोड़ जनता की दैनिक आय औसतन 75 पैसे है; दूसरे शब्दों में ये सभी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। ये आंकड़े मेरे द्वारा नहीं दिये गये हैं। ये योजना आयोग के अनुमोदित आंकड़े हैं।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए योजना बना रहे हैं न कि इस सभा में केवल चर्चा करने के लिए अथवा समाचारपत्रों में राजनीतिक प्रचार के लिए योजना बना रहे हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश, अब तक के योजना प्रयासों से हमारी गरीबी दूर नहीं हो पाई है। अपने उत्तर में माननीय योजना मंत्री योजना के असफल होने का मुख्य कारण जनसंख्या को ही बतायेंगे। वह यह कहेंगे कि योजना स्कीमों का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाया है क्योंकि जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। मैं इस गलत दलील को नहीं मान सकता। आखिरकार पंचवर्षीय योजना आर्थिक भविष्यवाणी है जो पांच वर्षों में होने वाली जनसंख्या की वृद्धि को सामने

रखकर बनाई जाती है। यदि हमारे योजना कार्यों के वांछित परिणाम नहीं रहते हैं तो इसका कारण जनसंख्या में वृद्धि नहीं है। मेरा सुझाव है कि हमारे आर्थिक प्रयासों के आयोजन सम्बन्धी सभी त्रुटियों को दूर किया जाना चाहिए ताकि लोगों को अधिकतम लाभ मिल सके।

महोदय स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के अप्रतिम नेतृत्व के दौरान पंचवर्षीय योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्यवन द्वारा देश ने बहुत प्रगति की थी। मुझे विश्वास है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में, जिनको समग्र राष्ट्र का अभूतपूर्व समर्थन मिला है, केन्द्र सरकार सार्थक योजना स्कीमें बनाएंगी और सुनिश्चित करेगी कि राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि के लिए उनका क्रियान्वयन ठीक ढंग से किया जाये।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : सभापति महोदय, मैं सभा के समक्ष रखी गई छठी पंचवर्षीय योजना का समर्थन करता हूं। मैं इस योजना से सहमत हूं और इसकी नीति, अर्थात, योजना लक्ष्य, वरीयताओं और नीति का पूरा समर्थन करता हूं। भारत ने 30 वर्ष पहले, 1951 में योजनाबद्ध विकास की नीति अपनाई थी। पहली पंचवर्षीय योजना में योजना के मुख्य उद्देश्य विकास की प्रक्रिया शुरू करना था जिससे लोगों का जीवन स्तर उन्नत हो और उनका जीवन अधिक सम्मृद्ध हो सके।

गत 30 वर्षों से योजनाबद्ध विकास की यह प्रक्रिया गतिहीन अर्थव्यवस्था को गति देने में सफल रही है। विकास की दर 1 प्रतिशत नहीं थी। पहली पंचवर्षीय योजना ने इस विकास दर को बढ़ाया और इसे 3.5 प्रतिशत तक कर दिया जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसका लक्ष्य केवल 2.1 प्रतिशत रखा गया था। गत 30 वर्षों से विकास दर का स्तर 3.5 प्रतिशत रहा है।

कृषि उत्पादन में औसतन 2.7 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि हुई और औद्योगिक उत्पादन में प्रतिवर्ष लगभग 6 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1979 तक की योजना अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति उपभोग में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि गरीब लोगों के उपभोग में जो 30 प्रतिशत था, अधिक वृद्धि नहीं हुई थी। इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि सम्पत्तियों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण और समाज सेवाओं पर सरकारी व्यय के कारण है उनका भी इसमें हिस्सा रहा है।

इसमें संदेह नहीं कि छठी पंचवर्षीय योजना बहुत ही कठिन परिस्थितियों में शुरू की गई थी। पहली बात यह है कि देश में बहुत अधिक मुद्रास्फीति थी जो 1979 से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल रही थी। दूसरी बात यह है कि बिजली, परिवहन, स्टील और रेल आदि कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की स्थापित क्षमता के उपयोग में कमी आई थी। आयातित पैट्रोलियम पदार्थों में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई जिससे इन वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हुई और इससे हमारा भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल हो गया और व्यापार सन्तुलन गड़बड़ा गया। भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल हमेशा बाधा पैदा करता है और प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

हमारे मामले में, इसने हमें बहुत कठिन और उलझनपूर्ण स्थिति में ला खड़ा कर दिया जैसाकि आपको प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन के तथ्यों से पता चलेगा। 1977-78 में व्यापार सन्तुलन का घाटा

621 करोड़ से बढ़कर 1978-79 में 2370 करोड़ रुपये हो गया। 1980-81 में यह घटा बढ़कर 5813 करोड़ रुपये हो गया और 1981-82 में यह घाटा थोड़ा सा कम होकर 5780 करोड़ रुपये रह गया। इसका मतलब यह हुआ कि हालात हर साल बदतर नहीं हो रहे हैं। परन्तु हालात सुधारने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और कुछ सीमा तक हमारे प्रयास सफल रहे हैं।

पैट्रोलियम पदार्थों और अन्य आयातित पदार्थों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई जबकि निर्यातित पदार्थों और उनकी कीमतों में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई। कीमतों में अत्यधिक वृद्धि प्रमुख क्षेत्रों की स्थापित क्षमता के उपयोग में कमी और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में डांवांडोल स्थिति होने के कारण, जैसाकि वित्त मंत्री ने कहा था हमारी अर्थव्यवस्था के लिए संकट हो गया है।

प्रतिकूल कारणों की इस पृष्ठभूमि में जोकि हमारी उत्पादन संभाव्यताओं के विरुद्ध है, यह छठी पंचवर्षीय योजना में विकास की दर 5.2 प्रतिशत रखी गई है। योजना आयोग द्वारा विकास की यह दर बहुत मुश्किल से स्वीकार की गई थी अर्थात बिजली, ऊर्जा और परिवहन, आदि प्रमुख क्षेत्रों की स्थिति खराब थी, क्योंकि इसमें उत्पादन शुरू होने में अधिक समय लगता है। योजना आयोग ने कहा कि हमें 5.2 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखना चाहिये क्योंकि इससे कम विकास दर से हम समयबद्ध कार्मक्रमों के अन्तर्गत मूलभूत क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पायेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह विकास दर इसलिए भी जरूरी है कि हम अपनी नीति के आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों विशेषकर, रोजगार बढ़ाने सम्बन्धी उद्देश्यों को पूरा कर सकें। विकास की यह दर हमारी क्षमता के लिये इस बात की चुनौती है। कि हम अर्थव्यबस्था को ठीक करें। हमारे लिए यह एक चुनौती है कि हम अपने संसाधनों का उपयोग बहुत ही किफायती ढंग से करें।

योजना आयोग का यह कहना है कि यह लम्बी-अवधि की मांग के अनुमानों और आत्म-निर्भरता के लक्ष्य के अनुरूप है।

इस योजना में पहले की योजनाओं की अपेक्षा, योजना या आयोजन के उद्देश्यों को अधिक स्पष्ट ढंग से निर्धारित किया गया है। सर्वप्रथम इसका उद्देश्य राष्ट्रीय उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि, संसाधनों के उपयोग में कार्यकुशलता और उन्नत उत्पादकता को बढ़ाना है। इसका कारण यह है कि हमने इस वर्ष को "उत्पादकता वर्ष" का नाम दिया है।

इस योजना में आर्थिक और प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अधुनिकीकरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने का उद्देश्य भी रखा गया है।

इसमें गरीबी और बेरोजगारी में उत्तरोत्तर कमी करने का उद्देश्य है और इसमें गरीब लोगों को विशेषकर आर्थिक रूप और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों का जीवन स्तर सुधारने का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना से हमारी आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों के पुनर्वितरणात्मक आधार सुदृढ़ होगा।

इसमें जनसंख्या सम्बन्धी कार्यक्रमों के फलस्वरूप जन्म-दर में काफी कमी करने का लक्ष्य रखा गया है।

विशेष योजना द्वारा इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है। इसके अन्तर्गत कृषि तथा उद्योग के आधारभूत ढांचों को सुदृढ़ करना, निवेश, उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिए अनुकूल स्थितियां पैदा करना, विशेष कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसरों को उपलब्ध कराना तथा जनता की न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करना सम्मिलित है।

इसके लिए बहुत अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ेगी तथा छठी योजना में यह निर्णय लिया गया है कि योजनागत अवधि के लिए 1,58,710 करोड़ रु० का निवेश किया जाये। इसमें से 1,49,647 करोड़ रु० घरेलू बचतों से एकत्र किया जाएगा। जिसका अर्थ है कि हमारी योजना में केवल 6 प्रतिशत के लगभग विदेशी निवेश किया जायेगा।

यह आलोचना की गई है कि आत्मनिर्भरता का हमारा लक्ष्य भुला दिया गया है तथा हम विदेशी संसाधनों पर अधिकाधिक निर्भर होते जा रहे हैं। यह सरासर गलत है। मेरे पास आंकड़े हैं। पहली योजना में विदेशी संसाधनों पर हमारी निर्भरता 9.12 प्रतिशत थी।

एक माननीय सदस्य : वह केवल कागज पर ही थी।

श्री वाई० एस० महाजन : केवल कागज पर ? वह किस प्रकार ?

एक माननीय सदस्य : योजना हमेशा कागज पर ही होती है।

श्री वाई० एस० महाजन : तब तो आपकी आलोचना भी केवल कागजी ही है।

दूसरी योजना में विदेशी संसाधनों का प्रतिशत 28·1 था तथा तीसरी योजना में यह 27·2% था। अपनी तीन वार्षिक योजनाओं में हमने विदेशी संसाधनों का प्रतिशत बढ़ाकर 33.9 कर दिया था। चौथी योजना में यह घटकर 11.2 प्रतिशत रह गया था। पांचवी योजना में यह प्रतिशत 8.9 प्रतिशत तथा छठी योजना में यह 6 प्रतिशत से अधिक नहीं है। अतः यह कहना कि हम आत्मनिर्भरता के अपने लक्ष्य से भटक गये हैं, तथ्यों को नकारना मात्र है। मुझे नहीं पता कि विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य किस प्रकार तर्क करते हैं। वे लोग कल्पना में ही विरोध करते हैं।

इस निवेश के परिणामस्वरूप, हमने विकास की कतिपय पद्धति की परिकल्पना की है। समग्र विकास की 5·2 प्रतिशत की सामान्य दर में हमें कृषि की लगभग 3·83 प्रतिशत विकास दर, खनन तथा विनिर्माण उद्योग में 6.9 प्रतिशत, बिजली गैस तथा जल आपूर्ति में 7.15 प्रतिशत तथा निर्माण, परिवहन एवं सेवाओं में 4·10 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने की आशा है। कुल निवेश में से 84,000 करोड़ रु० सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 74,710 करोड़ रु० निजी क्षेत्र में किए जाएंगे। समग्र अर्थव्यवस्था में जोड़ी गई विकास की मिश्रित दर 5·2 प्रतिशत वार्षिक होगी।

कृषि हमारे आर्थिक जीवन का आधार है और इसलिए योजना में कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 5.2 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने का उद्देश्य हमारे कृषि लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ही निर्भर है।

हमारे निर्यात प्रसासों की सफलता भी कृषि उत्पादन बढ़ाने पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र में लक्ष्य-प्राप्ति के लिए निम्न बातों पर जोर दिया गया है :—

सर्वप्रथम, सिंचित क्षेत्र तथा अधिक ऊपर वाले बीजों की किस्मों वाले क्षेत्रों का विस्तार करना। सिंचित क्षेत्र का विस्तार किया गया है। यह एक तथ्य है।

दूसरे, रसायनिक उरर्वकों के प्रयोग में बहुत अधिक वृद्धि करना। इनके खपत की मात्रा में वृद्धि हो रही है यद्यपि पिछले वर्ष इसमें थोड़ी कमी आई थी।

तीसरे, नई प्रौद्योगिकी के लाभ को सभी श्रेणियों के किसानों तथा क्षेत्रों में पहुंचाना। तालुका स्तर से राज्य स्तर एक तकनीकी कुशलता प्राप्त व्यक्तियों आदि की सहायता से किसानों को विभिन्न उपजों के बारे में, उनकी सिंचाई करने, खाद आदि डालने के बारे में जानकारी देने के द्वारा इस सेवा का विस्तार किया जा रहा है। इस प्रकार कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है।

अन्त में, पहले से प्राप्त जानकारी के द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्ति हेतु योजनाबद्ध प्रणाली को अपनाना।

विभिन्न फसलों के विकास में कुछ असन्तुलन रहा है तथा हमारे पास दालों तया तिलहन की कुछ कमी है तथा इस असन्तुलन को दूर करने के लिए किसानों को इन उपजों के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

कृषकों को उनकी उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कृषि आदानों तथा उत्पादों से संबंधित मूल्यनीति को उचित बनाने, आदानों की सप्लाई तथा वितरण हेतु व्यवस्था करने, ऋण तथा बाजार समर्थन की सामयिक तथा पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने, अनुसंधान, शिक्षा तथा विस्तार की गति को तेज करने का निर्णय लिया गया है।

छठी योजना के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 8 प्रतिशत के वार्षिक विकास दर की परि-कल्पना की गई है। हमारी सभी योजनाओं में औद्योगिक विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारी नीति के परिणामस्वरूप पिछले 30 वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में लगभग 5 गुणा वृद्धि हुई है। यह भी काल्पनिक नहीं है। आप दिल्ली में आयोजित प्रदर्शनी देख सकते हैं। जो देश कभी एक पिन भी नहीं बना सकता था, अब सैंकड़ों प्रकार की मशीनें बना रहा है। हमारे इंजीनियरों ने देश में पहली बार जटिल मशीनें बनाई हैं तथा अब भारत में उद्योग का बहुत बड़ा आधारभूत ढांचा है।

यद्यपि हमने शानदार उपलब्धियां पाई हैं, तथापि विशेषरूप से पिछले 15 वर्षों के दौरान विकास दर एकसमान अथवा सन्तोषजनक नहीं रही है।

निवेशों की आयोजना तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में उद्योगों के विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी सरकार की है। इनका प्रबन्ध कुशलतापूर्वक किया जाना चाहिये ताकि लाभ की उचित दर प्राप्त हो सके। फिलहाल सार्वजनिक क्षेत्र की कतिपय एककों का प्रबन्ध कुशलतापूर्वक किया जा रहा है तथा वे अच्छा लाभ अर्जि। कर रहीं है, परन्तु कुछ एककें हैं जो लाभ प्राप्त नहीं कर रही हैं। आशा करता हूं कि इस क्षेत्र के उद्यमों में अच्छी कार्यकुशलता बनाए रखने की दिशा में अधिक ध्यान दिया जायेगा।

सरकारी क्षेत्र में होने वाले घाटे को सामान्य राजकोष से पूरा किया जाता है और इसलिए कार्यकुशलता सामग्री के कुशल प्रबंध अथवा उत्पादन नियंत्रण के कुशल प्रबंध की ओर समुचित

ध्यान नहीं दिया जाता है। सरकारी क्षेत्र में स्थानीय श्रम समस्या भी है। दूसरे पक्ष बहुत से माननीय सदस्य यह जानते हैं कि श्रमिक संकट को कैसे प्रोत्साहित किया जाता है, सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों के कार्यकरण को कैसे रोका जाता है। उदाहरणार्थ हमने बंगलौर में प्रतिष्ठावान कारखानों में हजारों करोड़ रुपए निवेश किये हैं लेकिन वे पिछले वर्ष महीनों तक बन्द रहे थे।

निजी क्षेत्र है जो अक्सर अपना कार्यकुशलता की बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बातें करते हैं। मेरा विचार है यह अपने निष्पादन के बारे में बातें नहीं करते हैं। वहां कितनी एककें हैं जो बन्द पड़ी हैं और वहां कितनी एककें हैं जिन्होंने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से भारी मात्रा में धन राशि उधार ली हैं।

माननीय मंत्री महोदय ने यह जानकारी केवल गत सप्ताह दी थी कि वहाँ बड़े उपक्रमों में 422 एककें बन्द पड़ी हैं जिन्होंने बैंकों से 1453 करोड़ रुपए ऋण उधार लिए थे और लघु उद्योग में भी 22360 एककें बन्द पड़ी हैं जो 322 करोड़ रुपए तक बैंकों से उधार लेकर इस्तेमाल किया करते थे। अतः संशोधन का कम उपयोग तथा विपणन कठिनाइयों को छोड़कर मेरे विचार से इनके बन्द होने के मुख्य कारण प्रबन्ध व्यवस्था का खराब होना है। मेरा यह कहना है कि लघु एकक से आप को यह पता लगेगा कि यदि उद्यमी केवल 1 लाख रुपया निवेश करता है तो वह सरकारी क्षेत्र के बैंकों से 9 लाख रुपए ऋण ले लेता है। इसलिए उसे उद्योग में उतना लाभ नहीं होता जितना उसे अपनी पूंजी निवेश करने पर होता। इसलिए ये लघु उद्योगपति और मध्यम पैमाने के उद्योगपति भी वास्तव में उद्योगपति हैं ? नहीं, वे केवल एक उद्योग के प्रबन्धक हैं। हम उन्हें भूमि देते हैं हम उन्हें पूंजी उपलब्ध कराते हैं हम उन्हें मशीनरी उपलब्ध कराते हैं और विपणन सुविधाओं में भी उनकी मदद करते हैं। हम उनको कच्चा माल भी उपलब्ध कराते हैं। यह क्या है जिसे इस देश में सरकार उनके लिए नहीं करती है। अतः ये उद्योग वास्तव में सरकारी उद्योग है और उद्यमी केवल इनके प्रबन्ध करते हैं और यह देखने के लिए उन पर दबाव डालना चाहिए कि वे कुशलतापूर्वक प्रबन्ध करे और उद्योग में घाटा नहीं हो।

बेरोजगारी तथा गरीबी के बारे में विपक्ष के सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है। बेरोजगारी तथा गरीबी की उत्तरोत्तर गिरावट योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह है। वस्तुतः योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक प्रगति द्वारा बुराइयों का उन्मूलन करना है। इसके लिए मुख्य रूप से कृषि की गहन किस्म, पशुपालन तथा वन-विज्ञान में श्रमिकों को अधिकतम उपयोग तीव्र औद्योगिकरण तथा लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास को अपनाना होगा।

देश में पूंजी की कमी से ग्रस्त इन समस्याओं पर विचार करने के सामान्य तरीकों को छोड़ कर योजना में बढ़ते जा रहे बेरोजगारी के प्रभावों को कम करने के लिए बहुत सी विशेष योजनाएं बनायी गयी हैं। मुझे इस प्रश्न के आंकड़ों को देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आकड़ों सम्बन्धी जानकारी मुझे अच्छी तरह पता है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह समस्या है जो विकट तथा जटिल है और इसकी गहनता हर योजना में बढ़ती जा रही है।

समस्या के स्वरूप तथा सीमा का मूल्यांकन करने तथा उन्हें सुलझाने, अनुकूल कार्यक्रम विकसित करने द्वारा पूर्णकालिक व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाने, खुली बेरोजगारी की

परिभाषा देने तथा विभिन्न क्षेत्रों की रोजगार पैदा करने वाली शक्ति का विश्लेषण करने के लिए योजना आयोग द्वारा प्रयास किए गए हैं।

महत्वपूर्ण रोजगार सम्भावना वाले कुछ प्रमुख योजना कार्यक्रम ये हैं: (एक) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसे सभी विकास खण्डों तक बढ़ा दिया गया है और जिसका उद्देश्य प्रत्येक खण्ड में 3000 परिवारों को जीविका साधन उपलब्ध करने की व्यवस्था है और जिसके परिणामस्वरूप लगभग 150 लाख लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठेंगे।

फिर राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विशेषरूप से कृषि मौसम के दौरान मजदूरी रोजगार उपलब्ध करना है इससे मजबूत परिसम्पत्तियों का भी सृजन होता है और इसमें लोगों को केवल गड्ढे खोदने और फिर उन्हें बन्द करने के बारे में नहीं बताया जाता है। इसके अन्तर्गत वे व्यक्ति भी आते हैं जिन्हें दूसरे क्षेत्रीय योजना कार्यक्रमों से कोई लाभ नहीं होता है।

फिर आपके पास विभिन्न राज्यों की नियोजन गारंटी योजनाएं हैं। मेरे महाराष्ट्र राज्य में यह एक महत्वपूर्ण योजना है और यह योजना आयोग के लिए एक आदर्श योजना साबित हुई है। फिर डेयरी विकास योजना, बाढ़ योजना या छोटे किसानों की विकास एजेन्सी आदि हैं। इन विभिन्न योजनाओं के मध्यम से छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 340 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है। यदि यह उद्देश्य प्राप्त कर लिया जाता है। तो यह उपलब्धि भी कम नहीं होगी।

घरेलू उपभोक्ता व्यय के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के कई दौरों से अनुमान के आधार पर यह पाया गया हैं कि हमारी लगभग 48 प्रतिशत जनता लगातार एक लम्बी अवधि से गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रह रही हैं। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अधिक है।

योजना में अनुमान लगाया गया है कि गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों का प्रतिशत 1979-80 में 48·4 प्रतिशत से घटा कर 1984-85 में 38·9 प्रतिशत कर दिया जायेगा। विशेष कार्यक्रमों जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है, के अलावा बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम हैं। परिसम्पत्तियों का सीधे गरीब लोगों को अन्तरण करके तथा अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए संघटक योजनाओं द्वारा रोजगार प्रदान करके। सूखा-पीड़ित क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं हैं। राज्यों में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए उप-योजनाएं हैं। इस स्थान पर मैं यह अवश्य कहूंगा कि बीस सूत्री कार्यक्रम में रोजगार उपलब्ध कराने और उसके द्वारा गरीबी कम करने तथा लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के उपर उठाने पर बहुत अधिक बल दिया गया है। यह विश्वास करना उचित होगा, यदि बीस सूत्री कार्यक्रम का उचित रूप से पालन किया जाए तो गरीबी के प्रतिशत को आधार-वर्ष 1979-80 में 48·4 प्रतिशत घटाकर 1984-85 में 30 प्रतिशत से भी कम किया जा सकता है। वास्तव में योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान, 3·5 करोड़ लोगों को पहले ही गरीबी की रेखा के ऊपर उठाया जा चुका है।

महोदय, मैं कुछ शब्द और कहना चाहूंगा। देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के यह सभी महती प्रयास सफल नहीं होंगे यदि हम जनसंख्या में वृद्धि की दर कम करने में सफल नहीं

होते। भारत विश्व का प्रथम देश है जिसने इस कार्यक्रम को 1951 में राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया। वास्तव में इस कार्यक्रम में 1966-67 में तेजी आई। 1978-79 में इस कार्यक्रम को धक्का लगा। इस सदी के सातवें या छठे दशक की तुलना में अब इस कार्यक्रम की सफलता आसान हो गई है। जापानियों ने गर्भपात जैसे क्रूर तरीके का सहरा लेकर अपनी जन्म-दर को घटाया। यह एक अत्यन्त क्रूर तरीका है क्योंकि उस समय परिवार-नियोजन आपरेशनों की कोई जानकारी नहीं थी।

अब यह काम आसान हो गया है और हम अपना लक्ष्य जन्म-दर को एक उचित स्तर तक घटा कर अथवा जैसा कि मेरा विचार है कि हमें पांच अथवा दस वर्षों के भीतर जनसंख्या में वृद्धि की शून्य दर प्राप्त कर सकते हैं, यह केवल तभी हो सकता है जब हम इसे गम्भीरता से ले न केवल सरकारी प्रयत्नों द्वारा बल्कि विपक्ष के सदस्य का भी पूरा सहयोग हो।

महोदय, एक बात और कार्यान्वयन तंत्र को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। ताकि परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों को निश्चित समय के भीतर पूरा किया जा सके। विलम्ब से भारी नुकसान होते हैं तथा लोगों को निराशा और उनका आयोजन प्रक्रिया से विश्वास भी उठ जाता है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं अपने जिले में कुछ उदाहरण दे सकता हूं। सबसे बुरा उदाहरण विद्युत क्षेत्र में है। कृषि तथा उद्योग में उत्पादन में वृद्धि के लिए विद्युत आवश्यक है। यदि हमारे पास बिजली की कमी है तो हम उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकते।

मैंने योजना मंत्रालय की परामर्श दात्री समितियों में लगभग आधा दर्जन वर्षों तक काम किया है, जहां तक कार्यान्वयन का सम्बन्ध है, योजना मंत्रालय का दर्जा श्रेष्ठ होना चाहिए ताकि यदि अन्य मंत्रालय उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा नहीं करते तो वह उनकी ताड़ना कर सके।

कार्यान्वयन का कार्य केवल केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ में नहीं है बल्कि राज्य मंत्रालयों और तालुका ग्राम स्तर तक सभी सरकार अभिकरणों के हाथ में है। इस प्रयोजन के लिए योजना मंत्रालय के पास विशेष शक्तियां होनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि योजना नाम की कोई चीज नहीं है। मैं यह कहता हूं कि योजना अभी ज़िन्दा है और उसके परिणाम प्राप्त हो रहे है—उत्पादन बढ़ रहा है; रोजगार में वृद्धि हो रही है। मुझे हैरानी है कि माननीय सदस्य अपने चारों ओर अन्धकार के अलावा कुछ नहीं देख पाए। क्या मैं कह सकता हूं यह उनके अपने दिमागी अन्धकार के कारण है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : महोदय आरम्भ में मैं इस बात के लिए खेद व्यक्त करता हूं कि जबकि यह सदन छठी पंचवर्षीय योजना और आयोजना प्रक्रिया, जिस पर सरकार का सारा सम्मान और वचनबद्धताएं टिकी हैं, पर विचार कर रहा है सरकारी पक्ष के सदस्य उपस्थित नहीं हैं। न केवल सरकार पक्ष के सदस्य बल्कि प्रधान मंत्री, जो योजना आयोग की अध्यक्ष हैं, भी अनुपस्थित हैं। मैं कहता हूं कि यह इस सदन का अपमान तथा योजना आयोग का अध्यक्ष होने के नाते प्रधान मंत्री का जो कर्त्तव्य है, उसके प्रति लापरवाही है।

प्रो० मधुदण्डवते : वहां धारा 144 लगी हुई है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : दूसरी बात मैं यह कहता हूं कि योजना मंत्री इस सदन से छठी योजना पर चर्चा करने का आग्रह कर रहे हैं किन्तु कार्य-मंत्रणा समिति अथवा उनके सहयोगी संसदीय कार्य मंत्री के पास समय नहीं है। यह अत्यन्त खेद का विषय है और इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि आरम्भ में जब राष्ट्रीय विकास परिषद में इस पर विचार किया जा रहा था, उस समय इस पर चर्चा क्यों नहीं हो सकी। पहले यह प्रथा थी। किन्तु अब सभी प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए, मुझे, इस सदन तथा इसके कार्यकरणा से सम्बन्धित मामलों के संबंध में इस सरकार के रवैये पर कोई हैरानी नहीं है।

महोदय, भारत में आयोजना की सम्पूर्ण संकल्पना में ही कुछ निहित कमजोरियां हैं। हमारा आर्थिक चिन्तन इस प्रकार का है जिसमें हमने यह स्वीकार किया है कि केवल असमानताओं द्वारा ही बचत की जा सकती है, क्योंकि कुल उत्पादन में से उपभोग को घटा दिया जाए तो वह बचत होगी। इसलिए बचत केवल उन्हीं वर्गों से प्राप्त होगी जिनकी आय अधिक और व्यय कम है। इसलिए सारा ही सिद्धान्त अधिक बचत का है और इसी कारण इस प्रक्रिया में योजना के लिए अधिक धन का आवंटन करने के परिणामस्वरूप इस मत को स्वीकार कर लिया गया है कि यदि आप किसी चीज को बांट सकते हैं तो वह केवल गरीबी है। प्रधान मंत्री ने भी यही बात अभी हाल में कही है।

इसलिए सारी विचारधारा ही गलत हो गई जो कि समूची संकल्पना में निहित है और जो सारी आयोजना प्रक्रिया को गड़बड़ा रही है या उस पर दुष्प्रभाव डाल रही है।

महोदय दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी आयोजना एक धनोन्मुख आयोजना है। हम अपनी आयोजना का परिमाण उन मूलभूत संसाधनों के आधार पर नहीं लगाते जो हमारे पास हैं बल्कि उनके आधार पर लगाते हैं जिनकी हमारे पास कमी है। कमी वाले संसाधनों पर योजना तैयार करके कमी बनी रहती है और इसका परिणाम यह है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ जैसी संस्था ने हाल ही में सरकार से कहा है कि योजना का लाभ बहुत ही कम लोगों तक पहुंचा है और उनके द्वारा वितरित रिपोर्ट के अनुसार पिछली पांच योजनाओं में जो विलम्ब हुए हैं, उन योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में साठ वर्ष का समय और लगेगा। महोदय, राजस्थान नहर का उदाहरण लें। यह 27 वर्ष पुरानी नहर है जो शायद पूरी की जा सकती थी किन्तु यह हम सब के लिए अत्यत लज्जा का विषय है, मैं इस सरकार अथवा पिछली सरकार पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं—मुद्दा यह है कि हम जो योजना बनाते हैं उसे कार्यान्वित नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? कई बार वित्त को दोषी माना गया है। कई बार यह कहा जाता है कि तकनीक उपलब्ध नहीं है अथवा खराब तकनीक के कारण ऐसा हुआ। कई बार यह कहा गया कि हम गलत प्राथमिकताओं को चुनते हैं। किन्तु मूल प्रश्न यह है कि यदि आप किसी भी चीज को किसी खास तरीके से पूरा करने के लिए किसी खास तरीके से योजना तैयार करते हैं तो यह सब गलतियां क्यों होती है? और इन गलतियों के क्या परिणाम निकलें है? भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ का अध्ययन यह दर्शाता है, मैं भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डलसंघ का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वह सरकार से सबसे नजदीक है और उनके आंकड़े मान लिए जाएंगे जबकि मैं कि समाजशास्त्री अथवा कि अन्य दृष्टिकोण से आकड़े प्रस्तुत करूं तो शायद वे इसे स्वीकार न करें। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग

महासंघ ने बताया कि निर्यात के क्षेत्र में हमारा निष्पादन, पिछली तीन योजनाओं के दौरान 9600 करोड़ रुपए कम रहा। इसका अर्थ यह हुआ कि हम लक्ष्य से 9600 करोड़ रुपय नीचे है। इसी प्रकार वे कहते हैं कि लक्ष्य की तुलना में रोजगार भी 1.44 करोड़ कम रहा। वे आगे कहते हैं कि औद्योगिक उत्पादन 49 प्रतिशत कम हो गया तथा खाद्यान्न 5.4 करोड़ टन कम हुआ। महोदय, सरकार ने इन पर तथा सम्बन्धित मामलों पर अब क्या कहना है ?

मैं चाहता हूं कि योजना मंत्री विशेष रूप से यह बताएं कि यह सब गलतियां क्योंकर हुई और आयोजनागत व्यय समय पर क्यों नहीं किया गया और आयोजनागत उद्देश्य प्राप्त क्यों नहीं हुए ? कोई आधारभूत कमजोरी है जिसका पता लगाना आवश्यक है। महोदय, मैं आपको बताता हूं जब तक धन के आधार पर योजना बनाते रहेंगे, जब तक हम कमी वाली वस्तु, अर्थात धन के आधार पर चलेंगे, हम इस समस्या का अन्त नहीं पा सकते। इस आयोजना का विकल्प है बाहुल्य के आधार पर आयोजना और यह है सामग्री के आधार पर योजना तैयार करना। हमारे पास श्रम-शक्ति है। विज्ञान और प्रोद्यौगिकी के क्षेत्र में श्रम शक्ति में सम्पूर्ण विश्व में हमारा तीसरा स्थान है। हमारे विश्व-विद्यालयों, भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थानों और मैडिकल कालेजों से 1,50,000 तकनीशियन निकल रहे हैं। हमारे पास उनके लिए क्या काम है। यह केवल प्रतिभा पलायन ही नहीं बल्कि प्रतिभा का दुरुपयोग भी है क्योंकि बहुत से बहुराट्रीय कम्पनियां डाक्टरों से दवाइयां बेचने का काम ले रही हैं। और अन्य कुछ लोग अमेरिका तथा इंगलैण्ड में नौकरी करने जा रहे हैं और प्रतिवर्ष 1200 करोड़ रुपये स्वदेश भेज रहे हैं जिससे यह सरकार बहुत प्रसन्न है। अब प्रश्न यह है कि भारत ने इन डाक्टरों, इन्जीनियरों और तकनीशियनों को तैयार करने में काफी खर्च किया है और अब वे कहां गए। वे एक ऐसे देश में गए हैं जो पहले से ही विकसित है। यदि वह अविकसित देश में जाता है तो मुझे कोई चिंता, परवाह अथवा नाराजगी नहीं है क्योंकि एक विकासशील देश के रूप में हम उनके बोझ को बाटेंगे। हम अमेरिका या इंगलैंड के लिए एक डाक्टर पर खर्च क्यों कर रहे हैं। वहां पर एक डाक्टर अथवा इंजीनियर को तैयार करने में—यदि मेरी जानकारी ठीक है— इंगलैंड और अमेरिका में एक डाक्टर के मामले में 10 से 15 गुणा अधिक खर्च होता है और एक इंजीनियर के मामले में यह इससे भी अधिक होता है। क्या हम इन इंजीनियरों और डाक्टकों को इन विकसित राष्ट्रों की श्रम शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार करते हैं, और साथ में उनका एहसान भी माने कि वे हमारे लोगों को खपा रहे हैं। इसलिए, अब हमें यह देखना होगा कि हमारी आयोजना प्रक्रिया और नीति पर आधारित है जो असफल हो चुकी है। वैकल्पिक नीति क्या हैं ?

वैकल्पिक नीति यह है कि हमारे पास श्रम-शक्ति है और जल के रूप में, वनों के रूप में, अच्छी भूमि के रूप में, धरती माता के रूप में, अच्छी धूप के रूप में, जीवनदायी धूप के रूप में प्राकृतिक संसाधन हैं तथा हमारे पास काफी बड़ी संख्या में प्रशिक्षित श्रम-शक्ति और अन्यकामगर देश में उपलब्ध हैं।

आप दोनों को साथ-साथ रखिये और आप को भी उसी तरह से परिणाम मिलेंगे जैसा कि हमारे पड़ोसी चीन ने समग्र अर्थ-व्यवस्था को प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था और आंशिक रूप से आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था में बदलकर, आर्थिक क्षेत्र में किया। हमारे पास एक आदर्श होना चाहिए। यह

आदर्श उस समग्री पर आधारित होना है जो कि प्रचुर मात्रा में है, मेरा अभिप्राय, तकनीकी जनशक्ति और सामान्य प्रकार की जनशक्ति तथा हमारे पास उपलब्ध आधारभूत संसाधनों से है।

लोह अयस्क का निर्यात करने की बजाय, मैंगनीज और वाक्साइट का निर्यात करने की बजाय हम इन खनिज पादर्थों को अपने देश में ही उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं ? हम इन खनिज पदार्थों को जापान जैसे देशों को जो कि इन खनिज पदार्थों को तैयार वस्तुएं के रूप में दुबारा निर्यात करते हैं क्यों निर्यात करना चाहिए ? हम न केवल लोह अयस्क का निर्यात करते हैं बल्कि कोयले का भी निर्यात करते हैं। यहां तक कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जो कि इस्पात के उत्पादन में हम से काफी पीछे है, उसने भी हमें 40,000 टन तक कच्चा लोहा वेचना शुरू कर दिया है। हम गोवा में उपलब्ध लोह अयस्क कुद्रेमुख में उत्पन्न आयरन पलेटों का उपयोग कर सकते हैं और हम इस प्रकार की कच्ची सामग्रियों के विपणन की योजना बना सकते हैं। यह 'स्वदेशी' की अवधारण अब कहां चली गई ? यह सब सामग्री हमारे देश से बाहर जा रही है, हमारे तकनीकी विशेषज्ञता भी इन देशों को जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है ? हमारे देश में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग यह सरकार क्यों नहीं कर रही ? सरकार किस बात की प्रतीक्षा कर रही है। जबकि सरकार पाराद्वीप में एक इस्पात संयंत्र लगा रही थी तो मुझे बताया गया था कि कुछ लोग ब्रिटेन जा रहे थे। मैं यह कहता हूं कि हम अपना इस्पात संयंत्र क्यों नहीं लगा सकते ? सरकारी क्षेत्र में हमारे पास मेकन कम्पनी है निजी क्षेत्र में हमारे पास दस्तूर एण्ड कम्पनी है। इसका अर्थ यह है कि तकनीकी जानकारी सम्बन्धी परामर्श और ऐसे लोग भी उनके पास हैं और हमारे देश में कच्चा माल भी उपलब्ध है। हमारे देश में रांची में भारी इंजीनियरी निगम और एक विशाल औद्योगिक कांपलेक्स है जो इस्पात का उत्पादन कर सकता है और यह उत्पादन प्रतिवर्ष एक लाख टन के लगभग हो सकता है। हम ये इस्पात मिलें स्वयं क्यों नहीं चला सकते बजाए उसके कि हम जापान आदि देशों को लोह अयस्क बेचें। अब, जापान अपना जहाज अपने राष्ट्रीय नौवहन का भी उपयोग कर रहा है ताकि गोवा से अयस्क ले जा सके। हम उनको ये अयस्क क्यों बेच रहे हैं ? हम गोवा और कुद्रेमुख में इन अयस्क को संसाधित क्यों नहीं कर सकते ? हम जापान इसलिए गए कि वह हमें ले जाने वाले लोह अयस्क का अधिक भाग हमें दे दे और उन्होंने मना कर दिया। ये बातें हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं हैं। इसलिए हमें औद्योगिक संसाधनों को हमारे देश में उपलब्ध पर्याप्त जनशक्ति के साथ मिलाना है।

इस समय गंगा बेसिन आयोग और ब्रह्मपुत्र बेसिन आयोग की रिपोर्टें कृषि मंत्रालय में उपलब्ध हैं। इन दोनों आयोगों ने सिफारिश की है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार इसके कुछ पहाड़ी इलाकों को छोड़कर पश्चिम बंगाल, जिसमें ब्रह्मपुत्र बेसिन के उत्तरी पहाड़ी इलाके को छोड़कर, यदि यहां भूमि के नीचे सुलभ जल केन्द्र संसाधनों का ठीक प्रकार व्यवस्था कर दी जाती है, यदि नदियों में बहते हुए पानी का उचित ढंग से उपयोग किया जाए तो हम 300 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन कर सकते हैं। और फिर छठी योजना का आकार कितना है जो हमें उस दिशा में ले जाता है ? छठी योजना में कहा गया है कि बाढ़ों के कारण प्रत्येक वर्ष हमें 1000 करोड़ रुपए के माल का नुकसान हो रहा है। सरकार दुःख से यह कहती है कि बाढ़ों के कारण भूमि की उपरी परत समुद्र में बह गई है और भारत का नाइट्रोजन की मात्रा का नुकसान हो रहीं है जो कि 700 करोड़ रुपये के नाईट्रोजन उर्वरक के बराबर है। सरकार का यह कहना है कि छठी योजना में भाखड़ा

नांगल और दामोदर घाटी निगम और तुंगभद्रा जैसे अन्य बांधों में रेत जमने की दर बहुत अधिक है और इससे कुछ मामलों में पानी का बहाव 1/ या 1/4 के लगभग कम हो जाएगा। दुःख की बात यह है कि इन बांधों के आस पास हमारे पास वैकाल्पिक स्थल नहीं हैं। इन सब बातों की जानकारी होने पर भी, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का इरादा क्या है। इस स्थिति से निपटाने के लिए छठी योजना में क्या प्रावधान किया गया है ? प्रत्यक्ष रूप से हमें पता है कि सभी नदियों की तलहटियों को गहरा करने का कोई प्रावधान नहीं है। इन जहां तक नदियों का सम्बन्ध है नदियों से रेत हटाने का कोई प्रावधान नहीं है।

इन पहाड़ी क्षेत्रों से जहां से छोटे 2 नाले इन बड़े बांधों तक पानी लाते हैं और ये बांध जो कि बहुत भारी लागत से बनाए गए हैं, इन बांधों के निकटवर्ती क्षेत्र की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने छठी योजना में यह नहीं बताया है कि वे इसके लिए क्या करेंगे। इस छठी योजना का क्या हो रहा है ? 1971-81 के दौरान, 10 वर्षों की अवधि में बाढ़ की चपेट में आने वाला क्षेत्र बढ़कर 2 लाख हैक्टेयर हो गया है। इस 2 लाख हैक्टेयर में वृद्धि के क्या कारण हैं और इसके लिए कौनसी त्रुटियां जिम्मेदार हैं ? मैं कहता हूं कि यह मानवीय कार्य है।

क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण (क) पानी ा रिस्ना, (ख) सड़कों, रेल लाइनों को गलत ढंग से बनाना जो पानी के बहाव को रोकते हैं और इसलिए काफी क्षेत्र में बाढ़ आई है। और इस सम्बन्ध में सरकार क्या-क्या सावधानियां बरतेगी ? छठी योजना में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इस सम्बन्ध में क्या किया जाएगा तकि ये घटनाएं भविष्य में न हों।

छठी योजना में यह भी नहीं बताया कि इसमें संसाधन कैसे जुटायें जायेंगे। हमारे पास संसाधन कहां से आयेंगे ? राज्यों से कहा जा रहा है कि ये अधिक से अधिक संसाधन जुटाएं। महोदय इस देश का दुर्भाग्य क्या है ? इस देश का दुर्भाग्य यह है कि लोगों पर बहुत अधिक कर लगाया जाता है। वर्ष 1950-51 में, प्रत्यक्ष-कर और व्यक्ति आयकर कुल राजस्व का 21·2 प्रतिशत थे। 1980-81 में, यह 7 प्रतिशत था। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्यक्ष कर और व्यक्तिगत आय सम्बन्धी कर कम हो गये हैं। यदि आप संसाधन जुटाए जाने पर दृष्टि डालें तो आप पायेंगे कि आज गरीब व्यक्ति आपकी इस योजना के लिए वास्तव में धन लगा रहा है। इसके लिए आप देखिये कि अप्रत्यक्ष कर संग्रह का कितना हिस्सा है।

1950-51 में, अप्रत्यक्ष कर कुल राजस्व का 63·2 प्रतिशत थे और 1980-81 में, यह बढ़कर 84·3% हो गया। अब अप्रत्यक्ष कर का मतलब है निश्चित तौर पर गरीब लोगों पर भार। यद्यपि आप अधिक से अधिक संसाधन जुटाने की मांग कर रहे हैं, तथापि आप माननीय संसाधनों का और अन्य राष्ट्रीय संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। योजना के लिए धन देने के संबंध में आप गरीब व्यक्ति पर अधिक से अधिक निर्भर हो रहे हैं। आप धनी लोगों पर से कर का बोझ कम कर रहे हैं और गरीब व्यक्ति पर यह बोझ अधिक डाल रहे हैं और फिर यह दावा करते हैं कि आपका उद्देश्य असमानता को दूर करना है। योजना मंत्री हमें यह बता रहे हैं कि मैं आपका सारा धन छीन लूंगा और आपको अमीर बना दूंगा; और मैं आपको और धन भी दूंगा और आपको गरीब

बनाऊंगा।" आप अपनी कर नीतियों को कैसे लागू कर रहे हैं ? यदि आप इन नीतियों को लागू करते हैं तो क्या उनसे असमानता दूर हो जाएगी ?

अब मैं सरकारी क्षेत्र पर आता हूं। सत्तारूढ़ दल के हमारे कुछ साथी हमेशा सरकारी क्षेत्र की आलोचना करते रहे हैं। और फिर सरकारी क्षेत्र किस तरह से उत्तरदायी था। मैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय से सम्बद्ध था। मैं अपने वहां के व्यक्तिगत अनुभव तक ही समिति रहूंगा। बरौनी, नामरूप, दुर्गापुर, कोचीन-एक और कोचीन-दो, ये सभी उर्वरक संयन्त्र कुछ इटालियन तकनीक से लगाए गए थे। वह तकनीक मौलिक रूप से गलत थी। इस तकनीक की सिफारिश उर्वरक के किसी तकनीकी व्यक्ति अथवा विशेषज्ञों द्वारा नहीं की गई थी। इटालियन ऋण के नाम पर यह तकनीक उन पर थोपी गई थी। आपको स्पष्ट रूप से पता है कि इटालियन ऋण का क्या मतलब है। इसका मतलब है बहुत से लोगों का अपमान, लेकिन चंद व्यक्तियों का सम्मान, सारे देश के सम्मान को धक्का, परन्तु कमीशन रूप में कुछ लोगों को सम्मान देना। उनको यह तकनीक बहुत समय पहले सातवें दशक में दी गई थी और आपने ये सभी संयंत्र लगाए हैं। उन उर्वरक कारखानों के बारे में मैं चाहूंगा कि योजना मन्त्री जी विशेष रूप से मुझे बताएं कि क्या निकट भविष्य में इस मुद्रास्फीति का अंत होगा ?

क्या वे कभी लाभ कमा सकेंगे ? क्या उनको ये नुकसान प्रबन्ध के दोषों, श्रमिकों की त्रुटियों, निजी क्षेत्र के कार्य के कारण ही हैं अथवा दोषपूर्ण तकनीक या सरकार द्वारा गलत तकनीक खरीदे जाने के कारण उनमें ये त्रुटियां हैं ? इसलिए, जब भी हम सरकारी क्षेत्र की बात करते हैं, हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि भारी इंजीनीयरी निगम जैसे संस्थानों का क्या हाल है ? हमें यह बात भी जाननी चाहिए कि सरकारी क्षेत्र के प्रति सरकार का क्या रवैया रहा है। सरकारी क्षेत्र को आधारभूत सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। कुछ दिन पहले मैंने आई० डी० पी० एल० के बारे में चर्चा की थी और रसायन और उर्वरक मन्त्री ने फबती कसी थी कि यह सब गड़बड़ आपके शासन के दौरान शुरू हुई थी। मैंने उनको बताया तथा बाद में अध्यक्ष महोदय को भी बताया था और मैं आपको भी बता दूं कि महोदय, आई० डी० पी० एल० में भी दुःख की बात यह है कि उन पर भी सरकार द्वारा यह तकनीक उनके शासन काल में 1971-77 में इस सरकार के नेता द्वारा थोपी गई थी और मैं यह आरोप भी लगाता हूं। उस शासन के दौरान उन्होंने इटालियन तकनीक को इस पर थोपा था जिसका प्रतिनिधित्व फार्माफिन नामक कम्पनी द्वारा किया गया था। यह तकनीक देने के बाद वह कम्पनी भी समाप्त हो गई; और गारन्टी की अवधि भी समाप्त हो गई। इसलिए, आज इन चार दवाइयों, अर्थात पेंनसिलिन, स्ट्रपटोमाइसिन; टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन, से काम चला रहे हैं। इन चार दवाओं के लिए, तकनीक इटली से खरीदी गई थी। इस सम्बन्ध में सारा भुगतान जनवरी 1977 के प्रथम सप्ताह में चुनावों की घोषणा होने से पहले कर दिया गया था।

आई०डी०पी०एल० को इरिथ्रोमाइसिन बनाना बंद करना पड़ा था। आई० डी० पी० एल० को वे परिणाम प्राप्त नहीं हुए जिनके लिए यह तकनीक खरीदी गई थी। और फिर वह कंपनी इटली में अब नहीं है। वो भी, इसके लिए थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं।

मैंने 12 पृष्ठ का एक टिप्पण लिखा है जिसमें बताया है कि भारत के हितों के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र में घाटे का कारण

यह नहीं क्योंकि यह सरकारी क्षेत्र है बल्कि इसका कारण राजनैतिक या राजनीतिक स्तर पर किए गये निर्णय जिसमें गलत और दोषपूर्ण तकनीक को बार-बार सरकारी क्षेत्र पर थोपा गया है।

इसमें दो प्रश्न हैं—क और ख। आज भी राज्य व्यापार निगम तथा आई०डी०पी०एल० जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, मैं इन सभी का नाम लूंगा। ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं हैं। या तो अध्यक्ष नहीं है, अथवा प्रबन्ध निदेशक नहीं है या कोई विशेष अल्पकालिक अध्यक्ष अथवा कोई और नहीं है। आप किस प्रकार आशा करते हैं कि सरकारी क्षेत्र कार्य कर सकेगा जब आप उसे काम करने ही नहीं देंगे ? यह प्रश्न क है।

प्रश्न ख यह है: जब हम सरकारी क्षेत्र को मूल्य ढांचे और मूल्य तन्त्र पर थोपते हैं तो क्या होता है ? सरकारी क्षेत्र एक आधारभूत ढांचा है। अन्य लोग लाभ कमाते हैं सरकारी क्षेत्र घाटे में जाता है। आज सरकारी क्षेत्र का निजी क्षेत्र के साथ कुछ इस प्रकार का सम्बन्ध है जैसे किसी गाय को दुहा जाए और चिकनाई किसी अन्य व्यक्ति अर्थात निजी क्षेत्र को मिले।

सभापति महोदय : आपने 22 मिनट ले लिए हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : महोदय, आप ठीक कहते हैं। किन्तु जब आप उस तरफ से बोल रहे थे तो आपने 22 मिनट से अधिक समय लिया (**व्यवधान**) फिर भी, आप कृपया मेरे साथ थोड़ी देर और बर्दाश्त करें।

इसलिए मैं आपको एक बात और कहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध लगाया गया आरोप मिथ्या है। किन्तु यह सरकार सरकारी क्षेत्र को इस प्रकार चला रही है जैसे यह किसी की व्यक्तिगत सम्पति हो जो यह सरकार चला रही है। सरकारी क्षेत्र को हमें इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की देखरेख में छोड़ना होगा प्रबन्ध में कर्मचारियों की हिस्सेदारी की बात कई बार योजना में की गई है। यह योजना अन्य किसी भी योजना से किस प्रकार भिन्न है।

इसके बारे में हमने दूसरी योजना में चर्चा की। दूसरी योजना के समय से ही हम इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। क्या माननीय योजना मन्त्री मुझे बता सकते हैं कि छठी योजना में कौन से विशेष कदम उठाए गए हैं, यदि निजी क्षेत्र में नहीं तो कम से क सार्वजनिक क्षेत्र में ही प्रबन्ध में कामगरों की भागेदारी के लिए छठी योजना में कौन से अनुदेश जारी किए गए हैं ?

मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश की योजना योग और सफल योगों के ऊपर चलती रही है। हमें यह जानना होगा कि इससे किसको लाभ पहुंचा और किस प्रकार से। यदि आप एक विशेष बात देखें कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब, अभी कुछ ही दिन पहले दूसरे सदन में बताया गया था कि बड़े व्यापार घरानों ने, जिनकी संख्या लगभग 200 है, पिछले तीन वर्षों में लगभग 532 करोड़ रुपये के कर की चोरी की। आपने अनुमान लगाया कि आपको निजी अथवा निगमित क्षेत्र से इतना कर प्राप्त होगा और निवल परिणाम यह है कि आपको 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में अनुमान से 532 करोड़ रुपये कम प्राप्त हुए। आप किस प्रकार योजना तैयार करेंगे। यदि आप यह आशा करते हैं कि आप जो अनुमान लगा रहे हैं उससे कम प्राप्त होगा जबकि मूल्य ऊपर जा रहे हैं।

महोदय जब आप उस तरफ से बोल रहे थे तो आपने एक बहुत ही प्रसांगिक बात कही कि मूल्य बढ़ रहे हैं इसलिए, इस प्रकार की वित्तीय अड़चनों से वास्तविक लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता।

दूसरी बात यह है कि आज कराधान नीति इस प्रकार की है कि गरीब कभी भी नहीं उठ सकता। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नामक एक बदनाम संस्था है जिसने हाल ही में 47 अविकसित देशों का अध्ययन किया और हमने यह पाया कि उन देशों में अप्रत्यक्ष कर 66 प्रतिशत है। जैसा कि मैंने आपको बताया भारत में वे 84 प्रतिशत हैं। विकसित देशों में भी अप्रत्यक्ष करों की स्थिति इतनी खराब नहीं है। आप इसका क्या कर सकते हैं ? हमने अपने हाथ पैर विदेशी सहायता और विदेशी ऋण द्वारा अपने आप बांध लिए हैं, क्योंकि जब यह विदेशी ऋण मिलता है--मैं एक बात कहना भूल गया, मुझे यहां अवश्य कहनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के साथ एक कठिनाई यह है कि उनमें आवश्यकता से अधिक पूंजी लगी हुई है, क्योंकि आप ढूंढ़ते हैं कि किस देश से ऋण प्राप्त होगा और कहां से उपस्कर मिलेंगे, और चूंकि उपस्कर किसी विशेष कम्पनी के लिए ही आते हैं, जैसा कि इंगलैण्ड के मामले में मैं जहां से आपको पारादीप की इस्पात संयन्त्र के लिए शायद 104 करोड़ रुपये की सहायता मिलने वाली है। यह सहायता इस्पात संयन्त्र की बढ़े हुए मूल्य वाली संयन्त्र द्वारा खपा दी जाएगी। वास्तव में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए, सार्वजनिक क्षेत्र इसी प्रकार चलता है।

जहां तथा सामान्य प्रश्न का सम्बन्ध है, योजनागत व्यय का सम्बन्ध है, योजना आयोग देखे की नियन्त्रक ओर महालेखा परीक्षक की वर्ष 1979-80 की रिपोर्ट में क्या कहा गया है। बिहार में वर्षों पहले, पांच या छः वर्ष पहले, मुझे ठीक से याद नहीं, मार्च के महीने और वित्तीय वर्ष के अन्त में 113 करोड़ रुपये खर्च किए गए, उनका कुछ पता नहीं है; और नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक का कहना है कि उन्हें मालूम नहीं कि यह धन कहां व्यय हुआ। उस पर लेखा परीक्षा आपत्तियां हैं। मुझे योजना आयोग के बारे में पता है। मुझे माननीय योजना मन्त्री की सीमाएं भी ज्ञात हैं। वे वास्तव में निगरानी नहीं रख सकते कि नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि अकेले वही मोनीटर है बाकी सभी विद्यार्थी हैं। हमारे देश में सभी जगह केवल एक ही मानीटर होता है बाकी सभी विद्यार्थी अथवा और कोई जो अध्यापन नहीं होता, होते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि वे किस प्रकार से सहायता करने जा रहे हैं ? छठी योजना में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि वे धन, जो कम मात्रा में है और जिस पर वे अपनी सारी योजना तैयार कर रहे हैं, के दुरुपयोग को किस प्रकार रोकने जा रहे हैं।

अन्त में, मैं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सम्बन्ध में नीति में परिवर्तन के बारे में कहना चाहता हूं। आप प्रत्येक बात में उदारता बरतते जा रहे हैं। वे खाद्यान्न, कृषि तथा प्रत्येक क्षेत्र में आ चुके हैं। आज इसका क्या परिणाम है। मैं केवल एक बात कहूंगा कि विभिन्न क्षेत्रों में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का आगमन चिंता का विषय है। इस क्षेत्र में उच्च तकनीक का प्रश्न कहां उठता है। कुछ वर्ष पहले किए एक अध्ययन से पता चलता है कि वे किस प्रकार से प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में घुस गए हैं जो उच्च तकनीकी क्षेत्र प्रतीत नहीं है—साधारण खाद्य संसाधन, बिस्कुट बनाना, डबल रोटी बनाने। यदि वे इस क्षेत्र में आते हैं और आप उन्हें विस्तार की अनुमति देते हैं और कालगेट, पामोलिक अथवा लीवर बन्धुओं के उत्पादन को नियमित करते हैं और वे पिछले तीन वर्षों के दौरान अपनी लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन करते हैं तो भगवान ही हमारा मालिक है।

अन्त में मैं यह कहूंगा यदि आप इस देश में योजना तैयार करना चाहते हैं तो (क) हमें अपने संसाधनों के आधार पर योजना तैयार करनी चाहिए; (ख) विभिन्न क्षेत्रों और इलाकों के आधार पर योजना तैयार करें। आप हिमालय के लिए किस प्रकार योजना तैयार करते हैं? लाहोल और स्पिति के लिए किस प्रकार योजना तैयार करते हैं? जैसलमेर के लिए किस प्रकार योजना तैयार करते हैं। आप मद्रास अथवा उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों अथवा इस प्रयोजन के लिए अन्य किसी क्षेत्र की योजना किस प्रकार तैयार करते हैं आप गढ़वाल की योजना किस प्रकार तैयार करते हैं, आप कुमाऊं के लिए क्या करते हैं? आप हिमाचल प्रदेश के मेंलाहोल और स्पिति का क्या करते हैं? आप हिमाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश के घाटी क्षेत्रों के लिए क्या करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग योजना नीति होनी चाहिए। और महोदय अन्त में मैं यही कहता हूं कि सरकार न तो नीति में और न ही तकनीक में भी परिवर्तन ला पाई है और इसलिए, हम असफल हुए हैं, बेरोजगार रहेंगे संसाधनों की कमी बनी रहेगी और मूल्य ऊंचे रहेंगे, लोगों को वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ऊंचे बिल देते रहेंगे और इस प्रकार से इस देश को विदित स्वार्थों द्वारा लूटा जाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे इस विशेष विषय पर भावनाएं व्यक्त करने का अवसर, भले ही देर से दिया गया।

सभापति महोद्रय : श्री रामप्यारे पनिका।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : सभापति महोदय हम कितने बजे तक बैठ रहे हैं।

सभापति महोदय : सात बजे तक। सदन की बैठक सात बजे तक होगी। मेरे विचार से सदन इससे सहमत है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उपस्थिति की सूचना अवश्य रूप से दी जाएगी।

सभापति महोदय : श्री रामप्यारे पनिका।

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्ट्सगंज) : मैं मंत्री महोदय का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना पर विचार करने का हमें अवसर दिया है। पिछले एक डेढ़ वर्ष से दोनों तरफ से प्रयास हो रहा है कि इस महत्वपूर्ण ड्राफ्ट पर चर्चा हो और आज हम उस चर्चा कर रहे हैं।

जैसा कि माननीय सदन जानता है इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता आदि रहे हैं। पिछले 30-35 वर्ष से जो हमारा योजनाबद्ध विकास का कार्यक्रम चला है उसको देखें तो पता चलेगा कि निश्चित रूप से देश में उत्तरोत्तर आर्थिक व्यवस्था में समृद्धि आई है, आधुनिकीकरण केवल कृषि उद्योग का ही नहीं बल्कि और भी बहुत से कार्यक्रम जो बिकास के हुए हैं उनका हुआ है और देश उत्तरोत्तर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। यह सही बात है कि प्लानिंग कमीशन ने कहीं भी तथ्यों को छिपाने का प्रयास नहीं किया है। जो भी खामियां रही हैं, योजना आयोग ने स्पष्टतः सदन और देश के सामने उनको रखा है। जिन्होंने इस

ड्राफ्ट को पढ़ा होगा उनको पता चल गया --होगा कि कमियों को छिपाने का प्रयास नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अभी भी हमारे देश का जो प्लानिंग है, जो अर्थ व्यवस्था है, वह काफी हद तक मौसम पर निर्भर करती है। यही कारण है कि यदि आप पांचवी योजना को देखें तो आपको पता चलेगा कि सकल देशी उत्पादन 5.2 प्रतिशत बढ़ा है। उसका कारण यह था कि उन दिनों हमारा कृषि का उत्पादन मौसम ठीक होने के कारण ठीक हुआ। इस कारण कोई यह नहीं कह सकता है कि योजना आयोग ने या योजना मंत्री जी ने तथ्यों को छिपाने की कोशिश की है। विरोधी पक्ष के लोगों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि बहुत से तथ्यों को छिपाया गया है, मैं उसको ठीक नहीं समझता हूं।

आंकड़ों में जाना मैं नहीं चाहता हूं। मैं बुनियादी बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में जो मिड टर्म रिव्यू किया गया है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। योजना आयोग ने रिजनल इम्बैलेंसिस को दूर करने के लिए छः प्रकार के पिछड़े क्षेत्र घोषित किए हैं। एक तो दिल्ली, एरियाज है जिन का माननीय बहुगुणा जी जिक्र कर रहे थे, एक डैजर्ट एरियाज हैं, एक ड्राफ्ट प्रोन एरियाज हैं, एक कोस्टल एरियाज हैं, एक ट्राइबल एरियाज हैं जहां से सभापति महोदय आप आते है आदि। इन सब एरियाज को पहले से ही आइडेंटिफाई प्लानिंग कमिशन ने कर रखा है और कह रखा है कि उनके लिए विशेष कार्यक्रम अपनाने की जरूरत है। पिछली योजनाओं में और इस योजना में भी अलग से इस विस्तार से चर्चा की गई है और इन एरियाज के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। ये कार्यक्रम आपके उड़ीसा के कोस्टल एरियाज के लिए और पिछड़े क्षेत्रों के लिए भी बने हैं। इन पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए जितने कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, उनकी मौनीटरिंग के लिए प्लानिंग कमीशन के पास कोई व्यवस्था नहीं है। उसका नतीजा यह है कि हम पिछड़े क्षेत्रों को ऊपर उठाने की जो बात करते हैं, उस अनुपात में वे क्षेत्र ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, जिस गति से उनको उपर उठना चाहिए, जिस रफ्तार से यह सरकार और हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी उनको ऊपर उठाना चाहती हैं।

मान्यवर, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा जिला इलाहाबाद है, जहां पर डी पी ए पी का प्रोग्राम चल रहा है। उसके आस पास के चार-पांच जिलों के बारे में भी मैं जानता हूं, वहां पर भी यह प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि इस कार्यक्रम के कारण वहां पर इरीगेशन पोटैन्शयल पैदा हुआ है। लेकिन उसके लिए कोई कमाण्ड एरिया नहीं है। वहां पर खेत में काम करने वालों का यह हाल हो गया है कि भूमि को किसानों से लेकर उनको बंधेज बना दिया गया है। लेकिन उसमें नहरें नहीं बनाई गई हैं। उसका ही यह नतीजा सामने आ रहा है। आपके पास स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट आ जाएगी। उप हैड में जितना पैसा था, उसको खर्च कर दिया गया, यूटिलाइज कर दिया गया। प्लानिंग कमीशन भी उसको मान लेगा कि वहां डैवलपमैंट हो रहा है। इसलिए में चाहूंगा कि इन पिछड़े क्षेत्रों के लिए, जैसा कि अभी कैनाल के बारे में जिक्र किया गया, राजस्थान का जो डैजर्ट एरिया है, उन छः प्रकार के क्षेत्रों के लिए योजना बनाई जानी चाहिए। उनकी मौनीटरिंग करना बहुत जरूरी है। केवल आप स्टेट गवर्नमैंट की रिपोर्ट पर ही निर्भर न करें बल्कि कोई न कोई प्लानिंग सैल बनाया जाए जो उसको देखें। साथ ही वह सैल केवल पिछड़े क्षेत्रों को ही नहीं, देश में जितने शैडयूल्ड कास्टस और शैडयूल्ड ट्राइब्स तथा अदर बैकवर्ड कम्यूनिटीज हैं,

उनको ऊपर उठाने के जितने भी कार्यक्रम हैं, उनके बारे में यह बात सही है और प्लानिंग कमीशन ने भी उसे माना है कि पिछले 35 वर्षों के दौरान जहां देश का एक ओर उत्पादन बढ़ा है, लेकिन उसके साथ इन क्षेत्रों के लोगों को जो सामाजिक न्याय मिलना चाहिए था, उस हद तक हम वह उनको नहीं दे पाये हैं, जिस हद तक हमें देना चाहिए था। इसीलिए जब हमारी माननीय प्रधान मंत्री महोदया वर्ष 1980 में दोबारा सत्ता में आई तो इन वर्गों के लिए स्पेश्यल कम्पोनेंट प्लान और ट्राइबल सब-प्लान तथा इन्टीग्रेटिड प्लान बनाए गए। वैसे कुछ पहले से ही चले हुए थे, लेकिन उन्होंने इन वर्गों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों पर ज्यादा जोर दिया। आप जानते ही हैं कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम में उसी की ओर संकेत किया गया है कि हमें देश के गरीबों को ऊपर उठाना है। लेकिन आज क्या हो रहा है। वैसे तो यह सुविचारित प्लान है, लेकिन हमारे देश के जितने नेशनैलाइज्ड बैंक्स हैं, उनको इस दिशा में जितना कोआपरेशन देना चाहिए था, जितना सहयोग देना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : सत्तारूढ़ दल के लगभग सभी स्थान खाली हैं। मैं उनको दोष नहीं देता क्योंकि उपस्थित न रहना उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। किन्तु हमें नहीं मालूम था कि हम 7.30 तक बैठने जा रहे हैं। संसदीय कार्य से संबंधित हमारी एक बैठक है। इसलिए आज हम इसे सांय 6.30 पर स्थगित करके कल शुरू कर सकते हैं।

सभापति महोदय : कुछ समय पहले ही मैंने सदन की राय पूछी थी। तब किसी ने आपत्ति नहीं की थी।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रत्येक स्तर पर योजना की पुनरीक्षा की जा सकती है।

श्री राम प्यारे पनिका : मान्यवर, मुझे तो कम से कम बोलने दीजिए।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जितने देश में हमारे नेशनेलाइज्ड बैंक्स हैं, उनको इस दिशा में जितना सहयोग देना चाहिए था, वह हमें नहीं मिल रहा है। उसका नतीजा यह हो रहा है कि हम हर ब्लाक में 600 लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के जिस अभियान को लेकर चले हैं, वह हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। हम उसमें असफल हो रहे हैं। मैं मिर्जापुर की बात कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी ऐसे कई इलाके हैं, जहां से हमारे साथी हमसे मिलते रहते हैं और हमें वहां की जानकारी भी मिलती रहती है, उस सब से स्पष्ट है कि जब हमारा मिड टर्म एप्राइजल हो रहा है, प्लानिंग कमीशन के द्वारा, उससे भी स्पष्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं माननीय प्लानिंग मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आपस में बैठकर कोई निर्णय लें। इत्तफाक से यहां पर हमारे बैंकिंग कार्य मन्त्री श्री पुजारी जी भी बैठे हुए हैं। उनसे भी मेरी यही बिनती है कि आप स्टेटस में जाएं और देखें कि उनको इस कार्य के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है, हमारे नेशनेलाइज्ड बैंक्स उसको दें। वहां के नेशनेलाइज्ड बैंक्स ने इस विषय में अब तक कितना पैसा दिया है। मैं कहता हूं कि बैंकों के सहयोग के अभाव में हमारे यहां जो लोग ऊपर उठाये जाने थे वह कार्य नहीं हो रहा है।

मान्यवर, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, निश्चित तौर से पिछले दो सालों में आपने जिस तरह से पुनः प्लानिंग की, जब कि आप रोल्ड कर दिए गए, आपने जिस तरह रोलिंग प्लान बनाया, लेकिन उसमें इसको बिल्कुल ताक पर रख दिया गया ।

श्री बहुगुणा भी उस सरकार में थे । वह हमारे नेता रहे हैं और मैं उनका बड़ा आदर करता हूं । वह प्लानिंग कमीशन की बहुत तारीफ करने वाले थे । लेकिन न जाने क्या चेंज हो गया कि उस वक्त प्लानिंग के बेसिक प्रिंसिपल्ज को भी ताक पर रख दिया गया । श्री मधु दंडवते भी उस सरकार के सदस्य थे । रोलिंग प्लान बना कर प्लानिंग को तहस-नहस कर दिया गया ।

लेकिन देश ने पुनः श्रीमती इन्दिरा गांधी को सत्ता सौंपी । मैं प्लानिंग कमीशन को धन्यवाद देता हूं कि उसने और उस समय के प्लानिंग मिनिस्टर और वर्तमान प्लानिंग मिनिस्टर ने बहुत थोड़े समय में छठी पंच-वर्षीय योजना तैयार कर दी । इस बात की किसी भी माननीय सदस्य ने तारीफ नहीं की है । इस सदन को अभारी होना चाहिए कि देश के आर्थिक और सामाजिक विशेषज्ञों और राजनीतिज्ञों सब ने मिल कर बहुत शीघ्र यह योजना प्रस्तुत कर दी ।

यह कहना ठीक नहीं है कि सारे पब्लिक सैक्टर में दोष हैं । 1980 के बाद देश में कई क्षेत्रों में इन्फा-स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है और सीमेंट, लोहे तथा कोयले आदि का उत्पादन बढ़ा है । बिजली का उत्पादन 11 परसेंट बढ़ा है । मैं समझता हूं कि हमें पब्लिक सेक्टर की नीति को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसे और पुष्ट करना चाहिए । सामाजिक हितों के कार्यक्रमों को चलाने के लिए प्राईवेट सेक्टर आगे नहीं आ सकता है । आज जरूरत इस बात की है पब्लिक सेक्टर की कमियों और खामियों को दूर किया जाए । इस साल पब्लिक सेक्टर का कार्य बहुत अच्छा रहा है ।

जब हमने मिक्सड इकानोमी को अपनाया है, तो प्राईवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को आगे बढ़ाना चाहिए । लेकिन दिक्कत यह है कि प्राईवेट किसी न किसी प्रकार सरकार, पब्लिक और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर करता है । वह केवल नाम के लिए प्राईवेट सेक्टर है । मैं चाहूंगा कि प्लानिंग मिनिस्टर उसके लाभ और सभी गतिविधियों को अधिक से अधिक कंट्रोल करें, क्योंकि उसमें केवल कुछ व्यक्तियों की पूंजी नहीं लगी हुई है । वास्तव में बहुत हद तक वह भी पब्लिक सेक्टर ही है ।

देश निश्चित रूप से आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ रहा है । छठे प्लान में कृषि और उद्योग के विकास की ओर खास ध्यान दिया गया है । उसका एक मत्वपूर्ण लक्ष्य सामाजिक न्याय भी है, जिसके लिए 20-सूत्री कार्यक्रम, आई आर डी पी, स्पेशल काम्पोनेंट प्लान, ट्राइबल सब-प्लान आदि बहुत सी विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं । लेकिन अगर इस प्लान के टारगेट्स को प्राप्त करना है, तो निश्चित रूप से संसाधन जुटाने पर जोर देना होगा ।

अभी कहा गया है कि भूमि-सुधार नहीं हुए हैं । इस क्षेत्र में काफी काम हुआ है और इसका नाजायज फायदा भी वी जे पी के लोगों ने उठाया है । काफी जमीन बांटी गई है । इसमें जो कमियां हैं, उन्हें दूर करना चाहिए । श्री बहुगुणा को आश्चर्य होगा कि जनता सरकार ने भूस्वामियों को अपनी जमीनों पर फिर से कब्जा करने के लिए कह दिया था ।

बड़ी मुश्किल से जब हमारी सरकारें बनीं केन्द्र में और राज्यों में सब उन जमीनों के जिनके पहले पट्टे दिये गए थे गरीबों को उनका कब्जा फिर से दिलाने की कार्यवाही चलाई। अभी हम 50 प्रतिशत जमीन का ही वितरण कर पाए हैं। इसीलिए जो सीलिंग से, ग्राम समाज की जो जमीनें हैं उसको हरिजनों, गिरिजनों, भूमिहीनों में वितरित किया जाए और कृषि के विकास के लिए उन गरीबों को साधन दिये जायें। और बैंकों ने जो जमानत वाली शर्त रखी है उसको हटाया जाए। हालांकि सरकार ने कहा है कि 5,000 रु० तक बैंक बना किसी जमानत के गरीबों को दे सकते हैं। लेकिन कोई भी नेशनेलाइज्जड बैंक देश का इसका पालन नहीं कर रहा है। इसीलिए जो भी नीति और कार्यक्रम यहां से बनता है उसका पालन हो, राज्य भी उसका पालन करें चाहे वह वेस्ट बंगाल ही क्यों न हो। लोक दल पार्टी तो गरीबों में विश्वास ही नहीं करती है क्योंकि किसानों का नारा लगा कर उन्हीं का दोहन करती है। यदि किसानों के लिए किसी ने कुछ किया है तो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ही किया है। यह लोग बड़े उद्योगों की खिलाफत करते हैं, लेकिन आज अगर फर्टिलाइजर्स, लोहा, सीमेंट आदि के कारखाने न होते तो किसान कैसे अपना विकास करता ? प्लानिंग का एक ही उद्देश्य है—आधुनिकीकरण। किसका ? कृषि और उद्योगों का। आपने देखा जब प्लानिंग शुरू तो हुई थी तो हमारे यहां केवल वस्त्र उद्योग के अलावा और कोई उद्योग नहीं था। लेकिन बाद में हमने इस्पात में, तेल में, लोह धातु में नई नई टेक्नालाजी का विकास किया। माननीय बहुगुणा जी को प्रधान मन्त्री पर जो लांछन लगाना था वह लगा दिया कि इटली से···

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : वह नहीं जानते हैं कि देश में कौन सी प्रोद्यौगिकी आई है और तेल क्षेत्र के लिए इटली से कौन सी प्रोद्यौगिकी देश में आई है।

श्री रामप्यारे पनिका : जो आपने कहा कि उन लोगों से मंगा कर फर्टिलाइजर्स का कारखाना यहाँ लगा दिया। मेरा कहना है कि हमारी सरकार, प्लानिंग मिनिस्टर, और प्लानिंग कमीशन ने कोई ऐसी बुनियादी चीज, जो देश के विकास के लिए जरूरी है, उसको नहीं छोड़ा और हम आत्म-निर्भरता की ओर आगे बढ़े हैं जिसके कारण बावजूद मौसम खराब होने के पिछले साल भी हमने 139 मिलियन टन अन्न का उत्पादन किया, बावजूद रा-मैटीरियल की कठिनाई के हमारा उद्योग आगे बढ़ा है, और ऐक्सपोर्ट भी बढ़ाने जा रहे हैं। यह अच्छी प्लानिंग की ही देन है। प्लानिंग कमीशन ने देश की बैकवर्डनेस को समझ कर ही ऐसा प्लान बनाया है देरी हो सकती है, लेकिन जिस दृढ़ता से हम आगे बढ़ रहे हैं निश्चित ही उससे देश आगे बढ़ेगा और जो सामाजिक अन्याय है वह दूर होगा, गरीब ऊपर आयेंगे। और यह तमाम प्रकार के लोग जो क्षेत्र और सम्प्रदाय की बात करते हैं और वोटरों को गलत नारे दे कर खुश करते हैं वह देश का अहित ही कर रहे हैं। जब पिछला बंगाल का चुनाव हो रहा था तो सारे उद्योगपति सी० पी० आई० और सी० पी० एम० के लोगों के साथ थे। कारण यह है कि बंगाल में इन्जीनियरिंग उद्योग इन्होंने चौपट कर दिया, जूट का उद्योग समाप्त कर दिया···

इन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया। इनका देश की प्रगति से कोई मतलब नहीं है। लोगों को उकसा कर यूनियनें बनाना और छोटे तथा बड़ों की लड़ाई कराना और बर्बाद करना।

हमारी जो कांग्रेस सरकार है, हमारी जो नेता हैं, श्रीमती इन्दिरा गांधी, उनके नेतृत्व में और प्लानिंग मिनिस्टर के नेतृत्व में जो प्रगति के काम हो रहे हैं, उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। खास तौर से इसलिए धन्यवाद देता हूं, जब सारा प्लान विरोधियों ने रोज करके ताक पर रखा था, उसको उठा कर इन्होंने रोज किया है और सुव्यवस्थित ढंग से हमारे विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं। मुझे आशा है कि जिन कमियों की ओर संकेत किया गया है, उनको वे दूर करेंगे।

अंत में, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। अभी हम लोगों पर यह आरोप लगाया गया कि इससे आशा नहीं की जा सकती कि इससे हमारा विकास बढेगा। मैं कहना चाहता हूं कि क्या उनको दो-ढाई साल में जो देश की प्रगति हुई है, उनको नजर नहीं आती है। वे पार्टी पालिटिक्स से ऊपर उठकर, देश की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र का ध्यान करते हुए, उनको इस प्लान को सर्वसम्मति से स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, जब से नई कांग्रेस (आई) सरकार बनी तब से पहली बार हम इस सभा में योजना सम्बन्धी दस्तावेजों पर विचार कर रहे हैं। पहले से अब बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जनता शासन के दौरान जब हम योजना सम्बन्धी दस्तावेजों पर विचार करते थे तो प्रधान मंत्री पूरे समय उपस्थित रहते थे क्योंकि प्रधान मंत्री योजना आयोग के चेयरमैन हैं। आज तो चेयरमैन ही उपस्थित है और नहीं कोई सदस्य। श्री वेंकटरामन भी सदस्य हैं तथा अन्य सदस्य भी यहां उपस्थित नहीं हैं। इसलिए मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं कि सभा में कोरम नहीं है तथा जब तक कोरम नहीं होता तब तक मैं नहीं बोलूंगा। इसलिए पहले आप कोरम की सूचना भिजवाइए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : उन्होंने जानबूझ कर कोरम नहीं रखा है जिससे कि डिवेट ही खत्म हो जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : कोरम की घंटी बजाएं। अब कोरम पूरा हो गया है अब माननीय सदस्य डा० सुब्रह्मण्यम स्वासी आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि योजना आयोग के कुछ सदस्य आ गये हैं। पता नहीं यह योजना भवन में भी बैठक में उपस्थित रहते हैं या नहीं।

पिछले तीन वर्षों में योजना प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही रहा है कि योजना प्रक्रिया का पूरी तपह अवमूल्यन हो गया है। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : वह लोग फिर से जा रहे हैं?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्हें जाने दीजिए उन्हें फिर से बुला लेंगे। **(व्यवधान)** आप जा सकते हैं। आप को फिर से बुलाया जा सकता है।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : क्या हम जा सकते हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : हम दोबारा कोरम की घंटी बजवाएंगे। जाओ जाओ यार तुम को तो जाना ही है। हम तो सभा में ही रहेंगे पर तुम्हें भेज कर ही जाएंगे।

प्रो० मधु दन्डवते : क्या अनुपस्थित भू-स्वामी हैं। (**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्री सईद, आप तो संयुक्त राष्ट्र संघ जाइए। आप यहां क्या कर रहे हैं ? (**व्यवधान**) वह दोनों तरफ से पैसा बटोर रहे हैं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ से भी पैसा मिल रहा है और यहां से भी। यह सब क्या है ?

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : मैं आपको हिस्सा दे दूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ठीक है यहां मैं आपकी जगह लेने के लिए तैयार हूं। (**व्यवधान**)

मूलत: जब हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करते हैं तो हमें उसके दोनों पक्ष —उसका बनाया जाना तथा उसे क्रियान्वित किया जाना—देखने होते हैं। मैं कह सकता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना के दोनों पक्ष बेकार तथा असफल रहे हैं। जनता सरकार द्वारा बनाई गई योजना में पूरी तरह विचार विमर्श हुआ था जिसमें राज्य भी शामिल थे। एक प्रारूप तैयार किया गया था। उसके बाद एन० डी० सी० ने उसे पास कर दिया था तथा तब उसे क्रियान्वित किया गया था। परन्तु इन लोगों ने उसे अपनी अज्ञानता के कारण बदल दिया।

एक सदस्य ने 'रोलिंग प्लान' के बारे कुछ कहा था। अब वह यहां उपस्थित नहीं हैं। 'रोलिंग प्लाई' क्या है यह कोई नई योजना या नई तकनीक नहीं है। यह तो पुरानी तकनीक है जिसे हम 1952 से प्रयोग कर रहे हैं। अब इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया है। 'रोलिंग प्लान' से तात्पर्य है कि लगातार मूल्यांकन करना। पहले बीच में मूल्यांकन किया जाता था। जनता शासन के दौरान हमने यह तय किया कि हम इसका हर वर्ष मूल्यांकन करेंगे और उसके आधार पर हमने लक्ष्य बदल दिया। योजना की तकनीक, ढ़ाचे या प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। जहां तक इसकी पुनरीक्षा का प्रश्न है हमने हर ढाई वर्ष के स्थान पर प्रति वर्ष इसकी पुनरीक्षा का निश्चय किया था। यही 'रोलिंग प्लान' था। परन्तु उन्होंने इसे कुछ और बना दिया— कि हम इस योजना में उतार-चढ़ाव कर रहे हैं। अज्ञानता की भी हद है। परन्तु उनका काम ऐसे ही चलता है और वह ऐसे ही योजनाएं बनाते हैं।

नया प्रारूप अनुमोदित होने से पहले ही क्रियान्वित किया जाने लगा। वास्तव: में वार्षिक योजना 1980 से शुरू हुई थी तथा सरकार को अभी तक यह नहीं पता है कि इसकी क्या खासियत है।

जनता सरकार की योजनाएं स्पष्ट थी कृषि को प्राथमिकता देना, आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण, छोटे उद्योगों को प्रमुखता प्रदान करना। जनता योजना के यह सभी मुद्दे स्पष्ट थे तथा सब की समझ में यह आ गया था कि वह एक नई योजना है कि नई दिशा है। परन्तु इस सरकार की छठी पंचवर्षीय योजना को मैं ऊपर से नीचे तक पढ़ गया हूं और मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मैंने उसका विश्लेषण भी पढ़ा है, उसका न तो उद्देश्य ही समझ में आता है न योजना ही। इसलिए इसकी तो परिकल्पना ही गलत है। दूसरी बात यह कि·····

उपाध्यक्ष महोदय मैं इसे विस्तार से बताना चाहूंगा ताकि आपको भी कुछ लाभ हो। मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूं। कृपया जल्दबाजी न करें। अन्यथा मैं कल भी बोलूंगा। जब उन्होंने जनता योजना को बदला तो उन्होंने जनता शासन द्वारा शुरू किए गए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को खत्म कर दिया। काम के बदले अनाज, ग्रामीण रोजगार और अन्तयोदान ये ऐसे कार्यक्रम थे जिनसे गरीबों को सीधा फायदा हुआ। आप देश में कहीं भी जाकर पूछिए कि आपको काम के बदले अनाज कार्यक्रम से लाभ हुआ था। सभी यह कहते हैं कि पहली बार उनके हाथ कुछ आया। पहली बार जनता तक योजना पहुंची। जनता को बताया गया कि 'यह एक नई योजना है।' और उन्होंने स्वयं इस चीज को देखा। नई सड़कें बनाई गईं, कुएं खोदे गए और उन्हें इसके लिए मजदूरी मिली। जनता का योजना से सीधा सम्बन्ध था। आजकल योजना बिल्कुल कागजी है। किसी को नहीं मालूम इसका क्या मतलब है क्या तात्पर्य है। परन्तु जनता शासन के दौरान इन कार्यक्रमों के कारण इसका तात्पर्य सबकी समझ में आ गया था। आजकल तो बस नए-नए नाम दे दिये जाते हैं किसी को नहीं मालूम इनका क्या अर्थ है। मेरे विचार से बहुत से लोग दफ्तरशाही स्तर पर इसे नष्ट किए दे रहे हैं। जनता का आज योजना से कोई सम्बन्ध नहीं है।

इसी प्रकार, योजना बनने के बाद तथा उसे अनुमोदित किए जाने से पहले ही वार्षिक योजना बनी और नया 20 सूत्री कार्यक्रम बना। किसी को भी नहीं मालूम कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्या है। किसी कार्यक्रम को आप 20 सूत्रीय कार्यक्रम कैसे कह सकते हैं। मुद्दों की एक सूची बनाने को कार्यक्रम नहीं कहते। कार्यक्रम उसे कहते हैं जिसका कोई लक्ष्य हो, प्राथमिकता हो, उसे पूरा करने की कोई योजना हो तथा उसके लिए संसाधन हों। इसके लिए संसाधन कैसे जुटाए जा सकते हैं? तभी वह कार्यक्रम कहला सकता है। यदि आप केवल यही कहें कि हमारे पास अधिक पेड़ हों, अधिक साक्षर व्यक्ति हों तथा जीवन यापन के अच्छे साधन हों तो यह कार्यक्रम नहीं कहलाता। आप यह बात जानते हैं। तमिलनाडु में एम० जी० आर० जब मुद्दों की सूची तैयार करते हैं वह कार्यक्रम नहीं होता। मुद्दों की सूची बनाना ही कार्यक्रम नहीं होता। इसलिए यह 20 सूत्रीय कार्यक्रम कोई कार्यक्रम नहीं है। इन्हे यह नहीं मालूम कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्या होता है। सभा के बाहर मुझे एक कांग्रेसी मिले और मैंने उनसे पूछा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम कैसा है तो उन्होंने कहा—अदभुत। मैंने पूछा यह किस प्रकार का कार्यक्रम है? उन्होंने कहा यह उन्हें नहीं मालूम परन्तु कार्यक्रम अदभुत है। यह उनकी समझ है। छठी पंचवर्षीय योजना से इसका क्या सम्बन्ध है—उन्हें नहीं मालूम। इसकी आवश्यकता ही क्या थी?

योजना से अपनी आर्थिक नीति का पूरा विवरण मिल जाता है। और यदि योजना सही नहीं है तो उसका प्रारूप फिर से तैयार किया जाना चाहिए। उसके ऊपर से आप 20 सूत्रीय कार्यक्रम थोप रहे हैं। उसके क्रियान्वयन के लिए आप समितियां नियुक्त कर रहे हैं। परन्तु ऐसा नहीं है।

ऐसा आत्मनिर्भरता का हाल है। मैं आप से दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से कोई ऐसे आंकड़े दिखाए जिससे यह पता चले कि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य ध्यान में रखा गया है। वास्तव में यह लक्ष्य ही नहीं रखा गया है। जनता योजना में, योजना के लिए जो राशि रखी गई थी उसमें कटौती की गई थी। हमने कम से कम राशि इसके लिए रखी थी। वास्तव में यह अदायगी की राशि से कुछ ही अधिक थी हमने यह कोशिश की थी कि इसकी स्थिति 'जीरो नैट एड' की स्थिति रहे परन्तु उन्होंने

इसे बदल दिया, बदला ही नहीं वरन विदेशी कर्जा भी लिया गया जो कि विदेश से ऋण लेने के कारण बढ़ता जा रहा है। पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में तो किसी तर्क की गुंजाइश ही नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव में श्री बहुगुणा ने, मैंने तथा कई अन्य सदस्यों ने उठाया था। परन्तु सरकार से कोई उत्तर नहीं मिला। श्रीमती गांधी ने कहा था कि आप श्रीमती गांधी को —या जो कुछ भी वह खुद को कहती हैं—यह बताने का दुःसाहस कर रहे हैं कि आत्मनिर्भरता क्या है ? हम बच्चे नहीं हैं। मैं यह दुःसाहस कर सकता हूं। मैं इस सरकार पर यह आरोप लगता हूं कि आपने आत्मनिर्भरता बेच दी। स्वतन्त्रता आन्दोलन का यह मुख्य लक्ष्य था जिसके लिए देश ने इतने बलिदान किए और जिसके लिए महात्मा गांधी अड़े रहे। उसे छोड़ दिया गया। यदि आप आंकड़े देखना चाहें तो मैं आपको आंकड़े भी दिखा सकता हूं कि आत्म निर्भरता के स्थान पर विदेशी ऋण बढ़ रहा है।

अब निर्माण की प्रक्रिया छोड़ दी गई है। आयात की उदार नीति से आत्मनिर्भरता समाप्त हो रही है। आजकल सब वस्तुओं का आयात किया जा रहा है। जो वस्तुएं हमें नहीं भी चाहिए उनका आयात किया जा रहा है। बिलियर्ड बॉल का आयात हो रहा है। आपको तो यह मालूम होगा, आप बिलियर्ड खेलते हैं। ऐसा क्यों ? सोडा ऐश का आयात हो रहा है। इसलिए सोडा ऐश उद्योग में गिरावट आ गई है। सोडा ऐश उद्यमियों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे यहां ढेर सा सोडा ऐश है परन्तु वह बिक क्यों नहीं पा रहा है। उद्योग में गिरावट आ गई है। मैंने ऐसे 25 उद्योगों की सूची दी है जिसमें स्टॉक जमा हो रहा है। परन्तु वह उसी चीज का आयात कर रहे हैं। जब मैंने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से इस विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमें 5,500 करोड़ रुपये दिये हैं जिन्हें किसी चीज पर खर्च करना है। इसलिए हम इन्हें बिलियर्ड बॉलों, सोडा ऐश तथा ऐसी चीजों पर व्यय कर रहे हैं जो हमारे यहां हैं।

एक माननीय सदस्य : वह सैकरीन का भी आयात कर रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी हां यदि आप आयात की जाने वस्तुओं की सूची देखें तो आपको बड़ी हैरानी होगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हाल ही में मैं इग्लैंड के दौरे पर गया था। ब्रिटिश सरकार ने मुझे आमंत्रित किया था। वहां मैं काफी महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिला। उन सभी ने कहा कि "पहली बार भारत में ऐसा भ्रष्टाचार देखने में आया है।" उन्होंने बताया कि "राज्य व्यापार निगम के अधिकारी यहां आते हैं तथा वह कहते हैं कि इस समझौते को पूरा करने के लिए इन्हें कमीशन चाहिए। हम वाकई हैरान रह जाते हैं." और यह कमीशन 'एक्स', 'वाई', 'जैड' को दिया जाएगा। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। श्री बहुगुणा ने इटली की बात की थी। उन्हें इटली के व्यक्तियों की बात अधिक मालूम है। इग्लैंड के निवासियों ने बताया कि यहां सरे आम यह कहा जाता है कि भारत में यदि कुछ चाहिए तो कमीशन दीजिए और ले लीजिए भारत की प्रतिष्ठा बहुत ही कम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, संसार में कहीं भी जाओ सब जगह भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार की चर्चा है। ऐसा आयात की उदार नीति के कारण हुआ है। जिसकी हमें जरूरत नहीं है।

यही बात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में कही जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मैं ऋण लेने के खिलाफ नहीं हूं। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या हमें 5,500 करोड़ रुपए की जरूरत है,

नहीं है। इनके सत्ता में आने से पूर्व हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 800 करोड़ रुपया वापस कर दिया था। हमें लगा इसकी जरूरत नहीं है। 800 करोड़ रुपया हमने उन्हें वापस कर दिया—ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश, हमारे आपसी मतभेद हो गए तथा हम जनता को इस विषय में नहीं बता पाए। योजना दस्तवेजों में इसका जिक्र है। इकॉनामिक सर्वे, में भी इसका जिक्र है। इन सब दस्तावेजों से आप को पता चल जाएगा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 800 करोड़ रुपया वापस कर दिया। वह लोग काफी चिन्तित थे क्योंकि उनके पूंजी बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

हमारे द्वारा ऋण वापसी के तुरन्त पश्चात् उनके बाजार में मन्दी आ जाती है क्योंकि हम लोग ही अमरीकी पूंजी बाजार के उपभोक्ता हैं। जब उन्हें पता चला कि भारत उनसे पूंजी नहीं ले रहा है, तो उन्हें चिन्ता होने लगी। अतः हमें यह पता है कि 5500 करोड़ रु० का यह ऋण जरूरी नहीं है। कैसे लौटाया जाएगा ? इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है। हमें पता है कि हमें 12 या 13 प्रतिशत ब्याज देना है। इसका अर्थ है कि जनवरी, 1982 से 9 वर्षों के लिए हमें 1000 करोड़ रु० प्रतिवर्ष की किस्तों में 9000 करोड़ रु० अदा करने हैं। 1000 करोड़ रु० की अतिरिक्त विदेशी मुद्रा कहां से प्राप्त होगी ?

पहले हमने 850 करोड़ रुपये का विदेशी अनुदान लिया था। हमें उस पर ब्याज देना है। प्रतिवर्ष 1850 करोड़ रु० की अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अदा करनी है। हम उसे कहां से प्राप्त करेंगे ? इनके पास इसके अतिरिक्त कोई उत्तर नहीं है कि "जनवरी 1985 में यह कांग्रेस सरकार सत्तारूढ़ नहीं होगी बल्कि जनता सरकार पुनः सत्तारूढ़ होगी। यह तुम्हारा सिरदर्द है, न कि हमारा।" परन्तु तथ्य यह है कि इनके द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों के परिणामस्वरूप देश आत्मनिर्भरता के मामले में, कोई प्रगति नहीं कर रहा है तथा इसे दिवालिया बनाया जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि योजना के क्रियान्वयन में बहुत भारी कमी है। संसद को इस बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है। पहले वह नाराज हो गये थे। मुझे पता है कि वह बहुत बुद्धिमान हैं तथा उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। परन्तु वे गलत दल के सदस्य हैं। परन्तु योजना मंत्री के रूप में वह क्या कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह तमिलनाडु के हैं तथा महाराष्ट्र में रह रहे हैं। श्री चव्हाण जैसे अच्छे मित्र उन्होंने बनाये हैं इसीलिए यह उनकी प्रशंसा कर रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह सत्य साईं बाबा के अनुयायी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने यह कहा था कि वे विद्युत लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते तथा उसे पूरा करने के लिए अगले दो वर्षों में 12,000 मेघावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पन्न करनी पड़ेगी तथा वह ऐसा करने की स्थिति में नहीं हैं। अतः विद्युत लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता।

जहा तक खाद्य लक्ष्यों का सम्बन्ध है, 1984-85 में 154 मिलयन टन का लक्ष्य रखा गया है। क्या आप इसे प्राप्त कर सकेंगे ? जी नहीं। इसके अतिरक्त, इस वर्ष सूखा पड़ा है जिसका अर्थ है कि विदेशों से अधिकाधिक खाद्यान्नों का आयात करना पड़ेगा। सरकार इसका पहले से ही आयात कर रही है। खाद्यान्न का सर्वाधिक उत्पादन 132 मिलियन टन है। 1978-79 में जनता सरकार

ने 130 मिलियन टन का लक्ष्य प्राप्त किया था। इन लोगों ने 132 मिलियन टन का उत्पादन किया है। अतः खाद्यान्न लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

विकास-दर के सम्बन्ध में वार्षिक योजना में यह कहा गया है कि यह 4.5 प्रतिशत होने की संभावना है जबकि छठी पंचवर्षीय योजना में इसके 5.2% होने की संभावना है। इसका क्या अर्थ है। यह सरकार अपने लक्ष्यों को कम करती जा रही है। हमें इसका स्पष्टीकरण चाहिए वे 5.2 प्रतिशत विकास-दर प्राप्त नहीं कर सकते। इसका प्रतिशत इससे कम ही होगा। इन्हें इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य देना चाहिये।

- इसी प्रकार जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, इनका विचार है कि जनता पार्टी सत्ता में नहीं है तथा मूल्यों में कमी आयेगी। वस्तुतः जनता शासन के दौरान मूल्यों में गिरावट आई थी तथा अब मूल्य बढ़ रहे हैं। परन्तु आकाशवाणी से यह उल्टी बात कही जाती है कि जनता शासन में मूल्य बढ़े थे तथा अब उनमें कमी हो रही है। इसीलिए अब कोई भी आकाशवाणी के समाचार नहीं सुनता। तमिलनाडु के लोगों ने दूरदर्शन कार्यक्रमों को बन्द करना शुरू कर दिया तथा इस सरकार के अतिशयोक्तिपूर्ण दावों से भी इसकी विश्वासनीयता में कमी आई है।

यह एक तथ्य है कि मूल्यों में वृद्धि हुई है। अतः यह योजना पहले ही बेकार हो चुकी है तथा नये अनुमान लगाये जा रहे हैं। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि योजना आयोग को इसकी जानकारी है कि योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगले दो वर्षों में हमें 17,000 करोड़ रु० का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा? आपको 17 हजार करोड़ रु० कहां से प्राप्त होंगे? तथा मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है जिसका अर्थ है कि और धन की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं जिनसे पता चलता है कि स्थिति बहुत ही खराब है।

हमारे देश में समस्या किसी योजना का क्रियान्वयन न किया जाना है तथा मैं उनको यह चुनौती देता हूं कि लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जनता शासन के ढाई वर्षों का कोई मुकाबला नहीं है। इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है। ये प्रचार कर सकते हैं। इससे बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रभावित हो सकते हैं। परन्तु यह सच है कि जनता शासन के दौरान विदेशी मुद्रा का दुगना भण्डार था। आज हमारे पास कितनी विदेशी मुद्रा है? हमने 5,300 करोड़ रु० का भण्डार छोड़ा था। आज अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 5,500 करोड़ रु० के ऋण के बावजूद यह राशि केवल 3,200 करोड़ रु० है। हमने खाद्यान्न का 23 मिलियन टन भण्डार छोड़ा था। आज यह घटकर 13 या 14 मिलियन टन रह गया है। स्वर्ण भण्डार में कमी हुई है। परन्तु इन्होंने बहुत बढ़िया प्रचार कर रखा है। देश के नेता कहते हैं कि जनता सरकार ने खाद्यान्न का पूरा भण्डार खत्म कर दिया था, मस्त स्वर्ण बेच दिया था तथा सारी विदेशी मुद्रा खर्च कर दी थी? परन्तु तथ्य इसके विपरीत हैं। यदि मन्त्री जी उत्तर देने को तैयार हैं तो मैं इन्हें चुनौती देता हूं। क्या मंत्री जी इससे इन्कार कर सकते हैं कि जनता शासन के दौरान खाद्यान्न तथा विदेशी मुद्रा का भण्डार दुगना हो गया था तथा स्वर्ण भण्डार में वृद्धि हुई थी? क्या वे इस तथ्य से इन्कार कर सकते हैं कि उनके शासन के दौरान इन सब

में गिरावट आई है। वे इसका उत्तर नहीं देंगे क्योंकि सारे तथ्य सही हैं। यदि हमने पिछले 30 वर्षों में अपनी सारी योजनाएं क्रियान्वित की होती तो लगभग 40 मिलियन गरीब जनता गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गयी होती।

इसी प्रकार, जो हम लक्ष्य प्राप्त करने जा रहे हैं, पहले ही प्राप्त कर लिये गये होते। आप केवल इन्हें क्रियान्वित कीजिए। मैं आपसे अधिक कुछ नहीं कह रहा हूं। यदि आपने इन्हें क्रियान्वित किया होता तो जो आप 1982 में प्राप्त करने की आशा कर रहे हैं, उसे अब तक प्राप्त कर लिया होता। इसी प्रकार, आप 10 हजार करोड़ रु० की अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर चुके होते जो आपने अब अर्जित की है तथा 15 मिलियन अतिरिक्त रोजगार जुटा लिये गये होते।

मैं इस पर बहुत कुछ कह सकता हूं। इस सरकार ने योजना के क्रियान्यवन विषय में कुछ नहीं किया है। केवल यही तथ्य कि सदस्यों को बुलाने तथा गणपूर्ति के लिए घंटी बजानी पड़ती है इस बात को दर्शाता हूं कि सदस्यों को इन चर्चाओं में कोई रुचि नहीं है। जनता सरकार पर यह आक्षेप लगाया जाता है कि उसने योजना को तहस-नहस कर दिया था परन्तु इन्होंने देश को ही तहस-नहस कर दिया है। इन्होंने देश को पूर्णतया विदेशियों के हाथों में बेच दिया है। अभी तक विदेशों पर निर्भरता इतनी अधिक पहले कभी नहीं थी अत: मेरा सुझाव है कि यदि आप देश को बचाना चाहते हैं तथा अर्थव्यवस्था को विकसित करना चाहते हैं तो भगवान के लिए त्यागपत्र देकर देश के आगामी दो वर्षों के अपने शासन से बचाओ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के कारण मैं आपकी आभारी हूं।

वर्ष 1982-83 छठी योजना के बीच का वर्ष है तथा छठी योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान हमारे कार्यनिष्पादन के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के पश्चात् कमियों को दूर करने तथा प्राथमिकताओं को पुनः सुनिश्चित करने के लिए अत्यन्त यह महत्वपूर्ण है।

अन्य योजनाओं की तुलना में छठी योजना सबसे बड़ी है तथा जिन परिस्थितियों में इसे तैयार किया गया था, उसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। वह मुद्रास्फीति की स्थिति थी तथा जनता शासन के दौरान अस्त व्यस्त की गई अर्थव्यवस्था को 1980 में ठीक किया जा सकता था। 1980-81 में देश की अर्थव्यवस्था ने महत्वपूर्ण प्रगति की थी तथा 1981-82 के दौरान इस प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया गया था। छठी योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान औसत वार्षिक विकास दर लगभग 6 प्रतिशत है जबकि योजनागत लक्ष्य 5.2 प्रतिशत का था। ऊर्जा तथा परिवहन आधारभूत ढ़ांचों में शानदार प्रगति हुई है। कोयले का उत्पादन, 1979-80 में 104 मिलियन मीटरी टन था, 121 मिलियन मीटरी टन के वार्षिक योजनागत लक्ष्य से 1981-82 में बढ़कर 125 मिलियन मीटरी टन हो गया। रेनवे के क्षेत्र में आयात से प्राप्त होने वाला राजस्व 1980-81 में 1.5 प्रतिशत बढ़ा था तथा 1981-82 में यह 12.3 प्रतिशत बढ़ गया जो कि 215 मिलियन मीटरी टन के वार्षिक योजनागत लक्ष्य से पांच मिलियन मीटरी टन अधिक था। औद्योगिक उत्पादन में भी सुधार हुआ तथा यह 1980 में 4 प्रतिशत बढ़ गया तथा इसमें 1981-82 में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसके भी

छठी योजना के लक्ष्य को पूरा करने की पूरी संभावना है। इस वार्षिक योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष खाद्यान्न के उत्पादन तथा उनकी खरीद में भी काफी सुधार हुआ है। इन सब से स्वस्थ विकास तथा देश के गतिशील नेतृत्व का पता चलता।

आज छठी योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंच गई है। वित्तीय स्थिति खराब है। संसाधनों का जुटाना, विशेषकर राज्यों द्वारा, उतना सन्तोषजनक नहीं रहा है जितना कि होना चाहिए था। इस समय देश को गम्भीर सूखे का सामना करना पड़ रहा है और अधिकतर धन सहायता कार्यों पर खर्च करना पड़ेगा। खाद्यान्नों का पर्याप्त मात्रा में आयात करना पड़ेगा ताकि कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए हम खाद्यान्नों का पर्याप्त रक्षित भण्डार बना सकें। तो भी, कृषि उत्पादन का पर्याप्त मात्रा में नुकसान होगा और इसी परिभाषा में संसाधनों के आयोजन पर भी प्रभाव पड़ेगा।

इसके अलावा, यदि मैं मूल्य सूचकांक, के विषय में कहूं तो स्थिति यह है कि 1979-80 में थोक मूल्य सूचकांक में 17.1 प्रतिशत था जो घटकर 1980-81 में 18.2 प्रतिशत और 1981-82 में 9.1 प्रतिशत रह गया। मूल्य सूचकांक में तेजी से गिरावट आई है। परन्तु इसका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। बाजार व्यवस्था में ढांचे सम्बन्धी कुछ सुधार करने की जरूरत है ताकि मूल्यों में इस गिरावट के लाभ को वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके। 1982-83 के दौरान ऐसा करना बहुत जरूरी है क्योंकि देश के बहुत से हिस्सों में गम्भीर सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। इस समय छठी पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि समीक्षा की जानी है और इसका लाभ उठाकर भविष्य में कठिन परिस्थितियों को देखते हुए प्राथमिकताओं का पुनः निर्धारण किया जाना है। प्राथमिकता महत्वपूर्ण क्षेत्रों और गरीबी हटाओ कार्यक्रमों को दी जानी चाहिए। महत्वपूर्ण क्षेत्र को 20 सूत्री कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है जो कि देश के विकास कार्यक्रमों और गरीब लोगों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए है।

इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में रेलवे, कोयला और विद्युत पैदा करना, उर्वरक, पैट्रोलियम और सिंचाई है। महोदय, मेरे विचार में रेलवे को और अधिक महत्व दिया जाना चाहिए और मैं समझती हूं कि रेलवे को जितना महत्व दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दिया गया है। रे वे को नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए बहुत कम धन का आवंटन किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं उड़ीसा की एक महत्वपूर्ण रेलवे लाइन का उदाहरण दूंगी। यह तालचेर-साम्बलपूर रेलवे लाइन है। इस पर रेल मंत्रालय काफी समय से विचार कर रहा है। हाल ही के सर्वेक्षण से पता चला है कि इस रेल-लाइन से काफी आय होती है। यह लाइन पश्चिमी उड़ीसा को समुद्र तटीय उड़ीसा से जोड़ती है और इससे उत्तरी और पश्चिमी भारत के खनिजों और माल पूर्वी तट तक पहुंचाने का आसान रास्ता मिल जाता है और भीड़भाड़ वाली बम्बई-कलकत्ता लाइन से नहीं जाना पड़ता है। राष्ट्रीय परिवहन नीति संबधी पांडेय समिति ने इस लाइन को प्राथमिकता के आधार पर निर्माण करने की सिफारिश की है। यह दुःख की बात है कि यह लाइन समग्र राष्ट्र के हित में होने के बावजूद इसके निर्माण कार्य को अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

और फिर, महोदय बिजली का उत्पादन भी हमारी अर्थव्ययस्था की नींव है। हर वर्ष बिजली की कमी के कारण देश को उत्पादन का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बहु। से राज्यों में यह बहुत

समय से हो रहा है। अतिरिक्त बिजली क्षमता स्थापित करने में कमी आई है। इस कमी के मुख्य कारण संयंत्र और उपकरण उपलब्ध कराने में देरी, और सीमेंट, इस्पात जैसे साधनों की कमी है। इस सम्बन्ध में उपचारी कदम उठाए जाने चाहिए और राज्य विद्युत बोर्डों को पुनः सक्रिय बनाया जाना चाहिए।

धन की कमी को ध्यान में रखते हुए, विदेशी सहायता से ताप बिजली परियोजनाएं स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल हैं कि ऊर्जा मन्त्रालय के पास नई बिजली परियोजनाओं के सम्बन्ध में विभिन्न देशों के 'टर्न की' सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी प्रकार आमपाड़ा ताप परियोजना स्थापित करने का साहसपूर्ण निर्णय लिया है। बहुत से अन्य राज्य भी ऐसी परियोजनाएं स्थापित करना चाहती हैं। उदाहरण के तौर पर, उड़ीसा सरकार तालचर या इब घाटी में सुपर ताप परियोजना के लिए जो दे रही है जहां पर अच्छे कोयले का पर्याप्त मात्रा में सुलभ है और इसके नजदीक ही पर्याप्त जल भी उपलब्ध है। उन्होंने इस प्रस्ताव का इस आधार पर सुझाव दिया है कि बहुत से उद्योगपति बिजली की मांग कर रहे हैं। इनमें से बहुत से उद्योग निर्यात प्रधान यदि वे स्थापित कर दिए जाएं, तो देश अधिक मूल्य वाली वस्तुओं का पर्याप्त निर्यात कर सकेगा। जब तक उड़ीसा की बिजली की हालत में सुधार नहीं होता, तब तक ऐसे उद्योग नहीं लग सकेंगे और यह राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल होगा।

पट्रोलियम, उर्वरक आदि अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी अधिक धन देने की जरूरत है। सिंचाई एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। बहुत से राज्यों ने बांध और जलाशयों भण्डार से सिंचाई क्षमता पैदा की हैं परन्तु वितरण प्रणाली और धन के अभाव के कारण उन्हें कार्य रूप नहीं दिया जा सकता। आने वाले अनेक वर्षों तक यह बनाई गई सिंचाई क्षमता बेकार पड़ी रहेगी। इन परियोजनाओं से लाभ होगा और इनको वरीयता दी जानी चाहिए चाहे राज्य सरकारों के पास इन परियोजनाओं के लिए धन लगाने की क्षमता हो या न हो। राज्य योजनाओं को अब सूत्रवद्ध कार्यक्रम के अनुसार चालू किया जाना चाहिए। राज्य जितना अधिक धनी होगा वह और प्रगति के लिए उतना अधिक धन जुटा सकता है। जिले जितने अधिक गरीब होंगे, उनकी साधन जुटाने सम्बन्धी क्षमता भी सीमित होगी और राज्य के लिए योजना बनाने के बावजूद गाडगिल सूत्र के अन्तर्गत अब सुलभ कराई गई केन्द्रीय सहायता के बिना प्रगति करना कठिन है। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां रेंगाली और इन्द्रावती नामक जलाशय परियोजनाएं अभी निर्माणीन हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि धन की कमी के कारण बांध और जलाशय के पूरा होने के बाद उत्पादित क्षमता नहर व्यवस्था के न होने के कारण दस वर्षों तक बेकार पड़ी रहेगी। योजना आयोग और सिंचाई मन्त्रालय को राज्य को उसकी योजना के लिए धन देने का रास्ता निकालना चाहिए ताकि इन बड़ी परियोजनाओं की वितरण व्यवस्था को पूरा किया जा सके और इससे करोड़ों लोगों को अपेक्षाकृत सस्ती लागत पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

मैं उड़ीसा जैसे राज्योंके दैविक आपदाओं के प्रभाव का भी उल्लेख करती हूं। ऐसी आपदाएं यहां प्रायः आती रहती हैं। यह वर्ष उड़ीसा के लिए विपत्ति का वर्ष रहा है। तबाही मचाने वाले चक्रपात के बाद वहां अभूतपूर्वक बाढ़ आई थी। अब वहां गम्भीर सूखा पड़ रहा है और इससे 75

प्रतिशत फसल नष्ट हो चुकी है। इससे करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। राहत कार्य और पुनर्वास के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता, छिन्न-भिन्न अर्थव्यवस्था को फिर से ठीक करने के लिए जरूरी कुल व्यय के केवल थोड़े से अंश को पूरा कर पायेगी। योजना बनाने की प्रक्रिया, जो कि संसाधनों पर निर्भर है के कारण से अतिरिक्त सहायता मिलने की सम्भावना नहीं है। जब तक ऐसे राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए भारी नुकसान की पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करने की कोई पद्धति नहीं बनाई जाती, तब तक देश के इस भाग को काफी नुकसान सहना पड़ेगा। उड़ीसा सरकार ने महानदी पर हीराकुंड के बहाव की ओर एक नया बांध बनाने का प्रस्ताव किया है जिसके ऊपर यह 550 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। बाढ़ की समस्या के सम्बन्ध में उड़ीसा के लिए केवल बांध बनाना ही एकमात्र हल है और प्रधान मन्त्री जी ने इस बात को समझा है। राज्य सरकार के पास इस परियोजना को शुरू करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। केन्द्र सरकार को इसे एका विशेष मानकर इस परियोजना को शुरू करना चाहिए अथवा राज्य सरकार को इस परियोजना के निष्पादन के लिए राज्य योजना के इतर धन देना चाहिए ताकि भविष्य में इस तबाही मचाने वाली बाढ़ को रोका जा सके। जब तक गरीब राज्यों की विशेष समस्याओं के लिए विशेष कदम नहीं उठाये जाते, तब तक उन राज्यों के लिए इन समस्याओं को हल करना आसान नहीं होगा। यह राज्य पिछड़ा ही रहेगा।

मैं आई० आर० डी० और एन० आर० ई० पी० जैसे गरीबी सुधार कार्यक्रमों पर विशेष बल देना चाहती हूं। एन० आर० ई० पी०, विशेष रूप से, इस वर्ष के अनुकूल है क्योंकि बहुत से इलाके में सूखा पड़ा हुआ है। इस स्थिति से निपटने के लिए श्रम प्रधान निर्माण कार्यों को बड़े पैमाने पर शुरू किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि इस उद्देश्य के लिए अलग-अलग राज्यों को खाद्यान्नों की अधिक मात्रा दी जानी चाहिए और ऐसे कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर शुरू किया जाना चाहिए। गत वर्षों में, केन्द्र सरकार ने आबंटन का अपना हिस्सा अधिकतर नकदी में देने का प्रयास किया है। परन्तु चावल और गेहूं के बाजार मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए, इस पद्धति से श्रमिकों को दी जाने वाली वास्तविक मजदूरी कम हो जाएगी। न केवल पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न ही दिये जाने चाहिये, बल्कि ऐसी पद्धति भी निकाली जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों तक अनाज ही पहुंचे। न्यूनतम आवश्यकता सम्बन्धी कार्यक्रम का भी विस्तार किया गया है और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष इसके लिए 116 करोड़ रु० रखे गये हैं। तिलहनों, शुष्क भूमि में खेती और सिंचाई पर बल दिया गया है। मैंने इस बात पर पहले भी जोर दिया है और अब भी कह रहा हूं कि सिंचाई के क्षेत्र में शीघ्र पैदा होने वाली फसलों को अधिक वरीयता दी जानी चाहिए और एक ऐसा फार्मूला निकाला जाना चाहिए और जिससे ऐसे गरीब राज्यों को अधिक केन्द्रीय सहायता दी जा सके जिनके पास संसाधनों की कमी के कारण परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं।

महोदय, मैं परिवार नियोजन कार्यक्रम पर अधिक बल दूंगी। जब तक हम इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक छठी पंचवर्षीय योजना के परिणाम सन्तोषजनक नहीं होंगे। इसलिए इस योजना को काफी जोरदार ढंग से लागू किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ ही मैं छठी पंचवर्षीय योजना का समर्थन करती हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि बहुतों ने कहा है कि योजना प्रल्लेख पर इस महान सदन में तब तक चर्चा नहीं हो सकती जब तक कि उसे स्वीकृति प्राप्त न हो जाए। इस समय हम इस स्थिति में नहीं है क्योंकि हमें छठी योजना के क्रियान्वयन के ढाई वर्ष पूरे होने पर भी कोई मूल्यांकन पत्र भी प्रदान नहीं किया गया है। यह स्वाभाविक है कि हम में से कोई भी ढाई वर्षों के दौरान योजना के वास्तवित कार्यनिष्पादन का लेखा-जोखा भी नहीं कर सकता। इन सबके वावजूद ऐसी चर्चा लाभदायक है क्योंकि सरकार हमारी भावनाओं का ख्याल करेगी और भविष्य में सुधारात्मक कदम उठायेगी।

महोदय, आप मुझसे सहमत होंगे और मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी को तथ्यों की पूरी जानकारी भी होगी कि छठी योजना के मुख्य उद्देश्य : उत्पादन, आधुनिकीकरण, स्वावलम्बन और सामाजिक न्याय हैं। ये चार उद्देश्य हैं जो छठी योजना के वृहत्त योजना प्रलेख में बताये गए हैं। अव मैं इस समय यह टिप्पणी करना चाहूंगा कि अर्थभेद में कुछ भिन्नताओं के बावजूद और शब्दरचना तथा परिभाषा में कुछ परिवर्तन के बावजूद योजनाओं का मूल उद्देश्य प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद लगभग वही रहा है। इसलिए अर्थभेद में कुछ परिवर्तन जरूरी हो जाता है किन्तु हमारे लिए अति महत्वपूर्ण यह है कि कोई भी उद्देश्य न्यूनतम सम्भव सीमा तक भी क्रियान्वित नहीं किया गया है। यह अति महत्वपूर्ण है। यह नहीं कि कुछ उद्देश्य नियत कर दिए गए हैं। यह नहीं कि छठी योजना के उद्देश्य पांचवीं अथवा चौथी योजना से कुछ भिन्न हैं। इन उद्देश्यों का स्वरूप न्यूनाधिक वही हैं। निस्सन्देह अर्थभेद में अथवा शब्द रचना और परिभाषा को लागू करने में कुछ अन्तर अवश्य हो सकता है। इसलिए अति महत्वपूर्ण मुद्दा क्रियान्वयन और परिणामों की उपलब्धि है। फिर भी, इस समय मैं स्वयं की योजना के दर्शन, योजना की प्रक्रिया और हमारे देश में योजनाओं से सम्बन्धित अन्य सभी पहलुओं पर नहीं बोलूंगा। किन्तु आज मैं छठी योजना की समस्याओं पर ध्यानाकर्षित करूंगा। जब तक हम छठी योजना के संकट को नहीं समझेंगे तो मैं समझता हूं कि कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया जा सकता। अब यदि हम छठी योजना को जानना चाहते हैं और यदि हम उसके संकट का पता लगाना चाहते हैं तो हमारे लिए छठी योजना के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर चर्चा करनी आवश्यक होगी। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं 1980-85 की छठी योजना अवधि के दौरान कुल 1,72,210 करोड़ रु० के निवेश का अनुमान है। यह छठी योजनावधि के दौरान कुल निवेश है। इसमें से निजी क्षेत्र में कुल निवेश 74,710 करोड़ रु० का है और सार्वजनिक क्षेत्र में केवल 97,500 करोड़ रु० का निवेश है। इस समय मैं नहीं जानता कि इन ढाई वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र में कितना व्यय हुआ है। महोदय मैं एक लोकोक्ति का उल्लेख करूंगा कि "निजी क्षेत्र वास्तव में निजी क्षेत्र है।" और यह जानना भी कठिन है कि निजी क्षेत्र में क्या हो रहा है। यह मुझे पता नहीं है। मैं माननीय मंत्री से पूछूंगा कि क्या वे जानते हैं कि इस योजना ढांचे के आधार पर ढाई वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र में कितना निवेश हुआ है। मैं इस बारे में जानकर प्रसन्न हूंगा। किन्तु मैं यह आग्रह करूंगा कि वह निजी क्षेत्र में उपलब्धियों, प्रगति और निवेश के बारे में बतायें, जैसा कि छठी योजना के मूल प्रलेख में निर्धारित किया गया था।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वे सार्वजनिक रूप से सरकारी क्षेत्र का समर्थन करते हैं और निजी तौर पर गैर-सरकारी क्षेत्र का।

श्री चित्त बसु : मैं आशा करता हूं कि योजना मंत्री और गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई निजी सम्पर्क नहीं होगा। किन्तु यदि कोई निजी सम्पर्क है तो मैं समझता हूं कि उन्हें इसे सदन से छिपाना नहीं चाहिए। (व्यवधान) पर की गई बातचीत—अथवा गोपनीय निजी पत्राचार गैर-सरकारी क्षेत्र से निजी तौर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि ऐसा किया जा सकता है।

अब मैं सरकारी क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा कि···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

कार्यवाही मंत्रणा सीमति

38वां प्रतिवेदन

रेल मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय मैं कार्यवाही मंत्रणा समिति का 38वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

राज्य सभा से सन्देश

सचिव महोदय : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 2 नवम्बर, 1982 को अपनी बैठक में पारित विमान अपहरण निवारण विधेयक, 1982 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 2 नवम्बर, 1982 को अपनी बैठक में पारित सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन विधेयक 1982 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।

2. महोदय मैं राज्यसभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) विमान अपहरण निवारण विधेयक, 1982।

(2) सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन विधेयक, 1982।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री जनार्दन पुजारी सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, केरल काफी उत्पादकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिनके बारे में मेरे समेत केरल से अनेक संसद सदस्यों द्वारा उससे पूर्व कई बार सदन के समक्ष तथ्य रखे गए हैं। केरल के संसद सदस्य और केरल सरकार भी···

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : केन्द्रीय सरकार से निर्यात शुल्क में रियायत और निर्यात शुल्क कम करने का अनुरोध कर रहा हूं। किन्तु मुझे आश्चर्य होता है कि सरकार निर्यात शुल्क बढ़ा रही है। इसीलिए इससे काफी उत्पादकों की समस्यायें और बढ़ जायेंगी। मैं समझता हूं कि कर्नाटक के मंगलौर क्षेत्र से आये हुए माननीय मन्त्री श्री जनार्दन पुजारी को हर समस्याओं की जानकारी होगी। मैं नहीं जानता कि वे कैसे इसमें वृद्धि कर रहे हैं। मैं इस निर्यात शुल्क में वृद्धि का विरोध करता हूं और इन पत्रों को सभापटल पर रखने का भी विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने अपनी 12वीं रिपोर्ट (पांचवी लोक सभा) में सिफारिश की थी कि निर्यात शुल्क में परिवर्तन, आयात तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की प्रक्रिया में भारी परिवर्तन, जिसमें 50 लाख रु० प्रतिवर्ष से अधिक का राजस्व निहित हो, सम्बन्धी अधिसूचना यदि किसी दिन 6.00 बजे शाम से पहले जारी की जाए तो उसे उसी दिन संसद के दोनों सदनों के पटलों पर रखा जाना चाहिए। इस सिफारिश को 17 मई, 1979 को सदन में प्रस्तुत समिति के 21वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में दोहराया गया है। अधिसूचना को आज की कार्यवाही की दूसरी अनुपूरक कार्य सूची में शामिल किया गया है तथा इसमें 50 लाख रु० से कम राजस्व निहित नहीं है। अधिसूचना आज ही जारी की गई है और उप वित्त मन्त्री ने इसे सभापटल पर आज ही रखने की अनुमति मांगी है। अधिसूचना को समिति की सिफारिश के अनुसरण में, सभा-पटल पर रखने की अनुमति दे दी गई है।

श्री पुजारी अब पत्र सभापटल पर रख सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : श्री नीलालोहिथासदन नाडार द्वारा उठाये गए मुद्दे पर सरकार का क्या उत्तर है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : हम समस्याओं के प्रति जागरूक हैं। सरकार ने उनके द्वारा उठाए गये मुद्दे को नोट कर लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है, अब श्री पुजारी आप पत्र सभापटल पर रख सकते हैं।

सभापटल पर रखा गया पत्र

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तरर्गत काफी के निर्यात शुल्क में 300 रु० प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 440 रु० प्रति क्विंटल करने के बारे में 2 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 240/82 कस्टम (हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में) की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए एल० टी० संख्या 5581-क/82]**

7.02 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा बुधवार, 3 नवम्बर, 1982/12 कार्तिक, 1904 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।
